



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010



राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

<u>अध्याय सं.</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ सं.</u>
1.	प्रस्तावना ।	1-3
2.	आयोग का गठन ।	4-6
3.	आयोग की बैठकें ।	7-12
4.	वर्ष की मुख्य-मुख्य बातें ।	13
5.	दौरे एवं निरीक्षण ।	14-16
6.	वर्ष के दौरान प्राप्त हुई याचिकाओं एवं शिकायतों का विश्लेषण ।	17-92
7.	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों के हनन और विश्वविद्यालयों से संबद्धता से जुड़े मामले ।	93-151
8.	केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ तथा आयोग की सिफारिशें ।	152-155
9.	आयोग द्वारा किए गए अध्ययन ।	156-157
10.	अल्पसंख्यकों की शिक्षा के एकीकृत विकास के लिए सिफारिशें ।	158-160
11.	अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन अथवा वंचन के दृष्टांत ।	161-163
12.	निष्कर्ष ।	164-166

अध्याय 1 - प्रस्तावना

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 2004 की धारा 16 के अनुसरण में यह वर्ष 2009-10 के लिए आयोग की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग दिनांक 11 नवम्बर, 2004 को सरकार द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश के माध्यम से अस्तित्व में आया, बाद में इसे दिसंबर, 2004 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। 16 नवम्बर, 2004 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस आयोग का गठन किया और इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया। 26 नवम्बर, 2004 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें न्यायमूर्ति एम.एस.ए. सिद्धिकी को अध्यक्ष के रूप में तथा श्री बी.एस. रामवालिया और श्री वालसन थम्पू को आयोग के प्रथम सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। श्री वालसन थम्पू ने 11 सितम्बर, 2007 से आयोग के सदस्य के रूप में त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद, श्रीमती बसन्ती स्टेनली को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और 5 मार्च, 2008 को उनके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात् सिस्टर जैस्सी कुरियन को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 27 मार्च, 2008 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री बी.एस. रामवालिया ने 31-3-2009 को सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया। अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेने पर न्यायमूर्ति एम.एस.ए. सिद्धिकी ने 28-11-2009 को कार्यभार छोड़ दिया और सिस्टर जैस्सी कुरियन ने 5-12-2009 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। सरकार ने न्यायमूर्ति एम.एस.ए. सिद्धिकी को आगे और 5 वर्ष की अवधि के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्होंने 18-12-2009 को कार्यभार ग्रहण किया।

रा.अ.शै.सं.आ. अधिनियम, 2004

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 (2005 का 2) 6 जनवरी, 2005 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन हुआ और इस अधिनियम में उल्लिखित आयोग के मुख्य कार्य तथा शक्तियां निम्नलिखित थीं :-

- (क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी प्रश्न पर, जो उसे निर्देशित किया जाए, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना ;
- (ख) अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका अतिक्रमण किए जाने और किसी अनुसूचित विश्वविद्यालय से सहबद्ध होने से संबंधित किसी विवाद के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना तथा केन्द्रीय सरकार को उनके कार्यान्वयन के लिए अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करना ; और
- (ग) ऐसे अन्य कार्य और बातें करना जो आयोग के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग संशोधन अधिनियम, 2005

आयोग को अधिक सक्रिय व इसकी कार्यपद्धति को और अधिक विशिष्ट बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आयोग द्वारा सरकार को इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सिफारिशों की गई थीं। सरकार ने संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पेश किया। तथापि, संसद द्वारा पारित 93वें संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15 (5) को समाविष्ट किया गया था, के अनुसरण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम में एक अध्यादेश

द्वारा तदनु रूप संशोधन करना आवश्यक हो गया । इसके फलस्वरूप, सरकार द्वारा 23 जनवरी, 2006 को एक अध्यादेश अधिसूचित किया गया जिसका स्थान आगे चलकर संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम 2006 ने ले लिया जो 29 मार्च, 2006 को अधिसूचित हुआ ।

इस संशोधन ने संबद्धता करने वाले सभी सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को अधिनियम के दायरे में ला दिया जिससे कि संबद्धता के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को व्यापक विकल्प मिल सके । नई धाराओं को समाविष्ट किया गया है ताकि आयोग की कार्यवाही की पवित्रता को बनाए रखा जा सके तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के किसी अधिकारी की सेवाओं का इस्तेमाल करके अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के वंचन संबंधी मामलों की जांच करने के लिए आयोग की शक्तियों में बढ़ोत्तरी हो सके । आयोग को यह अधिकार दिया गया था कि वह शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने संबंधी मामलों का निर्णय कर सके तथा साथ ही उन संस्थाओं, जो निर्धारित मानकों को लागू करने में असफल होते हैं, के अल्पसंख्यक दर्जे को निरस्त भी कर सके। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में एक ऐसा मान्य प्रावधान भी शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपने संस्थान की स्थापना के संबंध में आगे कार्रवाई कर सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार 90 दिनों के भीतर अपने निर्णय से उन्हें सूचित न करें । आयोग को अब अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने से इन्कार करने संबंधी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी दिया गया है । अधिनियम के संगत प्रावधान को निम्नवत पढ़ा जाए:-

रा.अ.शै.सं.आ अधिनियम की धारा 12च निम्नवत परिभाषित है:

12 च. अधिकारिता का वर्जन :- “कोई न्यायालय (उच्चतम न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय के सिवाए) इस अध्याय के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में किसी वाद, आवेदन या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण नहीं करेगा ।”

यह आयोग एक न्यायिक-वत निकाय है तथा इसे एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं । यह पहली बार है कि अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा तथा उसके संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशिष्ट आयोग स्थापित किया गया है । अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, आयोग को न्यायिक कार्य और संस्तुति करने की शक्तियां हैं। आयोग का जनादेश बहुत व्यापक है । इसके कार्यों में अन्य बातों के अलावा किसी विश्वविद्यालय से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के सहबद्ध होने से संबंधित किसी विवाद का निपटारा करने, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वंचन तथा उल्लंघन संबंधी शिकायतों का निपटान करने, तथा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित आयोग को भेजे गए किसी मामले पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों को सलाह देना शामिल है ।

रा.अ.शै.सं. आ. अधिनियम की धारा 12ड(2) और (3) को निम्नवत परिभाषित किया जाता है:

12ड - सूचना आदि की मांग करने की आयोग की शक्ति:

(2) “जहाँ किसी जांच में लोक सेवक द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का अतिक्रमण अथवा वंचन किया जाना साबित होता है, वहाँ आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्रवाई, जिसे वह उचित समझे, शुरु करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकारी से सिफारिश कर सकता है ।”

- (3) “आयोग जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी एक मास की अवधि या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, उस पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई सहित रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणियाँ आयोग को भेजेगा।”

शुरू में आयोग ने शास्त्री भवन में दो कमरों से कार्य करना प्रारंभ किया था। अगस्त, 2005 से संसद मार्ग, नई दिल्ली, स्थित जीवन तारा भवन के प्रथम तल पर अपने परिसर में स्थानान्तरित हो गया। इस समय आयोग जीवन तारा भवन के प्रथम तल (गेट न. 4), 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली से कार्य कर रहा है।

सरकार ने आवश्यक प्रशासनिक व कार्यालय कार्य के लिए प्रारंभ में 22 पद स्वीकृत किए थे। बाद में, सरकार ने 11 अतिरिक्त पद दिए। इस प्रकार, इस समय आयोग में निम्नलिखित 33 पद हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या
1.	सचिव	1
2.	उप-सचिव	1
3.	वरिष्ठ प्र.नि.स.	1
4.	अवर सचिव	1
5.	अनुभाग अधिकारी	1
6.	निजी सचिव	5
7.	सहायक	1
8.	वैयक्तिक सहायक	5
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
10.	लेखाकार	1
11.	उर्दू अनुवादक	1
12.	आशु.श्रेणी 'घ'	3
13.	रीडर/उ.श्रे.लिपिक	1
14.	अवर श्रेणी लिपिक	2
15.	स्टाफ कार ड्राईवर	1
16.	दफतरी	1
17.	चपरासी	6
	योग	33

कुछ पदों को आयोग द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर और कुछ को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा गया है। काफी अधिक संख्या में याचिकाएं/आवेदन आ जाने के कारण आयोग को वर्तमान स्टाफ से इस कार्यभार को संभालने में कठिनाई आई है और आयोग ने, विशेषकर न्यायिक मामलों, जो कि इसका मुख्य कार्य है से निपटने के लिए तथा साथ ही कम्प्यूटरीकरण संबंधी कार्य संभालने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए सरकार को लिखा है।

अध्याय 2 - आयोग का गठन

आयोग की स्थापना 11 नवम्बर, 2004 को अधिसूचित एक अध्यादेश (2004 का संख्यांक 6) के जरिए हुई थी। इसके बाद अध्यादेश के स्थान पर एक विधेयक पेश किया गया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) पारित हुआ जिसे 6 जनवरी, 2005 को अधिसूचित किया गया।

संसद ने रा.अ.शै.सं.आ.(संशोधन),अधिनियम,2006 पारित किया, जिसे 29 मार्च,2006 को अधिसूचित किया गया।

इस रिपोर्ट की अवधि के प्रारंभ में आयोग का गठन इस प्रकार था :-

1. न्यायमूर्ति एम.एस.ए. सिद्धिकी	अध्यक्ष
2. श्री बी.एस. रामूवालिया	सदस्य
3. सिस्टर जैस्सी कुरियन	सदस्य

आयोग के सदस्य श्री बी.एस.रामूवालिया ने 31.03.2009 को त्यागपत्र दे दिया।

अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेने पर न्यायमूर्ति एम.एस.ए.सिद्धिकी ने अपना कार्यकाल 28-11-2009 को छोड़ दिया और सिस्टर जैस्सी कुरियन ने 5-12-2009 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। सरकार ने न्यायमूर्ति एम.एस.ए.सिद्धिकी को आगे और 05 वर्ष की अवधि के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्होंने 18-12-2009 को कार्यभार ग्रहण किया।

आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- (क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर, जो उसे निर्देशित किया जाए, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना ;
- (ख) किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अथवा इसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अधिकारों से वंचित किए जाने अथवा उनका अतिक्रमण किए जाने और किसी विश्वविद्यालय में संबद्ध होने संबंधित किसी विवाद के बारे में शिकायतों की अपनी ओर से या उसे प्रस्तुत की गई किसी याचिका पर जाँच पड़ताल करना और समुचित सरकार को इनके कार्यान्वयन के लिए अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देना ;
- (ग) किसी न्यायालय के समक्ष ऐसे न्यायालय की अनुमति से अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका अतिक्रमण किए जाने से संबद्ध किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना ;
- (घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी कानून के अन्तर्गत किए गए सुरक्षापायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना ;
- (ङ) अल्पसंख्यक स्थिति तथा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद की संस्थाओं के स्वरूप के संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय विनिर्दिष्ट करना ;

- (च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में किसी संस्था की स्थिति से संबंधी सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना तथा इस प्रकार इसकी स्थिति की घोषणा करना ;
- (छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समुचित सरकार से सिफारिशें करना ; और
- (ज) आयोग के सभी या किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य कार्य एवं बातें करना जो आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है तथा अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन हेतु इसे किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं । आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (1) यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था और किसी विश्वविद्यालय के बीच उसके ऐसे विश्वविद्यालय से सहबद्ध होने के संबंध में कोई विवाद उठता है तो उस पर आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा ।
- (2) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, किसी वाद का विचारण करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-
 - (क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
 - (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;
 - (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;
 - (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे रिकार्ड अथवा दस्तावेज अथवा रिकार्ड की प्रति की अपेक्षा करना ;
 - (ङ.) साक्षियों या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; और
 - (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।
- (3) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

आयोग की शक्तियों में किसी भी संस्था के एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में दर्जे से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेना शामिल है । यह अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े विवादों के संबंध में एक अपील प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता है । किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने से मना करने पर व्यथित शैक्षणिक संस्थाएं

ऐसे आदेशों के विरुद्ध आयोग से अपील कर सकती हैं। आयोग को इस अधिनियम में निर्धारित आधारों पर किसी शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे को निरस्त करने की भी शक्ति है।

आयोग को अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के अतिक्रमण अथवा वंचन किए जाने की शिकायतों की जाँच करते समय जानकारी लेने का भी अधिकार है। जहाँ किसी जांच में लोक सेवक द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का अतिक्रमण अथवा वंचन किया जाना साबित होता है, वहाँ आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्रवाई, जिसे वह उचित समझे, शुरू करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकारी से सिफारिश कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले केवल सर्वोच्च न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय ही आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश के संबंध में किसी वाद, आवेदन या कार्यवाही पर विचार कर सकते हैं।

संसद द्वारा सम्यक विनियोजन किए जाने के पश्चात् आयोग को केन्द्र सरकार से अनुदान मिलता है। इस अनुदान का उपयोग आयोग के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आयोग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करता है और इन लेखाओं की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत में आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी लोक सेवक माने जाते हैं।

अध्याय 3 - आयोग की बैठकें

रा. अ.शै.सं. आ. अधिनियम की धारा 12(3) यह अनुबंधित करती है कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और आयोग को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2)की धारा 195 अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा । आयोग अर्द्ध-न्यायिक निकाय होने के कारण औपचारिक न्यायालय की बैठकें आयोजित करता है । एक औपचारिक न्यायालय कक्ष आयोग के परिसर में उपलब्ध है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, आयोग ने न्यायालय के रूप में 121 बैठकें आयोजित कीं और नीचे दिए गए ब्योंरों के अनुसार 4377 मामलों की सुनवाई की:-

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
1.	01.04.2009	56
2.	02.04.2009	37
3.	08.04.2009	37
4.	09.04.2009	25
5.	15.04.2009	36
6.	16.04.2009	44
7.	21.04.2009	30
8.	22.04.2009	44
9.	23.04.2009	34
10.	28.04.2009	94
11.	29.04.2009	44
12.	05.05.2009	35
13.	06.05.2009	65
14.	12.05.2009	80
15.	13.05.2009	22
16.	19.05.2009	84
17.	20.05.2009	33
18.	21.05.2009	02
19.	26.05.2009	45
20.	27.05.2009	39
21.	28.05.2009	30
22.	29.05.2009	83
23.	02.06.2009	40
24.	03.06.2009	45
25.	04.06.2009	01

26.	09.06.2009	37
27.	10.06.2009	17
28.	11.06.2009	02
29.	16.06.2009	19
30.	17.06.2009	76
31.	18.06.2009	03
32.	23.06.2009	03
33.	24.06.2009	34
34.	02.07.2009	37
35.	07.07.2009	55
36.	08.07.2009	41
37.	09.07.2009	03
38.	13.07.2009	03
39.	14.07.2009	45
40.	15.07.2009	35
41.	21.07.2009	49
42.	22.07.2009	43
43.	23.07.2009	48
44.	27.07.2009	01
45.	28.07.2009	137
46.	29.07.2009	43
47.	30.07.2009	49
48.	05.08.2009	31
49.	11.08.2009	42
50.	12.08.2009	03
51.	18.08.2009	05
52.	19.08.2009	37
53.	20.08.2009	40
54.	24.08.2009	45
55.	25.08.2009	61
56.	26.08.2009	42
57.	27.08.2009	02
58.	28.08.2009	01
59.	01.09.2009	22
60.	03.09.2009	40

61.	07.09.2009	03
62.	08.09.2009	42
63.	09.09.2009	37
64.	10.09.2009	43
65.	15.09.2009	42
66.	16.09.2009	64
67.	17.09.2009	02
68.	23.09.2009	29
69.	24.09.2009	37
70.	30.09.2009	04
71.	20.10.2009	21
72.	21.10.2009	39
73.	22.10.2009	44
74.	26.10.2009	03
75.	27.10.2009	42
76.	28.10.2009	56
77.	29.10.2009	36
78.	03.11.2009	39
79.	04.11.2009	03
80.	05.11.2009	51
81.	09.11.2009	20
82.	10.11.2009	23
83.	11.11.2009	44
84.	12.11.2009	33
85.	16.11.2009	13
86.	17.11.2009	39
87.	18.11.2009	42
88.	19.11.2009	46
89.	23.11.2009	04
90.	24.11.2009	45
91.	25.11.2009	27
92.	26.11.2009	08
93.	05.01.2010	31
94.	06.01.2010	34
95.	12.01.2010	45

96.	13.01.2010	34
97.	14.01.2010	32
98.	19.01.2010	05
99.	20.01.2010	59
100.	21.01.2010	32
101.	27.01.2010	36
102.	28.01.2010	43
103.	02.02.2010	39
104.	03.02.2010	54
105.	11.02.2010	54
106.	15.02.2010	81
107.	16.02.2010	27
108.	17.02.2010	64
109.	18.02.2010	32
110.	23.02.2010	39
111.	24.02.2010	56
112.	25.02.2010	40
113.	03.03.2010	29
114.	04.03.2010	29
115.	09.03.2010	26
116.	10.03.2010	35
117.	11.03.2010	33
118.	16.03.2010	40
119.	22.03.2010	41
120.	23.03.2010	23
121.	30.03.2010	67
	कुल	4377

वर्ष के दौरान आयोजित की गई न्यायालय की बैठकों की संख्या पिछले वर्ष के तुलना में बहुत अधिक रही हैं । पिछले वर्ष 2008-09 में, कुल 3506 मामलों की सुनवाई की गई और इस वर्ष के दौरान मामलों की संख्या बढ़कर 4377 हो गई। वर्ष 2005-06 में 1404 मामलों की सुनवाई की गई, वर्ष 2006-07 में यह संख्या 3932 थी और 2007-08 में यह संख्या 2916 थी । आयोग ने बैठकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है और उसी के अनुसार ही वर्ष के दौरान अधिक मामलों की सुनवाई की गई । यह मुख्यतः मामलों की अधिक संख्या के निपटान करने के उद्देश्य से किया गया । औपचारिक न्यायालय बैठकों के दौरान जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए, उनकी सुनवाई की गई । उपर्युक्त औपचारिक बैठकों की संख्या के अलावा, आयोग ने दैनिक आधार पर नई याचिकाओं की सुनवाई की ओर आदेश पारित किए हैं । नई याचिकाओं के लिए याचिकाकर्ता अथवा प्रतिवादी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है । आयोग

ने प्रत्येक बैठक में यथासंभव मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक मामलों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पिछले वर्ष के बकाया मामलों को प्राथमिकता दी जाए। अपर्याप्त स्टाफ होने के बावजूद, वर्ष के दौरान मामलों के निपटान की दर में पिछले वर्ष के मुकाबले में अधिक वृद्धि हुई है।

आयोग ने प्रत्येक सप्ताह न्यायालय की बैठकें आयोजित कीं। सर्वाधिक बैठकें नवम्बर में आयोजित की गईं, जिनकी संख्या 15 थीं। जुलाई में 14 बैठकें और सितम्बर में 12 बैठकें आयोजित की गईं। अप्रैल, मई, जून, अगस्त, 2009 तथा जनवरी एवं फरवरी, 2010 के महीनों में प्रत्येक 10 बैठकें आयोजित की गईं। मार्च, 2010 में 9 बैठकें तथा अक्टूबर में 7 बैठकें आयोजित की गईं।

दिनांक 28.11.2009 को अध्यक्ष द्वारा कार्यभार छोड़े जाने के साथ ही प्रथम आयोग का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हुआ। नए अध्यक्ष ने 18 दिसंबर, 2009 को कार्यभार ग्रहण किया और इसलिए दिसंबर, 2009 माह में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई। इस तथ्य के बावजूद कि आयोग दिसंबर माह के दौरान कोई भी बैठक आयोजित नहीं कर सका, इस वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं और मामलों का सर्वाधिक निपटान हुआ।

मामलों का जल्द निपटान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बकाया मामले न हों, आयोग ने न्यायालय बैठकों के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं किया है। प्रथम आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात्, सरकार ने एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की, जिन्होंने 18-12-2009 को कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि, 31-3-2010 तक की शेष अवधि तक किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई थी, आयोग सुचारु रूप से कार्य कर सका, क्योंकि न्यायालय बैठकों के लिए कोई भी कोरम निर्धारित नहीं किया गया है।

सभी मामले जो एक विशेष दिन के लिए सूचीबद्ध किए जाते हैं, उन्हें उसी दिन लिया जाता है और उन पर उसी दिन सुनवाई होती है और उपस्थित सदस्यों द्वारा समुचित आदेश पारित किए जाते हैं। प्रतिवादियों को पर्याप्त समय का नोटिस दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह करने पर, आयोग सुनवाई की पहले तारीख दे देता है। आयोग किसी विशेष दिन उपस्थित होने के लिए पक्षकारों द्वारा व्यक्त असुविधा पर भी विचार करता है तथा तदनुसार, सुनवाई की उपयुक्त तारीख निर्धारित करके स्थगन प्रदान किए जाते हैं ताकि पक्षकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अपने मामले प्रभावी ढंग से रख सकें। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोग ने कभी भी वकील की सेवाएं लिए जाने का आग्रह नहीं किया है। अन्य शब्दों में, कोई भी याचिकाकर्ता जो अपने मामले पर बहस करना चाहता है, उसे इसकी स्वतंत्रता दी जाती है।

आयोग का यह प्रयास रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए उनके शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक निःशुल्क मंच प्रदान किया जाए। इसलिए, आयोग ने कोई भी न्यायालय शुल्क निर्धारित नहीं किया है। चूंकि काफी संख्या में याचिकाकर्ता न्यायालय की औपचारिकताओं तथा प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं, आयोग ने उन याचिकाओं तक को भी स्वीकार किया है जो वकालत के कानून के अनुरूप नहीं होतीं।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आयोग दिल्ली के बाहर भी अपनी बैठकें कर सकता है। रा. अ. शै. सं. आ. की धारा 09 में प्रावधान है कि जब कभी भी आवश्यक हो, आयोग अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले समय और स्थान पर बैठक करेगा। यह उपबंध आयोग को दिल्ली के बाहर भी बैठक करने का अधिकार प्रदान करता है। तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान आयोग की बैठकें केवल दिल्ली में ही की गईं। आयोग की बैठक विभिन्न स्थानों पर करने के

लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे । एक स्थान विशेष से काफी संख्या में मामले आने की अवस्था में, आयोग संबंधित राज्य सरकार से पर्याप्त सुविधा मिलने की शर्त पर अपनी बैठकें उस स्थान विशेष पर आयोजित करेगा ।

वर्ष के दौरान, आयोग ने विनियामक प्राधिकारियों के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं । आयोग ने ऐसी बैठकों को करना उचित समझा है क्योंकि कई याचिकाएं/शिकायतें यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, सीबीएसई, आईसीएसई इत्यादि जैसे विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम व विनियमनों से संबंधित होती हैं । इन बैठकों में संबद्धता, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, संबद्धता के लिए अपेक्षित मानदण्ड पूरे करना, निरीक्षण, स्टाफ के लिए मानदण्ड इत्यादि से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श शामिल था ।

इस प्रकार की आपसी बातचीत उपयोगी साबित हुई है क्योंकि विनियामक प्राधिकारियों ने कुछ ऐसे नियमों और विनियमनों को, जो संविधान के अनुच्छेद 30 में सुनिश्चित किए गए अधिकारों के अनुरूप नहीं थे, आशोधित/संशोधित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की । आयोग ने यह इंगित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो स्वयं में कानून का दर्जा रखते हैं, को विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अपने नियमों एवं विनियमनों को आशोधित/संशोधित करते हुए ध्यान में रखना होगा । विनियामक प्राधिकारियों से हुई बैठकों के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की समस्याओं से निपटने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने अथवा नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता को भी बेहतर रूप से समझने में मदद मिली है । आयोग का इरादा इस आपसी बातचीत को नियमित रूप से जारी रखने का है ।

अध्याय 4 - वर्ष की मुख्य-मुख्य बातें

वर्ष के दौरान लम्बित मामलों को निपटाने को प्राथमिकता दी गई। पिछले वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों को प्राथमिक आधार पर लिया गया और पक्षकारों को तिथियां स्थगित करने के लिए सावधान किया गया। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष से लंबित अधिक मामलों को निपटाना संभव हो पाया।

आयोग ने विभिन्न पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फीडबैक एवं आयोग में पंजीकृत मामलों के विश्लेषण के आधार पर, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित अल्पसंख्यक दर्जे और मान्यता तथा संबद्धता मामलों से जुड़े दिशा-निर्देशों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। आयोग ने पाया कि राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित नियमों और विनियमों में कोई एक समान मानदंड नहीं है। राज्य सरकार के प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए आयोग ने भारत के संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में अल्पसंख्यक दर्जा, मान्यता, संबद्धता और संबंधित मामलों को निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए। इन दिशा-निर्देशों को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किया गया है।

वर्ष के दौरान आयोग के रिकार्डों को कंप्यूटरीकृत किया गया। हालांकि आयोग के लिए कोई भी तकनीकी स्टाफ मंजूर न होने के बावजूद, आयोग का कार्य मैसर्स एनआईआईटी. (NIIT) के माध्यम से किया गया, जिन्होंने सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान किए। डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की सेवाएं लेकर आयोग वर्ष के दौरान सभी रिकार्डों की डाटा प्रविष्टि पूरी कर पाया।

वर्ष के दौरान अधिक मामलों की सुनवाई की गई और मामलों के जल्द निपटान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की अधिक बैठकें आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया गया। आयोग ने प्रत्येक बैठक में मामलों की अधिक संख्या पर भी विचार किया गया।

अध्याय 5 - दौरे और निरीक्षण

वर्ष के दौरान, आयोग ने विभिन्न स्थानों के दौरे किए जिनका ब्योरा निम्नवत है:-

क्रम सं.	दौरे की तिथियां	निरीक्षण स्थान
1	23.5.2009 - 25.5.2009	लखनऊ
2	12.6.2009 - 13.6. 2009	गुवाहाटी
3	20.6.2009	अमरोहा
4	24.6.2009 - 30.6.2009	जबलपुर
5	2.8.2009 - 4.8.2009	भोपाल, इंदौर, विदिशा
6	7.8.2009 - 10.8.2009	श्रीनगर
7	26.9. 2009 - 27.9. 2009	लखनऊ
8	1.11.2009 - 2. 11.2009	अजमेर
9	7.11.2009 - 8.11.2009	बदायूं (उत्तर प्रदेश)
10	12.11.2009 - 15.11.2009	कोलकाता, मुर्शिदाबाद
11	21.11. 2009 - 22.11. 2009	बोकारो
12	20.12.2009 - 21.12.2009	रामपुर, मुरादाबाद
13	22.12. 2009 - 24.12.2009	अहमदाबाद
14	01.1.2010 - 4.1.2010	इंदौर
15	16.1.2010 - 18.1.2010	मुंबई, अहमदाबाद
16	3.02. 2010 - 4.2.2010	चंडीगढ़, पटियाला
17	7. 2. 2010	मुजफ्फरनगर
18	9.2.2010 - 10.2.2010	बरेली
19	12.2.2010 - 13.2.2010	वाराणसी, आजमगढ़
20	19.2.2010 - 21.2.2010	वडोदरा
21	25.2. 2010 - 27.2.2010	लखनऊ, बाराबंकी

इस पूरी अवधि में सदस्य का एक पद रिक्त था। अध्यक्ष और सदस्य ने अपनी सुविधानुसार कुछ स्थानों का साथ-साथ और अन्य स्थानों का दौरा अलग-अलग किया। ये दौरे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के प्रयोजन से किए गए। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सदस्यों की बैठकों से उनके द्वारा झेली जा रही समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है और शिकायतों पर चर्चा के लिए मंच मिलता है। इससे आयोग को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में उन्हें अवगत कराने और साथ ही आयोग की शक्तियों और कार्यों के बारे में परिचित कराने का अवसर मिलता है। जहां कहीं भी संभव हुआ आयोग ने राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों और शैक्षणिक मामलों से जुड़े सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया। इससे संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे में राज्य के सरकारी अधिकारियों को सुग्राही बनाने में सहायता मिली है।

आयोग ने पाया कि राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों में कई अधिकारियों को या तो आयोग के कार्यों और शक्तियों के बारे में अथवा अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के कार्यक्षेत्र अथवा आयाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इन दौरों और विचार-विमर्शों को पारस्परिक तौर पर लाभकारी पाया गया क्योंकि आयोग को विभिन्न स्थानों पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं की सीमा और उसकी व्यापकता की प्रत्यक्ष जानकारी का पता लगाने में मदद मिली। इस आपसी सम्पर्क के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संभरकों और प्रबंधकों के दृष्टिकोण में विस्तार हुआ और इससे शिक्षा के कार्य-क्षेत्र में राज्य के साथ भागीदारी की भावना का उनमें विकास भी हुआ।

अर्द्ध-न्यायिक निकाय होने के कारण आयोग को न्यायालय के रूप में कार्य करना होता है और अनेक संबंधित पक्ष याचिकाओं का मसौदा तैयार करने के बारे में जागरूक नहीं थे। दौरों के दौरान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं जिससे आयोग के कार्यों को समझने में सहायता मिली तथा साथ ही आयोग के साथ सम्पर्क करने में शामिल प्रक्रिया और औपचारिकताओं के बारे में उन्हें समझाया गया। आयोग ने शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए आवेदन हेतु एक विशिष्ट प्रपत्र बनाया है। अनेक मामलों में, आयोग को पूरा विवरण और समर्थित दस्तावेज दिए बिना पत्र के रूप में याचिकाएं/शिकायतें भेजी जाती हैं। विभिन्न स्थानों पर आपसी संपर्क करने से इन समस्याओं को दूर करने में सहायता मिली है।

अध्यक्ष और सदस्य ने आयोग के सचिव के साथ 12 एवं 13 जून, 2009 को गुवाहाटी का दौरा किया। वहां आयोजित बैठकों में समुचित शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने में विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में हुए आपसी विचार-विमर्श से इनकी व्यापक जानकारी मिली। यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य अति महत्वपूर्ण तथा किसी भी समुदाय के कल्याण के लिए आधारभूत तत्व होने के कारण इन्हें प्रमुख महत्ता दिए जाने की जरूरत है। विभिन्न विचार-विमर्शों में आयोग के विस्तार और शक्तियों का उल्लेख प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया और उन्हें आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। चूंकि, आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, अतः यह आवश्यक है कि समुचित रूप से याचिकाओं के प्रारूप तैयार कर इस मंच से संपर्क किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतें आयोग के कार्यक्षेत्र में आती हैं और प्रतिभागियों को आयोग के मंच का इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया। शिक्षा राष्ट्र की प्रगति और संपन्नता के लिए अनिवार्य रूप में एक राष्ट्रीय संपति है। यह जरूरी है कि संबद्ध पक्ष यह देखें कि उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

अन्य स्थानों पर आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाए। इस प्रयोजन के लिए, बड़े समारोह करने की बजाए छोटे समूहों के साथ बैठकें की गईं। छोटे समूहों के साथ विचार-विमर्श से सूचना का बेहतर आदान-प्रदान सुनिश्चित हुआ।

इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा हर व्यक्ति के चरित्र में रीढ़ की हड्डी की तरह होनी चाहिए और इससे व्यक्ति का चहुंमुखी विकास होना चाहिए। शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए होनी चाहिए और इससे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्य आत्मसात होने चाहिए। प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकारों का ब्यौरा देते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उद्घोषित विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया गया। अधिकांश स्थानों पर, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना में अल्पसंख्यकों के अधिकार, प्रबंधन समिति का गठन, शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के अधिकार, संस्था के प्रमुख की नियुक्ति का अधिकार, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र देना, अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना, उपयुक्त शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार, शिक्षण और गैर-शिक्षण

स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार आदि मुद्दे चर्चा में शामिल थे । अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा झेली जा रही मुख्य समस्याओं में शैक्षिक सुविधाओं की कमी विशेष रूप से मुस्लिम समुदायों के बच्चों के लिए ये सुविधाएं न होना, स्कूलों को मान्यता देने में अत्यधिक विलंब, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र जारी न करना, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र देने के लिए आवेदनों पर विचार करने में अत्यधिक विलंब, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं पर आरक्षण नीति के लागू करने पर आग्रह, उर्दू शिक्षण स्कूलों की कमी, उर्दू में शिक्षकों की कमी, शिक्षकों के वेतन में असमानता, पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता न होना आदि थीं ।

एक अन्य तथ्य जो विभिन्न स्थानों पर ध्यान में लाया गया है, वह यह है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए सुविधाओं की कमी है, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए । लड़कियों की शिक्षा का महत्व राज्य नीति का अखंड भाग होना चाहिए, जो यह सुनिश्चित कर सके कि शिक्षा की पहुंच कुल मिलाकर आम जनता तथा विशेषतः मुस्लिमों तक अवश्य हो । मुस्लिमों में लड़कियों की शिक्षा का प्रसार करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए, जहां शिक्षा के लाभों को उपलब्ध कराकर गरीबी, कम विकास और सामाजिक अक्षमता पर विजय प्राप्त की जानी है । समुदाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्राओं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की छात्राओं की स्कूल छोड़े जाने की दर को कम किया जाए । अभिभावकों को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे जाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । सरकार को शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नवीन योजनाएं बनानी चाहिए । लड़कियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए क्रान्तिकारी कदम और दीर्घावधि के उपाय करने होंगे ताकि वे बौद्धिक और तकनीकी ज्ञान के बोझ को उठाने में सक्षम हो सकें । उन्हें एक रचनात्मक नागरिक के चरित्र में अनिवार्य गुणों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे एकसमान सुख-दुख में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकें और एकसमान दायित्वों को मिलकर पूरा कर सकें ।

कुछ स्थानों पर यह पाया गया कि बुनियादी और अनुदेशात्मक सुविधाओं का स्तर ठीक नहीं था । आयोग ने इस पर बल दिया कि बुनियादी ढांचों का निर्माण करने पर बल दिया जाना चाहिए न केवल प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए, बल्कि छात्रों को आकर्षित करने के लिए भी । शिक्षा के क्षेत्र में धन लगाने का उद्देश्य समाज की सेवा का होना चाहिए और इस संबंध में व्यावसायिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से बचना चाहिए । आयोग बुनियादी ढांचे और अनुदेशात्मक सुविधाओं के बारे में प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित आधारभूत मानदण्डों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं देगा और किसी भी “शिक्षण दुकानों” का समर्थन नहीं करेगा । एक स्वस्थ और संपन्न समाज का निर्माण करने संबंधी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने बेहतर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में निवेश करने के लिए लोकोपकारी व्यक्तियों से अपील की है ।

उच्चतर शिक्षा के मामले में, यह अनिवार्य है कि हमें समुचित शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण करना होगा, जो उत्तरोत्तर रूप में छात्रों के समुदाय को एक ज्ञानवर्धक समाज में बदलने का काम करेगी । हमारे विश्वविद्यालयों को छात्रवृत्ति का प्रमुख केन्द्र होना चाहिए और इन्हें नए ज्ञान और प्रौद्योगिकी का निर्माण करने के लिए एक आधार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए । उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की स्थिति में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है । प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्ट वैश्विक विश्वविद्यालयों की संकल्पना हेतु प्रयास करने चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि उच्चतर शिक्षा में अंतरराष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान शैक्षिक संस्थाएं काम कर सकें । इस पहल से संवृद्धि को बढ़ावा मिलने और शिक्षा में विकास के नए अवसर पैदा होंगे । निजी क्षेत्र को वैश्विक उत्कृष्टता वाली शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए ।

आयोग ने केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी भी दी है और अल्पसंख्यक समुदायों को कहा कि वे जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका लाभ उठाएं ।

अध्याय 6 - वर्ष के दौरान प्राप्त हुई याचिकाओं और शिकायतों का विश्लेषण

आयोग कलेंडर वर्षवार मामलों को दर्ज करता है। वर्ष 2009 के दौरान 1883 मामले पंजीकृत किए गए जो पिछले वर्ष में पंजीकृत मामलों से अधिक थे। हालांकि आयोग ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए अनुरोध से संबंधित याचिका/आवेदन के लिए अपेक्षित विवरणों को दर्शाने वाला एक विशिष्ट प्रपत्र निर्धारित किया है, फिर भी, यह पाया गया कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए अनेक याचिकाएं/आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे। ऐसे याचिकाकर्ताओं को प्रतियों की अपेक्षित संख्या के साथ निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन भेजने के लिए कहा गया। कुछ याचिकाएं समुचित रूप से तैयार नहीं की गई थीं और कुछ याचिकाएं ऐसी थीं जिसमें संबंधित मुद्दों का पूरा विवरण नहीं दिया गया था। यह प्रवृत्ति देखी गई है कि सामान्य मुद्दों को लेकर एक पत्र के रूप में याचिकाएं भेज दी जाती हैं, जिनमें कोई विशिष्ट राहत नहीं मांगी गई होती। इस प्रकार के मामलों में आयोग ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी थी कि वे समर्थित दस्तावेजों के साथ संबंधित मुद्दों का विवरण देते हुए संशोधित/पुनरावृत याचिकाएं प्रस्तुत करें और उस विशिष्ट राहत का भी उल्लेख करें जो उन्हें चाहिए।

इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा दर्ज मामलों में व्यापक विषय शामिल थे, जैसे राज्य सरकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी न करना, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब, अल्पसंख्यक दर्जा जारी करने में इंकार व विलंब, अल्पसंख्यकों द्वारा नए कॉलेज/स्कूल/संस्थाएं खोलने के लिए अनुमति से इंकार, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम की अनुमति से इंकार, सहायतानुदान से इंकार/विलंब, वित्तीय सहायता देने से इंकार, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी अध्यापकों के नए पदों के सृजन की अनुमति से इंकार, अध्यापकों की नियुक्ति के अनुमोदन से इंकार किया जाना, सरकारी स्कूल अध्यापकों की तुलना में अल्पसंख्यक स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों में असमानता, कंप्यूटर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि जैसी अध्यापन सहायता/अन्य सुविधाओं को सरकारी संस्थाओं के समतुल्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को देने से इंकार, उर्दू-स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों पर उर्दू में पुस्तकों की अनुपलब्धता, उर्दू जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति न करना, अल्पसंख्यक स्कूल अध्यापकों के समतुल्य मदरसा शिक्षकों को भुगतान करना, मदरसा कर्मचारियों को पर्याप्त भुगतान करना, मदरसों को सहायता अनुदान न देना, अल्पसंख्यक स्कूलों के अध्यापकों और गैर-अध्यापन स्टाफ को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करना, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं, विशेषकर जो वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, में सर्व शिक्षा अभियान सुविधाओं का विस्तार इत्यादि।

कुछ याचिकाएं रा. अ. शै. सं. आ. अधिनियम में विद्यमान आयोग की शक्तियों के संज्ञान से बाहर थीं। वे मामले, जो उस राज्य सरकार प्राधिकारियों से संबंधित थे, उन्हें याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए विभाग के संबंधित सचिव के पास समुचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। कुछ याचिकाएं/आवेदन मौलाना आजाद प्रतिष्ठान, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड आदि से संबंधित थीं और याचिकाओं को कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दिया गया। चूंकि अनुच्छेद 30 में भाषाई अल्पसंख्यक शामिल हैं, आयोग ने वर्ष के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित भी कुछ याचिकाएं प्राप्त कीं जो अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क करने के निर्देशों सहित याचिकाकर्ता को लौटा दी गईं।

वर्ष के दौरान आयोग ने अनेक आदेश पारित किए। कुछ आदेश पिछले वर्षों में दर्ज मामलों से संबंधित थे। इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की अवधि से संबंधित पारित आदेश शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट में सभी पारित आदेशों को सम्मिलित अथवा उनका उल्लेख नहीं किया गया है। स्थान की कमी के कारण इस अध्याय और अगले अध्याय में केवल कुछ आदेशों का ही उल्लेख किया गया है। आयोग द्वारा पारित सभी आदेशों का ब्योरा आयोग की वेबसाइट में शामिल किया जा रहा है।

कुछ ऐसे मामले थे जिनमें प्रतिवादी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहे। यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी अपने उत्तर निर्धारित तारीख के अन्दर दे दें। उत्तर न देने के परिणामस्वरूप उनका अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर खत्म हो जाता है और आयोग मामले का एकतरफा निर्णय देने के लिए विवश हो जाता है। आयोग ने, नीति के तौर पर, यह स्पष्ट किया है कि प्रतिवादियों की तरफ से उत्तर भेजने में अनावश्यक विलम्ब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2 या 3 नोटिस भेजने के बावजूद भी, उत्तर न भेजने में प्रतिवादियों की असफलता का यह भी अर्थ होता है कि वे याचिकाओं की विषयवस्तु से इंकार नहीं कर रहे हैं और वस्तुतः किए गए दावों का खंडन नहीं करते। यदि याचिका में किए गए प्रकथन का खण्डन नहीं किया जाता है तो आयोग याचिका में किए गए दावों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है।

आयोग द्वारा पारित कुछ आदेशों का सार नीचे और अगले अध्याय में दिया गया है

2008 का मामला संख्या 436

हिमालयन फार्मसी एवं अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड में 50% सीटें भरने के लिए अनुरोध।

याचिकाकर्ता : 1. हिमालयन फार्मसी एवं अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड

प्रतिवादी : 1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार, सिविल सचिवालय, उत्तराखंड, देहरादून
2. रजिस्ट्रार, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, 6, महंत लक्ष्मणदास रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248001

याचिकाकर्ता संस्थान ने खुद की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी.फार्मा. पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत सीटों को भरने की अनुमति लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता संस्थान इस आयोग द्वारा प्रदत्त दिनांक 27 जून, 2007 के अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र के तहत संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है। उक्त अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् याचिकाकर्ता संस्थान ने सीटों की उपरोक्त प्रतिशतता भरने की अनुमति दिए जाने के लिए राज्य सरकार और उत्तराखंड सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून को आवेदन किया था, किन्तु उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई। अतः यह याचिका दी गई है।

नोटिस देने के बावजूद, राज्य सरकार से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने इस आधार पर कोई उत्तर दायर नहीं किया कि इस मामले में प्रतिवादी विश्वविद्यालय की कोई भी भूमिका नहीं है। जैसा कि निर्देश दिया गया था, आयोग के सचिव ने सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार को एक अर्धशासकीय पत्र लिखा किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। उसके पश्चात् आयोग के अध्यक्ष ने 23 दिसंबर, 2008 को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे इस मामले में उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था, किन्तु उसका भी उत्तर नहीं दिया गया।

यहां यह मुद्दा विचारार्थ है कि क्या याचिकाकर्ता संस्थान का प्रबंधन अपनी पसंद के मुस्लिम छात्रों को दाखिला देने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है? यदि हां तो इस प्रकार की पसंद का उपयोग अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करारकर किया जा सकता है। टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस सी सी 481 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि छात्रों को दाखिला देने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था का अधिकार अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था को संचालित करने के अधिकार का अनिवार्य भाग है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत है। अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार से

संबंधित प्रश्न सं-5 (क) के अंतर्गत छात्रों के प्रवेश तथा चयन की प्रक्रिया एवं पद्धति में उक्त अधिकार को शामिल करने के लिए, टी एम ए पाई फाउंडेशन (उपर्युक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अल्पसंख्यक संस्था प्रवेश की अपनी प्रक्रिया तथा छात्रों का चयन कर सकती है किन्तु इस प्रकार की प्रक्रिया न्यायोचित, पारदर्शी एवं शोषणरहित होनी चाहिए। यह प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कुप्रशासन फैले। हम प्रश्न सं.5 (क) का उत्तर देने में माननीय न्यायाधीश की निम्नलिखित टिप्पणियों का उपयोगी तौर पर वर्णन कर सकते हैं :-

“एक अल्पसंख्यक संस्था अपनी स्वयं की प्रक्रिया और प्रवेश तथा साथ ही साथ विद्यार्थियों के चयन का तौर-तरीका बना सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो तथा विद्यार्थियों का व्यावसायिक और उच्चतर शिक्षा कॉलेजों में चयन योग्यता के आधार पर हो। अपनाई गई प्रक्रिया अथवा किया गया चयन ऐसा न हो जिससे कु:प्रशासन फैले। यहाँ तक कि एक गैर सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्था को भी उपर्युक्त कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों की योग्यता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर वह संस्था उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर पाएगी।”

विद्यार्थियों के चयन की कोई भी प्रणाली यदि यह निजी शैक्षणिक संस्था को तर्कसंगत चयन के अधिकार से वंचित करती है, अयुक्तिसंगत मानी गयी। इस संबंध में टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (ऊपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित किया जा सकता है:-

“विद्यार्थियों के चयन की कोई भी प्रणाली अयुक्तियुक्त होगी यदि यह जो उसने निर्धारित न्यूनतम योग्यता और समान प्रवेश परीक्षा जैसी विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के मध्य समकक्षता की संगणना करने की किसी व्यवस्था के अधीन स्वयं के लिए तैयार की है और जो निजी गैर- सहायताप्राप्त संस्था के तर्कसंगत चयन के अधिकार का वंचन करती है। निष्पक्षता के सिद्धांत पर इस चयन व्यवस्था में चयन के लिए लिखित व मौखिक दोनों तरह के परीक्षण सम्मिलित किए जा सकते हैं।”

इसके अतिरिक्त यह भी टिप्पणी की गई कि शैक्षणिक संस्थाओं को ऐसे विद्यार्थियों को चुनने और चयनित करने का अधिकार होगा जिन्हें अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकता है। यह टिप्पणी टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य(ऊपर) के निर्णय के पैरा 65 में की गई थी।

“एक शैक्षणिक संस्था की ख्याति इसकी संकाय व विद्यार्थियों की गुणवत्ता तथा कॉलेज द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं से जानी जाती है। निजी शैक्षणिक संस्थाओं का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, तथा अपना स्वयं का माहौल व परम्पराएं बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है कि उनके पास ऐसे विद्यार्थियों को चुनने व चयन करने का अधिकार हो, जिन्हें उनके अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सके। यह इस कारणवश है कि सेंट स्टीफन्स कॉलेज के मामले में, इस न्यायालय ने उस स्कीम को मान्य ठहराया जिसमें प्रवेश के लिए एक कट-ऑफ प्रतिशत नियत की गई थी, जिसके पश्चात विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया तथा तदुपरांत उनका चयन हुआ। जब कि एक शैक्षणिक संस्था अपने मनमाने ढंग से प्रवेश प्रदान नहीं कर सकती है तथा विद्यार्थियों को प्रवेश देने की कुछ निश्चित और युक्तियुक्त प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, वहीं कोई भी योजना, नियम अथवा विनियमन जो कि संस्था को उन अभ्यर्थियों को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देता है जो अन्यथा मान लीजिए कि प्रवेश परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर योग्य ठहराए जाते, अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत अयुक्तियुक्त रोक होगी, यद्यपि निष्पक्ष ढंग से प्रवेश परीक्षा लेने के लिए समुचित दिशा-निर्देश/ रीतियां निर्धारित की जा सकती हैं। हालाँकि जब विद्यार्थियों का चयन

योग्यता के आधार पर करना हो तो भी उन विद्यार्थियों को जो अन्यथा प्रवेश के लिए योग्य ठहराए गए हैं। प्रवेश प्रदान करने का अंतिम निर्णय संबंधित शैक्षणिक संस्था के पास रहना चाहिए। तथापि, जब संस्था ऐसे विद्यार्थियों को अस्वीकार कर देती है, तो भी ऐसी अस्वीकृति बेतुके ढंग से अथवा असंगत कारणोंवश न हो।”

जब विद्यार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर ही करना अपेक्षित हो, तो भी ऐसे विद्यार्थियों, जो अन्यथा प्रवेश के लिए योग्य ठहराए जाते हैं, को प्रवेश प्रदान करने का अंतिम निर्णय संबंधित शैक्षणिक संस्था के पास रहने देना चाहिए। पी.ए.ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एस सी सी 537 के मामले में यह मान्य ठहराया गया कि एक ही प्रकार की अथवा मिलती-जुलती व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं के एक समूह के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में कुछ भी गलत नहीं है। एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं तीन परीक्षणों अर्थात् चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी व शोषणरहित हो, को पूरा करते हुए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। राज्य भी निष्पक्ष व योग्यता आधारित प्रवेश देने व कुःप्रशासन रोकने के हित में एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। ईनामदार(ऊपर) के मामले में यह स्वीकार किया गया था कि प्रवेश देने के संबंध में एकल खिड़की प्रणाली अपनी पसंद के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुँचाती। ऐसा चुनाव एक समान प्रवेश परीक्षा में इस प्रकार चयनित विद्यार्थियों के योग्यता क्रम में परिवर्तन किए बिना तैयार संस्थाओं के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुँचाती। ऐसा चुनाव एक समान प्रवेश परीक्षा में इस प्रकार चयनित विद्यार्थियों के योग्यता क्रम में परिवर्तन किए बिना तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची से विद्यार्थियों का चयन करके किया जा सकता है। पी.ए. ईनामदार(ऊपर) के मामले में आगे यह निर्णय लिया गया था कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय की निम्नलिखित टिप्पणियां संदर्भित की जा सकती हैं :-

“प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों को, दोनों केवल सीमित सीमा तक ही, प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं। और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं।”

(बल दिया गया)

ऊपर उद्धृत की गई उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से पूर्णतया स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं के पास विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए उन्हें चुनने का स्वछंद मौलिक अधिकार है।, बशर्ते कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी व शोषण-रहित हो। ईनामदार के मामले में संवैधानिक पीठ के अनुसार टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य(ऊपर) के मामले में यह निर्धारित कानून है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.ए.ईनामदार (ऊपर) के मामले में दिए गए फैसले के निम्नलिखित पैरे को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

118. "पाई फाउंडेशन इस मुद्दे पर एकमत है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में यथाप्रयुक्त शब्दों एक संस्था को स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं ; (क) छात्रों को प्रवेश देना; (ख) एक तर्कसंगत शुल्क ढांचा तैयार करना; (ग) शासी निकाय का गठन; (घ) स्टाफ(शिक्षण व गैर-शिक्षण) नियुक्त करना; और (ङ) यदि किसी कर्मचारी द्वारा झूठी में लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई करना। (पैरा - 50)

124. जहां तक राज्य द्वारा अपनी आरक्षण नीति के कोटे को पुनर्वियोजित और उसे लागू करने का संबंध है, हम गैर-अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक गैर- सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के बीच अधिक अंतर नहीं देखते। हम याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए निवेदन को पर्याप्त रूप में दमदार पाते हैं कि राज्यों को यह आग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे प्रबंधन और राज्य के बीच सीटों का कोटा निर्धारित करके गैर-सहायताप्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का बंटवारा करें। राज्य से कोई सहायता प्राप्त न करने वाली निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर राज्य यह आग्रह नहीं कर सकता कि वह अंकों की कम प्रतिशतता अर्थात् योग्यता के सिवाय किसी भी अन्य मानदण्ड पर प्रवेश दिए जाने के लिए आरक्षण की राज्य की नीति को कार्यान्वित करे।

125. हमारी समझ के अनुसार, न तो पाई फाउण्डेशन के फैसले में न तो केरल शिक्षा विधेयक में संवैधानिक पीठ के निर्णय में, जो कि पाई फाउण्डेशन द्वारा अनुमोदित है, ऐसा कुछ भी है जो गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशों को विनियमित अथवा नियंत्रित करने के लिए राज्य को अनुमति देता है ताकि उन्हें उपलब्ध सीटों के एक हिस्से को राज्य द्वारा चुने गए अभ्यर्थियों के लिए छोड़ने के लिए विवश कर सके, जैसे कि वह ऐसी निजी संस्थाओं में भरने वाली सीटों को अपने विवेकाधिकार से भर रहा हो। इससे सीटों का राष्ट्रीयकरण होगा जिसे पाई फाउण्डेशन में विशिष्ट रूप से नकारा गया है। राज्य की सीटों का ऐसा कोटा लागू करना अथवा बिना सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में उपलब्ध सीटों पर राज्य की आरक्षण नीति का दबाव डालना निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार और स्वायत्तता पर गंभीर अतिक्रमण करना है। सीटों के ऐसे विनियोजन को अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ में अल्पसंख्यकों के हित में न तो विनियामक उपाय माना जा सकता है और न ही संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अर्थ में तर्कसंगत रोक समझा जा सकता है। महज इसलिए कि व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने में राज्य के संसाधन सीमित हैं, निजी शैक्षणिक संस्थाएं, जो कि बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का इरादा रखती हैं, पर कम मेधावी अभ्यर्थियों को आरक्षण नीति के आधार पर प्रवेश देने के लिए राज्य द्वारा दबाव नहीं डाला जा सकता। गैर-सहायताप्राप्त संस्थाएं चूंकि वे राज्य की निधियों से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, स्वयं अपने दाखिले कर सकते हैं, यदि वे न्यायोचित, पारदर्शी, शोषणरहित और योग्यता पर आधारित हो।

126. पाई फाउंडेशन में बहुमत राय के पैरा - 68 में की गई टिप्पणियों, जिस पर पक्षकारों के विद्वान वकीलों की राय में अधिक भिन्नता रही है, को हमारे अनुसार, मुख्य फैसले के अन्य भागों से अलग-अलग करके नहीं पढ़ा जाना चाहिए। पाई फाउंडेशन में निर्णय के कतिपय पैरों में निहित कुछ टिप्पणियों को यदि अलग-अलग करके पढ़ा जाए तो वे एक-दूसरे से परस्पर विरोधी अथवा असंगत प्रतीत होती हैं। किन्तु यदि की गई टिप्पणियों और इनसे उत्पन्न निष्कर्षों को यदि समग्र रूप से पढ़ा जाए तो, निर्णय में कहीं भी यह नहीं लिखा कि अल्पसंख्यकों और गैर-अल्पसंख्यकों की गैर-सहायताप्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर राज्य की सीट-बंटवारे और आरक्षण नीति को लागू करने

के लिए दबाव डाला जा सकता है। निर्णय के संगत भागों, जिस पर विद्वान वकीलों ने टिप्पणियां और विरोधी टिप्पणियां की हैं का अध्ययन तथा समग्र निर्णय का अध्ययन(इस न्यायालय के पूर्व के फैसलों के दृष्टिगत, जिन्हें पाई फाउंडेशन में अनुमोदित किया गया है) करते हुए, हमारी विचारणीय राय में, पैरा-68 में की गई टिप्पणियां गैर-सहायताप्राप्त निजी संस्थाओं को महज इस बात की अनुमति देती हैं कि वे राज्य के साथ सीट-बंटवारे अथवा राज्य की सामान्य प्रवेश परीक्षा पर आधारित चयन प्रक्रिया को लागू करके स्वैच्छिक सहमति द्वारा प्रवेश के मानदण्ड के रूप में योग्यता को बनाए रखे। कुछ टिप्पणियां ऐसी भी हैं जिनमें यह कहा गया है कि वे जरूरतमन्द और गरीब छात्रों को निःशुल्कता और छात्रवृत्ति देने अथवा सोसायटी के कमजोर और गरीब वर्गों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप नीति को लागू कर सकती हैं।

127. पाई फाउंडेशन में चाहे बहुमत राय में अथवा अल्पसंख्यक राय में कहीं नहीं हमें यह औचित्य मिला है कि राज्य द्वारा गैर-सहायताप्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं पर सीटों के बंटवारे का कोटा लागू किया जाए और राज्य की आरक्षण नीति अथवा राज्य कोटा की सीट या प्रबंधन सीटों का कोटा लागू किया जाए।

128. हम यह स्पष्ट करते हैं कि पाई फाउंडेशन के पैरा-68 और अन्य पैरों में कोटे की प्रतिशतता का निर्धारण करने का उल्लेख करने वाली टिप्पणियों को यथासंभव सहमतिपूर्ण व्यवस्थाओं, जो गैर-सहायताप्राप्त निजी व्यावसायिक संस्थाओं और राज्य के बीच की जा सकती है, के रूप में पढ़ा और समझा जाए।

129. पाई फाउंडेशन में विभिन्न स्थानों पर यह बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं को प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क ढांचे को निर्धारित करने में बृहत् स्वायत्तता दी जानी चाहिए। राज्य का नियंत्रण न्यूनतम होना चाहिए और केवल इस उद्देश्य से होना चाहिए कि प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो और यह कि अत्यधिक राशि अथवा कैपिटेशन शुल्क वसूलकर छात्रों का शोषण न किया जाए।

132. प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों दोनों को, केवल सीमित सीमा तक ही प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं।, और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं।

136. चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गैर-अल्पसंख्यक संस्थाएं, किसी राज्य में किसी भी एक शाखा में शिक्षा प्रदान करने वाली एक प्रकार जैसी एक से अधिक संस्थाएं हो सकती हैं। शिक्षा की किसी एक शाखा में शिक्षा लेने के लिए प्रवेश चाहने वाले उसी इच्छुक छात्र को बहुत से संस्थानों से प्रवेश फार्म लेने होते हैं तथा एक ही अथवा विभिन्न तिथियों पर अलग-अलग स्थानों पर आयोजित अनेक प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थित होना होता है और इन तिथियों में टकराव भी हो सकता है। यदि उसी अभ्यर्थी को अनेक परीक्षाओं में उपस्थित होना होता है, तो उसे अनावश्यक और अपरिहार्य व्यय तथा

असुविधा होगी। समान अथवा मिलती-जुलती शिक्षा प्रदान करने वाली एक समूह की संस्थाओं के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में कुछ भी गलत नहीं है। एक राज्य में अथवा एक से अधिक राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं मिलकर समान प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकती हैं अथवा राज्य स्वयं या किसी के माध्यम से ऐसी परीक्षा आयोजित कराने के लिए एजेंसी का प्रबंध कर सकता है। इस समान योग्यता सूची में से सफल अभ्यर्थियों की पहचान की जा सकती है और प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, सीटों की संख्या, अल्पसंख्यक के प्रकार जिससे संस्था संबंधित है तथा अन्य संगत तथ्यों की निर्भरता पर, विभिन्न संस्थाओं को आबंटित किए जाने के लिए अभ्यर्थियों को चुना जा सकता है, समान प्रवेश परीक्षा (संक्षेप में “साप्रप”) आयोजित कराने वाली एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो परम विश्वसनीय हो और इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त हो। इससे पारदर्शिता और योग्यता के दोनों उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से साप्रप (सीईटी) आवश्यक है और यह छात्र समुदाय को परेशानी और शोषण से बचाने के लिए भी आवश्यक है। ऐसी समान प्रवेश परीक्षा आयोजित कराना जिसके पश्चात् केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग कराना अथवा दूसरे शब्दों में, प्रवेशों की विनियमित करने वाली एकल-खिड़की प्रणाली अपनी पसन्द के छात्रों को प्रवेश देने के लिए अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार को किसी भी प्रकार से आघात नहीं पहुँचाती। यह चुनाव ऐसे चुने हुए छात्रों की परस्पर योग्यता के क्रम को बदले बिना साप्रप (सीईटी) में तैयार सफल अभ्यर्थियों की सूची में से किया जा सकता है।

137. पाई फाउण्डेशन में निर्णय दिया है कि अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं, उन विद्यार्थियों को चुनने जिन्हें प्रवेश की अनुमति दी जानी है तथा उसकी प्रक्रिया में, मौलिक अधिकार के बेरोक प्रयोग का न्यायसंगत रूप से दावा कर सकती हैं बशर्ते कि यह निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शोषणरहित है। यही सिद्धांत गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं के लिए लागू होता है। कोई एक अकेली ऐसी संस्था भी हो सकती है, जो कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रही है, जिसे किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है तथा निष्पक्ष, पारदर्शी और शोषणरहित होने के मापदण्ड को पूरा करते हुए उसकी अपनी प्रवेश प्रक्रिया है। एक समान या मिलती-जुलती व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रही सभी संस्थाएं, उपरोक्त तीनों मापदण्डों को पूरा करते हुए, एक सम्मिलित प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक साथ मिल सकती हैं। राज्य, निष्पक्ष तथा योग्यता आधारित प्रवेशों को निश्चित करने तथा अव्यवस्था को रोकने के लिए, एक सम्मिलित प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की क्रियाविधि भी मुहैया कर सकता है। एक निजी संस्था या संस्थाओं के समूह द्वारा इस प्रकार अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया, यदि इसमें ऊपर उल्लिखित सभी तीनों मापदण्डों या तीनों में से किसी मापदण्ड को पूरा करने में असफल रहती है, तो राज्य द्वारा उसके स्थान पर अपनी प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। तदनुसार यह दूसरे प्रश्न का उत्तर है।

(बल दिया गया)

जैसा कि पूर्व में प्रदर्शित किया गया है, संचालन करने की संकल्पना में छात्रों को प्रवेश देने की पसंद शामिल है। चूंकि याचिकाकर्ता संस्थान समान या इससे मिलती-जुलती शिक्षा देने वाली संस्थाओं के किसी समूह में शामिल नहीं हुआ है, अतः यह अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का हकदार नहीं है। तथापि, याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं के संचालन के अधिकार का उपयोग करते हुए समान प्रवेश परीक्षा द्वारा तैयार सफल उम्मीदवारों की सूची में से मुस्लिम छात्रों का चयन कर सकता है। पुनरावृत्ति के बावजूद आयोग यह टिप्पणी करता है कि पी.ए.ईमानदार (ऊपर) के मामले में यह निर्णय दिया गया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अपनी पसंद के विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अधिकार है तथा

ऐसा चुनाव सीईटी में इस प्रकार चयनित विद्यार्थियों की योग्यता क्रम में परिवर्तन किए बिना तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची से विद्यार्थियों का चयन करके किया जा सकता है। प्रबंधन का उपयुक्त अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30 [1] के संरक्षण आवरण द्वारा सुरक्षित किया गया है तथा इसे किसी वैधानिक कार्रवाई अथवा कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 [1] की भाषा व्यापक है जिसे सही अर्थों में समझा जाना चाहिए। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि राज्य की विनियमन शक्ति इस गहन अधिकारों को यथार्थ से परे कोरे आश्वासन की तरह भ्रमित नहीं कर सकती। जैसा कि माननीय वैंकटरामा अय्यर जी ने पृष्ठ 990 पर एआईआर 1958 सर्वोच्च न्यायालय 956 में पाया है, संविधान अल्पसंख्यकों को दो सुस्पष्ट अधिकार प्रदान करता है। एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, उदाहरण के तौर पर :-

- (i) राज्य का अल्पसंख्यकों, धार्मिक अथवा भाषा-विषयक संस्थाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता एवं मान्यता देने के मामले में समान व्यवहार प्रदान करने का एक सकारात्मक दायित्व है ; तथा
- (ii) राज्य का ऐसे संस्थानों की स्थापनों पर रोक न लगाने अथवा उनके संचालन में हस्तक्षेप न करने का एक नकारात्मक दायित्व भी है।

परिणामस्वरूप सीईटी में तैयार सफल विद्यार्थियों की सूची से लिए गए मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों का चयन करने के याचिकाकर्ता के अधिकार का वंचन करने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई, उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के दृष्टिगत न केवल असंगत है बल्कि यह अपनी पसंद के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त भी करती है।

उपरोक्त कारणों से आयोग का यह निर्णय है कि चूंकि याचिकाकर्ता संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक संस्था है, अतः उसे समान प्रवेश परीक्षा में तैयार सफल अभ्यर्थियों की सूची में से चुने गए छात्रों के योग्यताक्रम में कोई परिवर्तन किए बिना अपनी पसंद के छात्रों को चुनकर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पी ए ईमानदार मामले (ऊपर) में निर्णय दिया गया है, याचिकाकर्ता संस्थान पर सीटों में भागीदारी तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था अधिनियम आयोग की धारा 11 (ख) के संदर्भ में आयोग के निष्कर्ष कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को भेजे गए।

2009 का मामला संख्या 219

भड़ौच, गुजरात में बॉम्बे पटेल कल्याण सोसायटी द्वारा एक नए दन्त कॉलेज की स्थापना के लिए अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. बॉम्बे पटेल कल्याण सोसायटी भड़ौच(सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम XXI) के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी पंजीकृत सं. गुजरात-90, भड़ौच दिनांक 18-1-1980। दिनांक 18-1-1980 के ट्रस्ट पंजीकरण सं. गुजरात पब्लिक ट्रस्ट पंजीकरण सं. एफ-80 के तहत बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम-1950 के अन्तर्गत भी एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत।)

प्रतिवादी : 1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गुजरात सरकार, 7/4, सरदार भवन, नया सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात

2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, गुजरात सरकार, नया सचिवालय, गांधी नगर, गुजरात
4. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं तथा चिकित्सा सेवा के आयुक्त, ब्लाक सं.5, डॉक्टर जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर, गुजरात ।

याचिकाकर्ता ने शैक्षिक सत्र 2009-10 से बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रति वर्ष 100 छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता वाली बॉम्बे पटेल कल्याण सोसायटी के 'कल्याण दन्त एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान' के नाम एवं शैली में एक नए दन्त कॉलेज की स्थापना के लिए दन्तक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10 क (4) के अंतर्गत अनुमति देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार को निर्देश की मांग की । याचिकाकर्ता के तर्क पर विचार करने के लिए तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है ।

याचिकाकर्ता, बॉम्बे पटेल कल्याण सोसायटी, भड़ौच, गुजरात (संक्षेप में याचिकाकर्ता सोसायटी) बॉम्बे ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अंतर्गत एक सार्वजनिक ट्रस्ट है और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत भी पंजीकृत एक सोसायटी है । उक्त सोसायटी का गठन मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है और उक्त सोसायटी के लाभार्थी भी मुस्लिम समुदाय के सदस्य हैं और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार रखते हैं ।

2006 के मामला सं. 1020 (बॉम्बे पटेल कल्याण सोसायटी, भड़ौच, बनाम सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और अन्य) में आयोग द्वारा पारित दिनांक 4-7-2006 के आदेश द्वारा भड़ौच (गुजरात) में प्रस्तावित दन्त कॉलेज की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 12-क (4) के अंतर्गत याचिकाकर्ता सोसायटी को एक अनिवार्यता प्रमाण-पत्र दिया गया जैसा कि भारतीय दन्त परिषद (नए दन्त कॉलेज की स्थापना, अध्ययन के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम का खुलना, दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण और वृद्धि) विनियमन, 2006 के विनियमन संख्या 6 (2) द्वारा यथापेक्षित था । उक्त आदेश से व्यथित होकर राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय में 2006 की विशेष सिविल आवेदन संख्या 26949 दायर की । चूंकि आयोग के उक्त आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई थी, इसलिए उक्त अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में, केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित दन्त कॉलेज की स्थापना के लिए दन्त अधिनियम के अंतर्गत एक आशय पत्र प्रदान किया । उसके बाद, याचिकाकर्ता ने वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय को संबद्धता के लिए आवेदन किया और जब तक कि प्रस्ताव लंबित था, विश्वविद्यालय ने सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की और कतिपय शर्तों पर अनुपालन का निर्देश दिया । उस स्तर पर, याचिकाकर्ता पुनः आयोग के पास गया और मामला संख्या 989/2007 में पारित दिनांक 26-11-2007 के आदेश द्वारा, प्रस्तावित दन्त कॉलेज की संबद्धता देने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया । आयोग के उक्त आदेश से व्यथित होकर विश्वविद्यालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष सिविल आवेदन संख्या 29655/2007 दायर की ।

तत्पश्चात्, 2006 की विशेष आवेदन संख्या 26949 में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 की विशेष सिविल आवेदन संख्या 29655 दायर की गई । दिनांक 13-2-2008 के अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए :

“2. अंतरिम आदेश द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था इस शर्त पर अगले शैक्षिक वर्ष 2008-09 से दन्त कॉलेज शुरू करने की हकदार होगी कि :

(क) कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति यू जी सी के मानदंडों के अनुसार चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाए, चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाए अर्थात् वीर नर्मद साउथ विश्वविद्यालय यू जी सी के मानदण्डों के अनुसार समिति का गठन करेगी ।

चयन की उपरोक्त प्रक्रिया आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर पूरी की जाएगी ।

(ख) याचिकाकर्ता द्वारा निरीक्षण की अनुमति, दिनांक 31-7-1997 के संकल्प द्वारा गठित राज्य सरकार की समिति के माध्यम से करने दी जाए और यह निरीक्षण पूरा कर रिपोर्ट आदेश की प्राप्ति से छः माह की अवधि में प्रस्तुत की जाए ।

3. आगे यह पाया और निर्देश दिया जाता है कि यदि उपरोक्त उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है अथवा समिति की कोई अन्यथा रिपोर्ट होती है तो उस दशा में कोई भी पक्ष आदेश के संशोधन के लिए इस न्यायालय में आ सकता है ।

नोटिस देने के बावजूद प्रतिवादियों ने कार्यवाही का प्रतिरोध नहीं किया ।

आदेश के पैरा सं. 5 में इसका उल्लेख करने की आवश्यकता है कि, गुजरात उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी दी है:-

“यह निर्विवादित स्थिति है कि यह संस्था एक अल्पसंख्यक संस्था है, जिसने कॉलेज की स्थापना करनी है । यह भी निर्विवादित स्थिति है कि संस्था ने विनियमन के अनुसार दन्त परिषद, विश्वविद्यालय और राज्य सरकार, को आवेदन किया था, और इसलिए, अल्पसंख्यक आयोग के आदेश को देखते हुए व्याप्त स्थिति यह है कि संस्था कॉलेज स्थापित करने की पात्र होगी, जिसे वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जाएगा ।”

यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय का उक्त आदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार विभाग और भारतीय दन्त परिषद पर भी बाध्यकारी है । चूंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि याचिकाकर्ता सोसायटी 2008-2009 के नए शैक्षिक वर्ष से दन्त कॉलेज शुरू करने की हकदार है, और जिसे वीर नर्मद दक्षिण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा , अतः केन्द्रीय सरकार के लिए यह पूर्णतः आवश्यक है कि वह दन्त अधिनियम की धारा 10-क(4) के अंतर्गत पहले से प्रदत्त अनुमति का पुनः नवीकरण कराकर उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को प्रभावी करे । उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय द्वारा गठित की जाने वाली चयन समिति की संस्तुति के आधार पर यूजीसी के मानदंडों के अनुसार याचिकाकर्ता सोसायटी को स्टाफ की नियुक्ति करने की अनुमति भी दे दी है ।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दन्त शिक्षा अनुभाग, निर्माण भवन द्वारा जारी दिनांक 1.10.2007 के आदेश सं. फा.सं. वी-12017/34/2007-डीई द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने उक्त आदेश के पैरा सं.2 में विहित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2007-2008 से बी.डी.एस. में 100 छात्रों की वार्षिक क्षमता के साथ बॉम्बे पटेल कल्याण सोसायटी की दन्त और सम्बद्ध विज्ञान कल्याण संस्थान के नाम और शैली में एक नए दन्त कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को दन्तक(संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10-क(4) के अंतर्गत औपचारिक अनुमति दे दी है ।

आयोग ने निर्णय दिया कि केन्द्रीय सरकार के लिए यह पूर्णतः अनिवार्य है कि वह दन्तक अधिनियम की धारा 10क(4) के अंतर्गत प्रदत्त दिनांक 1.10.2007 की अनुमति का पुनः नवीकरण कराकर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.2.2008 के आदेश को प्रभावी करे। इसके परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण(दन्त शिक्षा) में केन्द्रीय सरकार को शैक्षिक सत्र 2009-2010 से बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की वार्षिक क्षमता के साथ बॉम्बे पटेल कल्याण सोसायटी के दन्त एवं सम्बद्ध विज्ञान कल्याण संस्थान के नाम और शैली में एक नए दन्त कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को दन्तक(संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10-क(4) के अंतर्गत औपचारिक अनुमति देकर गुजरात उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को प्रभावी करने के लिए निर्देश दिया जाता है।

2008 का मामला संख्या 1550

अल-फलाह इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, गांव धौज, फरीदाबाद हरियाणा को स्वायत्त दर्जा दिए जाने के लिए अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. अल-फलाह इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, गांव धौज, जिला फरीदाबाद, हरियाणा
2. अल-फलाह चेरिटेबल ट्रस्ट, 274-ए, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025।

प्रतिवादी : 1. वित्तीय आयुक्त एवं मुख्य सचिव(तकनीकी शिक्षा विभाग), एस सी ओ 38-39, सेक्टर 17ए, चण्डीगढ़।

2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, एस सी ओ 38-39, सेक्टर 17ए, चण्डीगढ़।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार, रोहतक(हरियाणा) के माध्यम से।

याचिकाकर्ता कॉलेज ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ता नं. 1 को स्वायत्त दर्जा दिए जाने के लिए निर्देश देने की मांग की। अल-फलाह इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, गांव धौज, फरीदाबाद, हरियाणा संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, याचिकाकर्ता कॉलेज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद(संक्षेप में एआईसीटीई) के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड(संक्षेप में एनबीए) के साथ प्रत्यायित भी रहा है। दिनांक 11.9.2006 की अधिसूचना सं. 25/56/2006-4टीई द्वारा राज्य सरकार ने एआईसीटीई/यू.जी.सी.द्वारा अनुमोदित यूजी/पीजी स्तरीय संस्थाओं को स्वायत्त दर्जा दिए जाने के लिए नीति अधिसूचित की थी। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, याचिकाकर्ता कॉलेज ने दिनांक 3.11.2006 को स्वायत्त दर्जा दिए जाने के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया। समुचित जांच और संवीक्षा के पश्चात्, राज्य सरकार की सक्षम प्राधिकारी ने स्वायत्त दर्जा दिए जाने के लिए प्रतिवादी सं.2 के साथ सम्बद्ध अन्य संस्थाओं के साथ-साथ याचिकाकर्ता कॉलेज की पहचान की। जांच समिति, जिसमें प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल थे, ने याचिकाकर्ता कॉलेज के परिसरों का निरीक्षण किया और वे किसी सम्बद्ध कॉलेज को स्वायत्त दर्जा दिए जाने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार याचिकाकर्ता कॉलेज में सभी बुनियादी और अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट थे, किन्तु राज्य सरकार ने दोषपूर्ण तरीके से याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा देने से इंकार कर दिया।

यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा दिए जाने से इंकार करने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

राज्य सरकार द्वारा इस याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 11.9.2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित मानदण्डों के आधार पर याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा दिए जाने के अयोग्य पाया गया जिसके परिणामस्वरूप इसे स्वायत्त दर्जा नहीं दिया गया। यह भी अभिकथित है कि राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा न दिए जाने से संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार का हनन नहीं होता।

इसके प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता कॉलेज ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने दुर्भावनापूर्ण आशय के साथ जान बूझकर जांच समिति की रिपोर्ट (अनुबंध-पी-10) को दबाए रखा जिसमें स्पष्ट रूप से स्वायत्त दर्जा दिए जाने के मामले का समर्थन किया गया है। यह अभिकथित है कि यद्यपि जांच समिति ने याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया था और यह रिपोर्ट शिक्षा निदेशक, हरियाणा को प्रस्तुत कर दी गई थी किन्तु राज्य सरकार ने कुछ बाह्य कारणों से उक्त दर्जा देने से इंकार कर दिया। यह भी अभिकथित है कि याचिकाकर्ता कॉलेज को प्रतिवादी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निम्नलिखित संस्थाओं के साथ-साथ स्वायत्त दर्जा दिया जाना चाहिए था।

1. सीआईटीएम, फरीदाबाद
2. लिंगयांस तकनीकी और प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
3. आईटीएम, गुडगांव और
4. अल-फलाह इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विद्यालय(याचिकाकर्ता कॉलेज)।

आगे यह भी अभिकथित है कि वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद जो एनबीए से प्रत्याभूत भी नहीं था, को अधिसूचित मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए दिनांक 11.9.2006 की अधिसूचना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वायत्त दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसी प्रकार, सीआईटीएम, फरीदाबाद, आईटीएम, गुडगांव और लिंगया तकनीकी और प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद दिनांक 13.11.2006(प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचित अंतिम तिथि) को एनबीए से प्रत्यायित नहीं थे, किन्तु इन्हें दिनांक 11.9.2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित मानदण्डों का घोर उल्लंघन करते हुए स्वायत्त दर्जा दे दिया गया। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता कॉलेज स्वायत्त दर्जा दिए जाने के लिए अधिसूचित सभी मानदण्डों को पूरा करता था किन्तु राज्य सरकार ने पूर्णतः किन्ही बाह्य आधारों पर उक्त दर्जा दिए जाने से इंकार कर दिया। इन आधारों पर, यह अभिकथित है कि स्वायत्त दर्जा न दिए जाने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई उसके द्वारा दिखाई गई स्वेच्छाचारिता का दुष्परिणाम है जिससे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, विचारार्थ मुद्दा यह उत्पन्न होता है कि क्या याचिकाकर्ता को स्वायत्त दर्जा दिए जाने से इंकार करने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है। यह भी निर्विवाद है कि एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा अनुमोदित अन्डर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट संस्था को स्वायत्त दर्जा दिए जाने की नीति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.9.2006 की अधिसूचना 25/56/2006-4टीई के तहत अधिसूचित की गई थी। अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकार की सहमति से मूल विश्वविद्यालय उस कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदत्त करेगा जो स्थायी रूप से सम्बद्ध और एनबीए/एनएसी प्रत्यायित है। स्वायत्तता दिए जाने से पूर्व विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक कॉलेज का प्रबंधन ढांचा पर्याप्त रूप से है और उसमें भागीदारी शिक्षाविदों द्वारा रचनात्मक योगदान करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

स्वायत्त दर्जा दिए जाने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं:-

- क शैक्षिक ख्याति और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पिछले कार्य-निष्पादन और अतीत में इसकी शैक्षिक/सह-पाठयेतर/विस्तार कार्यकलाप। पूर्ववर्ती वर्ष में राज्य द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग में प्रवेश की योग्यता सीमा।
- ख एनएएसी द्वारा प्रत्यायन अथवा एनबीए द्वारा कम से कम तीन पाठ्यक्रम।
- ग पिछले तीन वर्षों का नियोजन रिकॉर्ड।
- घ संकाय में पीएचडी और स्नातकोत्तरों की संख्या, जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित संवर्ग अनुपात की तुलना में।
- ङ संकाय की शैक्षिक उपलब्धियां।
- च छात्रों और शिक्षकों के चयन में गुणवत्ता और योग्यता जो कि इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं के अधीन है।
- छ बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता; उदाहरण के तौर पर पुस्तकालय, उपकरण शैक्षिक कार्यकलापों के आदि के लिए आवास।
- ज संस्थागत प्रबंधन की गुणवत्ता
- झ संस्था के विकास के लिए प्रबंधन/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय संसाधन जैसा भी मामला हो
- ञ प्रशासनिक ढांचे की उत्तरदायित्वता और प्रभावकारिता
- ट नवाचारी सुधारों के प्रोन्नयन में संकाय की प्रेरक शक्ति और भागीदारी।

(बल दिया गया)

यह स्वीकार्य स्थिति है कि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में, प्रतिवादी विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से सम्बद्ध निम्नलिखित कॉलेजों के प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा में प्राप्त किए गए थे।

1. कैरियर प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
2. लिंग्यास तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
3. प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, गुडगांव
4. अल-फलाह इंजीनियरिंग विद्यालय, फरीदाबाद
5. वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद।

यह भी निर्विवादित है कि जांच समिति का गठन वित्तीय आयुक्त और प्रमुख सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग की अध्यक्षता के अंतर्गत हुआ था। जांच समिति के बाकी सदस्य निम्नलिखित थे :-

- 1) मूल विश्वविद्यालय का एक नामित
- 2) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा
- 3) 3 विशेषज्ञ

- 4) डॉ. आर.पी.बाजपेयी, कुलाधिपति, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार ।
- 5) डॉ. एस.सी.लारोइया, निदेशक, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ ।
- 6) डॉ. विजय गुप्ता, निदेशक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ़ ।

राज्य सरकार की ओर से दायर उत्तर में उल्लेख किया गया है कि जांच समिति की प्रथम बैठक दिनांक 7.11.2006 को वित्त आयुक्त तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी । बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त के अनुसार, उपर्युक्त पांच संस्थानों में से याचिकाकर्ता कॉलेज तथा वाईएमसीए इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद को इस आधार पर स्वायत्त दर्जा प्रदान करने का अनुमोदन नहीं दिया गया था कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में अधिसूचित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया । उस बैठक में समिति ने निम्नलिखित तीन कॉलेजों के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया ।

1. एन.सी. इंजीनियरी कॉलेज, इसराना, पानीपत
2. एम एम इंजीनियरी कॉलेज, मुलाना, अम्बाला
3. सेठ जय प्रकाश मुकुंद लाल इंजीनियरी एवं तकनीकी संस्थान (जेएमआईटी) रैदौड, यमुनानगर ।

राज्य सरकार की ओर से दायर उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की जांच समिति की एक और बैठक 3.8.2007 को हुई थी तथा समिति ने वाईएमसीए इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की क्योंकि संस्थान ने स्वायत्त दर्जा प्रदान करने संबंधी मानदंडों को पूरा किया था । यह भी आरोप लगाया गया है कि जांच समिति ने याचिकाकर्ता कॉलेज सहित प्रतिवादी विश्वविद्यालय से संबद्ध चार संस्थानों का दिनांक 26.8.2007 तथा 27.8.07 को दौरा किया था । जांच समिति ने याचिकाकर्ता कॉलेज सहित आवेदक संस्थानों से निर्धारित प्रोफार्मा में विस्तृत सूचना सहायक दस्तावेजों के साथ मांगी थी और संस्थानों से कहा गया था कि वे दिनांक 4.9.2007 को वित्त आयुक्त तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा के कार्यालय में जांच समिति के समक्ष प्रोफार्मा में उल्लिखित बिन्दुओं को पेश करें । तथापि, जांच समिति की अगली बैठक निम्नलिखित संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने के विचारार्थ दिनांक 17.9.2007 को आयोजित की गई थी:-

1. प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन कैरियर संस्थान, फरीदाबाद
2. लिंग्याज तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
3. प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, गुडगांव
4. अल-फलहा इंजीनियरिंग स्कूल, फरीदाबाद(याचिकाकर्ता कॉलेज)
5. एन सी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसराना, पानीपत
6. सेठ जय प्रकाश मुकुंद लाल इंजीनियरी एवं तकनीकी संस्थान(जेएमआईटी) रैदौड, यमुनानगर ।

उक्त बैठक में एमएम इंजीनियरी कॉलेज, मुलाना, अम्बाला के मामले पर विचार नहीं किया गया क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(U.G.C) ने इस संस्थान को पहले ही डीम्ड विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्रदान कर दिया था । तथापि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में जांच समिति ने याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के योग्य नहीं पाया ।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोर देकर आग्रह किया कि सीआईटीएम, फरीदाबाद तथा आईटीएम, गुडगांव, लिंग्याज तकनीकी तथा प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद तथा वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान फरीदाबाद नामक कॉलेजों को 13.11.2006 (अर्थात् स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख) को मान्यता नहीं दी गई थी परन्तु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पात्रता मानदंडों का उल्लंघन करते हुए इन्हें स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया था। उन्होंने आगे यह बताया कि वाई एम सी ए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद को अभी तक एनबीए से मान्यता नहीं मिली है परन्तु इसके लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों का घोर उल्लंघन करते हुए इसे स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता कॉलेज जो एनबीए से मान्यता प्राप्त है के साथ स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के मामले में भेदभाव किया गया है जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। उन्होंने हमारा ध्यान अधिकृत कार्यक्रमों (अनुलग्नक 14) की सूची की ओर आकर्षित किया है, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता कॉलेज को एनबीए से मान्यता मिली हुई है। यह अत्यंत हैरानी की बात है कि उक्त सूची में वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद का नाम नहीं है। इस संबंध में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दी गई निम्न सूचना का हवाला दिया जा सकता है:-

**अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)**

सं. एफएआईसीटी ई/आरटीआई सैल/2009/263

31मार्च, 2009

श्री मौहम्मद राजी
एफए-14/15 चौथी मंजिल
ठोकर नं. 4
अब्दुल फजल एन्कलेव
जामिया नगर, ओखला
नई दिल्ली-110025

विषय: आर टी आई अधिनियम, 2005 से संबंधित मामला- सूचना प्रदान करना

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 25.2.2009(4.3.09को प्राप्त) के आपके आरटीआई आवेदन का हवाला देते हुए यह सूचित करना है कि दिनांक 19.7.2008 को तथा इससे पहले वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद के किसी कार्यक्रम को मान्यता नहीं दी गई थी।

“यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उत्तर/निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रो. देवव्रत सिंह सलाहकार-। तथा अपील प्राधिकारी, एआईसीटीई, 7वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली - 110001 (टेलीफोन सं. 23724151-57, फैक्स सं. 23724172) को एक अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।”

भवदीय,
(डॉ. नीरेन्द्र देव)
उप निदेशक तथा जनसूचना अधिकारी
(बल दिया गया)

अतः स्पष्ट है कि हालांकि वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद एआईसीटीई से अधिकृत नहीं थी परन्तु फिर भी इसे स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया। यहां यह कहने की जरूरत नहीं कि एनएएसी द्वारा अथवा एनबीए द्वारा कम से कम तीन पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन उन मानदंडों में से एक है जो किसी संस्था को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान एआईसीटीई/इंजीनियरी/औषधीय कार्यक्रम (अनुबंध 13) चलाने वाली संस्था द्वारा की जाने वाली अनिवार्य घोषणा की ओर भी दिलाया है जिसमें वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	संक्षिप्त पृष्ठभूमि
1.	श्री भूपिन्दर सिंह हूडा	अध्यक्ष	माननीय मुख्यमंत्री तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री
2.	श्री अजीत एम.शरण, आईएएस	उपाध्यक्ष	आयुक्त तथा हरियाणा सरकार के सचिव, वित्त विभाग
3.	श्री भास्कर चटर्जी,	सदस्य आईएएस	वित्त आयुक्त एवं हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग
4.	श्री एम.पी. गुप्ता	सदस्य	निदेशक, तकनीकी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़
5.	प्रो. आर.एस. धनकड	सदस्य	उप-कुलपति, एम.डी.यू. रोहतक
6.	श्री राकेश भारती	सदस्य	उपाध्यक्ष भारती टेलीकॉम लि., नई दिल्ली
7.	डॉ. अंशुल कुमार	सदस्य	अध्यक्ष, स्नातक पूर्व ज्ञान, आईआईटी, नई दिल्ली
8.	एआईसीटीई का मनोनीत व्यक्ति	सदस्य	
9.	उप शिक्षा सलाहकार तकनीकी	सदस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली	
10.	डॉ. ए.के.शर्मा	सदस्य	प्रो. एवं विभागाध्यक्ष (सीई एंड आईटी) वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद
11.	डॉ. अशोक कुमार	सदस्य सचिव	निदेशक प्रधान वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद

वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्यों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पात्रता शर्तों का उल्लंघन करते हुए उक्त संस्था को स्वायत्त दर्जा देकर अनुचित रूप से लाभ पहुँचाया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि हरियाणा राज्य के वित्त आयुक्त, जो उक्त संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों में से एक थे, उन्होंने ही स्वायत्त दर्जा प्रदान करने की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए गठित जांच समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी और उन्होंने वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने में दोहरी भूमिका निभायी। जांच समिति की सिफारिशों को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया जो उक्त संस्थान की शासी निकाय के अध्यक्ष थे।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे हमारा ध्यान हरियाणा सरकार के ओएसडी- 1/ सीएम डॉ. के.वी.सिंह की टिप्पणी की ओर दिलाया है जो इस प्रकार है:-

“हरियाणा सरकार

विषय: हरियाणा राज्य में अच्छा कार्य-प्रदर्शन करने वाले स्ववित्त पोषित संस्थानों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना ।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया गया जो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं । तकनीकी शिक्षा विभाग की जांच समिति द्वारा संस्तुत पांच कॉलेजों में से केवल निम्नलिखित दो कॉलेजों को प्रत्यायन दर्जा मिला है जो स्वायत्त दर्जा प्रदान करने की अनिवार्य शर्त है :-

1. एन.सी.इंजीनियरिंग कॉलेज, इसराना, पानीपत
2. सेठ जय प्रकाश मुकुंद लाल इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कॉलेज, रैदौड़ ।

मुख्यमंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की है कि अनुमोदन पत्र जारी करने से पहले विभाग द्वारा संकाय स्थिति की जांच कर ली जाए ।

(डा. के.वी.सिंह)
ओएसडी- 1/सीएम”

उक्त टिप्पणी में ऐसे कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करने के राज्य सरकार के निर्णय के बारे में बल दिया गया है जो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं । यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह स्वीकार्य है कि एनबीए द्वारा कम से कम तीन पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन का मानदंड, हरियाणा राज्य में स्व-वित्त पोषित संस्थान को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए निर्धारित पात्रता की अनिवार्य शर्तों में से एक है । जैसा कि पहले कहा है कि वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद,सीआईटीएम, फरीदाबाद, आईटीएम,गुडगांव, लिंग्याज तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद को 13.11.06 (प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख) को प्रत्यायित नहीं किया गया था । वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद को अभी तक प्रत्यायित नहीं किया गया है परन्तु इन सभी संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है।

यह उल्लेख करने की जरूरत है कि याचिकाकर्ता ने वित्त आयुक्त तथा हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 4.9.07 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति दायर की है, जो इस प्रकार है :-

“वित्त आयुक्त तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के कमरा सं. 503, 5वीं मंजिल, मिनी सचिवालय, सेक्टर-17, चण्डीगढ़ में दिनांक 4.9.07 को 11.00 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त

मद सं.1 दिनांक 3.8.2007 को 12.30 बजे आयोजित जांच समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना। कार्यवृत्त को दिनांक 22.8.2007 के ज्ञापन सं. 8260-64 के तहत परिचालित किया गया था ।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई ।

मद सं. 2 एम.डी.यू. रोहतक से संबद्ध निम्नलिखित चार कॉलेजों का जांच समिति द्वारा निरीक्षण किया गया । जांच समिति द्वारा पहले से अनुमोदित प्रोफार्मा के अनुसार इन कॉलेजों के प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा में प्राप्त हुए हैं ये कॉलेज हैं :

1. सीआईटीएम, फरीदाबाद
2. लिंग्याज तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
3. आईटीएम, गुडगांव
4. अल-फलाह इंजीनियरिंग एवं तकनीकी स्कूल, फरीदाबाद ।

इन कॉलेजों से प्राप्त भरे हुए प्रोफार्मा समिति के समक्ष रखे गए । समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं का अवलोकन किया ।

- 2005-06 सत्र के लिए 2 लाख से ऊपर के वेतन पैकेज वाली मेकेनिकल शाखा की प्लेसमेंट पर विचार ।
- जिन स्थायी प्राध्यापक वर्ग का टीडीएस काटा जाता है केवल उनके काडर अनुपात की गणना पर विचार करना ।

मद सं. 3 उपर्युक्त चार कॉलेजों से अनुरोध करना कि वे जांच समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण करें । समिति के समक्ष सभी 4 कॉलेजों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया ।

मद सं. 4 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से संबद्ध सभी 3 कॉलेजों का दर्जा भी समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया । इन कॉलेजों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. एन सी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसराना, पानीपत
2. एमएम इंजीनियरिंग कॉलेज, मुलाना, अंबाला (विश्वविद्यालय समझे जाने का स्तर प्रदान किया गया)
3. सेठ जय प्रकाश मुकुंद लाल इंजीनियरी एवं तकनीकी संस्थान (जेएमआईटी) रैदौड़, यमुनानगर ।

जांच समिति ने निर्णय लिया कि क्रम सं. 1 और 3 के कॉलेजों से अनुरोध किया जाए कि वे जांच समिति द्वारा पहले से अनुमोदित प्रोफार्मा के अनुसार आंकड़े भेजें और यदि कोई नई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो पिछली दी गई सूचना प्रस्तुत की जाए ।

मद सं. 5 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु ।

अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुई ।”

बैठक के उपर्युक्त कार्यवृत्त स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि जांच समिति द्वारा याचिकाकर्ता कॉलेज सहित कॉलेजों का निरीक्षण किया गया और जांच समिति द्वारा पहले से अनुमोदित प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा में प्राप्त हो गया है । यह भी उल्लेख किया जाता है कि यहां इसमें उल्लिखित कॉलेजों से प्राप्त प्रोफार्मा जांच समिति के समक्ष रखे गए तथा समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं का अवलोकन किया:-

- (क) 2005-06 सत्र के लिए 2 लाख से ऊपर के वेतन पैकेज वाली मेकेनिकल शाखा की प्लेसमेंट पर विचार ।

(ख) जिन स्थायी प्राध्यापक वर्ग का टीडीएस काटा जाता है केवल उनके काडर अनुपात की गणना पर विचार करना ।

यहां यह उल्लेख किए जाने की जरूरत है कि उक्त बैठक के कार्यवृत्त स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि जांच समिति के समक्ष याचिकाकर्ता कॉलेज सहित कॉलेजों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिए गए थे परन्तु कार्यवृत्त में कहीं भी यह उल्लेख या संकेत नहीं किया गया है कि स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में कोई खामी थी ।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सीआईटीएम, फरीदाबाद, आईटीएम, गुडगांव तथा लिंग्याज तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को अधिकृत नहीं पाया गया था, फिर भी उन्हें स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया । परन्तु याचिकाकर्ता कॉलेज जिसने पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा किया था, उसे राज्य सरकार की ओर से स्वायत्त दर्जा देने से मना कर दिया ।

यहां ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने से इंकार करने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई मनमानी कार्रवाई का नतीजा है जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है । इसके अलावा, राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई से संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रत्याभूत अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है । एआईआर 1958 एससी 956 में दर्ज किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि संविधान अल्पसंख्यकों को दो सुस्पष्ट अधिकार प्रदान करता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, नामतः :-

- (i) उन अल्पसंख्यकों, धार्मिक अथवा भाषा-विषयक संस्थाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता एवं मान्यता देने के मामले में समान व्यवहार प्रदान करने का राज्य का एक सकारात्मक दायित्व है; तथा
- (ii) राज्य का ऐसे संस्थानों की स्थापनाओं पर रोक न लगाने तथा उनके संचालन में हस्तक्षेप न करने का एक नकारात्मक दायित्व है ।

संविधान के निर्माता देश के सामाजिक ढांचे में व्यापक रूप से फैली असमानताओं और विषमताओं से भली भांति परिचित तथा जागरूक थे । यही कारण है कि संविधान की प्रस्तावना में समानता की संकल्पना को प्रमुखता दी गई है । संविधान के भाग II तथा भाग IV में प्रतिष्ठापित समानता की संकल्पना के दो अलग-अलग आयाम हैं । इसमें अभेदभाव पूर्ण होने का सिद्धांत सम्मिलित (संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1)(2) तथा 16(2) है । साथ ही इसमें राज्य को यह सकारात्मक कार्रवाई करने का दायित्व सौंपा है कि वह सुनिश्चित करे कि समाज के असमर्थ व्यक्तियों को उस स्तर पर ले जाया जाए जहां वे दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर सकें ।

पूर्वोक्त कारणों से आयोग ने निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 30(1) का उल्लंघन है । अतः आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम आयोग की धारा 11(ख) के संदर्भ में याचिकाकर्ता कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के मामले पर उसी आधार पर पुनर्विचार करते हुए आयोग के निष्कर्ष को कार्यान्वित करे जिस आधार पर उसने वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद, एनसी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसराना, पानीपत तथा सेठ जय प्रकाश मुकुंद लाल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान(जेएमआईटी)रौड़, यमुनानगर के मामले में किया था ।

2006 का मामला संख्या 1171

मैसूर विश्वविद्यालय में इस्लामिक अध्ययन के लिए एक पीठ की स्थापना करने का अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. मि. मो. अमीनुल्लाह सं. एल-4/2डी, से. फिलोमिनाज कॉलेज के पीछे । ओल्ड मैसूर, बंगलौर रोड, मैसूर, कर्नाटक-570007

प्रतिवादी : 1. रजिस्ट्रार, मैसूर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कार्य सभा, क्रॉफोर्ड हॉल, मैसूर, पोस्ट बॉक्स नं.406, कर्नाटक ।
2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, (विश्वविद्यालय) एम.एस. बिल्डिंग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर, कर्नाटक-560001 ।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 ।

याचिकाकर्ता श्री मो. अमीनुल्लाह, एमईएस(मध्य-पूर्व ज्ञान) में इतिहास विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय में अंशकालिक लेक्चरर हैं, उन्होंने अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय में इस्लामिक अध्ययन पर एक प्राध्यापक पद स्थापित करने के लिए मैसूर विश्वविद्यालय को निदेश दिए जाएं ।

रजिस्ट्रार, मैसूर विश्वविद्यालय ने उत्तर देते हुए सूचित किया कि पीठ की स्थापना करने के संबंध में निम्नलिखित क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय को कम से कम तीन लाख रुपयों की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी :

1. 10,000/-रु. प्रतिमाह मानदेय पर अतिथि प्रोफेसर को नियुक्त करना ।
2. पीठ के उद्देश्यों के अनुसार संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं आदि का संचालन करने से संबंधित व्यय की पूर्ति करना ।

ब्याज के रूप में तीन लाख रु. जुटाने के लिए कुल 50/- लाख रु. की संचित राशि की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय ने इस प्रयोजनार्थ सचिव, शिक्षा विभाग कर्नाटक सरकार से कम से कम 25/- लाख रुपए मंजूर करने का अनुरोध किया ताकि विश्वविद्यालय बाकी के 25/-लाख रुपए अपने संसाधनों से निवेश कर सके ।

उच्च शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार ने उल्लेख किया है कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव की जांच की थी तथा रजिस्ट्रार मैसूर विश्वविद्यालय को अपने अनुमोदन के बारे में दिनांक 7.11.2005 को सूचित कर दिया था । तथापि, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने यह बात रखी कि उक्त पीठ की स्थापना के लिए उनके द्वारा मांगे गए 25/- लाख रुपए विश्वविद्यालय ने प्राप्त नहीं किए हैं ।

इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस दिया गया और उन्होंने सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नीति संबंधी यह निर्णय लिया गया है कि वे पीठ की स्थापना के पक्ष में नहीं हैं और उसने विश्वविद्यालयों में ऐसी पीठ की स्थापना के लिए कोई दिशा-निर्देश अथवा मानदंड तैयार नहीं किए हैं । यदि कोई विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में पीठ की स्थापना करना चाहता है तो वह उक्त पीठ के लिए मौजूदा प्राध्यापकों में से किसी एक को नामित कर सकता है । चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामान्य विकास सहायता स्कीम के तहत पीठ की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, वे याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकते।

चूंकि याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय में हिन्दु, ईसाई तथा जैन धर्मों के अध्ययनों के लिए पीठों की स्थापना की गई है अतः उक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से यह सूचित करने के लिए कहा गया कि विश्वविद्यालय में इन पीठों के लिए किसने वित्त पोषण किया था। रजिस्ट्रार, मैसूर विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में कहा कि निम्नलिखित अनुदानकर्ताओं ने हिन्दु दर्शन तथा ईसाइयत में पीठों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया है :

1. सचिव, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल लि., श्री निवास हाऊस, एच.सोमानी मार्ग, मुम्बई।
2. मैसूर डायोसिसेन सोसायटी, मैसूर

रजिस्ट्रार ने यह भी उल्लेख किया कि जैन धर्म की पीठ की स्थापना विश्वविद्यालय में नहीं की गई है, क्योंकि साहुजैन चैरिटेबल सोसायटी, कोलकाता द्वारा वित्त पोषित राशि पीठ के क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने प्राप्त धनराशि का उल्लेख नहीं किया।

इस तथ्य को देखते हुए कि विश्वविद्यालय के पास पीठ की स्थापना के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है तथा चूंकि विश्वविद्यालय ने हिन्दु दर्शन तथा ईसाइयत से संबंधित पीठ की स्थापना बाहरी अनुदानकर्ताओं से की है इसलिए विश्वविद्यालय में इस्लामी पीठ की स्थापना करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा यथापेक्षित अनुरोध के अनुसार आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को निदेश देना संभव नहीं होगा। परिणामस्वरूप याचिका रद्द कर दी गई।

2008 का मामला संख्या 299

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 की धारा 57ए(1) के परन्तुक को चुनौती

याचिकाकर्ता : 1. जेड.ए. इस्लामिया कॉलेज अपने सचिव मि.जफर अहमद धानी, सिवान, पटना, बिहार के माध्यम से।

प्रतिवादी : 1. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, सचिवालय पटना, बिहार
2. सचिव, कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार

याचिकाकर्ता द्वारा दो पृथक याचिकाएं दर्ज की गई थी जिन्हें 2008 की मामला सं. 299 तथा 2008 की मामला सं.438 के रूप में पंजीकृत किया गया। इन दोनों याचिकाओं में धारा 57ए(1) में शामिल परन्तुक को चुनौती दी गई है जिन्हें बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक 2007 द्वारा शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित संशोधन संविधान के अनुच्छेद 30 का अति विरोधी है। चूंकि इन दोनों याचिकाओं में विधि का एक समान प्रश्न उठाया गया है इसलिए इनका एक ही आदेश द्वारा निपटारा किया जा रहा है।

यह अभिकथित है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक 2007 की धारा 57ए(1) में प्रस्तावित संशोधन द्वारा राज्य सरकार धारा 57ए(1) में निम्नलिखित प्रथम परन्तुक प्रविष्ट करना चाहती है :-

“बशर्ते कि धर्म तथा भाषा पर आधारित संबद्ध अल्पसंख्यक कॉलेजों की शासी निकाय अध्यापकों की नियुक्ति, निष्कासन, बरखास्तगी अथवा उनकी सेवाएं समाप्त करने अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए कॉलेज सेवा आयोग का अनुमोदन ले।”

(बल दिया गया)

याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त परन्तुक जिसके तहत संबद्ध अल्पसंख्यक कॉलेज के शासी निकाय को अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कॉलेज सेवा आयोग का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है, संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन है। यह भी अभिकथित है कि करीम सिटी कॉलेज का शासी निकाय एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य 1984 पीएलजेआर 86 के मामले में बिहार उच्च न्यायालय ने इसी तरह के प्रावधान को समाप्त कर दिया था। यहां यह उल्लेख करना संगत है कि टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम् कर्नाटक राज्य 2002(8) एसएससी 482 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों में से प्रश्न 5(सी) तथा उसका उत्तर यहां इसमें उठाए गए मुद्दे को प्रभावित करता है। प्रश्न 5(सी) नीचे उद्धृत है :-

“क्या संविधिक उपबंध, जो शैक्षणिक एजेंसियों पर नियंत्रण, शासी निकायों पर नियंत्रण, मान्यता/उसे वापस लेने सहित संबद्धता की शर्तों, और सेवा शर्तों सहित स्टाफ, कर्मचारियों अध्यापकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति तथा शुल्क के विनियमन जैसे प्रशासन के पहलुओं का विनियमन करते हैं, अल्पसंख्यकों के प्रशासन के अधिकार के साथ हस्तक्षेप माने जाएंगे ?

प्रश्न 5 (ग) के उत्तर का प्रथम भाग गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं से संबंधित है। प्रशासन के पहलुओं का विनियमन करने वाले सांविधिक उपबंधों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि एक गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के मामले में नियंत्रण के विनियामक उपाय न्यूनतम होने चाहिए तथा स्टाफ की नियुक्ति (शिक्षण व गैर-शिक्षण दोनों) तथा उन पर प्रशासनिक नियंत्रण जैसे दिनों-दिन के प्रबंधन के मामले में, प्रबंधन को स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा इसके लिए कोई भी बाहरी नियंत्रणकारी एजेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी संस्थाओं को मान्यता की शर्तों तथा एक विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से संबद्धता की शर्तों का अनुपालन करना पड़ेगा और शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति और अनुशासनिक कार्रवाई करने की एक युक्तियुक्त प्रक्रिया प्रबंधन को स्वयं तैयार करनी होगी। इस न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क को विनियमित नहीं किया जा सकता है किन्तु किसी भी संस्था को कैपीटेशन शुल्क नहीं लेना चाहिए।

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था पर लागू प्रश्न 5 (ग) के उत्तर का दूसरा भाग नीचे उद्धृत है :-

“सहायता प्राप्त व गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों जिन्हें दण्ड दिया जा सकता है अथवा सेवा से निष्कासित किया जा सकता है, की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक तंत्र बनाना होगा और हमारे दृष्टिकोण में इसके लिए समुचित न्यायाधिकरण गठित किए जा सकते हैं और तब तक इन न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता जिला न्यायाधिपद के एक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

तथापि राज्य अथवा अन्य नियंत्रण प्राधिकारी किसी भी शैक्षणिक संस्था का अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य नियुक्त करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित करने वाली न्यूनतम योग्यता, अनुभव व अन्य शर्तें निर्धारित कर सकते हैं।

राज्य द्वारा, उस प्रबंधन के स्टाफ पर समूचे प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप किए बिना शिक्षण तथा अन्य स्टाफ की सेवा शर्तों पर नियंत्रण रखते हुए विनियमन तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें उसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।”

(बल दिया गया)

केरल राज्य बनाम् वेरी रेव. मदर प्रोविन्शियल [(1970) 2 एससीसी 417] में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने “संचालन का अधिकार” को इस प्रकार स्पष्ट किया:

9. “प्रशासन का तात्पर्य संस्थान के “काम-काज के प्रबंधन” से है। यह प्रबंधन नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि संस्थापक तथा उनके नामजद व्यक्ति उपयुक्त समझे गए ढंग से और अपने उन आदर्शों, जिससे सामान्य रूप से समुदाय के तथा विशेषतः संस्थान के हितों को लाभ पहुँचे, के मुताबिक संस्था को ढाल सकें। **प्रत्याभूत अधिकार पर अतिक्रमण किए बिना, इस प्रबंधन का कोई पहलू हटाया नहीं जा सकता तथा किसी दूसरे निकाय को सौंपा नहीं जा सकता।”**

(बल दिया गया)

इसी तरह के दृष्टिकोण को सचिव मलंकारा सिरियन केथोलिक कॉलेज बनाम् टी.जोस एवं अन्य [(2007) 1 एससीसी 386] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दोहराया गया है। यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि करीम सिटी कॉलेज के शासी निकाय एवं अन्य(सुप्रा) के मामले में बिहार उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57ए(1) में प्रस्तावित संशोधन उपरोक्तलिखित प्राधिकारियों के निर्णय का सीधे तौर पर विरोध व्यक्त दिखाई देता है।

ब्रह्म समाज शिक्षा सोसायटी बनाम् पश्चिमी बंगाल राज्य (2004)6 एसएससी 224 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई विधिक घोषणाओं को ध्यान में रखे और इनमें निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुरूप अपने विधियों, नियमों विनियमों में अनुरूपता लाने के लिए उपयुक्त संशोधन करे।

अतः आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि वह सर्वोच्च न्यायालय और बिहार उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों को ध्यान में रखकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57ए(1) में प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करे।

2008 का मामला संख्या 1348

अल-अमीन मेमोरियल अल्पसंख्यक कॉलेज, बरुईपुर, कोलकाता को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. अल-अमीन मेमोरियल अल्पसंख्यक कॉलेज, जोगीबट्टाला, बरुईपुर, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल-700145

प्रतिवादी : 1. अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल राज्य उच्च शिक्षा परिषद, पश्चिमी बंगाल सरकार, विकास भवन, 5वीं मंजिल, साल्ट लेक, कोलकाता-700091

2. अपर मुख्य सचिव, पश्चिमी बंगाल राज्य उच्च शिक्षा परिषद, पश्चिमी बंगाल सरकार, विकास भवन, 5वीं मंजिल, साल्ट लेक, कोलकाता-700091

3. जन निदेश निदेशक, पश्चिमी बंगाल राज्य उच्च शिक्षा परिषद, पश्चिमी बंगाल सरकार, विकास भवन, 5वीं मंजिल, साल्ट लेक, कोलकाता-700091

याचिकाकर्ता अल-अमीन मेमोरियल अल्पसंख्यक कॉलेज, जोगीबट्टाला, बरुईपुर, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है ने वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की है। मामला संख्या 50/2005 में आयोग द्वारा पारित दिनांक

11.7.2006 के अनुसरण में राज्य सरकार ने दिनांक 18.10.06 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता कॉलेज को अरबी भाषा, बंगाली भाषा, अंग्रेजी भाषा, दर्शन, राजनीति विज्ञान, इतिहास तथा गणित में स्व-वित्त पोषण आधार पर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय ने दिनांक 8.8.2007 को याचिकाकर्ता को संबद्धता प्रदान की। उक्त विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता कॉलेज ने सहायता अनुदान के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया परन्तु बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता कॉलेज के साथ सहायता अनुदान के मामले में भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि विभिन्न कॉलेज(गैर-अल्पसंख्यक तथा ईसाई अल्पसंख्यक) राज्य सरकार से नियमित सहायतानुदान प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ता कॉलेज की स्थापना मुस्लिम समुदाय की सेवा करने के उद्देश्य से की गई है, यह विद्यार्थियों से नाममात्र शुल्क ही ले रहा है तथा इस पर काफी देयताएं हैं और इस प्रकार यह राज्य सरकार से सहायतानुदान लिए बिना अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। अतः यह याचिका दी गई है।

राज्य सरकार ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि आयोग द्वारा पारित दिनांक 11.7.2006 के आदेश के अनुसरण में, राज्य सरकार ने दिनांक 18.10.2006 के आदेश के अंतर्गत स्व-वित्त पोषण व्यवस्था आधार पर कतिपय पाठ्यक्रमों को शुरू करने की अपेक्षित अनुमति प्रदान की थी जो कि 18.10.2006 के आदेशों द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय से संबद्धता होने के अध्यधीन थी। यह आरोप लगाया गया है कि आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता कॉलेज को पश्चिमी बंगाल कॉलेज(वेतन-भुगतान) अधिनियम 1978 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में सरकार पूर्णतः या आंशिक रूप में अध्यापकों तथा गैर-अध्यापक स्टाफ के वेतन के साथ-साथ व्यय की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। चूंकि याचिकाकर्ता कॉलेज को पश्चिमी बंगाल कॉलेज(वेतन-भुगतान) अधिनियम 1978 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है अतः यह सहायतानुदान के लिए पात्र नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता कॉलेज सह-शैक्षणिक संस्थान है और अलग-अलग जाति और समुदाय से संबंधित छात्रों को इसमें प्रवेश दिया जा रहा है और इस प्रकार यह दावा नहीं किया जा सकता कि पश्चिमी बंगाल राज्य में यह पहला अल्पसंख्यक कॉलेज है। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में राज्य सरकार से सहायतानुदान की आवश्यकता संबंधी उल्लेख शायद जानबूझकर नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता कॉलेज ने प्रस्तुत प्रोफार्मा में कॉलम सं. 11 पर निम्नलिखित अनुमानित व्यय तथा आय के स्रोत दर्शाए हैं:

व्यय	:	1,17,900 /- रु
आय	:	1,18,500/- रु

याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत सूचना को देखते हुए पश्चिमी बंगाल राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित सिफारिश की है :

“10(iii) प्रस्तावित कॉलेज प्राधिकारी ने आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया है इससे पता चलता है कि यदि अनुमति दी जाती है तो यह स्व-वित्त पोषित डिग्री कॉलेज होगा। साथ ही साथ ‘कॉलेज के लिए परोपकारी अनुदान, मदद तथा सहायता के लिए भारत सरकार से’ विनम्र प्रार्थना को आवेदन पत्र में उल्लिखित किया है।”

उपर्युक्त सिफारिशों को देखते हुए दिनांक 18.10.2006 को राज्य सरकार ने आदेश जारी किया और आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि सरकार को उक्त कॉलेज की स्व-वित्त पोषित आधार पर स्थापना में कोई आपत्ति नहीं है। आगे यह आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने केवल शिक्षण-शुल्क ही विहित किया है तथा

याचिकाकर्ता कॉलेज के शुल्क ढांचे में दर्शाए अन्य प्रभारों को राज्य सरकार द्वारा विहित नहीं किया गया है। इन आधार-वाक्यों को देखते हुए कहा गया है कि याचिकाकर्ता कॉलेज राज्य सरकार से सहायतानुदान के लिए पात्र नहीं है।

पुनरुत्तर में याचिकाकर्ता कॉलेज ने तर्क दिया कि कॉलेज में विद्यार्थियों की 90% संख्या मुस्लिम समुदाय की है। यह अभिकथन किया गया है कि कॉलेज की स्थापना के समय प्रस्ताव में उल्लिखित आय और व्यय अब प्रासंगिक नहीं हैं। वर्तमान लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता कॉलेज पर भारी ऋण का भार है जिसका भुगतान किया जाना है।

प्रारंभ में आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सहायतानुदान कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोर देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता कॉलेज उस क्षेत्र का एक मात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक कॉलेज है और इसके साथ सहायतानुदान के मामले में भेदभाव-पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है जबकि गैर-अल्पसंख्यक तथा ईसाई समुदाय से जुड़े इसी तरह के स्थित कॉलेज सरकार से नियमित सहायतानुदान प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ता कॉलेज के विद्वान वकील ने यह तर्क भी दिया है कि याचिकाकर्ता कॉलेज का शुल्क ढांचा, सहायतानुदान प्राप्त करने वाली अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क से काफी कम है। चूंकि याचिकाकर्ता कॉलेज समाज के दलित वर्ग की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा कर रहा है और यह अपने शुल्क ढांचे को बढ़ा नहीं सकता, इसलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसे सहायतानुदान दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता कॉलेज दिनांक 18.10.2006 के आदेश द्वारा पश्चिम बंगाल कॉलेज(वेतन-भुगतान) अधिनियम 1978 के क्षेत्राधिकार से बाहर है इसलिए यह सहायतानुदान के लिए पात्र नहीं है।

यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने बेरुईपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक दर्जे वाले स्व-वित्त पोषित सामान्य डिग्री कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव से संबंधित पश्चिम बंगाल राज्य उच्च शिक्षा परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उक्त दस्तावेज में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि यदि अनुमति दी जाती है तो यह स्व-वित्त पोषित डिग्री कॉलेज होगा। साथ ही साथ प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता कॉलेज भारत सरकार से हितकारी सहायता तथा मदद चाहेगा। कोलकाता विश्वविद्यालय की निरीक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता कॉलेज दिनांक 13.7.2007 की निरीक्षण रिपोर्ट के तहत स्व-वित्त पोषित कॉलेज होगा। चूंकि याचिकाकर्ता कॉलेज पश्चिम बंगाल कॉलेज(वेतन भुगतान) अधिनियम, 1978 के क्षेत्राधिकार से बाहर है अतः यह अधिकार स्वरूप सहायतानुदान का दावा नहीं कर सकता। परन्तु पश्चिम बंगाल कॉलेज(वेतन-भुगतान) अधिनियम 1978 के क्षेत्राधिकार से याचिकाकर्ता कॉलेज को बाहर करने वाला दिनांक 18.10.2006 का आदेश, राज्य सरकार को मुस्लिम समुदाय के व्यापक हित में सहायतानुदान दिए जाने के याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने से रोक नहीं लगाता। पी.ए.ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य(2005)6 एससीसी537 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि कोई शैक्षणिक संस्थान राज्य सरकार से सहायतानुदान के बिना कायम नहीं रह सकता। यह ध्यान में रखा जाना होगा कि शिक्षा के प्रसार का महत्व राज्य नीति का मूलभूत हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई कि सामान्यतः आबादी के बड़े हिस्से तथा विशेषतः मुस्लिमों में शिक्षा को सुसाध्य बनाया जा सके। सच्चर समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मुस्लिम समुदाय देश के शैक्षिक धरातल से शिक्षा प्राप्त करने का अभिलाषी है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिमों में साक्षरता दर विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य धार्मिक समूहों की साक्षरता दर से काफी खराब है। इस बात की भी तत्काल आवश्यकता है कि शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपनी उन्नति एवं खुशहाली के लिए अपने घर तथा समुदाय की चारदीवारी से बाहर निकल सकें। शिक्षा प्रसार

सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व ऐसा है जिसका कार्यान्वयन करने की संविधान राज्य से अपेक्षा करता है। उन्नी कृष्णन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षा प्रसार में राज्य की भूमिका को संपूर्ण करने के लिए निजी संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुस्लिमों में शिक्षा का प्रसार करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है ताकि मुस्लिम समुदाय को व्यापक स्तर तक शिक्षा का लाभ उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी, पिछड़ेपन तथा सामाजिक अक्षमता को दूर किया जा सके।

पूर्वोक्त कारणों से आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि वह पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों के व्यापक हित में पश्चिम बंगाल कॉलेज(वेतन-भुगतान) अधिनियम, 1978 के क्षेत्राधिकार में इसे शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करे।

2008 का मामला संख्या 330

नर्सिंग पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने की अनुमति

याचिकाकर्ता : 1. बंबई पटेल कल्याण सोसायटी भरुच(सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का एसीसीटी XXI) के तहत एक रजिस्टर्ड सोसायटी) पंजीकरण सं. गुजरात -90, भरुच दिनांक 18.1.1980 तथा बंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत ट्रस्ट रजि. नं. गुजरात पब्लिक ट्रस्ट रजि.नं. एफ-80 दिनांक 18.1.1980 के तहत एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में भी पंजीकृत।

प्रतिवादी : 1. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार, 7/4 सरदार भवन, नया सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात।
2. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, ब्लॉक-5, जिवराज मेहता भवन, गांधीनगर, गुजरात।
3. पंजीकार, गुजरात नर्सिंग काउन्सिल, पो.बा.नं. 2021, स्टेट काउन्सिल हाऊस, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के सामने, अहमदाबाद, गुजरात-380016
4. अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, सिविल हॉस्पिटल, सोला, अहमदाबाद, गुजरात।

याचिकाकर्ता बंबई पटेल कल्याण सोसायटी भरुच(गुजरात) को इंडियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली तथा गुजरात नर्सिंग काउन्सिल अहमदाबाद द्वारा पत्र सं. 02/जुलाई /2007-आईएनसी दिनांक 4.7.2007 तथा पत्र सं. इंस./634 दिनांक 16.8.2007 के तहत शैक्षणिक वर्ष 2007-08 से 30 विद्यार्थियों की भर्ती करते हुए सामान्य नर्सिंग तथा प्रसूति विद्या पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई। चूंकि याचिकाकर्ता शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए सहायक नर्सिंग तथा प्रसूति विद्या(एनएम) पाठ्यक्रम भी शुरू करना चाहता था इसलिए उसने दिनांक 28.12.2007 के आवेदन के तहत अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया। दिनांक 12.3.2008 को अनुस्मारक देने के बावजूद राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। इसलिए यह याचिका दी गई है।

यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। यह भी विवादरहित है कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के दिनांक 28-12-07 के

याचिकाकर्ता के आवेदन तथा दिनांक 12-2-08 के अनुस्मारक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए थे । प्रतिवादी द्वारा याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया है कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के याचिकाकर्ता के आवेदन पर आदेश पारित नहीं हो सके थे क्योंकि एनएम पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था । यह अभिकथन किया गया है कि उक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय याचिकाकर्ता संस्थान के निरीक्षण के बाद किया जाएगा ।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोर देते हुए कहा कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अनिवार्यता प्रमाण पत्र देने में असफल रहा है, अतः यह समझा जाएगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम आयोग (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 10 की उप धारा (3) के तहत परिकल्पित माने गए प्रावधानों के अनुसार उन्होंने अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है । यहां विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के प्रावधानों का अवलंब लेने का पात्र है जो इस प्रकार है :-

“(3) जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए उप धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर,-

(क) सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता ; अथवा

(ख) जहां कोई आवेदन रद्द कर दिया गया है तथा इसकी सूचना उस व्यक्ति को नहीं दी गई है जिसने यह प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है,

तो यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है ।”

प्रारंभ में ही हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत शामिल किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा नए पाठ्यक्रम अथवा शाखा विशेष की शुरुआत करने के लिए दिया गया कोई आवेदन संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘स्थापित करना’ के कार्यक्षेत्र में आता है। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने का प्रथम अधिकार प्रदान करता है । अजीज पासा बनाम भारत संघ एआईआर 1968 एससी 662 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रयुक्त ‘स्थापना’ शब्द की व्याख्या ‘अस्तित्व में लाना’ अर्थ से की है । इसी तरह से मदन प्रोविशियल एआईआर 1970 एससी 2079 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि ‘स्थापना’ का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किसी संस्था को अस्तित्व में लाने से है । यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है । इस स्थिति में याचिकाकर्ता संस्था एनएम पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की पात्र है । यह अविवादिता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा जनरल नर्सिंग काउंसिल अहमदाबाद ने याचिकाकर्ता संस्थान के पत्र संख्या 02/जुलाई/2007-आईएनसी दिनांक 4-07-2007 तथा पत्र संख्या इंसपं/634 दिनांक 16-8-2007 के तहत 30 विद्यार्थियों को भर्ती करके 2007-08 से सामान्य नर्सिंग पाठ्यक्रम तथा प्रसूति विद्या पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी थी । चूंकि याचिकाकर्ता शैक्षणिक वर्ष 2008-09 से एनएम पाठ्यक्रम प्रारंभ करना चाहता था इसलिए इसने इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली को 11-1-2008 को आवेदन किया तथा दिनांक 5-1-2008 के डीडी सं.294036 के तहत 25,000/- का अपेक्षित शुल्क अदा किया । इसके बाद याचिकाकर्ता ने भारतीय नर्सिंग परिषद के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए दिनांक 28-1-2007 के पत्र द्वारा राज्य सरकार को अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए एक आवेदन पत्र दिया । दिनांक 12-2-2008 को याचिकाकर्ता ने इस संबंध में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को एक अनुस्मारक भी भेजा था । आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसरण में डॉ. पी डी वैष्णव दिनांक 30-6-2008 को राज्य सरकार की ओर से

उपस्थित हुए तथा आयोग को यह भरोसा दिया कि याचिकाकर्ता कॉलेज को अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर ले लिया जाएगा। श्री दिनेश परमार, अवर सचिव, गुजरात सरकार ने दिनांक 27-6-08 के पत्र सं. एन एस जी-102008/894/ई के तहत डॉ. पी. डी. वैष्णव द्वारा दिए गए उक्त निर्णय का भी समर्थन किया है। दिनांक 13-8-08 के आदेश द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया था कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में आयोग को सूचित किया जाए। बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बाद श्री जे. एच. नागर, उप सचिव, गुजरात सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिनांक 18-4-09 के ज्ञापन सं. एन एस जी-102008-894-ई के तहत आयोग को सूचित किया कि याचिकाकर्ता के संबंध में प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार के विचारार्थ तथा जांचाधीन है और याचिकाकर्ता संस्थान को अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय यथासमय लिया जाएगा। इसके बाद 23-4-09 को राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से दुबारा अनुरोध किया गया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में आयोग को सूचित किया जाए। सूचना देने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र पर राज्य सरकार की रहस्यमयी चुप्पी संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को प्रत्याभूत संवैधानिक संरक्षण का पूर्णता खंडन करती है।

हम इस बात की पुनरावृत्ति करते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद' के शब्दों में निहित है। यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके। संविधान के अनुच्छेद 30(1) की भाषा व्यापक है और इसे पूर्ण अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को कमतर करने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमें इस सुरक्षा को व्यापक करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु हम संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित शब्दों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान सुरक्षा को कम नहीं कर सकते हैं। केरल शिक्षा विधेयक एआईआर 1958 एसी 956 में माननीय मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

“जब तक संविधान मौजूदा रूप में है और इसमें संशोधन नहीं किया गया है तो, हम यह मानते हैं कि यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मूल अधिकारों को बनाए रखे, उनकी रक्षा करे और इस प्रकार हमारे अपने अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति हमारे पवित्र दायित्व का सम्मान करे”

जैसा कि केरल शिक्षा विधेयक ए आई आर 1958 एस सी 956 पृष्ठ सं. 990 में माननीय वेंकटरमण अय्यर, न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि संविधान अल्पसंख्यकों को दो सुस्पष्ट अधिकार प्रदान करता है। एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, उदाहरण के तौर पर,

- (i) राज्य का अल्पसंख्यकों, धार्मिक अथवा भाषा-विषयक संस्थाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता एवं मान्यता देने के मामले में समान व्यवहार प्रदान करने का सकारात्मक दायित्व है; तथा
- (ii) राज्य का ऐसे संस्थानों की स्थापनाओं पर रोक न लगाने तथा उनके संचालन में हस्तक्षेप न करने का नकारात्मक दायित्व भी है।

यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता ने 28.12.2007 को शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए एन एम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन

किया। याचिकाकर्ता संस्थान का निरीक्षण करने के बाद भी सक्षम प्राधिकारी ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के याचिकाकर्ता के आवेदन पर कोई आदेश अभी तक पारित नहीं किया था। मामले को इस नजरिए से देखते हुए अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के तहत यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने प्रस्तावित ए एन एम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता को अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया है।

मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने घोषणा की कि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के निबन्धनों के अनुसार प्रस्तावित ए एन एम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता को अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है। धारा 10 की उप धारा (3) पूर्वोक्त में शामिल किए गए 'समझा जाएगा' प्रावधानों को देखते हुए भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली को ए एन एम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुमति देने के निदेश दिए गए।

2008 का मामला संख्या 1352

सुन्नी इंटर कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति

याचिकाकर्ता : 1. सुन्नी इंटर कॉलेज, विक्टोरिया गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

प्रतिवादी : 1. जिला स्कूल निरीक्षक, शिक्षा भवन, मेडिकल कॉलेज के पास, जगत नारायण रोड, लखनऊ
2. संयुक्त निदेशक, शिक्षा, शिक्षा भवन, जगत नारायण रोड, लखनऊ

सुन्नी इंटर कॉलेज, लखनऊ के प्रबंधक ने उक्त कॉलेज के प्राइमरी स्कंध के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की। याचिकाकर्ता संस्था, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। वर्ष 1950 से यह वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। याचिकाकर्ता कॉलेज ने अपने प्राइमरी विंग के लिए बी एड योग्यता वाले सहायक अध्यापकों का चयन कर उनकी नियुक्ति की थी तथा दिनांक 22-9-2008 के पत्र के तहत जिला स्कूल निरीक्षक का अनुमोदन मांगा। यह अभिकथित है कि हालांकि, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों ने अल्पसंख्यक कॉलेजों नामतः सोहनलाल इंटर कॉलेज, लखनऊ, जगन्नाथ साहू इंटर कॉलेज, लखनऊ, बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज, लखनऊ तथा खालसा इंटर कॉलेज, लखनऊ को प्राइमरी स्कंध के लिए बीएड योग्यता वाले अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन दिया था परन्तु उन्होंने याचिकाकर्ता कॉलेज के प्राइमरी स्कंध के बीएड योग्यता वाले अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन अस्वीकृत कर दिया। यह भी अभिकथित है कि ये नियुक्तियां 25% को स्नातक का वेतनमान देने के आधार पर हुई पदोन्नति के परिणामस्वरूप रिक्त हुए पदों के प्रति की गई थी। अतः यह याचिका दी गई है।

संयुक्त निदेशक, शिक्षा, लखनऊ ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता कॉलेज एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। कॉलेज के प्राइमरी स्कंध के वेतनमान का भुगतान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत आता है और इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1921 भी याचिकाकर्ता कॉलेज पर लागू होता है। दिनांक 19-4-2003 के आदेश संख्या 783/79-6-03-26(5)/97 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने पदों के सृजन, कक्षाओं में अतिरिक्त अनुभाग, प्राइमरी विंग में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए अनुदेश जारी किए थे। आगे यह भी अभिकथित है कि पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न खाली पदों को भरने के लिए भी सरकार की अनुमति लेने हेतु अनुदेश जारी किए गए थे। याचिका का विरोध मुख्यतः इस आधार पर किया गया है कि याचिकाकर्ता के प्रबंधक ने 26-2-2003 की अधिसूचना संख्या 9/741 के तहत अधिसूचित नियमों का उल्लंघन करके अपने प्राइमरी विंग के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की थी, जिसमें एक इंटर

कॉलेज के लिए प्राइमरी स्कंध के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु बीटीसी को पात्रता अर्हता के रूप में चिन्हित किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन ने अपने प्राइमरी स्कंध के लिए बी.एड.अर्हता वाले अध्यापकों की नियुक्ति की थी, अतः इन नियुक्तियों को अनुमोदित नहीं किया जा सकता।

पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान में रखते हुए विचारार्थ प्रश्न यह उठता है कि क्या अपने प्राइमरी स्कंध के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई नियुक्तियों को अनुमोदन न देने की प्रतिवादी की कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है।

यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता संस्थान एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संवैधानिक संरक्षण के दावे का पात्र है। यह भी निर्विवाद है कि दिनांक 26-02-2003 की अधिसूचना 9/741 द्वारा राज्य सरकार ने किसी इंटरमीडिएट कॉलेज अथवा हाई स्कूल के प्राइमरी स्कंध के अध्यापक की नियुक्ति के लिए बीटीसी की अर्हता निर्धारित की है यह स्वीकार्य है कि अपने प्राइमरी स्कंध के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन द्वारा नियुक्त अध्यापकों के पास राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित बीटीसी की अर्हता नहीं थी। किसी इंटर कॉलेज अथवा हाई स्कूल के प्राइमरी स्कंध के अध्यापक की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्त के रूप में बीटीसी अर्हता का निर्धारण शैक्षणिक उत्कृष्टता के हित में है और इस प्रकार याचिकाकर्ता, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता की अर्हता के अनुसार अपने प्राइमरी स्कंध के अध्यापक चुनने तथा नियुक्त करने के लिए बाध्य था। यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा नियुक्त सहायक अध्यापक बीटीसी की योग्यता नहीं रखते और इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा ऐसी नियुक्तियों को अनुमोदित न करना पूर्णता औचित्यपूर्ण था। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत जिला स्कूल निरीक्षक द्वारा किए गए उत्तर की प्रति संलग्न की है, जो यहां पुनः प्रस्तुत की जाती है :-

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
द्वारा पैराडाइज मैडिकल स्टोर,
सराय माली खॉ हरदौई रोड़,
लखनऊ।

पत्रांक मा -2/20686- 90/08-09 दिनांक 3 मार्च 09

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 2/11/08 एवं 6/11/08 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा निम्न विन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्नवत् आपको प्रेषित है।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	यह कि संयुक्त शिक्षा निदेशक षष्ठ मण्डल लखनऊ, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रथम/द्वितीय के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त मा. विद्यालयों में वर्ष 2006,2007 एवं 2008 में कितने बी.एड./एल.टी. अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राइमरी विभाग में किया गया है।	जनपद के बालक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध प्रा. अनुभाग में वर्ष 6/7/08 में बी.एड. / एल.टी. – 10 योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन विभाग द्वारा प्रदान किया गया है।
2.	यह कि सितम्बर 08 में बाबा ठाकुर इण्टर कालेज लखनऊ के एक अभ्यर्थी की नियुक्ति का अनुमोदन प्राइमरी विभाग में की गई थी। जो बी.एड./एल.टी. अर्हता रखते थे।	बाबा ठाकुर दास इ.का. लखनऊ में 01 बी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थी की नियुक्ति का अनुमोदन अपर शि. नि. मा. इलाहाबाद के आदेश सं / दिनांक द्वारा प्रदान किया गया (छायाप्रति सलंगन)
3.	यह कि जून 2008 में बाबा ठाकुर दास इ.का. लखनऊ के 5 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राइमरी अनुभाग में की गई थी। जो बी.एड.	बाबा ठाकुर दास इ.का. लखनऊ में 05 बी.एड. एल.टी. अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति अपर शिक्षा निदेशक मा. इलाहाबाद के आदेश सं. सा. (1) द्वितीय अनु. /927/08-09 दिनांक 23/6/08 द्वारा प्रदान किया गया (छायाप्रति सलंगन)
4.	यह कि जून 2008 में खालसा इ.का. लखनऊ के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राइमरी सेक्शन हेतु किया गया जो बी.एड./एल.टी. अर्हता रखते थे।	खालसा इ.का. लखनऊ में 02 बी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन अपर शिक्षा निदेशक मा. उ. प्र. इलाहाबाद के आदेश सं. सा. (1) द्वितीय अनु. /927/08-09 दिनांक 23/6/08 द्वारा प्रदान किया गया है। (छायाप्रति सलंगन)
5.	यह कि वर्ष 2008 में संस्कृत कन्या इ.का. सदर लखनऊ की सात अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राइमरी सैक्शन में किया गया जो बी.एड./एल.टी. अर्हता रखते थे।	प्रश्नगत विद्यालय जिला विद्यालय शिक्षा द्वितीय के नियंत्रण में आता है। अतः उक्त सूचना उन्ही के स्तर से दी जायेगी।

6.	यह कि सितम्बर 07 में सोहनलाल इ. का लखनऊ की एक अध्यापिका की नियुक्ति का अनुमोदन प्रा. अनुभाग में किया गया जो बी.एड. अर्हता रखती थी।	सोहन लाल इ. कालेज लखनऊ में 01 बी.एड. अर्हताधारी अभ्यार्थी की नियुक्ति का अनुमोदन संयुक्त शिक्षा निदेशक षष्ठ मण्डल लखनऊ के आदेश सं. मा -2/6014/07-08 दिनांक 01/09/07 प्रदान किया गया (छायाप्रति सलंगन)
7.	यह कि वर्ष 2006 में करामत हुसैन गर्ल्स इण्टर कालेज की एक अभ्यार्थी की नियुक्ति का अनुमोदन प्राइमरी अनुभाग में किया गया जो बी.एड. /एल. टी. अर्हता रखती थी।	प्रश्नगत विद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय के नियंत्रण में आता है। अतः उक्त सूचना उन्ही के स्तर से दी जायेगी।
8.	सुनी इण्टर कालेज लखनऊ में प्रबन्ध तंत्र द्वारा अनियमित रूप शासनादेश सं. 783/79-6-3-26 (5)/97/दिनांक 19/4/03 एवं शासनादेश सं. 2166-7966/2003 दिनांक 10/9/08 के विपरीत सम्बद्ध प्राइमरी विभाग में बिना शासन की अनुमति के 07 बी.एड. अर्हता धारी अभ्यार्थियों की नियुक्ति प्रस्तावित की गयी थी। जो मण्डलीय समिति के निर्णय अनुसार दिनांक 6/11/08 को प्रकरण अमान्य कर दिया गया जो इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21/11/08 द्वारा विद्यालय को अमान्य करते हुये वापस कर दिया गया।	

उत्तर के देखने मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि सोहनलाल इंटर कॉलेज, लखनऊ, जगन्नाथ साहू इंटर कॉलेज, लखनऊ, बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज, लखनऊ तथा खालसा इंटर कॉलेज, लखनऊ के प्रबंधन ने अपने प्राइमरी स्कंध के लिए बी.एड. योग्यताओं वाले अध्यापक नियुक्त किए थे और ये नियुक्तियां, सरकार द्वारा दिनांक 26-2-2003 की अधिसूचना संख्या 9/741 के तहत निर्धारित पात्रता अर्हताओं का उल्लंघन करके की गई थी। अतः यह सरकार के शिक्षा विभाग के कामकाज में दोहरे मापदंड अपनाने का स्पष्ट मामला बनता है। राज्य सरकार के संबद्ध प्राधिकारियों ने दो मापदंड अपनाए हैं, इंटर कॉलेजों के प्राइमरी स्कंध के लिए अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित नियमों का प्रवर्तन करने में एक नियम अल्पसंख्यकों के लिए दूसरा गैर-अल्पसंख्यकों के लिए। याचिकाकर्ता चाहता है कि अधिसूचना संख्या 9/741, दिनांक 26-02-2003 का उल्लंघन करते हुए की गई इन नियुक्तियों का हम अनुमोदन करने के निदेश राज्य सरकार को इस आधार पर जारी करें कि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे ऊपर उल्लिखित कॉलेजों के प्राइमरी विंग के उन अध्यापकों की नियुक्तियों को अनुमोदित कर दिया था, जो बीटीसी की अपेक्षित अर्हता नहीं रखते थे। यह ध्यान में रखना होगा कि अधिसूचना संख्या 9/741 दिनांक 26-2-2003 का उल्लंघन करते हुए उपयुक्त गैर अल्पसंख्यक कॉलेजों द्वारा की गई नियुक्तियों को अनुमोदित करने में शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों की कथित गैर कानूनी कार्रवाई, याचिकाकर्ता कॉलेज को अपनी प्राइमरी स्कंध के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए

अनुमोदन का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। कारण यह है कि दो गलतियां एक को सही नहीं बनाती। कोई भी पक्षकार यह दावा नहीं कर सकता कि, चूंकि एक मामले में कुछ गलत हुआ है तो दूसरे मामले में एक और गलत करने के निदेश दिए जाएं। यह एक गलती सही नहीं करेगा बल्कि एक दूसरी गलती को अविरत बनाए रखेगा। इन मामलों में संविधान के अनुच्छेद 14 के तर्क पर एक समान व्यवहार करने की संकल्पना लागू नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में कोई भेदभाव शामिल नहीं होता। याचिकाकर्ता को अपने मामले को किसी और आधार पर सुदृढ़ करना होगा और न कि नकारात्मक समानता का दावा करके (भारत संघ बनाम अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग कंपनी जेडी 2003 (4) एससी 549)।

यहां यह उल्लेख करना संगत है कि संयुक्त निदेशक, शिक्षा, लखनऊ ने उत्तर के पैरा सं. 2 में कहा है कि दिनांक 19-4-2003 के आदेश संख्या 783/79-6-03-26(5) के द्वारा इंटर कॉलेज के प्राइमरी स्कंध के अध्यापकों की भर्ती पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। यहां उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि संविधान का अनुच्छेद 21ए 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में घोषित करता है और राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्य के सभी बच्चों को वहनीय शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त सुविधाएं स्थापित करे। यदि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता है तो उसे प्राइवेट प्राइमरी स्कूल के प्रबंधकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा अनुच्छेद 21ए को वास्तविक अर्थों में सार्थक बनाने में उन्हें भागीदार समझना चाहिए। तात्कालिक मामले में राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21ए का घोर उल्लंघन करते हुए राज्य में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की रिक्तियां भरने में पूरी तरह से रोक लगा दी जिससे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलने में मौलिक अधिकारों का वंचन हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 13 सरकार को ऐसा कोई कानून, नियम, विनियम बनाने से रोकता है जिससे संविधान के अध्याय III में सम्मिलित मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता हो तथा यह घोषणा करता है कि मौजूदा कानून तथा नियम मौलिक अधिकारों से असंगत होने की सीमा तक प्रारंभ से ही अमान्य होते हैं। इस स्थिति में कोई भी कानून या नियम जो असंवैधानिक है, उसे मूलभूत अधिकारों के प्रयोग के रास्ते में खड़े नहीं होने दिया जा सकता है।

अतः राज्य सरकार का दिनांक 19-4-2003 का आदेश, संविधान के अनुच्छेद 21ए में प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है और ये तब तक मृतप्रायः अवस्था में बने रहेंगे जब तक अधिकारों का अस्तित्व बना रहेगा।

प्रतिवादी की ओर से दर्ज उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को भी प्राइमरी स्कंध के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस सी सी 481 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि प्रशासन में स्वायत्तता का अर्थ है प्रभावी ढंग से प्रशासन चलाना और संस्था के काम-काज का प्रबंधन और संचालन करना। कोई राज्य या कोई विश्वविद्यालय/सांविधिक प्राधिकरण, विनियामक उपायों को अपनाने का बहाना बना कर या उनकी आड़ में किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की प्रशासनिक स्वायत्तता नष्ट नहीं कर सकता या संस्था के प्रबंधन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जिससे कि संबंधित संस्था के प्रशासन का अधिकार निरर्थक या छलावा मात्र बन कर रह जाता हो। राज्य सरकार या कोई विश्वविद्यालय किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के अध्यापकों/प्रवक्ताओं/मुख्याध्यापकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की पद्धति या प्रक्रिया को विनियमित नहीं कर सकते। एक बार जब चयन की तर्क संगत प्रक्रिया अपना कर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के प्रबंधन द्वारा राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले किसी अध्यापक/प्रवक्ता/मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य का चयन कर लिया जाता है तो राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को उन अध्यापकों आदि के चयन को वीटो करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

राज्य सरकार या विश्वविद्यालय किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था पर ऐसे नियम/विनियम/अध्यादेश लागू नहीं कर सकते जिनका प्रभाव यह हो कि स्टाफ के चयन पर संबंधित संस्था का नियंत्रण न रह कर यह नियंत्रण राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो जाए और इस प्रकार वास्तव में राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को संस्था के लिए स्टाफ का चयन करने की अनुमति मिल जाए और अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के अधिकार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो जाए ।

राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वे किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को चयन/नियुक्ति के मामले में या अपने शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए उनसे पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए कहें । सरकार और विश्वविद्यालय की भूमिका केवल यह सुनिश्चित करने तक ही सीमित हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के प्रबंधन द्वारा चुने हुए अध्यापकों/प्राध्यापकों/हैडमास्टर्स ने इसके लिए निर्धारित पात्रता की अपेक्षित अर्हताएं पूरी कर ली हों ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पारसराम ए आई आर 2008 एस सी डब्ल्यू 373 में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों की घोषणा को किसी भी बहाने से किसी प्राधिकारी द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसायटी बनाम पश्चिम बंगाल(2004)6 एससीसी 224 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि राज्य सरकारें, उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के प्रख्यापनों का संज्ञान लेने तथा इनमें निधारित सिद्धांतों के अनुसार अपनी विधियों, नियमों तथा विनियमों में अनुरूपता लाने के लिए संशोधन करने के लिए बाध्य हैं ।

आयोग ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों ने इंटर कॉलेजों की प्राइमरी विंग के अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करने में दो मानदंड अपनाए हैं - एक अल्पसंख्यकों के लिए और दूसरा गैर-अल्पसंख्यकों के लिए । अतः आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों, जिनका नाम सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला स्कूल निरीक्षक, लखनऊ द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना में शामिल है, ने अधिसूचना सं.9/741, दिनांक 26-2-2003 का उल्लंघन करते हुए अपने प्राइमरी स्कंध के उपर्युक्त कॉलेजों द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुमोदन देने में घोर कदाचार किया है । अतः आयोग ने राज्य सरकार से इनके विरुद्ध नियमानुसार उपर्युक्त कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम की धारा 11 (ख) के निबंधनों के अनुसार आयोग के निष्कर्षों का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस आदेश की एक प्रति भेज दी गई थी ।

2008 का मामला संख्या 967

खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध।

याचिकाकर्ता : 1. सैयद अब्बास एंड संस चेरिटेबल ट्रस्ट, #6-1-197, बीडीओ कॉलोनी, खम्माम, आंध्र प्रदेश

प्रतिवादी : 1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, सचिवालय, हैदराबाद ।

सैयद अब्बास एंड संस चेरिटेबल ट्रस्ट एक पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका गठन उक्त समुदाय के हित में सहायक होने के लिए मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है । याचिकाकर्ता ट्रस्ट, आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना चाहता था और इस उद्देश्य से उसने दिनांक 5-3-2008 को अनिवार्यता प्रमाण पत्र के लिए

प्रतिवादी को आवेदन किया। यह अभिकथित है कि प्रतिवादी ने उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया। अतः याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिनियम, (संक्षेप में अधिनियम) आयोग 2004 की धारा 10 की उप धारा (3) के तहत इस घोषणा के लिए वर्तमान याचिका दर्ज की कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है।

बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी ने कार्रवाई का विरोध नहीं किया। याचिका में दिए गए प्रमाणों के अनुसार याचिकाकर्ता ट्रस्ट के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए सभी बुनियादी ढांचा तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया था परन्तु कतिपय कारणों से, जो प्रतिवादी ही जानता है, उसने उक्त आवेदन पर कोई आदेश जारी नहीं किए, जबकि यह आवेदन प्रतिवादी के कार्यालय में 5-3-2008 को विधिवत् प्राप्त हो गया था। श्री सैयद रफीक अहमद, याचिकाकर्ता ट्रस्ट के सचिव ने उक्त दावे के समर्थन में हलफनामे प्रस्तुत किए हैं। चूंकि याचिकाकर्ता ट्रस्ट के सचिव द्वारा प्रस्तुत हलफनामों को प्रतिवादी द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिए हमारे पास इस पर कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता ट्रस्ट के सचिव द्वारा प्रस्तुत हलफनामों से स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित हुआ है कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट मुस्लिम समुदाय के हित में सहायता करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का इच्छुक है; यह कि प्रस्तावित कॉलेज के लिए सभी आधारभूत ढांचा तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं इसके पास उपलब्ध हैं और यह कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को दिनांक 5-3-2008 को अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान के लिए आवेदन किया था और यह कि प्रतिवादी ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किए। अतः उपर्युक्त प्रमाणित तथ्य, अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो इस प्रकार है :-

“ 10. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार :

(1) कोई व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना चाहता है, उक्त प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा **ऐसी विधि के अधीन जो उपयुक्त सरकार द्वारा बनाई जाए, कोई व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना चाहता है, उक्त प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। ”**

(2) सक्षम प्राधिकारी -

(क) दस्तावेज, शपथपत्रों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो; का परिशीलन करने पर; और

(ख) आवेदक को सुनवाई के अवसर देने के पश्चात्, उपधारा - 1 के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन का यथासंभव शीघ्रता से विनिश्चय करेगा और आवेदन को, यथास्थिति मंजूर या नामंजूर करेगा:

परन्तु जहाँ किसी आवेदन को नामंजूर किया जाता है वहाँ सक्षम प्राधिकारी उसकी सूचना आवेदक को देगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर -

(क) सक्षम प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र नहीं देता है ; या

(ख) जहां कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है और उसकी सूचना, उस व्यक्ति को, जिसने ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन किया है, नहीं दी जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है ।

(4) आवेदक, अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिए जाने पर या जहां सक्षम प्राधिकारी के बारे में यह समझा जाता है कि उसने अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है, वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित किए गए यथास्थिति नियमों और विनियमों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना का प्रारंभ करने और उस संबंध में कार्यवाही करने का हकदार होगा ।

अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का इच्छुक है, उक्त प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी उप धारा (1) के तहत प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन पर यथाशीघ्र यथासंभव निर्णय लेगा और आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा, जैसा भी मामला हो। धारा 10 की उप धारा (3) यह घोषणा करती है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उप धारा (1) के तहत जब आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता ; अथवा जहां आवेदन को रद्द कर दिया है और इसकी सूचना उस व्यक्ति को नहीं दी गई है जिसने ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है तो यह मान लिया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने, आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है। तात्कालिक मामले में, यह सिद्ध किया गया है कि 5-3-2008 को याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र हेतु प्रतिवादी को आवेदन किया था और सक्षम प्राधिकारी ने धारा 10 की उप धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया। यह उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रमाणों का विरोध नहीं किया, अतः मामले को इस नजरिए से देखते हुए याचिकाकर्ता ट्रस्ट अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के प्रावधान का अवलंब लेने का पात्र है ।

अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) द्वारा सृजित विधिक विचारधारा, अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दायर आवेदन का शीघ्र निपटान करने का प्रावधान करती है । धारा 10 की उप धारा (4) में यह आदेश दिया गया है कि आवेदक, अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर अथवा जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया समझा गया है तो वहां वह संगत नियमों तथा विनियमों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की शुरुआत और उस पर आगे कार्यवाई करने का हकदार है । मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मत है कि अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) द्वारा सृजित संवैधानिक विचारा धारा को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए । मामले को इस नजरिए से देखते हुए हमें बम्बई राज्य बनाम पांडुरंग विनायक ए आई आर 1953 एस सी 244; पी ई के कल्याणी अम्बा बनाम के देवी ए आई आर 1996 एस सी 1963 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से बल मिलता है ।

पूर्वोक्त कारणों को देखते हुए आयोग ने घोषणा की कि राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के निबंधनों के अनुसार प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता ट्रस्ट को

अनिवार्यता प्रमाण पत्र दे दिया गया मान लिया है। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ट्रस्ट भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा तैयार संगत नियमों/विनियमों के अनुरूप प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना की शुरुआत करने तथा उस पर आगे कार्रवाई करने की पात्र थी।

2008 का मामला संख्या 927

नासिक, महाराष्ट्र में दो उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. शिक्षा एजुकेयर सोसायटी, क्रम सं. 125/बी-5, निखत पार्क, राजापुра, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र

प्रतिवादी : 1. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), नासिक, महाराष्ट्र

शिक्षा एजुकेयर सोसायटी, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र ने निखत पार्क, राजापुरा, मालेगांव तथा डारेगांव, ताल मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र के स्लम बस्ती क्षेत्र में दो नए उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की है। सोसायटी ने अपेक्षित अनुमति के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया था और राज्य सरकार के पक्ष में रु. 500/- का निर्धारित शुल्क जमा करने की रसीद सहित सभी संबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। चूंकि, राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए याचिकाकर्ता सोसायटी ने आयोग से संपर्क किया है।

शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), जिला परिषद, नासिक ने अपने उत्तर में कहा है कि दो नए उर्दू प्राइमरी स्कूल, एक निखत पार्क, राजापुरा मालेगांव तथा दूसरा डारेगांव, ताल मालेगांव, जिला नासिक की स्थापना के लिए दो प्रस्ताव 7-5-2008 के पत्रों सं. 103, 170 के तहत प्राप्त हुए थे। उक्त प्रस्तावों की जांच के बाद इन्हें का. ज्ञा. सं. जेड पी एन/प्रा/815/08 दिनांक 27.5.2008 के तहत शिक्षा निदेशक (प्राइमरी), पुणे को प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा निदेशालय (प्राइमरी), पुणे ने इन प्रस्तावों की आगे जांच की तथा इन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए इन्हें राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया। शिक्षा अधिकारी के अनुसार उक्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

नोटिस दिए जाने के बावजूद, शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र ने कार्रवाइयों का कोई विरोध नहीं किया।

निर्धारण के लिए बिन्दु यह है कि क्या याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा मांगी गई अनुमति प्रदान न करने में सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 30(1) घोषणा करता है कि धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने तथा उनका संचालन करने का अधिकार है। सुपर स्टार एजुकेशन सोसायटी बनाम महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य 2008 एआईआर एससी डब्ल्यू 2052 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा शामिल शैक्षणिक संस्थाओं को महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली प्रस्तावित मास्टर योजना के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं लाया जा सकता। माननीय न्यायाधीशों ने आगे यह निर्णय दिया है कि नए प्राइवेट स्कूलों को अनुमति देने से पहले निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाना अपेक्षित है :-

1. यह सुनिश्चित करना कि उनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं हैं।
2. शैक्षणिक संस्थाओं में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा रोकना।
3. शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक प्राइवेट संस्थाओं को ऐसे प्रतिबंधों और विनियामक अपेक्षाओं के अधीन लाना जिससे शिक्षा का स्तर बरकरार रखा जा सके।

4. विद्यार्थियों, अध्यापकों और शिक्षा के हितों को संवर्द्धित और उनकी रक्षा करना; और
5. समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब व कमजोर वर्गों को मूल शिक्षा मुहैया कराना; और
6. कतिपय क्षेत्रों में स्कूलों का संकेन्द्रण रोकना और यह सुनिश्चित करना कि उनका समान रूप से विस्तार हो ताकि वे विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों की तथा समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ।

यह स्वीकार्य स्थिति है कि स्लम बस्ती क्षेत्र में प्रस्तावित दो उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूलों को शुरु करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्तावों की जांच जिला समिति द्वारा दिनांक 20-5-2008 को आयोजित अपनी बैठक में की गई थी । आगे यह स्वीकार किया जाता है कि उक्त प्रस्तावों के सत्यापन के बाद शिक्षा निदेशालय (प्राइमरी) पुणे ने इन प्रस्तावों की आगे जांच की और अंतिम निर्णय लेने के लिए इन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया, परन्तु इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया । यह उल्लेख करने की जरूरत है कि शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), जिला परिषद नासिक ने अपने उत्तर में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं किया कि याचिकाकर्ता की सोसायटी के पास प्रस्तावित प्राइमरी स्कूल की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचा तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं नहीं हैं और यह कि प्रस्तावित उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूलों की स्थापना से इसी तरह के श्रेणी के अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बीच अस्वस्थकारी प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न होगी । मामले को इस नजरिए से देखते हुए यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सुपर स्टार एजुकेशन सोसायटी बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (ऊपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है । इस स्थिति में निखत पार्क, राजापुुरा, मालेगांव तथा डारेगांव, ताल मालेगांव, जिला नासिक के स्लम बस्ती क्षेत्रों में प्रस्तावित उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को अनुमति प्रदान न करने में राज्य सरकार की कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है । इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 21-ए यह घोषित करता है कि 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार के रूप में है और राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के सभी बच्चों को वहनीय तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे । यदि राज्य 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता तो उसे निजी प्राइमरी स्कूल के प्रबंधकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा अनुच्छेद 21 ए को वास्तविक अर्थों में साकार करने में उन्हें भागीदार समझना चाहिए ।

पूर्वोक्त कारणों से, आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तावित प्राइमरी स्कूल शुरु करने के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को अनुमति देने से इंकार करने की सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है । सरकार याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अनुमति स्थाई बिना सहायतानुदान आधार पर दे सकती है । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम की धारा 11 (क) के निबंधनों के अनुसार आयोग के उक्त निष्कर्ष का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को इस आदेश की एक प्रति भेज दी गई थी ।

2008 का मामला संख्या 918

मालेगांव, महाराष्ट्र में दो उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. गुलशन एजुकेशन सोसायटी, 86/2, प्लॉट नं. 30, गुलाब पार्क, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र

प्रतिवादी : 1. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), नासिक, महाराष्ट्र

गुलशन एजूकेशन सोसायटी, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र ने शैक्षिक वर्ष 2008-09 के लिए मालेगांव के स्लम बस्ती क्षेत्रों में दो उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूलों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की। सोसायटी ने अपेक्षित अनुमति के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया और राज्य सरकार के पक्ष में रु.500/- का निर्धारित शुल्क जमा करने की रसीद सहित सभी संबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए। चूंकि, राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया इसलिए याचिकाकर्ता सोसायटी ने आयोग से संपर्क किया।

शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), जिला परिषद नासिक ने अपने उत्तर में कहा है कि याचिकाकर्ता के प्रस्तावों की जांच जिला समिति द्वारा 20-5-2008 को आयोजित अपनी बैठक में की गई थी और उसके बाद प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय (प्राइमरी) पुणे को प्रस्तुत किए गए थे, जहां इन प्रस्तावों की दोबारा जांच की गई थी और इन्हें राज्य सरकार को अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा अधिकारी के अनुसार, उक्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नोटिस देने के बावजूद, शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाईयों का कोई विरोध नहीं किया।

यहां निर्धारण का बिन्दु है : कि क्या याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा मांगी गई अनुमति प्रदान न करने में सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 30(1) यह घोषणा करता है कि धर्म अथवा भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने तथा उसका संचालन करने का अधिकार है। सुपर स्टार शिक्षा सोसायटी बनाम महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य 2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 2052 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा शामिल शैक्षणिक संस्थाओं को महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली प्रस्तावित मास्टर योजना के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं लाया जा सकता है। माननीय न्यायधीशों ने आगे यह निर्णय दिया कि नए निजी स्कूलों के लिए अनुमति देने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है :-

1. यह सुनिश्चित करना कि उनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं हैं।
2. शैक्षणिक संस्थाओं में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा रोकना।
3. शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक प्राइवेट संस्थाओं को ऐसे प्रतिबंधों और विनियामक अपेक्षाओं के अधीन लाना जिससे शिक्षा का स्तर बरकरार रखा जा सके।
4. विद्यार्थियों, अध्यापकों और शिक्षा के हितों को संवर्द्धित और उनकी रक्षा करना; और
5. समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब व कमजोर वर्गों को मूल शिक्षा मुहैया कराना; और
6. कतिपय क्षेत्रों में स्कूलों का संकेन्द्रण रोकना और यह सुनिश्चित करना कि उनका समान रूप से विस्तार हो ताकि वे विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों की तथा समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

यह स्वीकार्य स्थिति है कि स्लम बस्ती क्षेत्र में प्रस्तावित दो उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूलों को शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्तावों की जांच जिला समिति द्वारा दिनांक 20-5-2008 को आयोजित अपनी बैठक में की गई थी। आगे यह स्वीकार किया जाता है कि उक्त प्रस्तावों के सत्यापन के बाद शिक्षा निदेशालय (प्राइमरी) नासिक ने इन प्रस्तावों की आगे जांच की और अंतिम निर्णय लेने के लिए इन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया परन्तु इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। यह उल्लेख करने की जरूरत है कि शिक्षा अधिकारी

(प्राइमरी), जिला परिषद नासिक ने अपने उत्तर में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं किया कि याचिकाकर्ता की सोसायटी के पास प्रस्तावित प्राइमरी स्कूल की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचा तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं नहीं हैं और यह कि प्रस्तावित उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूलों की स्थापना से इसी तरह के श्रेणी के अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बीच अस्वस्थकारी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। मामले को इस नजरिए से देखते हुए यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सुपर स्टार एजुकेशन सोसायटी बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (ऊपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। इस स्थिति में जिला मालेगांव के अख्तराबाद और मिल्लतनगर की स्लम बस्तियां क्षेत्रों में प्रस्तावित उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को अनुमति प्रदान न करने में राज्य सरकार की कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 21-ए यह घोषित करता है कि 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार के रूप में है और राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के सभी बच्चों को वहनीय तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। यदि राज्य 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता तो उसे निजी प्राइमरी स्कूल के प्रबंधकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा अनुच्छेद 21 ए को वास्तविक अर्थों में साकार करने में उन्हें भागीदार समझना चाहिए।

पूर्वोक्त कारणों से, आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तावित प्राइमरी स्कूल शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को अनुमति देने से इंकार करने की सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अनुमति स्थाई बिना-सहायतानुदान आधार पर दे सकती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11 (क) के निबंधनों के अनुसार आयोग के उक्त निष्कर्ष का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को इस आदेश की एक प्रति भेज दी गई थी।

2008 का मामला संख्या 1547

जेड ए.इस्लामिया कॉलेज, सिवान, बिहार में बी.कॉम. पाठ्यक्रमों को स्थाई संबद्धता प्रदान करने के लिए अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. जेड ए.इस्लामिया कॉलेज, सिवान, बिहार।

प्रतिवादी : 1. प्रधान सचिव, म.स.वि.विभाग, बिहार सरकार, पटना(बिहार)।

2. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार सरकार, पटना

3. जे पी विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार

जेड.ए.इस्लामिया कॉलेज, सिवान, बिहार ने बी.कॉम (पास एवं ऑनर्स) को वित्तीय सहायता सहित स्थाई संबद्धता याचिकाकर्ता कॉलेज को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30(1)के तहत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। कॉलेज में बी.कॉम (पास एवं ऑनर्स) पाठ्यक्रमों को संबद्धता प्रदान करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने निरीक्षण समिति गठित की, जिसने निरीक्षण के बाद संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश की। दिनांक 4-7-2002 के पत्र के द्वारा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार ने निदेशक, उच्च शिक्षा को पत्र लिखकर सूचित किया कि बी.कॉम पाठ्यक्रमों के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज को संबद्धता प्रदान करने का निर्णय विश्वविद्यालय ने ले लिया है और तदनुसार इस संबंध में निदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया। इसके बाद, राज्य

सरकार ने याचिकाकर्ता कॉलेज को बिना वित्तीय सहायता के बी.कॉम (पास एवं ऑनर्स) पाठ्यक्रमों के संबंध में दो सत्रों के लिए अस्थाई संबद्धता प्रदान की ।

प्रतिवादी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अपने उत्तर में कहा है कि दिनांक 27-6-2006 के पत्र द्वारा उसने याचिकाकर्ता कॉलेज की संबद्धता के संबंध में राज्य सरकार को सभी संबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे । दिनांक 23-6-2008 के पत्र द्वारा राज्य सरकार ने कॉलेज को बिना वित्तीय सहायता के बी.कॉम (पास एवं ऑनर्स) के संबंध में दो सत्रों के लिए अस्थाई संबद्धता प्रदान की ।

राज्य सरकार को जारी नोटिस के अनुसरण में संयुक्त सचिव, बिहार सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि कॉलेज को स्थाई संबद्धता प्रदान करने संबंधी मामले पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

याचिकाकर्ता कॉलेज की मुख्य शिकायत यह है कि राज्य सरकार ने केवल दो सत्रों के लिए अस्थाई संबद्धता बिना किसी वित्तीय सहायता के प्रदान की थी ।

चूंकि स्थाई संबद्धता प्रदान करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध संबंधी मामले पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है, अतः आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेने की सिफारिश की ।

2009 का मामला संख्या 448

चिदंबरम, जिला कुड्डालूर, तमिलनाडु में नर्सिंग कॉलेज शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रदान करने के लिए अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. मुन्ना नर्सिंग कॉलेज, परंजीपेट्टई, चिदंबरम, जिला कुड्डालूर, तमिलनाडु

प्रतिवादी : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार, सचिवालय, चैन्नई

डॉ. रहमान का ट्रस्ट पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका गठन मुस्लिमों के लाभ के लिए मुस्लिम समुदायों के सदस्यों द्वारा किया गया है । याचिकाकर्ता, परंजीपेट्टई, चिदंबरम, जिला कुड्डालूर, तमिलनाडु में मुन्ना नर्सिंग कॉलेज के नाम तथा शैली के तहत नर्सिंग कॉलेज खोलने का इच्छुक था और उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को दिनांक 20-1-2007 को एक आवेदन दिया । उक्त आवेदन पर कार्रवाई करने के बाद निदेशक, मेडिकल एजुकेशन द्वारा नियुक्त निरीक्षक दल ने 25-5-2007 को उक्त कॉलेज का निरीक्षण किया । इसके बाद नवंबर, 2008 में दुबारा एक और निरीक्षण उक्त दल द्वारा किया गया । निरीक्षण के बाद तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव ने दिनांक 27-11-2008 के पत्र के तहत याचिकाकर्ता को निदेश दिया कि वह कतिपय कमियों को दूर करें । याचिकाकर्ता ने कमियों को दूर किया तथा तदनुसार प्रतिवादी को 15-12-2008 के पत्र के तहत सूचित किया । यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला । अतः याचिका दी गई ।

नोटिस देने के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रतिवादी के विरुद्ध मामले पर एकतरफा कार्रवाई की गई ।

इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 2004 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 10 की उप धारा(3) के धारण उपबंध, का अवलंब इस घोषणा के लिए किया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया समझा गया है। यह विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता, अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के तहत प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के बारे में इस घोषणा का पात्र है जो इस प्रकार है:-

“(3) जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उप धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर ;

(ग) सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता ; अथवा

(घ) जहां आवेदन रद्द कर दिया गया है तथा इसकी सूचना उस व्यक्ति को न दी गई हो, जिसने यह प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है तो यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है ।”

प्रारंभ में हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि विवाद स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के क्षेत्राधिकार में आता है जिसमें यह घोषणा की गई है कि जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान के लिए उप धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता अथवा जहां आवेदन रद्द कर दिया गया है और इसकी सूचना उस व्यक्ति को नहीं दी गई जिसने यह प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, तो यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है । यहां उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम में यह व्यवस्था है कि आयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन दिशा निर्देशित होगा तथा उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी । धारा 12 की उप धारा (2) आयोग को यह शक्ति प्रदान करती है कि आयोग सिविल प्रक्रिया कोड के तहत साक्षियों को सम्मन देने, उनके उपस्थित होने, किसी लोक रिकार्ड की मांग करने, कमीशन निकालने जैसी विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । धारा 12 की उप धारा (3) में यह विनिर्दिष्ट है कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी तथा आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2), की धारा 195 तथा अध्याय XXVI के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा । धारा 12क तथा 12ख आयोग को अपील करने का अधिकार प्रदान करती है तथा यह भी व्यवस्था करती है कि आयोग द्वारा पारित आदेश सिविल न्यायालय के आदेश की तरह कार्यान्वित किए जाएंगे । अधिनियम की धारा 12 - च में यह उल्लेख है कि किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं है जिसका अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत निर्णय करने का आयोग को अधिकार प्राप्त है । अतः एनसीएमआई अधिनियम के प्रावधानों का संक्षिप्त सार स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने से संबंधित राज्य सरकार तथा अल्पसंख्यक संस्थान के बीच विवाद इस अधिनियम के दायरे में आता है । सिविल न्यायालय का यह भी क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत आयोग को किसी मामले में निर्णय के लिए मिले अधिकार के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही पर विचार करे । आयोग की संरचना से स्वतः स्पष्ट होता है कि इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है । इस प्रकार यह अधिनियम स्वतः पूर्ण संहिता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 30(1) अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र देने, अनापत्ति प्रमाणपत्र देने और संबद्धता देने के संबंध में उत्पन्न सभी विवादों पर कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है ।

भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम 1947(संक्षेप में नर्सिंग परिषद् अधिनियम) को, नर्सों, दाइयों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों के लिए प्रशिक्षण के एक समान मानक का निर्धारण करने के लिए अधिनियमित किया गया है । नर्सिंग परिषद् अधिनियम की धारा 9 में कार्यकारणी के गठन के बारे में व्यवस्था की गई है । नर्सिंग परिषद् अधिनियम की धारा 10 में अधिनियम की अनुसूचियों में शामिल अर्हताओं की मान्यता के लिए व्यवस्था की गई है तथा धारा 11 में अर्हताओं की मान्यता के लिए व्यवस्था की गई है । नर्सिंग परिषद् अधिनियम की धारा 13, एक प्रशिक्षण संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त किसी संस्था का निरीक्षण करने और किसी मान्यता प्राप्त अर्हता अथवा मान्यता प्राप्त उच्चतर समूह की

अर्हताओं को प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आयोजित परीक्षा की देखरेख करने के लिए, निरीक्षकों की उतनी संख्या, जो कि वह आवश्यक समझे, को नियुक्त करने की कार्यकारणी को शक्ति प्रदान करती है। धारा 13 की उप धारा(2) में उपबंध किया गया है कि कार्यकारणी द्वारा नियुक्त निरीक्षक, प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए स्थापित संस्था की उपयुक्तता के बारे में तथा उसमें प्रशिक्षण की पर्याप्तता के बारे में कार्यकारणी को रिपोर्ट करेंगे। उपधारा(3), कार्यकारणी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्रति को संबंधित प्राधिकारी अथवा संस्था को अग्रेषित करने की पद्धतियां निर्धारित करती है तथा प्राधिकारी अथवा संस्था की टिप्पणियों सहित, यदि कोई हैं, प्रतियों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी और राज्य परिषद् को, जिसमें प्राधिकरण अथवा संस्था अवस्थित है, भी अग्रेषित किया जाएगा। नर्सिंग परिषद् अधिनियम की धारा 14, नर्सिंग परिषद् अधिनियम के अधीन गठित परिषद् को, नर्सिंग परिषद् अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रदान की गई मान्यता को वापस लेने की शक्ति प्रदान करती है। नर्सिंग परिषद् अधिनियम की धारा 16, परिषद् को विनियमों को बनाने की शक्ति देती है।

भारतीय नर्सिंग परिषद् ने नए नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए निर्धारित दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :-

“विज्ञान स्तानक पाठ्यक्रम आरंभ करने के दिशा निर्देश :-

- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय अथवा निजी या सार्वजनिक ट्रस्ट मिशन के अधीन कोई संगठन, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था एवं कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी, यदि नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय खोलना चाहते हैं तो उन्हें राज्य सरकार से अनापत्ति / अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।
- नर्सिंग महाविद्यालय आरंभ करने के लिए संस्था से प्रस्ताव की प्राप्ति होने पर, भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति देने के लिए, वास्तविक बुनियादी ढांचा, चिकित्सीय सुविधा तथा शिक्षण संकाय के संबंध में उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रथम निरीक्षण किया जाएगा।
- भारतीय नर्सिंग परिषद् से नर्सिंग पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त होने पर, संस्था द्वारा राज्य नर्सिंग परिषद् तथा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- राज्य नर्सिंग परिषद् तथा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही संस्था द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- पहले बैच के पाठ्यक्रम की समाप्ति होने तक भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण किया जाएगा। पहले बैच के पूर्ण होने तक वर्षवार अनुमति प्रदान की जाएगी।

क्षमताएं

चार वर्ष के विज्ञान स्नातक नर्सिंग पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर स्नातक निम्नलिखित कार्य करने में समर्थ होंगे:-

1. व्यक्तियों, परिवारों तथा समुदायों को परिचर्या देखरेख प्रदान करने में आपरिवर्ती प्रणालियों तथा परिचर्या सहित शारीरिक जैविक और व्यवहारात्मक विज्ञानों, चिकित्सा शास्त्र से ज्ञान को प्रयोग में लाना।
2. जीवन शैली तथा अन्य कारकों के ज्ञान का प्रदर्शन करना, जो व्यक्तियों तथा समूहों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

3. व्यक्तियों तथा समूहों के सहयोग से परिचर्या प्रणाली के उपायों पर आधारित परिचर्या देखरेख करना ।
4. गुणता देखरेख मुहैया करने के लिए सभी परिस्थितियों में निर्णय लेने में विवेचनात्मक चिन्तन क्षमता का प्रदर्शन करना ।
5. स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने में नवीनतम विचारधाराओं और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों तथा कार्यक्रमों के अनुरूप प्रोत्साहक, निवारक तथा पुष्टिकर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना ।
7. नैतिक आचार संहिता और व्यावसायिक आचरण के ढांचे के भीतर तथा विधिक सीमाओं के भीतर अभ्यास के स्वीकार्य मानकों के अनुसार कार्य करना ।
8. कारगर अंतर्व्यक्तिक संबंधों तथा टीम कार्य को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों तथा समूहों एवं स्वास्थ्य दल के सदस्यों के साथ प्रभावकारी तरीके से संपर्क करना ।
9. नैदानिक/सामुदायिक स्वास्थ्य विन्यासों में व्यक्ति और समूहों को शिक्षित करने में प्रवीणता का प्रदर्शन करना ।
10. स्वास्थ्य देखरेख प्रदान प्रणाली में स्वास्थ्य दल के सदस्य के रूप में प्रभावकारी तरीके से भाग लेना ।
11. नैदानिक/सामुदायिक स्वास्थ्य विन्यासों में नेतृत्व तथा प्रबंधकीय कुशलता का प्रदर्शन करना ।
12. विभिन्न विन्यासों में आवश्यकता आधारित अनुसंधान अध्ययन करना तथा देखरेख की गुणता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करना।
13. जागरुकता तथा दिलचस्पी का प्रदर्शन करना और स्वयं तथा व्यवसाय की उन्नति की दिशा में योगदान करना ।

भारतीय नर्सिंग परिषद् ने एक नए नर्सिंग महाविद्यालय के लिए आधारिक संचरनात्मक तथा अनुदेशात्मक सुविधाओं का निर्धारण करने हेतु विनियमों को भी प्रतिपादित किया है। इसने महाविद्यालय के लिए नैदानिक सुविधाओं का भी निर्धारण किया, जो कि निम्नानुसार है :-

- **नैदानिक सुविधाएं**

नर्सिंग महाविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40 विद्यार्थियों के वार्षिक प्रवेश के लिए 120-150 बिस्तरों वाला मूल/संबद्ध अस्पताल होना चाहिए ।

- विभिन्न विषयों में बिस्तरों का वितरण
- चिकित्सा - 30
- शल्यचिकित्सा - 30
- प्रसूतिविज्ञान तथा स्त्रीरोग विज्ञान-30
- बाल चिकित्सा-20
- अस्थि विज्ञान-10
- अस्पताल के न्यूनतम 75% बिस्तर भरे होने चाहिए ।

- संबद्धता के लिए अस्पताल/परिचर्या ग्रह का आकार 50 बिस्तरों से कम नहीं होना चाहिए ।
- नैदानिक अनुभव के लिए अपेक्षित अन्य विशेषज्ञताएं/सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
 - बड़ा ओ टी
 - छोटा ओ टी
 - दंत
 - आंख/कान नाक गला
 - बर्नस तथा प्लास्टिक
 - नर्सरी सहित निऑनटोलॉजी
 - संक्रामक रोग
 - सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या
 - हृदय रोग विज्ञान
 - आन्कॉलॉजी
 - तंत्रिका विज्ञान/तंत्रिका शल्य विज्ञान
 - वृक्क विज्ञान इत्यादि
 - आई सी यू/आई सी सी यू
- मनश्चिकित्सीय अस्पताल की संबद्धता के लिए न्यूनतम 30-50 बिस्तर होने चाहिए ।
- संबद्ध अस्पताल में परिचर्या स्टॉफ रखने के मानदंड भारतीय नर्स परिषद् मानदंडों के अनुसार होने चाहिए ।
- संबद्ध अस्पताल को नर्सिंग पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को विद्यार्थी का दर्जा देना चाहिए ।
- संबद्ध अस्पताल 15-30 कि.मी. के घेरे में होने चाहिए ।
- विद्यार्थी तथा रोगी के बीच 1:3 का अनुपात बनाकर रखा जाए ।

यदि संस्था में जी एन एम तथा विज्ञान स्नातन (एन) दोनों पाठ्यक्रम हैं, तो उसे विद्यार्थी और रोगी के बीच 1:3 का अनुपात बनाए रखने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 400 विद्यार्थियों के वार्षिक प्रवेश के लिए 240 बिस्तरों वाले मूल/संबद्ध अस्पताल की आवश्यकता होगी ।”

(बल दिया गया)

नर्सिंग परिषद् अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य अन्य के साथ-साथ सम्पूर्ण देश में नर्सिंग शिक्षा पद्धति के विकास की योजना बनाना व उसका समन्वय किए जाने की ध्यान में रखते हुए एक अखिल नर्सिंग परिषद् की स्थापना का प्रावधान करना है और ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार का संवर्द्धन करना तथा नर्सिंग शिक्षा पद्धति में प्रतिमानकों व मानकों को विनियमित करना और उन्हें समुचित रूप से बरककार करना है, जो कि केन्द्रीय सरकार के पूर्ण विधायी क्षेत्र के भीतर का विषय है जैसा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ-सूची की प्रवृष्टि 66 से स्पष्ट है । इस स्थिति में भारतीय नर्सिंग परिषद् निर्णायक प्राधिकरण है तथा उसे नए नर्सिंग विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना करने में प्राथमिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय नर्सिंग परिषद् सांविधि द्वारा सृजित है तथा राज्य सरकार को ऐसे

अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते, ताकि ऐसे क्षेत्र में भारतीय नर्सिंग परिषद् की शक्ति को अप्रभावी कर दिया जाए, जिसके लिए भारतीय नर्सिंग परिषद् के पास सांविधिक आदेश है तथा निष्पादन के लिए उसे लक्ष्य सौंपा गया है। उक्त दिशा निर्देशों का मात्र अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण प्रदान करने हेतु, उसका वास्तविक आधारभूत ढांचा, नैदानिक सुविधा तथा शिक्षण संकाय के संबंध में उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रथम निरीक्षण करने की राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को शक्ति प्रदान नहीं की गई है। पूर्वोक्त सुविधाओं के संबंध में उपयुक्तता का मूल्यांकन नर्सिंग परिषद् के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार अपने आप में यह दावा भी नहीं कर सकती कि नए नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना के लिए, बुनियादी ढांचा तथा अनुदेशात्मक सुविधाओं के मानदंडों को निर्धारित करने की शक्तियां उसके पास हैं। जैसा कि भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम में परिकल्पित है कि, केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन भारतीय नर्सिंग परिषद् को नर्सिंग अध्ययनों में बुनियादी ढांचा, अनुदेशात्मक तथा नैदानिक सुविधाओं तथा पाठ्यक्रम के विषय का निर्धारण करने के लिए शक्ति प्रदत्त की गई है।

मौजूदा मामले में, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार को भेजे गए प्रधान सचिव के दिनांक 27-11-2008 के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि तमिलनाडु राज्य में नए नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालयों को स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा, अनुदेशात्मक तथा नैदानिक सुविधाओं को निर्धारित करने की शक्तियां राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने अवैध रूप से स्वयं अपने हाथ में ले ली हैं। उक्त पत्र को उद्धृत करना यहां उपयोगी होगा :

सचिवालय
चैन्नई-600009

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग
पत्र सं. 36237/पीएमई/2008-2 दिनांक 27-11-2008

प्रेषक,
श्री वी के सुब्बाराज, भा.प्र.से.
सरकार के प्रधान सचिव,

सेवा में,
सचिव,
डॉ रहमान ट्रस्ट
22/10 जी पी स्ट्रीट,
पारंगी पेट्टई-608502
कडलूर जिला
महोदय,

विषय :- पराचिकित्सा शिक्षा-डॉ. रहमान ट्रस्ट पारंगीपेट्टई, कडलूर जिला पारंगीपेट्टई कडलूर जिला में 'मुन्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग' के नाम से एक नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए - अनुमति का अनुरोध किया गया - के संबंध में।

संदर्भ : 1. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को संबोधित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का दिनांक 10-9-2008 का सरकारी पत्र सं.36237/पी एम ई/2008-1 तथा प्रतिलिपि आपको प्रेषित की गई।

2. निदेशक, चिकित्सालय शिक्षा से दिनांक 6-11-2008 का पत्र सं. 11307/पी एम ई/1/2007

3. दिनांक 15-12-2008 को प्रस्तुत कमियों में किए गए सुधारों की रिपोर्ट ।

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट तथा अनुपालना रिपोर्टों का अवलोकन करने पर निम्नलिखित कमियों में अभी भी सुधार करना बाकी है :-

(i) प्रधानाचार्य तथा उप प्रधानाचार्य के तमिलनाडु नर्सिंग परिषद् पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं ।

(ii) प्राध्यापकों के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध नहीं हैं :-

(क) एस. वसन्ताकुमार - उनके पास 15 वर्ष का शिक्षण का अनुभव है, जिसमें से विज्ञान निष्णात (एन) के पश्चात् 3 वर्ष का शिक्षण का अनुभव है ।

(ख) आर . शेनशीर बेगम - तमिलनाडु नर्स परिषद् पंजीकरण प्रमाण पत्र

(ग) पी अबिरामी-वह 3/2006 में आयोजित विज्ञान निष्णात नर्सिंग परीक्षा में बैठी हैं । अतः उन्होंने विज्ञान निष्णात (एन) के पश्चात् तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव पूरा नहीं किया है।

(घ) शेरेन्स जी. एडविन-वह 9/2006 में आयोजित विज्ञान निष्णात नर्सिंग परीक्षा में बैठी है । अतः उन्होंने विज्ञान निष्णात नर्सिंग के पश्चात् तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव पूरा नहीं किया है ।

(ङ) पी. दिनेशकुमार-विज्ञान निष्णात नर्सिंग डिग्री के समापन प्रमाण पत्र की प्रति को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(iii) आपकी अनुपालना रिपोर्ट में आपने उल्लेख किया है कि प्रस्तावित नर्सिंग महाविद्यालय तथा चिदंबरम स्थित सहयोगी (टाई अप) अस्पतालों के बीच 21 किलोमीटर की दूरी है, जो कि भारतीय नर्स परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध है जिसमें कि 6 से 15 किलोमीटर के बीच दूरी की अनुमति है ।

(iv) क्रीडा स्थल, मनोरंजन कक्ष तथा श्रव्य और विडियो (दृश्य) कक्ष की उपलब्धता के संबंध में या तो निरीक्षण रिपोर्ट में या परियोजना के अलावा अनुपालना रिपोर्ट में ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त उल्लिखित कमियों को दूर करें तथा आपके ट्रस्ट में विज्ञान स्नातक नर्सिंग पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए, आपके अनुरोध पर विचार करने हेतु अनुपालना रिपोर्ट को समर्थक दस्तावेज सहित निदेशक, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से सरकार को तत्काल भेजें ।

15-12-2008 को प्रस्तुत कमियों में किए गए सुधारों की रिपोर्ट

भवदीय
कृते सरकार के प्रधान सचिव

प्रतिलिपि :

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, चैन्नई-10 (अनुरोध है कि ट्रस्ट से अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त करें तथा उसे अपनी विशिष्ट टिप्पणियों के साथ भेजें)।

तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव द्वारा सूचित कमियों में से एक कमी, प्रस्तावित नर्सिंग महाविद्यालय तथा चिदंबरम स्थित संबंधित अस्पतालों के बीच दूरी 21 किलोमीटर है, जो कि भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा प्रतिपादित विनियमों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 'संबद्ध अस्पताल 15-30 कि .मी.के घेरे में होने चाहिए।' अतः प्रधान सचिव द्वारा सूचित की गई पूर्वोल्लिखित कमी आधारहीन है।

जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है कि नए नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचे और अनुदेशात्मक अथवा नैदानिक सुविधाओं को निर्धारित करने का राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। इसके विपरीत भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा प्रतिपादित दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि कोई संगठन जो नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय खोलना चाहता है, को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। इन दिशा निर्देशों के अनुसार, नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए संस्था से प्रस्ताव की प्राप्ति होने पर राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति देने के लिए वास्तविक आधारभूत ढांचा, नैदानिक सुविधाओं तथा शिक्षण संकायों के संबंध में उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु पहले निरीक्षण किया जाएगा। आगे यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय नर्सिंग परिषद् से नर्सिंग पाठ्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति होने के पश्चात् संस्था द्वारा राज्य नर्सिंग परिषद् तथा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। संस्था, राज्य नर्सिंग परिषद् तथा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश देगी। इस प्रकार राज्य सरकार की भूमिका नए नर्सिंग विद्यालयों/ महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने तक सीमित है। मौजूदा मामले में, तमिलनाडु सरकार को भेजे गए प्रधान सचिव के दिनांक 27-11-2008 के पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना से किसी कानून और व्यवस्था की समस्या के उत्पन्न होने की संभावना है। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि राज्य सरकार को प्रस्तावित नर्सिंग महाविद्यालय की अवस्थिति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न तो अस्वीकार किया है और न ही उसकी अनुमति दी है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव के पूर्वोल्लिखित पत्र के प्राप्त होने के पश्चात्, याचिकाकर्ता ने उसमें उल्लिखित कमियों में किए गए सुधारों के बारे में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया था। इसके पश्चात् याचिकाकर्ता ने दिनांक 15-12-2008 तथा 11-5-2009 के पत्रों के तहत राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पुनः अनुरोध किया था।

पूर्वोक्त परिस्थितियों से साफ तौर पर पता चलता है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिन की अवधि के भीतर न तो स्वीकृति प्रदान की गई और न ही उसे अस्वीकार किया गया है। परिणामस्वरूप, यह मान लिया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने, नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के अधीन याचिकाकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है। धारा 10 की उप धारा (4) में यह व्यवस्था की गई है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अथवा जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया मान लिया गया है तो आवेदक संबंधित प्रावधानों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना शुरू करने और आगे कार्यवाही करने का हकदार होगा।

पूर्ववर्ती कारणों से आयोग ने निर्णय दिया है कि यह मान लिया गया है कि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने पारंगीपेट्टई, चिदंबरम, कडलूर जिला, तमिलनाडु में मुन्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से प्रस्तावित नर्सिंग महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए, अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है। अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते, हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद् को आवेदन करने का हकदार है। तदनुसार अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के निबंधनों के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

2007 का मामला संख्या 506

क्लूनी महिला महाविद्यालय, कलिम्पोंग, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल को अल्पसंख्यक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रदान करने के विरुद्ध अपील

याचिकाकर्ता : कुल सचिव, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, डाकघर राममोहनपुर, जिला- दार्जिलिंग, प. बंगाल

प्रतिवादी : 1. क्लूनी महिला महाविद्यालय, कैलवरी रोड, 8वां मील, कलिम्पोंग, जिला दार्जिलिंग, प. बंगाल
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002

प्रतिवादी क्लूनी महाविद्यालय, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, प. बंगाल को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के इस आयोग के आदेश से व्यथित होकर, आवेदक विश्वविद्यालय ने उक्त प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए वर्तमान प्रार्थना पत्र दायर किया है। यह आरोप लगाया गया है कि सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसफ ऑफ क्लूनी ने तात्विक तथ्यों को छिपाकर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। आवेदक के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना दिनांक 21-7-1998 के सरकारी आदेश सं. 672/1(1) शिक्षा (सी एस) के तहत की गई थी और इस प्रकार इसे एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में नहीं माना जा सकता।

उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी महाविद्यालय के अलावा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए गए थे। राज्य की ओर से दायर उत्तर में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी महाविद्यालय का दर्जा अभी भी राज्य सरकार के अधिनियमों अर्थात् पश्चिम बंगाल महाविद्यालय अध्यापक (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 1975, पश्चिम बंगाल महाविद्यालय (व्यय पर नियंत्रण) अधिनियम 1976, पश्चिम बंगाल महाविद्यालय (वेतन का भुगतान), अधिनियम 1978 तथा पश्चिम बंगाल महाविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 1978 के अधीन राज्य से सहायता प्राप्त अन्य किसी गैर सरकार महाविद्यालय की तरह ही है। उत्तर में यह आशंका भी अंतर्निहित है कि यदि उक्त महाविद्यालय को एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था माना जाता है तो यह पश्चिम बंगाल महाविद्यालय (वेतन का भुगतान) अधिनियम 1978 के अधीन प्रदान किए जा रहे लाभों का हकदार नहीं होगा तथा उक्त अधिनियम के प्रयोज्य न होने के कारण सरकार की वेतन तथा अन्य सेवा लाभों का भुगतान करने की किसी भी तरह की बाध्यता नहीं होगी, जैसा कि अभी तक उक्त महाविद्यालय के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ द्वारा इसका लाभ प्राप्त किया जा रहा है।

आवेदक विश्वविद्यालय की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी महाविद्यालय की संस्थापक निकाय अर्थात् सोसायटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसफ ऑफ क्लूनी को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, इस आयोग के समक्ष आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आयोग को आवेदन करने के लिए, महाविद्यालय की वर्तमान शासी निकाय ही एकमात्र सक्षम निकाय है। आगे यह भी आरोप लगाया है कि उक्त महाविद्यालय को प्रदान किया गया अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इसे आयोग से तात्विक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था।

महाविद्यालय की ओर से दायर पुनरुत्तर में, यह अभिकथित है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का प्राधिकार केवल महाविद्यालय की संस्थापक निकाय के पास है तथा इस संबंध में आयोग के समक्ष आवेदन करने का महाविद्यालय की शासी निकाय को कोई अधिकार नहीं था। यह भी अभिकथित है कि महाविद्यालय एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है तथा प्रतिवादी विश्वविद्यालय की ओर से दायर प्रार्थना पत्र, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 12 ग के अधीन, प्रमाण पत्र के रद्द करने के लिए अपेक्षित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है।

अभिलेख से यह जानकारी मिली है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी महाविद्यालय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों को विधिवत् नोटिस भेजे गए थे। नोटिसों को तामिल करवाने के बावजूद, उनकी तरफ से कोई भी हाजिर नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मामले पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। आयोग ने, प्रतिवादी महाविद्यालय की ओर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर, यह निर्णय देते हुए कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय, अधिनियम की धारा 2 (छ) के अर्थ के भीतर एक शैक्षणिक संस्था है, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान किया। अधिनियम की धारा 12 (ग), उसमें उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, किसी प्राधिकारी या आयोग द्वारा प्रदान किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र को रद्द करने की आयोग को शक्ति प्रदान करती है। धारा 12 (ग) को दोहराना उपयोगी होगा, जो कि निम्नानुसार है :-

“12 ग. रद्द करने की शक्ति :- आयोग, किसी ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को, जिसे यथास्थिति, किसी प्राधिकारी या आयोग द्वारा अल्पसंख्यक प्रास्थिति प्रदान की गई है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन ऐसी प्रास्थिति को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) यदि शैक्षणिक संस्था ने संरचना, लक्ष्यों और उद्देश्यों को, जिन्होंने उसे अल्पसंख्यक प्रास्थिति अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाया है, बाद में इस रूप में संशोधित किया गया है कि वे अब उस रूप में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के प्रयोजन या विशेषता को प्रदर्शित नहीं करते हैं :
- (ख) यदि निरीक्षण या अन्वेषण के दौरान अभिलेखों के सत्यापन पर यह पाया जाता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान नियमों और प्रवेश को शासित करने वाली विहित प्रतिशतता के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को संस्था में प्रवेश देने में असफल रही है।”

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि आवेदक विश्वविद्यालय ने अधिनियम की धारा, 12 (ग) के अधीन उल्लिखित शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन के कारण प्रतिवादी महाविद्यालय को प्रदान किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग नहीं की है। आवेदक विश्वविद्यालय ने उक्त प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग इस आधार पर की है कि इसे तात्त्विक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया है अर्थात् याचिकाकर्ता संस्था को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।

इस परिस्थिति में, हम यह उल्लेख भी करना चाहेंगे कि प्रतिवादी महाविद्यालय को प्रदान किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है, यदि यह दर्शाया जाता है कि अल्पसंख्यक दर्जा को प्रदत्त करने के आदेश को पारित करते समय प्रतिवादी महाविद्यालय ने किसी तात्त्विक तथ्यों को छिपाया था अथवा परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं जो पिछले आदेश को रद्द किए जाने को न्यायसंगत सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार विचारार्थ प्रश्न उठता है कि क्या प्रतिवादी महाविद्यालय को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित किया गया था ? यह उल्लेख करने की

आवश्यकता है कि दर्शाने के लिए कोई अभिवचन या प्रमाण नहीं है कि प्रतिवादी महाविद्यालय को पश्चिम बंगाल विधान मंडल द्वारा पारित विधान मंडल के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था । इसके विपरीत, प्रतिवादी विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार, प्रतिवादी महाविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 21-7-1998 के आदेश पर निर्भर रहे हैं । उक्त आदेश इस प्रकार है :-

“एस शाखा
विकास भवन, साल्ललेक सिटी
कलकत्ता-91

सं.672-शिक्षा(सी एस) दिनांक: कलकत्ता 21 जुलाई, 1998
4 सी - 9/97

प्रेषक :

श्री आर .के .चक्रवर्ती,
पश्चिम बंगाल सरकार के उप सचिव

सेवा में,

लोक शिक्षण निदेशक, पश्चिम बंगाल

विषय : महिलाओं के लिए नए डिग्री कॉलेज, अर्थात् क्लूनी कॉलेज, डाकघर कलिम्पोंग, जिला दार्जिलिंग की स्थापना ।

अधोहस्ताक्षरी को राज्यपाल के आदेश से यह कहने का निदेश हुआ है कि महिलाओं के लिए एक नए डिग्री महाविद्यालय अर्थात् क्लूनी कॉलेज, डॉ.कलिम्पोंग, जिला दार्जिलिंग को शैक्षणिक स्तर 1988-89 से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन स्थापित करने के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है :-

1. संगठकों को महाविद्यालय प्राधिकरण के पक्ष में, सभी विल्लंगमों से रहित, रजिस्ट्रीकृत विलेख के रूप में जमीन मुहैया करने की आवश्यकता होगी ।
2. संगठकों को महाविद्यालय के प्रयोजन के लिए, स्वयं अपने खर्च पर कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान, अधिकारी के कमरे, शिक्षकों के कमरे, प्रधानाचार्य का कक्ष तथा आवश्यक फर्नीचर, उपस्कर, पुस्तकें आदि मुहैया करने की आवश्यकता होगी ।
3. स्थाई इमारत का निर्माण करने में देरी की स्थिति में, संगठकों को अस्थाई इमारत, जिसमें कम से कम पांच कमरे हों, के निर्माण की आवश्यकता होगी ।
4. पेयजल की आपूर्ति के लिए तथा विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए पृथक शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी ।
5. महाविद्यालय को उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
6. महाविद्यालय को संबद्ध विश्वविद्यालय के परिनियम में निर्धारित तरीके के अनुसार संचालित किया जायेगा ।
7. शासी निकाय के विशेष गठन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

8. संबद्धता के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जाए ।
2. महाविद्यालयों को इस समय पांच विषयों अर्थात् नेपाली, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल तथा कार्यालय प्रबंधन और सचिवालयिक पद्धति के साथ बी.ए. (पास) में संबद्धता प्रदान की जा सकती है ।
3. राज्यपाल द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान, पदों को भरने की तारीख (तरीखों) से सामान्य वेतनमान में निम्नलिखित पदों के सृजन की भी मंजूरी प्रदान की जाती है ।

शिक्षण स्टाफ

प्रधानाचार्य	-	1 (एक)
प्राध्यापक	-	5 (पांच) नेपाली, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल तथा कार्यालय प्रबंधन और सचिवालयिक पद्धति, प्रत्येक में एक ।

गैर शिक्षण स्टाफ

1. लेखाकार	-	1 (एक)
2. लिपिक	-	1 (एक)
3. टंकक	-	1 (एक)
4. चपरासी	-	1 (एक)

शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति पश्चिम बंगाल महाविद्यालय सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर की जाएगी तथा गैर शिक्षण स्टाफ की भर्ती सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों और संबद्धक विश्वविद्यालय के परिनियम के उपबंधों के पालन के अध्याधीन की जानी चाहिए । लेखाकार तथा रोकड़िया के पदों के लिए नियुक्ति किए जाने वाले अभ्यर्थी कम से कम वाणिज्य स्नातक डिग्रीधारक होने चाहिए ।

4. महाविद्यालय के स्टाफ के वेतन के लिए अनुदान के भुगतान के कारण प्रभार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के बजट में वेतन के लिए "2002-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा-104-गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता-राज्य योजना (वार्षिक तथा 9वीं योजना)-04-मौजूदा महाविद्यालयों में अध्ययन के विविध पाठ्यक्रमों सहित नए डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना-31-सहायता अनुदान" शीर्ष के अधीन प्रावधान से पूरा किया जाएगा ।
5. महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल (वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 द्वारा शासित होगा ।
6. यह आदेश वित्त विभाग के दिनांक 10.7.98 के यू.ओ. संख्या समूह "ख" 667 के तहत उनकी सहमति से जारी किया गया है ।
7. सभी संबंधितों को सूचित किया जा रहा है ।

उप सचिव
दिनांक : कलकता 21 जुलाई, 1998

सं. 672/1(1)-शिक्षा(सीएस)

कुल सचिव, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, राजाराम मोहनपुर, सिलीगुडी, जिला दार्जिलिंग को सूचना के लिए प्रति अग्रेषित। यह स्नातक पूर्व अध्ययन परिषद, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से प्राप्त दिनांक 26-2-1998 के पत्र सं. 68-यूजी/98 के संदर्भ में है।

उप सचिव

दिनांक : कलकता 21 जुलाई, 1998

सं. 672/2(15)-शिक्षा(सी एस)

निम्नलिखित को सूचना के लिए प्रति अग्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (ए एंड ई), पश्चिम बंगाल
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, पश्चिम बंगाल
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)2, पश्चिम बंगाल
4. वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग, (समूह 'एन')
5. इस सरकार का वित्त (समूह 'घ') विभाग
6. इस सरकार का वित्त (बजट) विभाग
7. जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग
8. ए.डी.पी.आई. (एन सी सी) पश्चिम बंगाल
9. ए.डी.पी.आई. (पी पी एस) पश्चिम बंगाल
10. ए.डी.पी.आई. (यू जी सी) पश्चिम बंगाल
11. सोसायटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसफ एंड क्लूनी, मार्फत् प्रधानाध्यापिका, सेंट फिलोमिना बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग
12. सचिव, पश्चिम बंगाल महाविद्यालय सेवा आयोग, 6 भवानी दत्त लेन, कलकत्ता-73
13. इस विभाग की बजट शाखा
14. मानिटरन कक्ष
15. गार्ड फाइल

उप सचिव”

उक्त आदेश के भाव से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय के संस्थापकों अर्थात् सोसायटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसफ ऑफ क्लूनी ने क्लूनी कॉलेज डा. कलिम्पोंग, जिला दार्जिलिंग के नाम से महिलाओं के लिए एक नए महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अपेक्षित अनुमति प्रदान की गई थी :-

1. संगठकों को महाविद्यालय प्राधिकरण के पक्ष में, सभी विल्लंगमों से रहित, रजिस्ट्रीकृत विलेख के रूप में जमीन मुहैया करने की आवश्यकता होगी।

2. संगठकों को महाविद्यालय के प्रयोजन के लिए, स्वयं अपने खर्च पर कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान, अधिकारी के कमरे, शिक्षकों के कमरे, प्रधानाचार्य का कक्ष तथा आवश्यक फर्नीचर, उपस्कर, पुस्तकें आदि मुहैया करने की आवश्यकता होगी ।
3. स्थाई इमारत का निर्माण करने में देरी की स्थिति में, संगठकों को अस्थाई इमारत, जिसमें कम से कम पांच कमरे हों, के निर्माण की आवश्यकता होगी ।
4. पेयजल की आपूर्ति के लिए तथा विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए पृथक शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी ।
5. महाविद्यालय को उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
6. महाविद्यालय को संबद्ध विश्वविद्यालय के परिनियम में निर्धारित तरीके के अनुसार संचालित किया जायेगा ।
7. शासी निकाय के विशेष गठन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

पूर्वोक्त आदेश से स्पष्ट रूप से यह परिणाम निकलता है कि सभी आधारभूत ढांचा सुविधाएं तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं प्रतिवादी महाविद्यालय की संस्थापक निकाय द्वारा मुहैया की जानी थी तथा इसके शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के वेतन के संवितरण के लिए सहायता अनुदान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुहैया की जानी थी । उक्त आदेश का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय इसाई समुदाय का एक सहायताप्राप्त महाविद्यालय है । इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से दाखिल उत्तर हमारे पूर्वोक्त निष्कर्ष का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है । टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम् कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस सी सी 481 तथा पी ए इनामदार बनाम् महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एस सी 537 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि राज्य से सहायता प्राप्त करने मात्र से अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रत्याभूत अधिकार समाप्त नहीं होते हैं । कोई संस्था अपना अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा उसी क्षण नहीं खो देती जब उसने सहायता संस्था अनुदान प्राप्त किया है । इस प्रकार एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यक समूह से जुड़े विद्यार्थियों को प्रवेश देने की पात्र तो होगी ही परन्तु साथ-साथ उससे यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह एक उचित सीमा तक गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश दे ताकि अनुच्छेद 30(1) के अधीन अधिकारों की पर्याप्त रूप से हानि न हो और यह भी कि अनुच्छेद 29(2) के अधीन नागरिकों के अधिकार का अतिलंघन न हो ।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पश्चिम बंगाल महाविद्यालय शिक्षक (सेवा की सुरक्षा) 1975 की धारा 2(4) में सरकारी महाविद्यालय को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“सरकारी महाविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित तथा संचालित महाविद्यालय अभिप्रेत हैं”

यह राज्य सरकार का मामला नहीं है कि प्रतिवादी महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित तथा संचालित किया जा रहा है । इसके विपरीत राज्य सरकार की ओर से दाखिल उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि “अभी भी महाविद्यालय का दर्जा राज्य सरकार के अधिनियमों के पश्चिम बंगाल महाविद्यालय शिक्षक (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 1975” के अधीन राज्य से सहायता प्राप्त अन्य किसी गैर सरकारी महाविद्यालय की तरह है । (उत्तर के पैरा 3 के उप पैरा `घ` को देखें) इस प्रकार, प्रतिवादी महाविद्यालय को एक सरकारी महाविद्यालय के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता । यह परिस्थिति, प्रतिवादी महाविद्यालय को प्रदान किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र को रद्द करने

के संबंध में आवेदक विश्वविद्यालयके मामले को स्पष्ट रूप से निष्प्रभावी कर देती है। परिणामस्वरूप हम यह पाते और निर्णय देते हैं कि प्रतिवादी महाविद्यालय ने उसे अल्पसंख्यक प्रास्थिति प्रदत्त करने के आदेश को पारित किए जाते समय आयोग के समक्ष किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाया नहीं था।

पूर्ववर्ती कारणों से, आवेदक विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

2008 का मामला संख्या 239

सहायता अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. डॉ. अब्दुल तवाब अंसारी शिक्षा एवं कल्याण सोसायटी, फिरदौस नगर, वाडजय रोड, धुले (महाराष्ट्र राज्य), अपने अध्यक्ष डॉ. मसूद अहमद अब्दुल तवाब अंसारी के माध्यम से।

हबीबी उर्दू प्राथमिक विद्यालय, वाडजे रोड, धुले (महाराष्ट्र राज्य) अपने प्रधान अध्यापक के माध्यम से।

- प्रतिवादी :**
1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई
 2. प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा एवं खेलकूद विभाग, मंत्रालय, मुंबई
 3. शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, सेन्ट्रल बिल्डिंग, पुणे
 4. शिक्षा उप निदेशक, नासिक क्षेत्र, नासिक (महाराष्ट्र राज्य)
 5. शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), जिला परिषद्, धुले (महाराष्ट्र राज्य)
 6. प्रशासन अधिकारी, धुले कारपोरेशन स्कूल बोर्ड, धुले (महाराष्ट्र)

याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक तथा वर्तमान वर्ष 2007-08 के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की है।

डॉ. अब्दुल तवाब अंसारी शिक्षा एवं कल्याण सोसायटी, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसायटी है। यह सोसायटी रजिस्ट्ररीकरण अधिनियम 1869 तथा मुंबई लोक न्यास अधिनियम, 1950 के अधीन पंजीकृत है। हबीबी उर्दू प्राथमिक विद्यालय उपर्युक्त सोसायटी द्वारा स्थापित तथा संचालित किया जा रहा है। धुले जिला मूल्यांकन समिति द्वारा इस आधार पर सहायता-अनुदान जारी करने से इंकार किया गया कि सोसायटी ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था तथा वह विद्यालय आरक्षण नियमों का अनुपालन करने में भी विफल रहा है। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 12-11-2007 को राज्य सरकार से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार उसे नियुक्ति, विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति से छूट प्राप्त है।

प्रतिवादी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि धुले जिला मूल्यांकन समिति ने सहायता-अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उसने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था। यह आरोप भी लगाया गया है कि याचिकाकर्ता संस्था, विद्यालयों में नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने में भी विफल रही है।

अब यह विवादरहित है कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता संस्था को एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में प्रमाणित किया है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन सांविधिक संरक्षण का दावा करने की हकदार है। इस स्थिति में, केवल एक मुद्दा जो विचार विमर्श के लिए बचता है वह यह कि क्या नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित राज्य सरकार की आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था पर लागू किया जा सकता है? यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन स्थापित एक शैक्षणिक संस्था में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पी.ए. ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य(2005(6)एससीसी 537) मामले में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित संप्रेक्षणों का संदर्भ लिया जा सकता है :

“प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों को केवल सीमित सीमा तक ही प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं। और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं।”

यह उल्लेख करना भी संगत है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में आरक्षण की नीति से भी छूट दी गई है इस संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद (5) का संदर्भ लिया जाए, जो कि निम्नानुसार है :-

“(5) जहां तक अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश का संबंध है, इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 19 के खण्ड(1) के उप खण्ड(छ) में कुछ भी नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विधि द्वारा कोई भी विशेष प्रावधान करने से राज्य को नहीं रोकेगा।”

अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद(5) के अनुसार एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को प्रवेश में आरक्षण की नीति से छूट प्राप्त है। इस प्रकार सहायता-अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्रों को जिन दो आधारों के कारण अस्वीकृत किया गया था वे विधिक रूप से आधारणीय हैं। इसके विपरीत, आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य था कि सहायता अनुदान को जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने में प्रतिवादियों के विवादित आदेश, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों को निदेश दिया गया कि वे उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सहायता अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र पर पुनर्विचार करते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(ख) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करें।

2006 का मामला संख्या 44

यवतमाल में विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. शहीद अब्दुल हमीद अल्पसंख्यक महिला शिक्षण प्रसारक मंडल, पोसाद, ता. पोसाद, जिला-यवतमाल(महाराष्ट्र राज्य)

- प्रतिवादी :**
1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई
 2. सचिव, शिक्षा विभाग(माध्यमिक), महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय मुम्बई
 3. उप निदेशक, शिक्षा विभाग(माध्यमिक), अमरावती प्रभाग, अमरावती (महाराष्ट्र राज्य)
 4. शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), जिला परिषद, यवतमाल, (महाराष्ट्र राज्य)

इस मामले में दिनांक 1.5.2007 को पारित आदेश द्वारा आयोग ने, रिट याचिका सं. 8736/2005 में मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के निबंधनों के अनुसार गैर- अनुदान आधार पर याचिकाकर्ता विद्यालय को मान्यता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से सिफारिश की है, जिसमें यह स्पष्टीकरण अंतर्निहित है कि स्थायी गैर- अनुदान आधार पर विद्यालय को मान्यता प्रदान करने को गैर-अनुदान आधार पर मान्यता प्रदान करने के रूप में पढ़ा और समझा जाए। यह आदेश जिला शिक्षा, अधिकारी, यवतमाल(महाराष्ट्र राज्य) की सहमति से जारी किया था। आदेश की प्रति को, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 11(ख) के निबंधनों के अनुसार, आयोग की उपर्युक्त सिफारिश को लागू करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था। चूंकि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोग के उपर्युक्त आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अतः याचिकाकर्ता ने आदेश के कार्यान्वयन के लिए दोबारा आवेदन किया है। आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई न करना, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि सुपर स्टार शिक्षा सोसायटी बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य 2008 ए आई आर एससीडब्ल्यू 2052 मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए निर्णय में, यह कहा गया है कि नए गैर-सरकारी विद्यालयों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने से पहले, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है :-

1. यह सुनिश्चित करना कि उनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं हैं।
2. शैक्षणिक संस्थाओं में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा रोकना।
3. शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक प्राइवेट संस्थाओं को ऐसे प्रतिबंधों और विनियामक अपेक्षाओं के अधीन लाना जिससे शिक्षा का स्तर बरकरार रखा जा सके।
4. विद्यार्थियों, अध्यापकों और शिक्षा के हितों को संवर्द्धित और उनकी रक्षा करना; और
5. समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब व कमजोर वर्गों को मूल शिक्षा मुहैया कराना; और
6. कतिपय क्षेत्रों में स्कूलों का संकेन्द्रण रोकना और यह सुनिश्चित करना कि उनका समान रूप से विस्तार हो ताकि वे विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों की तथा समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

अतः आयोग ने दोहराया कि सुपर स्टार शिक्षा सोसायटी बनाम महाराष्ट्र राज्य(ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखने के पश्चात् दिनांक 1.2.2007 के आदेशों के तहत आयोग की सिफारिश को, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(ख) के निबंधनों के अनुसार उपर्युक्त आदेशों के लिए राज्य सरकार को भेजा जाए।

2008 का मामला संख्या 243

सहायता-अनुदान के दावे को अस्वीकृत करने के विरुद्ध अपील

याचिकाकर्ता : 1. मुस्लिम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, एस न. 438 अल्हेरा कॉलोनी, गरीब नवाज़ नगर, धुले ।
इसके अध्यक्ष के माध्यम से

2. अल्हेरा उर्दू प्राथमिक विद्यालयएस न. 438 अल्हेरा कॉलोनी, गरीब नवाज़ नगर, धुले ।
इसके प्रधान अध्यापक के माध्यम से

प्रतिवादी : 1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई
2. प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा एवं खेलकूद विभाग, मंत्रालय, मुम्बई
3. शिक्षा निदेशक(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, सेन्ट्रल बिल्डिंग पुणे
4. शिक्षा उप निदेशक, निशिक क्षेत्र, नाशिक
5. शिक्षा अधिकारी(प्राथमिक), जिला परिषद्, धुले
6. प्रशासन अधिकारी, धुले कार्पोरेशन स्कूल बोर्ड, धुले ।

इस याचिका में प्रशासन अधिकारी धुले कार्पोरेशन स्कूल बोर्ड के दिनांक 29.5.2006 तथा 2.7.2007 के आदेशों और शैक्षणिक वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए सहायता-अनुदान हेतु याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकृत करने वाले धुले जिला मूल्यांकन समिति के दिनांक 19.8.2007 के आदेश को चुनौती दी गई है । यह आरोप लगाया गया है कि पूर्वोक्त शैक्षणिक वर्षों के लिए सहायता-अनुदान हेतु याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकृत करने की प्रतिवादी की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करती है ।

प्रतिवादी उप शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद्, धुले ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि याचिकाकर्ता संस्था ने सहायता-अनुदान के लिए उसके मामले के मूल्यांकन के समय अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था । यह आरोप भी लगाया गया है कि याचिकाकर्ता, महाविद्यालय में रोजगार तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में, राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करने में भी विफल रहा है । प्रतिवादी संख्या 6 ने उत्तर में उल्लेख किया है कि उसने सहायता-अनुदान की अस्वीकृति के बारे में, याचिकाकर्ता को धुले जिला मूल्यांकन समिति का निर्णय सूचित कर दिया था और इस प्रकार वह वर्तमान कार्यवाही में एक आवश्यक पक्षकार नहीं है ।

पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों के आधार पर विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैं :-

(क) क्या याचिकाकर्ता संस्था संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है ?

(ख) क्या रोजगार तथा विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित राज्य सरकार की आरक्षण नीति को एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था पर लागू किया जा सकता है ?

अब यह विवाद रहित है कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता संस्था को एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में प्रमाणित कर दिया है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन सांविधिक संरक्षण का दावा करने की हकदार है । वाद-विषय संख्या 2 के संबंध में, यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1)के अधीन स्थापित

एक शैक्षणिक संस्था में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पी.ए. ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005(6)एससीसी 537) मामले में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित संप्रेक्षणों का संदर्भ लिया जा सकता है :

“प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों को केवल सीमित सीमा तक ही प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं। और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं।”

यह उल्लेख करना भी संगत है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में आरक्षण की नीति से भी छूट दी गई है इस संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद (5) का संदर्भ लिया जाए, जो कि निम्नानुसार है :-

“(5) जहां तक अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश का संबंध है, इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 19 के खण्ड(1) के उप खण्ड(छ) में कुछ भी नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विधि द्वारा कोई भी विशेष प्रावधान करने से राज्य को नहीं रोकेगा।”

अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद(5) के अनुसार एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को प्रवेश में आरक्षण की नीति से छूट प्राप्त है। इस प्रकार सहायता-अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्रों को जिन दो आधारों के कारण अस्वीकृत किया गया था वे विधिक रूप से अधारणीय हैं। इसके विपरीत, आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य था कि सहायता अनुदान को जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने में प्रतिवादियों के विवादित आदेश, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों को निदेश दिया गया कि वे उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सहायता अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र पर पुनर्विचार करते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(ख) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करें।

2008 का मामला संख्या 241

सहायता अनुदान के लिए अनुरोध

- याचिकाकर्ता :**
1. अलशबाब शैक्षिक सोसायटी, आजाद नगर, धुले-424001
उसके अध्यक्ष श्री शकील अहमद मोहम्मद ईसा के माध्यम से।
 2. अलशबाब उर्दू प्राथमिक विद्यालय, आजाद नगर, धुले-424001
उसके प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री हाविद इकबाद अब्दुल हलीम के माध्यम से।

- प्रतिवादी** :
1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई
 2. प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा एवं खेलकूद विभाग, मंत्रालय, मुम्बई
 3. शिक्षा निदेशक(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, सेन्ट्रल बिल्डिंग पुणे
 4. शिक्षा उप निदेशक, नाशिक क्षेत्र, नाशिक
 5. शिक्षा अधिकारी(प्राथमिक), जिला परिषद्, धुले
 6. प्रशासन अधिकारी, धुले कार्पोरेशन स्कूल बोर्ड, धुले ।

याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2005-06, 2007-08 तक तथा वर्तमान वर्ष 2007-08 के लिए सहायता-अनुदान जारी करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की है ।

अलशबाब शैक्षिक सोसायटी, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसायटी है । यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1869 तथा मुम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950 के अधीन ही पंजीकृत है । धुले जिला मूल्यांकन समिति द्वारा इस आधार पर सहायता अनुदान जारी करने से इंकार किया गया कि सोसायटी ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था तथा वह विद्यालय आरक्षण नियमों का अनुपालन करने में भी विफल रहा है । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.11.2007 को राज्य सरकार से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार उसे नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति से छूट प्राप्त है ।

प्रतिवादी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि धुले जिला मूल्यांकन समिति ने सहायता अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उसने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था । यह आरोप भी लगाया है कि याचिकाकर्ता संस्था विद्यालयों में नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने में भी विफल रही है ।

अब यह विवादरहित है कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता संस्था को एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में प्रमाणित किया है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन सांविधिक संरक्षण का दावा करने की हकदार है । इस स्थिति में, केवल एक मुद्दा जो विचार विमर्श के लिए बचता है वह यह कि क्या नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित राज्य सरकार की आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था पर लागू किया जा सकता है? यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन स्थापित एक शैक्षणिक संस्था में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू नहीं किया जा सकता । इस संबंध में पी.ए. ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005(6)एससीसी 537) मामले में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित संप्रेक्षणों का संदर्भ लिया जा सकता है :

“प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों को केवल सीमित सीमा तक ही प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं। और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं ।”

यह उल्लेख करना भी संगत है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में आरक्षण की नीति से भी छूट दी गई है इस संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद (5) का संदर्भ लिया जाए, जो कि निम्नानुसार है :-

“(5) जहां तक अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश का संबंध है, इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 19 के खण्ड(1) के उप खण्ड(छ) में कुछ भी नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विधि द्वारा कोई भी विशेष प्रावधान करने से राज्य को नहीं रोकेगा।”

अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद(5) के अनुसार एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को प्रवेश में आरक्षण की नीति से छूट प्राप्त है। इस प्रकार सहायता-अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्रों को जिन दो आधारों के कारण अस्वीकृत किया गया था वे विधिक रूप से अधारणीय हैं। इसके विपरीत, आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य था कि सहायता अनुदान को जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने में प्रतिवादियों के विवादित आदेश, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों को निदेश दिया गया कि वे उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सहायता अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र पर पुनर्विचार करते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(ख) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करें।

2008 का मामला संख्या 244

सहायता अनुदार जारी करने के लिए अनुरोध

- याचिकाकर्ता :**
1. स्टूडेंट्स वेल्फेयर एण्ड एडुकेशनल सोसायटी, फिरदौस नगर, धुले (महाराष्ट्र राज्य)। उसके सचिव, श्री अंसारी मोहम्मद अप्फान मोहम्मद उस्मान के माध्यम से।
 2. हाजी मोहम्मद उस्मान मराठी प्राथमिक विद्यालय, फिरदौस नगर, धुले-424001 (महाराष्ट्र राज्य)। उसके प्रधान अध्यापक श्री शाह मौहम्मद इकबाल अब्दुल वहाब के माध्यम से
- प्रतिवादी :**
1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई (महाराष्ट्र राज्य)
 2. प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा एवं खेलकूद विभाग, मंत्रालय, मुम्बई (महाराष्ट्र राज्य)
 3. शिक्षा निदेशक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, सेन्ट्रल बिल्डिंग पुणे (महाराष्ट्र राज्य)
 4. शिक्षा उप निदेशक, नाशिक क्षेत्र, नाशिक (महाराष्ट्र राज्य)
 5. शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), जिला परिषद्, धुले (महाराष्ट्र राज्य)
 6. प्रशासन अधिकारी, धुले कार्पोरेशन स्कूल बोर्ड, धुले (महाराष्ट्र राज्य)।

याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2005-06, 2007-08 तक तथा वर्तमान वर्ष 2007-08 के लिए सहायता-अनुदान जारी करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की है।

स्टूडेंट्स वेलफेयर एण्ड एडुकेशनल सोसायटी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसायटी है। यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1869 तथा मुम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950 के अधीन ही पंजीकृत है। हाजी मौहम्मद उस्मान मराठी प्राथमिक विद्यालय उपर्युक्त सोसायटी द्वारा स्थापित किया गया है। धुले जिला मूल्यांकन समिति द्वारा इस आधार पर सहायता अनुदान जारी करने से इंकार किया गया कि सोसायटी ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था तथा वह विद्यालय आरक्षण नियमों का अनुपालन करने में भी विफल रहा है। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.11.2007 को राज्य सरकार से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार उसे नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति से छूट प्राप्त है।

प्रतिवादी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि धुले जिला मूल्यांकन समिति ने सहायता अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उसने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था। यह आरोप भी लगाया है कि याचिकाकर्ता संस्था विद्यालयों में नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने में भी विफल रही है।

अब यह विवादरहित है कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता संस्था को एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में प्रमाणित किया है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन सांविधिक संरक्षण का दावा करने की हकदार है। इस स्थिति में, केवल एक मुद्दा जो विचार विमर्श के लिए बचता है वह यह कि क्या नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित राज्य सरकार की आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था पर लागू किया जा सकता है? यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन स्थापित एक शैक्षणिक संस्था में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पी.ए.ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005(6)एससीसी 537) मामले में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित संप्रेक्षणों का संदर्भ लिया जा सकता है :

“प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों को, दोनो केवल सीमित सीमा तक ही, प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं। और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं।”

यह उल्लेख करना भी संगत है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में आरक्षण की नीति से भी छूट दी गई है इस संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद (5) का संदर्भ लिया जाए, जो कि निम्नानुसार है :-

“(5) जहां तक अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश का संबंध है, इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 19 के खण्ड(1) के उप खण्ड(छ) में कुछ भी नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विधि द्वारा कोई भी विशेष प्रावधान करने से राज्य को नहीं रोकेगा।”

अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद(5) के अनुसार एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को प्रवेश में आरक्षण की नीति से छूट प्राप्त है। इस प्रकार सहायता-अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्रों को जिन दो आधारों के कारण अस्वीकृत किया गया था वे विधिक रूप से अधारणीय हैं। इसके विपरीत, आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य था कि सहायता अनुदान को जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने में प्रतिवादियों के विवादित आदेश, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों को निदेश दिया गया कि वे उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सहायता अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र पर पुनर्विचार करते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(ख) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करें।

2008 का मामला संख्या 242

सहायता अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. तंजीमी सेंटर, इस्लामपुरा, धुले(महाराष्ट्र राज्य) उसके अध्यक्ष श्री मौहम्मद इकबाल मौहम्मद इलियास के माध्यम से।

2. हाजी बदलू सरदार उर्दू प्राथमिक विद्यालय, इस्लामपुरा, देवपुर, धुले (महाराष्ट्र राज्य), उसकी प्रधान अध्यापिका सुश्री जुलेखा हामिदि इकबाल मुस्तफा के माध्यम से।

प्रतिवादी : 1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई(महाराष्ट्र राज्य)

2. प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा एवं खेलकूद विभाग, मंत्रालय, मुम्बई(महाराष्ट्र राज्य)

3. शिक्षा निदेशक(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, सेन्ट्रल बिल्डिंग पुणे(महाराष्ट्र राज्य)

4. शिक्षा उप निदेशक, नाशिक क्षेत्र, नाशिक(महाराष्ट्र राज्य)

5. शिक्षा अधिकारी(प्राथमिक), जिला परिषद, धुले(महाराष्ट्र राज्य)

6. प्रशासन अधिकारी, धुले कार्पोरेशन स्कूल बोर्ड, धुले (महाराष्ट्र राज्य)।

याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2005-06,2007-08 तक तथा वर्तमान वर्ष 2007-08 के लिए सहायता-अनुदान जारी करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की है।

तंजीमी सेंटर, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसायटी है। यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1869 तथा मुम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950 के अधीन पंजीकृत है। हाजी बदलू सरदार उर्दू प्राथमिक विद्यालय उपर्युक्त सोसायटी द्वारा स्थापित किया गया है। धुले जिला मूल्यांकन समिति द्वारा इस आधार पर सहायता अनुदान जारी करने से इंकार किया गया कि सोसायटी ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था तथा वह विद्यालय आरक्षण नियमों का अनुपालन करने में भी विफल रहा है। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.11.2007 को राज्य सरकार से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार उसे नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति से छूट प्राप्त है।

प्रतिवादी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि धुले जिला मूल्यांकन समिति ने सहायता अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उसने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था। यह आरोप भी लगाया है कि याचिकाकर्ता संस्था विद्यालयों में नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने में भी विफल रही है।

अब यह विवादरहित है कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता संस्था को एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में प्रमाणित किया है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन सांविधिक संरक्षण का दावा करने की हकदार है। इस स्थिति में, केवल एक मुद्दा जो विचार विमर्श के लिए बचता है वह यह कि क्या नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित राज्य सरकार की आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था पर लागू किया जा सकता है? यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन स्थापित एक शैक्षणिक संस्था में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पी.ए.ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005(6)एससीसी 537) मामले में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित संप्रेक्षणों का संदर्भ लिया जा सकता है :

“प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों को, दोनो केवल सीमित सीमा तक ही, प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं। और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं।”

यह उल्लेख करना भी संगत है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में आरक्षण की नीति से भी छूट दी गई है इस संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद (5) का संदर्भ लिया जाए, जो कि निम्नानुसार है :-

“(5) जहां तक अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश का संबंध है, इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 19 के खण्ड(1) के उप खण्ड(छ) में कुछ भी नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विधि द्वारा कोई भी विशेष प्रावधान करने से राज्य को नहीं रोकेगा।”

अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद(5) के अनुसार एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को प्रवेश में आरक्षण की नीति से छूट प्राप्त है। इस प्रकार सहायता-अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्रों को जिन दो आधारों के कारण अस्वीकृत किया गया था वे विधिक रूप से अधारणीय हैं। इसके विपरीत, आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य था कि सहायता अनुदान को जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने में प्रतिवादियों के विवादित आदेश, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों को निदेश दिया गया कि वे उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सहायता अनुदान जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र पर पुनर्विचार करते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(ख) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करें।

2008 का मामला संख्या 1530

जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए, अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. सेंट ऑगस्टिन एडुकेशनल सोसायटी, फ्लैट सं.119, डी-4 ब्लॉक, शांति शिखर अपार्टमेंट्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद । उसके अध्यक्ष डी.सैमुअल द्वारा प्रस्तुत

प्रतिवादी : 1. आंध्र प्रदेश सरकार, उसके प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, सचिवालय, हैदराबाद द्वारा अभिवेदन किया गया ।

2. चिकित्सा शिक्षा निदेशक तथा संजोयक/अध्यक्ष उच्चाधिकार समिति, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, कार्यालय, कमरा सं.103, सुलतान बाजार, कोटी, हैदराबाद ।

3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद ।

4. कुल सचिव, एन.टी. आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश ।

5. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 ।

याचिकाकर्ता ने इनोले गांव, पाटनचेरु मंडल, जिला मेडक में टी आर आर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के लिए निदेश मांगा है । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता सोसायटी, सेंट ऑगस्टिन एडुकेशनल सोसायटी, सोमाजीगुडा हैदराबाद, ईसाई समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसायटी है । सोसायटी ने एक ही परिसर में अपनी सभी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए इनोले गांव, पाटनचेरी मंडल, जिला मेडक में 123 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है । याचिकाकर्ता, उस परिसर में दो इंजिनियरिंग महाविद्यालय, एक दंत महाविद्यालय तथा एक शिक्षा स्नातक महाविद्यालय पहले ही स्थापित कर चुका है । दिनांक 30.8.2004 को, याचिकाकर्ता सोसायटी ने, इनोले गांव, पाटनचेरी मंडल, जिला मेडक में टी आर आर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए, अनुमति प्रदान करने हेतु सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । याचिकाकर्ता सोसायटी ने उपर्युक्त चिकित्सा महाविद्यालय के लिए, अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया था । राज्य सरकार ने अगस्त, 2004 के अंत से पहले अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाणपत्र न मिलने के कारण 3.5 लाख के ड्राफ्ट के साथ याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र/दस्तावेजों को लौटा दिया । इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 9.3.2005 के जी. ओ. एम.एस. सं.58 के तहत गैर सरकारी क्षेत्र में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए, प्रार्थनापत्रों का मूल्यांकन तथा राज्य सरकार को संस्तुति करने हेतु एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया । याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को उक्त उच्चाधिकार समिति को अग्रेषित कर दिया गया था । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता के पास प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना के लिए सभी आधारभूत ढांचा तथा अनुदेशनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन राज्य सरकार ने प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए अभी तक अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को लौटा दिया था क्योंकि यह अनिवार्यता प्रमाणपत्र, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की संस्वीकृति, 350 बिस्तरों वाला अस्पताल का प्रमाण तथा समयबद्ध कार्य योजना कार्यक्रम द्वारा समर्थित नहीं था । यह भी उल्लेख किया गया है कि

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 20117/2006 दाखिल करके आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से संपर्क भी किया है तथा वह अभी भी लंबित है। आंध्र प्रदेश राज्य ने इस आधार पर याचिका का प्रतिरोध किया है कि याचिकाकर्ता ने अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आरम्भ में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में रिट याचिका 18588/2005 दाखिल की थी लेकिन उसे जरूरी न होने के कारण खारिज कर दिया गया था। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अन्य रिट याचिका 26130/2005 दाखिल की है तथा वह अभी तक लंबित है। इन तथ्यों को याचिकाकर्ता द्वारा छिपाया गया है।

चूँकि इसमें उठाया गया मुद्दा, रिट याचिका संख्या 26130/2005 के तहत, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है, अतः आयोग के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। तदनुसार याचिका का निपटारा किया गया।

2008 का मामला संख्या 926

याचिकाकर्ता : 1. एच.एस. फखरुद्दीन शाह विद्यालय, भिण्ड, मध्य प्रदेश।

प्रतिवादी : 1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल।

याचिकाकर्ता ने अपनी मान्यता, जो 1999 में प्रदान की गई थी, को बहाल करने के लिए राज्य सरकार के लिए निदेश की मांग की है। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता विद्यालय को अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है तथा इस विद्यालय में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों का 95% भाग मुस्लिम समुदाय से है। विद्यालय को लगभग 20 वर्ष पहले स्थापित किया गया था तथा इसे वर्ष 1999 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा पाई गई कतिपय कमियों के कारण वर्ष 2006 में विद्यालय की मान्यता वापस ले ली गई। हालांकि विद्यालय ने सभी कमियों को दूर कर लिया है, लेकिन इसकी मान्यता को पुनः बहाल नहीं किया गया है। इसलिए यह याचिका दाखिल की गई है।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि वर्ष 2005 में आयोजित विद्यालय परीक्षा के दौरान, विद्यालय के विद्यार्थी सामूहिक रूप से नकल करते हुए पकड़े गए थे। भिण्ड के जिला अधिकारी ने भी वर्ष 2005-06 के लिए मान्यता जारी रखने की संस्तुति नहीं की। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर कतिपय कमियां पाई गई थीं और इस प्रकार उन्होंने इसकी मान्यता जारी रखने की संस्तुति नहीं की। इसके पश्चात् श्री एस.डी. धारपुरे, सहायक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल ने भी विद्यालय का निरीक्षण किया तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया :-

- क. भवन का निर्मित क्षेत्र पर्याप्त नहीं था।
- ख. स्टाफ रुम की अनुपलब्धता
- ग. पुस्तकालय की अनुपलब्धता
- घ. संगठन के पास अपेक्षित जमीन नहीं है।
- ङ. प्रयोगशाला तथा उपकरणों की अनुपलब्धता
- च. लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की अनुपलब्धता
- छ. पेय जल सुविधाओं की अनुपलब्धता
- ज. खेलकूद के मैदानों की अनुपलब्धता

यह भी आरोप लगाया गया है कि विद्यालय कच्चे शैड के तरह की इमारत में स्थित है और इस प्रकार उसकी मान्यता को जारी रखने की संस्तुति नहीं की गई थी। यह आरोप भी लगाया गया है कि नियमानुसार, संस्था को मान्यता के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन करना होता है। शैक्षणिक संस्था का निरीक्षण, जिला अधिकारी की अध्यक्षता के अधीन समिति द्वारा किया जाता है तथा समिति की सिफारिशें प्रभागीय कार्यालय में 31-1-2009 तक प्राप्त होनी चाहिए। समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन करने के पश्चात् जिन संस्थाओं को नियमानुसार पात्र पाया जाता है उन्हें एक विशेष शिक्षा वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। तात्कालिक मामले में याचिकाकर्ता ने, संबंधित नियमों के अनुसार विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए भी आवेदन तक भी नहीं किया है। आगे यह अभिकथित है कि यदि याचिकाकर्ता विद्यालय सभी कमियों को दूर कर लेता है तो मान्यता प्रदान करने के लिए उसके मामले पर संबंधित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ता विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने शपथ पत्र में प्रतिवादी के दावों का खंडन किया है तथा यह उल्लेख किया है कि विद्यालय के पास पर्याप्त जगह है तथा उसके पास सभी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जबकि इसके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल के सचिव ने दोहराया है कि याचिकाकर्ता विद्यालय ने पहले सूचित की गई कमियों को दूर नहीं किया है और इस प्रकार उसकी मान्यता को बहाल नहीं किया जा सकता।

यहाँ अवधारण के लिए पहला बिन्दु यह है कि क्या याचिकाकर्ता विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है? याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता विद्यालय की स्थापना मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा की गई है। यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता विद्यालय ने न तो राज्य सरकार से और न ही इस आयोग से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इस स्थिति में, यह निर्णय नहीं दिया जा सकता कि याचिकाकर्ता संस्था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ में एक अल्पसंख्यक संस्था है। चूंकि याचिकाकर्ता विद्यालय एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नहीं है, अतः यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम के उपबंधों का अवलंब नहीं ले सकता और इस प्रकार याचिका को केवल इसी आधार पर भी खारिज किया जा सकता है।

यदि तर्क-वितर्क की दृष्टि से यह मान भी लिया जाता है कि याचिकाकर्ता संस्था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ में एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है तो अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या याचिकाकर्ता विद्यालय को मान्यता प्रदान न करने की राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी की आक्षेपित कार्यवाही, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों को उल्लंघन करती है। यह विवाद से परे है कि विद्यालय का निरीक्षण करने पर, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कुछ कमियां पाई गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मान्यता समाप्त की गई थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने निवेदन किया है कि सभी कमियों को अब दूर किया जा चुका है लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल के सचिव द्वारा इस पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है। आयोग के पास उक्त प्राधिकारी के वक्तव्य से असहमत होने का कोई ठोस कारण नहीं था। सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा दाखिल उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट में सूचित की गई कमियों को दूर करने के पश्चात्, मान्यता प्रदान करने लिए याचिकाकर्ता के मामले पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। आयोग शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक नियमों को शिथिल नहीं कर सकता। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2005 में विद्यालय परीक्षा के दौरान विद्यालय के विद्यार्थी सामूहिक नकल करते हुए पकड़े गए थे। इस वक्तव्य का विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा खंडन नहीं किया गया है। आयोग की राय में, याचिकाकर्ता विद्यालय की मान्यता को समाप्त करने के लिए, यह एक मात्र आधार ही पर्याप्त है।

पूर्वोक्त कारणों से, याचिका को खारिज कर दिया गया।

2009 का मामला संख्या 1695

मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों के प्रवेश का अनुमोदन

याचिकाकर्ता : 1. मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सर सैयद नगर (रहमत नगर करुला) मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

प्रतिवादी : 1. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
2. कुलसचिव, बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
3. कुलसचिव, एम.जे.पी.रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

याचिकाकर्ता महाविद्यालय ने वर्तमान शिक्षा स्नातक शैक्षणिक वर्ष में रिक्त सीटों के प्रति 10 मुस्लिम छात्रों के प्रवेश को मंजूरी देने के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय के लिए निदेश मांगा है। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने के कारण, यह मुस्लिम समुदाय, जो कि एक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय है, के सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए हकदार है। याचिकाकर्ता के अनुसार, महाविद्यालय के पास 100 सीटों पर प्रवेश देने की संस्वीकृति है। पचास प्रतिशत सीटें समान प्रवेश परीक्षा द्वारा भरी जानी थी, लेकिन काउंसिलिंग के दो दौरों में केवल 40 सीटें ही भरी जा सकीं, क्योंकि 10 विद्यार्थी उपस्थित नहीं हुए। 20-8-2009 को याचिकाकर्ता महाविद्यालय ने उपर्युक्त रिक्त सीटों को भरने के लिए, मुस्लिम छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति मांगते हुए, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को एक पत्र लिखा। कुलसचिव द्वारा इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः याचिकाकर्ता महाविद्यालय के प्रबंधन ने समान प्रवेश परीक्षा में तैयार की गई सूची में से मुस्लिम समुदाय से संबंधित 10 सफल अभ्यर्थियों का चयन किया तथा उन्हें प्रवेश दिया, लेकिन प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया। यह आरोप लगाया गया है कि 10 विद्यार्थियों के प्रवेश को मंजूरी न देने की प्रतिवादी विश्वविद्यालय की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने याचिका का इस आधार पर विरोध किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय, योग्यता सूची की उपेक्षा करते हुए खुली प्रतियोगिता से विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दे सकता। उपर्युक्त तर्क के समर्थन में पी.ए.ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एस सी सी 537 मामले में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निर्णय तथा टपलेस एडूकेशनल सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) (3) ई एस सी 1521 मामले में इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय का सुदृढ़ आधार लिया गया है। विकल्पतः यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों को डॉ. बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था।

विचारार्थ बिन्दु यह है कि : क्या मुस्लिम समुदाय से संबंधित 10 विद्यार्थियों के प्रवेश की मंजूरी, जैसा कि प्रतिवादी महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा मांगी गई है, प्रदान न करने की प्रतिवादी विश्वविद्यालय की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। पी.ए.ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एस सी सी 537 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि प्रवेशों को विनियमित करने वाली एकल खिड़की प्रणाली अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार को किसी भी प्रकार से आघात नहीं पहुंचाती तथा यह चुनाव ऐसे चुने गए छात्रों की परस्पर योग्यता के क्रम को बदले बिना समान प्रवेश में तैयार सफल अभ्यर्थियों की सूची में से किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार शब्दों में यह अनुरोध किया है कि महाविद्यालय में जिन 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था, उन्हें समान प्रवेश परीक्षा में तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से चुना गया था और खुली प्रतियोगिता से नहीं, जैसा कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा निवेदन किया गया है। यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि श्री मोहम्मद असलम शम्सी ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि इन विद्यार्थियों को समान प्रवेश परीक्षा में तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से चुना गया था। उन्होंने अपने शपथ पत्र के समर्थन में सभी संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं। प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि इन छात्रों को डॉ.बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था और इस प्रकार उनके प्रवेशों को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, प्रतिवादी के कुलसचिव ने विवक्षित रूप से स्वीकार किया है कि इन 10 विद्यार्थियों को खुली प्रतियोगिता से नहीं चुना गया था और उनके नामों को समान प्रवेश परीक्षा में तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया गया था। अब यहां एक दिलचस्प प्रश्न विचारार्थ उठता है कि, : क्या प्रतिवादी विश्वविद्यालय मात्र इस आधार पर उपर्युक्त विद्यार्थियों के प्रवेशों को अविधिमान्य बना सकता है कि उन्हें डॉ.बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था। टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन तथा पी.ए.ईनामदार (ऊपर) मामले में उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए निर्णय, विधि की प्रतिपादनाओं के लिए प्राधिकार है कि एक अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्था को उस समुदाय, जिसने इसकी स्थापना की है, से अपनी पसंद के विद्यार्थियों को प्रवेश देने का उन्मुक्त अधिकार प्राप्त है तथा व्यावसायिक महाविद्यालय के मामले में, समान प्रवेश परीक्षा में तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का चयन करके ऐसी पसंद का प्रयोग किया जा सकता है। टपलेस एड्यूकेशनल सोसायटी तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य, 2007 की रिट याचिका सं.34114, मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने भी पूर्वोल्लिखित निर्णयों में, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का अनुसरण किया है। पी.ए.ईनामदार (ऊपर) मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा कहीं भी यह टिप्पणी नहीं की गई है कि एक अल्पसंख्यक व्यावसायिक महाविद्यालय में प्रवेश दिए जाने वाले विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित होने चाहिए। इस स्थिति में, प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए विरोध ने उसके मामले को निष्प्रभावी बना दिया है। परिणामस्वरूप, आयोग द्वारा निर्णय दिया गया कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिए गए मुस्लिम समुदाय के उपर्युक्त विद्यार्थियों को समान प्रवेश परीक्षा में तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से चुना गया था। अब यह सुस्थापित है कि एक अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन उनके अपने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र है, यदि वे ऐसा करना पसंद करते हैं। (टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस सी सी 481 का पैरा सं. 145 देखें)। परिणामस्वरूप, आयोग द्वारा निर्णय दिया गया कि इन दस मुस्लिम विद्यार्थियों के प्रवेशों को मंजूरी न देने की प्रतिवादी विश्वविद्यालय का आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है।

पूर्वोल्लिखित कारणों से, आयोग द्वारा प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कुलपति को संस्तुति की गई कि वह याचिकाकर्ता महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिए गए 10 मुस्लिम विद्यार्थियों, जिन्हें समान प्रवेश परीक्षा में तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से चुना गया है, के प्रवेशों को मंजूरी देकर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11 (ख) के निबंधनों के अनुसार आयोग के उपर्युक्त निष्कर्षों को लागू करें।

2009 का मामला संख्या 463

शिक्षकों तथा चपरासी का चयन और नियुक्ति

याचिकाकर्ता : 1. अशर्फिया इंटर कॉलेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

- प्रतिवादी** : 1. जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
2. संयुक्त निदेशक, शिक्षा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

इस याचिका में, दो शिक्षकों तथा एक चपरासी के चयन तथा नियुक्ति का अनुमोदन न करने के संयुक्त निदेशक (शिक्षा) आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के दिनांक 26-2-2010 के आदेश को चुनौती दी गई है। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने के कारण, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता की न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार अपने शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ का चयन और नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। याचिकाकर्ता के अनुसार, संयुक्त निदेशक (शिक्षा) का आक्षेपित आदेश, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

संयुक्त निदेशक (शिक्षा) ने इस आधार पर याचिका का प्रतिरोध किया कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिक्षकों तथा चपरासी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन विनियमों के विनियम संख्या 17 (संक्षेप में विनियमों) के साथ पठित उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 16 चच के उपबंधों के प्रतिकूल थी, क्योंकि प्रश्नगत पदों को, संस्था के प्रबंधन द्वारा, राज्य में पर्याप्त रूप से प्रसार वाले अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में विज्ञापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, शिक्षकों तथा चपरासी की नियुक्ति विनियमों के विनियम संख्या 17 (क) का स्पष्ट रूप से अतिलंघन करती है और इस कारण से इसे विधिक रूप से अनुमोदन नहीं दिया गया।

पक्षकारों के परस्पर विरोधी दावों को ध्यान में रखते हुए, अवधारण के लिए प्रश्न उठता है कि : क्या आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के विरोध में है। यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय के एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने के कारण वह अपने शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के चयन और नियुक्ति के लिए हकदार है। उक्त अधिकार पर विधि का उल्लेख अधिनियम की धारा 16 चच में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन शामिल एक शैक्षणिक संस्था के शिक्षण स्टाफ के चयन और नियुक्ति के लिए कार्य विधि का निर्धारण विनियमों में किया गया है। विनियमों के विनियम 17 (क) में अपेक्षित है कि सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान तथा शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए पदों के बारे में राज्य में पर्याप्त रूप से प्रसार वाले कम से कम एक हिंदी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में संस्था के प्रबंधक द्वारा विज्ञापन दिया जाएगा। विनियम 17(क) निम्नानुसार है :-

“17. धारा 16 चच में निर्दिष्ट, किसी मान्यताप्राप्त संस्था में, सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान और शिक्षकों की रिक्ति को भरने के लिए कार्य विधि निम्नानुसार होगी:-

(क) सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का प्रबंधन द्वारा अवधारण कर लेने के पश्चात् पदों के स्वरूप (अर्थात् क्या अस्थाई/स्थाई हैं) और रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रधानाचार्य अथवा प्रधान अध्यापक, प्राध्यापक अथवा एल.टी., सी.टी. अथवा जे.टी.सी/बी.टी. सी. ग्रेड शिक्षक तथा विषय अथवा विषयों जिसमें प्राध्यापक अथवा शिक्षक की आवश्यकता है), वेतनमान अथवा वेतन तथा अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम अर्हता तथा पद के लिए निर्धारित आयु, यदि कोई है तथा तारीख का निर्धारण करते हुए, जब तक प्रबंधक द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जो कि साधारणतः विज्ञापन की तारीख से दो सप्ताह से कम नहीं होनी चाहिए, **के बारे में ब्यौरा देते हुए संस्था के प्रबंधक द्वारा राज्य में पर्याप्त रूप से प्रसार वाले कम से कम एक हिंदी और एक अंग्रेजी के समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाएगा।** साथ-साथ विज्ञापन की एक प्रति संबंधित निरीक्षक को भेजी जाएगी।

टिप्पणियां - विज्ञापन के समय शिक्षकों तथा संस्था के प्रधान के पदों की मौजूद सभी रिक्तियों का विज्ञापन दिया जाएगा ।”

(बल दिया गया)

मौजूदा मामले में, यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रश्नगत पदों के बारे में किसी अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन नहीं दिया गया था । स्पष्टतः याचिकाकर्ता महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा विनियमों के विनियम 17(क) का उल्लंघन किया गया है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, याचिकाकर्ता महाविद्यालय के शिक्षकों तथा चपरासी के चयन तथा नियुक्ति का संयुक्त निदेशक (शिक्षा) द्वारा अनुमोदन न देना पूर्णतः न्यायोचित था।

पूर्वलिखित कारणों से आयोग द्वारा निर्णय दिया गया कि संयुक्त निदेशक का दिनांक 26-2-2010 का आक्षेपित आदेश किसी विधिक शैथिल्यता से ग्रस्त नहीं है । तदनुसार याचिका को खारिज कर दिया गया ।

2007 का मामला संख्या 128

मूर्थूजाविया ओरिएंटल हायर सैकेण्डरी स्कूल ट्रिप्लीकेन, चैन्नई के लिए शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ हेतु अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. मूर्थूजाविया एडूकेशनल एंड कल्चरल फाउंडेशन ऑफ साउथ इंडिया ट्रिप्लीकेन, चैन्नई, तमिलनाडु
प्रतिवादी : 1. सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चैन्नई, तमिलनाडु-09

2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, विद्यालय शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, चैन्नई, तमिलनाडु-15

याचिकाकर्ता, मूर्थूजाविया ओरिएंटल हायर सैकेण्डरी स्कूल, ट्रिप्लीकेन, चैन्नई के अध्यक्ष ने याचिकाकर्ता विद्यालय के लिए पर्याप्त स्टाफ मुहैया करने हेतु राज्य सरकार के प्राधिकारियों को निदेश देने के लिए आयोग से अनुरोध किया है । (पिछली याचिका में याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु की विभिन्न अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा तथा विशेषतः याचिकाकर्ता विद्यालय द्वारा सामना की जा रही विभिन्न कठिनाईयों का वर्णन किया है । बाद में उसने याचिकाकर्ता विद्यालय को पर्याप्त स्टाफ मुहैया करने के इंकार के मुद्दों तक सीमित रहते हुए, एक संशोधित याचिका दाखिल की है ।) यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्टाफ निर्धारण आदेश में विद्यालय के स्टाफ घटक का गलत ढंग से निर्धारण किया गया है तथा तदनुसार सरकार चाहती है कि विद्यालय द्वारा स्टाफ के कुछ सदस्यों की सेवाएं समाप्त की जाएं । यह आरोप भी लगाया गया है कि मूर्थूजाविया ओरिएंटल हायर सैकेण्डरी स्कूल, उर्दू माध्यम का एक मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यालय है । यह चैन्नई शहर में एकमात्र ओरिएंटल विद्यालय है, जिसमें अरबी उसकी प्रथम भाषा है तथा शिक्षा का माध्यम उर्दू है । यह सरकार से सहायताप्राप्त एक उच्च विद्यालय है । चूंकि यह मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है, अतः इसमें इस्लामी कानून के अनुसार लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक अनुभाग हैं । विद्यालय के स्टाफ मानक दिनांक 14-2-1961 के.जी.ओ. संख्या 341 द्वारा शासित थे, जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात को 1:10 के रूप में नियत किया गया था । इसके पश्चात् सरकार ने दिनांक 29-12-1997 को अन्य जी ओ संख्या 525 जारी किया है, जिसमें शिक्षण स्टाफ के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं । जब कि जी.ओ. संख्या 341 मूलतः भाषाई अल्पसंख्यकों को सहारा प्रदान करने के लिए था, बाद के जी.ओ. संख्या 525 ने पिछले जी.ओ. संख्या 341 का स्थान नहीं लिया है ।

विद्यालय में इस्लामी नियमों के अनुसार लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक अनुभाग हैं, जिसके लिए मुख्य सरकारी काजी से प्राप्त प्रमाण पत्र को स्टाफ निर्धारण प्रस्ताव के साथ सरकार को प्रस्तुत किया गया था । यदि विद्यालय द्वारा लड़कों तथा लड़कियों के अनुभागों को एक साथ मिला दिया जाता है तो यह मुस्लिम समुदाय के लिए अस्वीकार्य

होगा तथा प्रतिवाद को बढ़ावा देगा एवं अभिभावक विद्यार्थियों को विद्यालय जाने से रोक देंगे । अतः विद्यालय ने लड़कों तथा लड़कियों को भिन्न अनुभागों में अनिवार्य रूप से अलग-अलग कर रखा है ।

याचिकाकर्ता के अनुसार, कक्षा VI, VII तथा VIII के लिए स्टाफ की संख्या निम्नलिखित तालिका के अनुसार होनी चाहिए :-

कक्षा	संख्या		योग	अनुभाग	पात्र संख्या	माध्यमिक ग्रेड शिक्षक
	लड़के	लड़कियां				
VI	35	31	66	2	40 तक	एक पद
					60+के लिए	2 पद
VII	30	35	65	2	40 तक	1 पद
					60+के लिए	2 पद
VIII	29	25	54	2	40 तक	1 पद
					भिन्न अनुभाग में 60+के निकट	2 पद

प्रतिवादी ने उत्तर में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता विद्यालय, एक मान्यताप्राप्त विद्यालय है जो वर्ष 1955 से कक्षा 6 से 10 तक के लिए नियुक्त स्टाफ के वेतन के भुगतान के लिए तमिलनाडु सरकार से 100% स्टाफ अनुदान प्राप्त कर रहा है । यह विद्यालय एक अल्पसंख्यक विद्यालय है जो कि अरबी भाषा के साथ-साथ उर्दू माध्यम के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहा है । याचिकाकर्ता विद्यालय के लिए शिक्षा विभाग के जी.ओ. संख्या 525 में अनुबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2008-09 में स्टाफ का निर्धारण किया गया था।

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी, चैन्नई पूर्व द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर सूचित किया कि याचिकाकर्ता विद्यालय चौकीदार के एक पद के लिए पात्र है तथा उस पद पर पहले ही एक चौकीदार कार्य रहा है तथा वेतन प्राप्त कर रहा है । शिक्षण स्टाफ के लिए विद्यालय में संस्कृत विषय नहीं है लेकिन उसने दावा किया है कि यह 4 उर्दू मुंशी/संस्कृत पदों के लिए पात्र है । अरबी मुंशी के 4 पदों में से, 3 व्यक्ति अरबी मुंशी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा वेतन प्राप्त कर रहे हैं । चौथे पद के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभी तक अनुमोदन नहीं दिया गया है । प्रतिवादी ने यह भी सूचित किया है कि याचिकाकर्ता के पास 2 बी टी, 2 भाषा तथा एक माध्यमिक ग्रेड के बेशी पद हैं । जी.ओ. संख्या 525 के अनुसार विद्यालय के छात्रों की संख्या को ध्यान में रखा गया है तथा तदनुसार स्टाफ की संख्या का निर्धारण किया गया है । बेशी स्टाफ को जरूरतमंद विद्यालयों में तैनात किया जाएगा ।

याचिकाकर्ता ने प्रतिशपथ पत्र में दोहराया है कि याचिकाकर्ता विद्यालय का एक विशेष विद्यालय के रूप में ध्यान रखा जाए क्योंकि चैन्नई में यह एकमात्र ओरिएंटल विद्यालय है जो अरबी पढ़ाता है तथा शिक्षा का माध्यम उर्दू है । विद्यालय को पर्दा प्रणाली का अनुपालन करने के लिए इस्लामी कानून के अनुसार लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग अनुभाग मुहैया करना अनिवार्य है । विद्यालय के स्टाफ मानक का निर्धारण पहले सरकार द्वारा दिनांक 14-2-1961 के जी.ओ. संख्या 341 के अनुसार किया गया था, जो कि भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों से संबंधित था । वर्ष 2006-07 में याचिकाकर्ता विद्यालय को 6 माध्यमिक ग्रेड सहायकों, 4 बी टी सहायकों तथा 1 प्रधानाध्यापिका के पद स्वीकृत किए गए थे तथा स्टाफ की वह संख्या इस समय भी कार्य कर रही है । वर्ष 2007-08 में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्टाफ निर्धारण आदेश जारी करके स्टाफ की संख्या को परिशोधित किया है तथा एक बी टी पद वापस ले

लिया है और उत्तरवर्ती आदेशों में याचिकाकर्ता विद्यालय में माध्यमिक ग्रेड शिक्षकों के 3 पद कम कर दिए हैं। यह अध्यापक पिछले वर्षों के अपने विधि सम्मत वेतन को प्राप्त किए बिना निरंतर कार्य कर रहे हैं। अतः उसने आयोग से अनुरोध किया है कि वह स्टाफ की संख्या, जिसे पहले निर्धारित किया गया था, को पुनः स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दे। उन्होंने वाटरमैन के एक पद के लिए भी अनुरोध किया है।

इस मामले का निपटान करने के लिए, जी.ओ. संख्या 341 तथा जी.ओ. संख्या 525 का अवलोकन करना आवश्यक है। दिनांक 14-2-1961 का जी.ओ. 341 भाषाई अल्पसंख्यकों तथा उनकी शैक्षणिक सुविधाओं के लिए संरक्षण प्रदान करने हेतु तत्कालीन मद्रास सरकार के शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया था। इस आदेश में, भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को मातृ भाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु न्यूनतम प्रति कक्षा 10 छात्र अथवा कुल मिलाकर एक विद्यालय के लिए 30 छात्रों का पात्रता मानदंड शामिल किया गया था। इस आदेश के द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विद्यालयों में पृथक अनुभागों को खोलने के लिए किसी भी प्रबंधन को आमंत्रित करने की भी जिला शिक्षा अधिकारी को शक्ति प्रदान की गई थी, बशर्ते कि वहां प्रति कक्षा दस छात्रों की न्यूनतम संख्या अथवा विद्यालय के लिए 30 छात्रों की कुल संख्या उपलब्ध है। ऐसे विद्यालयों में प्रादेशिक भाषा के शिक्षण के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तथा इस प्रयोजन के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा अनुदान मुहैया किए जाने थे।

जी ओ संख्या 525 को दिनांक 29-12-1997 को तमिलनाडु सरकार के विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था। जी.ओ. संख्या 525 के अनुसार निर्धारित किए गए स्टाफ नियतन मानक निम्नानुसार हैं :-

1. प्रारंभिक विद्यालय (कक्षा I से V तक)

- (क) 1:40 के शिक्षक छात्र अनुपात का पालन किया जाएगा। 80 की संख्या तक न्यूनतम 2 माध्यमिक ग्रेड शिक्षकों की संस्वीकृति प्रदान की जाएगी। नए विद्यालयों के संबंध में, पहला पद, पहले वर्ष में तथा दूसरा पद दूसरे वर्ष में सृजित किया जाएगा। दो पदों में से एक पद प्रधानाध्यापक के ग्रेड में होगा।
- (ख) 40 छात्रों की प्रत्येक अतिरिक्त संख्या के लिए, माध्यमिक ग्रेड शिक्षक का एक पद संस्वीकृत किया जाएगा अर्थात् 100 की संख्या पर तीसरा पद, 140 की संख्या पर चौथा पद, 180 पर पांचवां पद इत्यादि।
- (ग) कक्षा के द्विभाजन के संबंध में, जब संख्या 60 से अधिक हो जाती है तब आगे 40 के स्लैब में अतिरिक्त अनुभाग सृजित किए जाएंगे।

2. मिडिल स्कूल (कक्षा VII से VIII तक)

- (क) शिक्षक-छात्र के बीच 1:40 के अनुपात का पालन किया जाएगा। प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सुझाए गए मानकों का पालन किया जाएगा। पदों में से एक पद मिडिल स्कूल प्रधानाध्यापक के ग्रेड में होगा।
- (ख) जब एक मिडिल स्कूल का हाई स्कूल के रूप में उन्नयन कर दिया जाता है तो मिडिल स्कूल प्रधानाध्यापक के पद को हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के पद में संपरिवर्तित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक विद्यालयों के संबंध में विद्यमान आदेशों के अनुसार प्रधानाध्यापक का एक पद संस्वीकृत किया जाएगा।

3. हाई स्कूल (कक्षा IX से X तक)

- (क) शिक्षक छात्र के बीच 1:40 के अनुपात का पालन किया जाएगा। इस आधार पर निम्नलिखित मानकों का अनुपालन किया जाएगा :-

औसत उपस्थिति	पदों की संख्या
50 तक	1 प्रधानाध्यापक तथा
	2 बी टी सहायक

जब संख्या 60 से अधिक हो जाती है तो तीसरे पद की संस्वीकृत प्रदान की जाएगी तथा 40 के स्लैब में अतिरिक्त अनुभागों की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) भाषा शिक्षकों के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी :-

	कक्षा VI से X में अनुभागों का योग	भाषा शिक्षकों के पदों की संख्या
(i)	5 तक	1
(ii)	6 से 10 तक	2
(iii)	11 और उससे अधिक	3

(ग) जब हाई स्कूलों में कक्षा VI से X तक छात्रों की संख्या 250 से अधिक हो जाती है तो शारीरिक शिक्षा अध्यापक का एक पद संस्वीकृत किया जाएगा तथा 300 की प्रत्येक अतिरिक्त संख्या के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक का एक अतिरिक्त पद संस्वीकृत किया जाएगा, लेकिन इन पदों की अधिकतम संख्या 3 होगी ।

4. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (11वीं तथा 12वीं कक्षा)

(क) न्यूनतम दो समूहों के साथ एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 8 स्नातकोत्तर शिक्षकों के निम्नानुसार मानक होंगे :-

(i)	2 समूहों के लिए	6 स्नातकोत्तर सहायक
(ii)	अंग्रेजी के लिए	1 स्नातकोत्तर सहायक
(iii)	तमिल के लिए	1 स्नातकोत्तर सहायक

(ख) कार्य अर्थात् प्रति सप्ताह 24 घंटे के शिक्षण के आधार पर स्नातकोत्तर सहायक का अतिरिक्त पद संस्वीकृत किया जाएगा ।

(ग) कक्षा के दिवभाजन के संबंध में, जैसा कि हाई स्कूलों के मामले में है, जब संख्या 60 से अधिक हो जाती है तब आगे 40 के स्लैब में अतिरिक्त अनुभाग स्थापित किए जाएंगे ।

(घ) व्यावसायिक स्ट्रीम के लिए, पाठ्यक्रमों की संख्या का ध्यान किए बिना शिक्षकों के दो पदों (पूर्णकालिक) की संस्वीकृत प्रदान की जाएगी ।

(ङ) मुख्य स्ट्रीम में भाषा के लिए स्नातकोत्तर सहायक, व्यावसायिक स्ट्रीम के विद्यार्थियों की भाषा कक्षाओं को भी संभालेंगे ।

(च) 400 से अधिक छात्रों की संख्या के साथ विद्यालयों के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक के विद्यमान पद का उन्नयन करके शारीरिक शिक्षा निदेशक का एक पद प्रदान किया जाएगा ।

जहां तक याचिकाकर्ता विद्यालय का संबंध है, कक्षा VI से X तक स्टाफ मानकों के नियतन के लिए इस मामले पर ध्यान देना होगा। याचिकाकर्ता विद्यालय के छात्रों की नवीनतम संख्या निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	कक्षा	लड़के	लड़कियां	योग
1.	VI	36	30	66
2.	VII	39	32	71
3.	VIII	29	36	65
4.	IX	30	35	65
5.	X	37	25	62
	योग	171	158	329

जी.ओ. संख्या 525 के अनुसार, कक्षा VI से VIII तक के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात 1:40 है। चूंकि विद्यार्थियों की कुल संख्या 60 से अधिक तथा याचिकाकर्ता विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग अनुभाग है, अतः इसमें दो अनुभाग हो सकते हैं और इस प्रकार जी.ओ. संख्या 525 के अनुसार, प्रत्येक अनुभाग के लिए 2 पद अर्थात् कक्षा VI से VIII के लिए 6 पद संस्वीकृत किए जा सकते हैं।

कक्षा IX तथा X, 50 छात्रों तक 1 प्रधानाध्यापक तथा 2 बी टी सहायक अनुमत्य हैं। चूंकि याचिकाकर्ता विद्यालय में कक्षा IX तथा X में, 127 विद्यार्थी हैं, अतः वे 1 प्रधानाध्यापक तथा 4 बी टी सहायकों के लिए भी पात्र हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि याचिकाकर्ता विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन स्थापित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है तथा अरबी भाषा की शिक्षा दे रहा है, अतः वह राज्य सरकार के जी.ओ. संख्या 341 द्वारा यथानिर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात के मानकों में छूट के लिए विशेष बर्ताव के योग्य है। याचिकाकर्ता विद्यालय के लिए इस्लामी कानून के आदेशों के अनुसार लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक अनुभाग बनाना अनिवार्य है। अतः आयोग ने राज्य सरकार से संस्तुति की, कि वह कक्षा VI से VIII के लिए 6 माध्यमिक ग्रेड सहायक पदों, प्रधानाध्यापक का 1 पद तथा बी टी सहायक के 4 पदों की अनुमति देकर, याचिकाकर्ता विद्यालय के स्टाफ की वर्तमान संख्या के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें। आयोग ने आगे राज्य सरकार से वाटरमैन के 1 पद की अनुमति देने की संस्तुति की, क्योंकि विद्यालय अपने परिसर के भीतर रोजाना नमाज़ अदा करने की सुविधा भी मुहैया कर रहा है।

2008 का मामला संख्या 968

एम.एस.एस. वक्फ बोर्ड कॉलेज के संशोधित गठन को अनुमोदित कर रहे तमिलनाडु सरकार के आयुक्त तथा सचिव द्वारा दिनांक 9-9-1978 को जारी आदेश संख्या 1127 को चुनौती

याचिकाकर्ता : 1. श्री यू.इब्राहिम अली, समाज सेवक, सक्कीमंगलम पोस्ट, मदुरै, तमिलनाडु-625011

प्रतिवादी : 1. सचिव, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चैन्नई, तमिलनाडु-600009

2. अपर सचिव, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चैन्नई, तमिलनाडु-600009

3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तमिलनाडु, वक्फ बोर्ड संख्या-1, जफर साइरंग स्ट्रीट, वल्लाल सीताकाठी नगर, चैन्नई, तमिलनाडु-600001

इस याचिका में एम.एस.एस.वक्फ बोर्ड कॉलेज के संशोधित गठन को अनुमोदित कर रहे, तमिलनाडु सरकार के आयुक्त तथा सचिव द्वारा दिनांक 9-9-1978 को जारी आदेश संख्या 1127 को चुनौती दी गई है। संशोधित गठन के अनुसार, शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष ।
2. तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड का एक नामित व्यक्ति (या तो उसके सदस्यों में से अथवा बाहर से एक विशेषज्ञ)।
3. मूल दाता के परिवार (सरगुरो परिवार) का एक सदस्य, परिवार द्वारा यथा- नामित ।
4. कॉलेज का प्रध्यानाचार्य-पदेन ।
5. मदुरै विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि ।
6. से 9. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से चुने गए 4 सदस्य, और
10. तथा 11. राज्य सरकार के दो नामिती ।

यह आरोप लगाया गया है कि एम.एस.एस.वक्फ बोर्ड कॉलेज के एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने के कारण उसे स्वयं अपनी शासी निकाय का गठन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इस प्रकार दिनांक 9-9-1978 का आक्षेपित आदेश, संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन है ।

प्रतिवादियों ने अपने उत्तर में, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है । प्रतिवादियों के अनुसार, राज्य सरकार ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है ।

यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि एम.एस.एस.वक्फ बोर्ड कॉलेज ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, इस आयोग को आवेदन नहीं किया है तथा यह साबित करने के लिए रिकार्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उपर्युक्त कॉलेज एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है । याचिकाकर्ता केवल एक समाजसेवक है तथा उपर्युक्त कॉलेज के प्रबंधन के साथ किसी तरह से भी संबंधित नहीं है । परिणामस्वरूप, उसे दिनांक 9-9-1978 के विवादित आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है । इसके अलावा उपर्युक्त आदेश किसी विधिक शैथिल्यता से भी ग्रस्त नहीं है ।

पूर्वोल्लिखित कारणों से, याचिका को खारिज कर दिया गया ।

अध्याय 7 - अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अधिकारों के हनन और विश्वविद्यालयों से संबद्धता से जुड़े मामले।

पिछले अध्याय में आयोग ने वर्ष के दौरान याचिकाओं और शिकायतों का विश्लेषण किया है। इन मामलों में पारित कुछ आदेश का नीचे ब्यौरा भी दिया गया है। इस अध्याय में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अधिकारों के हनन और संबद्धता से जुड़े मामलों की चर्चा की गई है।

यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत, एक धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित व संचालित करने का अधिकार है, जो अधिकार, हालांकि, शैक्षणिक स्तरों की उत्कृष्टता बनाए रखने व उसे सुसाध्य बनाने की राज्य की विनियामक शक्ति के अधीन है। टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 8 एस सी सी 481 के मामले में उच्चतम न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की खंड पीठ के निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने एक शैक्षणिक संस्था स्थापित व संचालित करने के अधिकार की व्याख्या की है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं:-

- क. छात्रों को प्रवेश देना;
- ख. एक तर्कसंगत शुल्क ढांचा तैयार करना;
- ग. शासी निकाय का गठन;
- घ. स्टाफ(शिक्षण व गैर शिक्षण) नियुक्त करना; और
- ङ. यदि किसी कर्मचारी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई करना।

आयोग इस दृष्टिकोण का अनुमोदन करता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को प्रबंधन के विशेष अधिकार की आड़ में शैक्षणिक संस्थाओं से उत्कृष्टता के उन मानकों से नीचे नहीं होना चाहिए जिनकी उनसे आशा की जाती है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को उस स्तर तक नहीं गिरने देना चाहिए कि वह सामान्य प्रवृत्तियों पर ही चलने लगे। शैक्षणिक स्तर सुनिश्चित करने और उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विनियामक उपाय संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त संरक्षण के लिए अभिशाप नहीं है। वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों में से कुछ निम्नानुसार हैं :-

2008 का मामला संख्या 633

छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार से संबंधित अल-फलह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, गांव धौज, जिला फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा दी गई याचिका:

याचिकाकर्ता : 1. अल-फलह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, गांव धौज, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।
2. अल-फलह चेरिटेबल ट्रस्ट, 274-जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली- 110025.

प्रतिवादी : 1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, 30 बेज भवन, सेक्टर 17 ख, चंडीगढ़, हरियाणा।
2. उच्च शिक्षा आयुक्त, प्लॉट न. 9-8, 9-9, सेक्टर 5, पंचकूला, हरियाणा।
3. वित्तायुक्त एवं सचिव, सचिवालय, हरियाणा, चंडीगढ़।
4. एस सी ई आर टी (स्टेट काउंसिल फार एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग) पंचायत भवन के सामने, राजीव चौक, गुड़गांव, हरियाणा।

इस याचिका में उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ के उप निदेशक, कॉलेजज-1 के दिनांक 4.10.2006 के आदेश तथा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़ के दिनांक 27.11.2007 के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें याचिकाकर्ता के अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार को सीमित किया गया है। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था हैं और इसलिए उसे अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का हक हासिल है। 4.10.2006 को, उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ ने दिनांक 4.10.2006 का ज्ञापन सं 1/66-2003 समन्वय (2) जारी किया जिसमें याचिकाकर्ता के अपने अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध छात्रों को प्रवेश देने पर शर्त लगाई गई थी। निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 27.11.2007 को जारी ज्ञापन संख्या 17/33-2007 इ एंड टी (2) द्वारा भी इसी तरह की शर्त लगाई गई थी। यह भी अभिकथित है कि याचिकाकर्ता पर लगाई गई उपर्युक्त आक्षेपित शर्त संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, प्रतिवादी ने उक्त शर्त नहीं हटाई। अतः यह याचिका दी गई है।

निदेशक एस सी ई आर टी, हरियाणा ने इसका उत्तर दाखिल किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़ ने अपने दिनांक 5.5.2008 के पत्र सं 17/33-2007 इ एंड टी (2) द्वारा याचिकाकर्ता को निम्नलिखित अनुपात में 50 सीटों वाले डी.एड. पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी है:

मुस्लिम उम्मीदवार - 60 प्रतिशत - 36 सीटें

हिन्दू उम्मीदवार - 40 प्रतिशत - 26 सीटें

अतः दिनांक 27.11.2007 के ज्ञापन सं 17/33-2007 इ एंड टी (2) का स्थान दिनांक 5.5.2008 के ज्ञापन सं 17/33-2007 इ एंड टी (2) द्वारा ले लिया गया है। दिनांक 5.5.2008 के पत्र सं 17/33-2007 इ एंड टी (2) द्वारा आक्षेपित शर्त हटा लेने के पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा डी.एड. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश दिए गए छात्रों को रोल न. जारी करने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा परीक्षा फार्म जारी किए गए। 28.5.2008 से 9.6.2008 तक वार्षिक परीक्षा भी आयोजित की गई। अतः इस याचिका में कुछ शेष नहीं है।

अपने प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि दिनांक 5.5.2008 के आदेश द्वारा छात्रों का कोटा आरोपित करना संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रत्याभूत किए गए अधिकारों का उल्लंघन भी है।

यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता की संस्था संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल एक गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। यह भी सुस्थापित है कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के लिए अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देना संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत किसी शैक्षणिक संस्था के संचालन के अधिकार का अनिवार्य पहलू है। यह उल्लेख करने की जरूरत है कि पी.ए.ईनामदार बनाम महाराष्ट्र सरकार (2005) 6 एससीसी 537 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्टात्मक निर्णय में निर्धारण का एक प्रश्न गैर सहायता प्राप्त व्यवसायिक संस्थाओं के संबंध में (छात्रों के) प्रवेश में कोटा नियत करने के बारे में था और उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने इस पर निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की है।

“हमारी समझ के अनुसार, न तो टी एम ए पाई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एसएससी 481 में और न ही केरल शिक्षा विधेयक 1957 ए आई आर 958 एससी 956 में संवैधानिक पीठ के निर्णय में, जो कि टी एम ए पाई फाउण्डेशन द्वारा (ऊपर) अनुमोदित है, ऐसा कुछ

भी है जो गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशों को विनियमित अथवा नियंत्रित करने के लिए राज्य को अनुमति देता है ताकि उन्हें उपलब्ध सीटों के एक हिस्से को राज्य द्वारा चुने गए अभ्यर्थियों के लिए छोड़ने के लिए विवश कर सके, जैसे कि वह ऐसी निजी संस्थाओं में भरने वाली सीटों को अपने विवेकाधिकार से भर रहा हो। इससे सीटों का राष्ट्रीयकरण होगा जिसे टी एम ए पाई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य में विशिष्ट रूप से नकारा गया है। राज्य की सीटों का ऐसा कोटा लागू करना अथवा बिना सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में उपलब्ध सीटों पर राज्य की आरक्षण नीति का दबाव डालना निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार और स्वायत्तता पर गंभीर अतिक्रमण करना है। सीटों के ऐसे विनियोजन को अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ में अल्पसंख्यकों के हित में न तो विनियामक उपाय माना जा सकता है और न ही संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अर्थ में तर्कसंगत रोक समझा जा सकता है। महज इसलिए कि व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने में राज्य के संसाधन सीमित हैं, निजी शैक्षणिक संस्थाएं, जो कि बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का इरादा रखती हैं, पर कम मेधावी अभ्यर्थियों को आरक्षण नीति के आधार पर प्रवेश देने के लिए राज्य द्वारा दबाव नहीं डाला जा सकता। गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं चूंकि वे राज्य की निधियों से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, स्वयं अपने दाखिले कर सकते हैं, यदि वे न्यायोचित, पारदर्शी, शोषणरहित और योग्यता पर आधारित हो।

प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों, दोनों को केवल सीमित सीमा तक ही, प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं।, और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं।”

(बल दिया है)

अतः पी ए ईनामदार मामला (ऊपर) विधि के प्रतिपादन के लिए प्राधिकारी है कि अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से भी अपनी पसंद के विद्यार्थियों को, दोनों केवल सीमित सीमा तक ही प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अल्पसंख्यक संस्था में प्रवेश देने से किसी अल्पसंख्यक संस्था का चरित्र समाप्त नहीं हो जाता और वह अल्पसंख्यक संस्था बनी रहती है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की विद्यार्थी संख्या में छिटपुट गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के प्रवेश की अपेक्षा केवल इस बाह्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है जो या तो अतिरिक्त वित्तीय स्रोत प्राप्त करने के लिए हो या सांस्कृतिक शिष्टाचार निभाने के लिए। अतः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में विद्यार्थी संख्या का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की धारा 12ग (ख) राज्य सरकार को किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में प्रवेश को नियंत्रित करने वाली प्रतिशतता निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करती है। यहां यह भी जोड़ा जा सकता है कि इन प्रवेशों को नियंत्रित करने वाली प्रतिशत को टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य(2002)8 एससीसी 481 एवं पी.ए.ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य(ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के अनुसार निर्धारित करना होगा। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता संस्था में मुस्लिम समुदाय से संबद्ध विद्यार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करते हुए 60% नियंत्रित प्रतिशत निर्धारित करने वाले दिनांक 5.5.2008 के आदेश को किसी भी वैध आधार पर दोषपूर्ण नहीं माना जा

सकता। आदेश का यह भाग पूर्णतः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 12ग(ख) के अंतर्गत शामिल होता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह याचिकाकर्ता संस्था में मुस्लिम विद्यार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाली राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतमक प्रतिशतता है। परन्तु हिन्दु समुदाय संबद्ध विद्यार्थियों के लिए 40% कोटे के आरक्षण से संबंधित आक्षेपित आदेश, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन है। जैसा कि पी.ए.ईनामदार बनाम् महाराष्ट्र राज्य(ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, “ राज्य सरकार गैर-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्रतिशतता का कोई कोटा निर्धारित नहीं कर सकती है। अल्पसंख्यक संस्थाएँ गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों को, दोनों केवल सीमित सीमा तक ही प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र है और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का दर्जा ही समाप्त हो जाए “

पूर्वोक्त कारणों से आयोग ने यह निर्णय दिया कि हिंदु समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए 40 प्रतिशत का आक्षेपित कोटा आरोपित करना संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता को यह छूट हासिल है कि वह अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश दे सकता है, इसमें गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और दूसरे राज्यों के अपने समुदाय के सदस्यों दोनों को केवल सीमित स्तर तक ही प्रवेश देना शामिल है जोकि इस रूप में और इस सीमा तक न हो कि जिससे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था का उसका दर्जा ही समाप्त हो जाता हो। आयोग के निष्कर्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम की धारा 11 (ख) के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए प्रतिवादी को भेज दिए गए।

2008 का मामला संख्या 1554

औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एक नया बी सी ए कॉलेज खोलने का अनुरोध करना।

याचिकाकर्ता : 1. एमिएबल चेरिटेबल ट्रस्ट, अपने अध्यक्ष श्री मुजतबा फारुख, सुपुत्र अब्दुल वहाब, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के माध्यम से

प्रतिवादी : 1. प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई-400032.
2. रजिस्ट्रार, डा. बाबा साहेब अंबेडकर, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र.

याचिकाकर्ता ने स्कालर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस के नाम और शैली में एक नया बी सी ए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) कॉलेज खोले जाने के लिए याचिकाकर्ता सोसाईटी को अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता सोसाईटी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित बंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास है। दिनांक 14.7.2008 के आदेश द्वारा राज्य सरकार के सक्षम प्रतिवादी ने उक्त ट्रस्ट को अल्पसंख्यक दर्जे का प्रमाण पत्र जारी किया था और इसलिए यह ट्रस्ट संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत सुनिश्चित अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का हकदार है। याचिकाकर्ता सोसाईटी औरंगाबाद जिले के लिए शैक्षिक वर्ष 2007-2011 के लिए नया कॉलेज खोलने के लिए प्रतिवादी द्वारा तैयार संभावित योजना के अनुसार स्कॉलर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस के नाम और शैली के अंतर्गत एक स्ववित्त पोषित बी सी ए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) कॉलेज स्थापित करना चाहती थी। याचिकाकर्ता ने इसके लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और दिनांक 31.10.2007 की रसीद संख्या 67608 द्वारा 60,000/- रुपये का संबद्धता शुल्क जमा कराया। प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात, प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। दिनांक 3.1.2008 के आदेश द्वारा, निदेशक बोर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डवलपमेंट बोर्ड, औरंगाबाद ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि प्रस्तावित कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव संस्तुति सहित महाराष्ट्र

सरकार को भेज दिया गया है। यह भी अभिकथित है कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने प्रस्तावित कॉलेज के लिए आधारभूत ढांचे और अनुदेशात्मक सुविधाएं प्रदान करने में भारी भरकम व्यय किया है परंतु राज्य सरकार ने अभी तक प्रस्तावित कॉलेज की स्थापना करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अनुमति नहीं दी है और इसलिए राज्य सरकार की यह उक्त आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है।

नोटिस देने के बावजूद, प्रतिवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, मामले में एकपक्षीय तौर पर आगे कार्रवाई की गई।

श्री मुजतबा फारुख ने याचिकाकर्ता की ओर से अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि शैक्षिक सत्र 2007-2011 के लिए औरंगाबाद जिले हेतु नया कॉलेज शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक संभावित आयोजन तैयार करने के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने स्कॉलर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साईंस के नाम और शैली के तहत एक नया बी सी ए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) कॉलेज खोलने के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अपना प्रस्ताव जमा किया और दिनांक 31.10.2007 की रसीद संख्या 67608 द्वारा संबद्धता शुल्क के तौर पर 60,000/- रुपये जमा कराए। यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे और अनुदेशात्मक सुविधाएं प्रदान करने में भारी भरकम धनराशि व्यय की है। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया था और निदेशक, बोर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डवलपमेंट द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 3.1.2008 के पत्र सं. एल एच प्रस्ताव/संबद्धता/नया प्रस्ताव/ 2007-08 द्वारा सिफारिशें कर दी गई थी। श्री मुजतबा फारुख के उक्त शपथ पत्र को झुठलाने के लिए रिकार्ड में कुछ नहीं है। परिणामस्वरूप, इस पर कार्रवाई करने में हमें कोई संकोच नहीं है।

श्री मुजतबा फारुख के अखंडनीय शपथ पत्र पर निर्भर करते हुए, हम यह पाते हैं और यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट के पास प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा नए कॉलेज की स्थापना के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार सभी बुनियादी ढांचा और अनुदेशात्मक सुविधाएं मौजूद हैं। प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की संस्तुति कर उसे आगे भी भेजा है। यहां यह कहने की जरूरत नहीं है कि ग्राम विकास शिक्षण प्रसारक मंडल, सोनडोली बनाम महाराष्ट्र सरकार 2001 महाराष्ट्र लॉ जर्नल 1-776 में बंबई उच्च न्यायालय के प्रभाग पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा तैयार मास्टर प्लान संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उनके संचालन करने का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। जैसा कि पी ए ईनामदार बनाम महाराष्ट्र सरकार (2005) 6 एम सी सी 537 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्णय दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि अल्पसंख्यकों की इच्छाओं की पूर्ति हो और यह कि उनके बच्चों का उचित और कुशलता से पालन-पोषण हो और उच्च विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें और ऐसा बौद्धिक ज्ञान लेकर बाहरी दुनिया में जाएं जिससे वे लोक सेवा, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश कर सकें। तात्कालिक मामले में प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित कॉलेज में बुनियादी ढांचे और अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अपनी संतुष्टि कर लेने के पश्चात ही उसकी स्थापना के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की सिफारिश की है। इसके अलावा, श्री मुजतबा फारुख का शपथ पत्र भी उक्त तथ्यों की पुष्टि करता है। प्रतिवादी विश्वविद्यालय की सिफारिशों के बावजूद राज्य सरकार ने प्रस्तावित कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप, आयोग का यह निर्णय है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुसार प्रस्तावित कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रस्ताव पर विचार न करने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत दिए गए अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है।

पूर्वोक्त कारणों से, आयोग ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वे प्रस्तावित कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत और प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत प्रस्ताव पर विचार करके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था अधिनियम आयोग की धारा 11(ख) के अंतर्गत आयोग के निष्कर्षों को जल्द से जल्द कार्यान्वित करें।

2007 द्वारा मामला संख्या 743

नांदेड़, महाराष्ट्र में एक उर्दू प्राइमरी स्कूल शुरू करने और चलाने के लिए मान्यता प्रदान करने संबंधी अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. मौलाना आजाद उर्दू प्राइमरी स्कूल, तेमभूर्नी ताल्लुक बिल्लोली, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र

प्रतिवादी : 1. सचिव, महाराष्ट्र सरकार, स्कूली शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मुंबई।

2. निदेशक, शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य, केन्द्रीय भवन पुणे।

3. उपनिदेशक, प्रभाग शिक्षा, निदेशक शिक्षा द्वारा निदेशक, कार्यालय, गांधी चौक, लातूर, महाराष्ट्र द्वारा।

याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे डब्ल्यू पी सं. 3260/2000 में पारित माननीय उच्च न्यायालय की औरंगाबाद स्थित पीठ के आदेश दिनांक 31/7/2000 के आदेश के अनुसार 'मौलाना आजाद उर्दू प्राइमरी स्कूल', तेमभूर्नी ताल्लुक बिल्लोली, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र के नाम और शैली के अंतर्गत एक उर्दू प्राइमरी स्कूल शुरू करने और चलाने के लिए मान्यता प्रदान करें। बार-बार नोटिस देने के बावजूद, प्रतिवादियों ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए इस मामले में एकतरफा कार्रवाही की गई है।

याचिकाकर्ता सोसायटी का गठन मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है। 23.6.93 को याचिकाकर्ता सोसायटी ने एक उर्दू प्राइमरी स्कूल की मान्यता के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया था, परंतु जिला शैक्षिक अधिकारी (प्राइमरी) नांदेड़ ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। शिक्षा अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने औरंगाबाद स्थित माननीय उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका सं 1114/97 दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.3.1997 के अपने आदेश द्वारा रिट याचिका की अनुमति देते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वह मामले पर जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में 3 माह की अवधि के भीतर निर्णय दे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) नांदेड़ ने मामले पर विचार किया और दिनांक 31.12.1997 के अपने आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि चूंकि इस क्षेत्र में पहले ही शैक्षिक सुविधाएं मौजूद हैं, एक अन्य प्राइमरी स्कूल के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 में एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और माननीय उच्च न्यायालय में शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) नांदेड़ द्वारा दी गई अस्वीकृति को फिर से चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 31.7.2000 के अपने आदेश द्वारा राज्य सरकार को 2 माह की अवधि में याचिका के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा बाद में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर भी विचार नहीं किया गया है। क्योंकि पूर्व के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया कि इस इलाके में कोई उर्दू माध्यम का स्कूल नहीं है और इसलिए, सरकार को याचिकाकर्ता को अनुमति दे देनी चाहिए।

नोटिस देने के बावजूद, प्रतिवादियों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए इस मामले पर एकतरफा कार्रवाई की गई।

यहां विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या उर्दू प्राइमरी स्कूल स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संविधान का अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, उन्हें अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 30, जैसा कि पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य(2005) 6 एस सी सी 537 के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों ने टिप्पणी की है, यह अल्पसंख्यकों पर छोड़ता है कि वे ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकें, जिनसे दोनों उ-श्य, नामतः उनके धर्म, भाषा या संस्कृति का संरक्षण करने का उ-श्य और साथ ही अपने बच्चों को पूरी तरह से अच्छी सामान्य शिक्षा देने का प्रयोजन भी पूरा हो सके। संविधान के अनुच्छेद 30(1) का वास्तविक अर्थ और प्रभाव 'उनकी पसंद' शब्दों में निहित है। यह कहा गया है कि अधिक प्रभावी शब्द "पसंद" है और उस अनुच्छेद की विषय-वस्तु इतनी व्यापक है जितना कि कोई विशेष अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद उसको बनाती है।

संविधान के अनुच्छेद 30(1) की भाषा व्यापक है और उसका पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में कमी करने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमें इस सुरक्षा का दायरा बढ़ाना नहीं है परंतु हमें संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रयुक्त शब्दों से स्वाभाविक तौर पर मिलने वाली सुरक्षा में कमी भी नहीं लानी है। केरल शिक्षा बिल ए आईआर 1958 एस 956 मामले में माननीय उच्च न्यायधीश एस. आर. दास ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

“जब तक संविधान मौजूदा रूप में है और इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, तो हम यह मानते हैं कि यह इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मूल अधिकारों को बनाए रखें, उनकी रक्षा करें और इस प्रकार हमारे अपने अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति हमारे पवित्र दायित्व का सम्मान करें।”

यहां यह और कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान के अध्याय- II को संविधान का दिल और आत्मा माना गया है। सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 30(1) में “अपनी पसंद के” शब्द अल्पसंख्यकों को उन शैक्षणिक संस्थाओं, जिनकी वे स्थापना करना चाहते हैं, की किस्म चुनने में व्यापक विकल्प प्रदान करता है। वे अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए या सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने के लिए या दोनों ही प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। “अपनी पसंद की कोई भी शैक्षिक संस्था” शब्द-समूह का निरूपण इस प्रकार किया गया है कि उसमें वे सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं शामिल हैं जो अल्पसंख्यक चाहते हैं (ए पी क्रिश्चियन अल्पसंख्यक शिक्षा सोसाईटी बनाम ए पी सरकार 1986 एआईआर 1986 एससी 1490)। इस बात का समर्थन करते हुए कि संविधान के प्रावधानों का अर्थ मुक्त, उदारवादी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के अनुसार लिया जाना चाहिए, अहमदाबाद सेंट जैवियर्स सोसाईटी बनाम गुजरात राज्य (1974)। एस सी सी 717 के मामले में खन्ना जे ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

“.....अल्पसंख्यक भी इस देश की वैसी ही संतान हैं जैसे कि बहुसंख्यक और हमारा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने का रहा है कि ऐसा कुछ भी न किया जाए जो अल्पसंख्यकों को जुड़ाव के बोध से, सुरक्षा की भावना से, समानता की चेतना से और इस बोध से कि उनके धर्म, संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण किया जाना और यह भी कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं की सुरक्षा संविधान में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार है, वंचित करे।.....निःसंदेह किसी राष्ट्र की सभ्यता और उदारता के स्तर का यह एक सूचकांक कि उनके अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को कहां तक सुरक्षित अनुभव करते हैं और यह कि उनके साथ कोई भेदभाव या उत्पीड़न न किया जाता।”

अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अधिकार का प्रयोग शून्य में नहीं किया जा सकता और न ही यह उचित होगा कि किसी शैक्षिक संस्था को खोलने या उसे मान्यता देने की अनुमति को राज्य द्वारा दिया गया विशेषाधिकार समझा जाए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां सरकार का जोर नागरिकों की शिक्षा और उन्हें जागरुक बनाने पर होता है, ऐसे तत्व होने चाहिए जिनसे उनका संरक्षण होता हो। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अधिकारों के अर्थपूर्ण उपयोग में किसी शैक्षिक संस्था की स्थापना करने की अनुमति और उसकी मान्यता होगी और अनिवार्य रूप से होनी भी चाहिए जिसके बिना यह अधिकार अर्थहीन साबित होगा।

यहां यह और कहने की जरूरत नहीं है कि मांग के बढ़ने और सरकारों की तरफ से अपर्याप्त प्रयास के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में यह प्रवृत्ति रही है कि सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र सरकार का रुख निजी भागीदारी के प्रति निराशाजनक प्रकार का रहा है। सुपरस्टार शिक्षा सोसाईटी बनाम महाराष्ट्र सरकार एंड अन्य 2008 ए आर आर एस सी डब्ल्यू 2052 में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह शिक्षा मुहैया कराए, जब तक कि निजी क्षेत्र में नए स्कूल नहीं खोले जाते, तो राज्य के लिए अपनी संवैधानिक बाध्यता को पूरा करना संभव नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने ग्राम विकास शिक्षण प्रसारक मंडल बनाम महाराष्ट्र सरकार ए आर आर 2000 बंबई 437 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को भी उचित ठहराया है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल शैक्षिक संस्थाएं प्रस्तावित मास्टर प्लान के दायरे से बाहर हैं। चूंकि याचिकाकर्ता का प्रस्तावित प्राईमरी स्कूल संविधान के अनुच्छेद 30(1) में शामिल होता है, अतः प्रस्तावित मास्टर प्लान इस पर लागू नहीं किया जा सकता। परंतु प्रस्तावित स्कूल को सुपर स्टार शिक्षा सोसायटी (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मानकों और शर्तों को लागू करना ही होगा। इस संबंध में निणय के पैरा स. 8 का उल्लेख किया जा सकता है जो कि निम्नलिखित है:-

“(i) यह सुनिश्चित करना कि उनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं हैं। (ii) शैक्षणिक संस्थाओं में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा रोकना। (iii) शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक प्राइवेट संस्थाओं को ऐसे प्रतिबंधों और विनियामक अपेक्षाओं के अधीन लाना जिससे शिक्षा का स्तर बरकरार रखा जा सके। (iv) विद्यार्थियों, अध्यापकों और शिक्षा के हितों को संवर्द्धित और उनकी रक्षा करना; और (v) समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब व कमजोर वर्गों को मूल शिक्षा मुहैया कराना; और (vi) कतिपय क्षेत्रों में स्कूलों का संकेन्द्रण रोकना और यह सुनिश्चित करना कि उनका समान रूप से विस्तार हो ताकि वे विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों की तथा समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।”

यहां यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि 3.12.2008 को आयोग द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

“ इस मामले को आदेशों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल याचिका पर अंतिम आदेश देने से पहले, उपनिदेशक, शिक्षा, औरंगाबाद को यह निर्देश देना उपयुक्त होगा कि वह याचिकाकर्ता स्कूल का निरीक्षण करे और उच्चतम न्यायालय द्वारा सुपरस्टार शिक्षा सोसायटी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य अपील (सिविल) 2008 का 1105 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में उल्लिखित निम्नलिखित मुद्दों पर आयोग को अपनी रिपोर्ट दे।

1. यह सुनिश्चित करना कि उनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं हैं।
2. शैक्षणिक संस्थाओं में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा रोकना।

3. शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक प्राइवेट संस्थाओं को ऐसे प्रतिबंधों और विनियामक अपेक्षाओं के अधीन लाना जिससे शिक्षा का स्तर बरकरार रखा जा सके ।
4. विद्यार्थियों, अध्यापकों और शिक्षा के हितों को संवर्द्धित और उनकी रक्षा करना; और
5. समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब व कमजोर वर्गों को मूल शिक्षा मुहैया कराना; और
6. कतिपय क्षेत्रों में स्कूलों का संकेन्द्रण रोकना और यह सुनिश्चित करना कि उनका समान रूप से विस्तार हो ताकि वे विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों की तथा समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ।

यह रिपोर्ट इस आदेश के दो माह के भीतर प्रस्तुत की जानी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके लिए निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट न प्रस्तुत करने की स्थिति में, यह मान लिया जाएगा कि याचिकाकर्ता के स्कूल में सभी अपेक्षित बुनियादी ढांचा और अनुदेशात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आदेश की प्रति संबंधित पक्षकारों को दी जाती है।

4 मार्च 2009 को सूचीबद्ध”

उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतियां उपनिदेशक, शिक्षा, औरंगाबाद और शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), जिला परिषद, औरंगाबाद को दे दी गई थी और नोटिस देने के बावजूद, उपर्युक्त नामित कोई भी अधिकारी ने आयोग द्वारा यथा अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इसके परिणामस्वरूप, हमें यह मान लेने में कोई संकोच नहीं है कि सुपरस्टार शिक्षा सोसाइटी (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यथा उल्लिखित सभी अपेक्षित बुनियादी ढांचा और अनुदेशात्मक सुविधाएं याचिकाकर्ता स्कूल में उपलब्ध हैं । याचिकाकर्ता के स्कूल में इन सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अनुमति देने से मना करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकारों का उल्लंघन है।

पूर्वोक्त कारणों से, आयोग का यह निर्णय है कि प्रस्तावित उर्दू माध्यम स्कूल खोलने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति देने से मना करने की राज्य सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन है। अतः आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्तावित उर्दू माध्यम स्कूल खोलने के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को अनुमति देने की राज्य सरकार को सिफारिश की ।

2008 का मामला संख्या 773

शिक्षण स्टाफ के चयन करने के लिए मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को अनुमति देने का अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, सखावतगंज, कादिराबाद, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश

प्रतिवादी : 1. जिला स्कूल निरीक्षण, जिला सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।

2. उप शिक्षा निदेशक, बस्ती मंडल, बस्ती उत्तर प्रदेश।

याचिकाकर्ता ने संयुक्त निदेशक, शिक्षा, बस्ती मंडल, बस्ती उत्तर प्रदेश को यह निर्देश देने की मांग की कि वे याचिकाकर्ता कालेज में प्रबंधन को अपना प्रधानाचार्य और शिक्षकों का चयन करने की अनुमति प्रदान करें। मामला सं

773/2008 में दिनांक 15.1.2009 के आदेश द्वारा आयोग ने यह निर्णय दिया है कि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने के कारण याचिकाकर्ता कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल है और उसे इस शर्त के अधीन अपना स्टॉफ (शिक्षण और गैर शिक्षण) चुनने का अधिकार है कि नियंत्रण/नियमन प्राधिकारी को यह समीक्षा करने और यह पता लगाने का अधिकार है कि क्या चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्ति पद के लिए निर्धारित अर्हता की न्यूनतम योग्यता को देखते हुए पात्र और नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। यह प्रतीत होता है कि उक्त आदेश के पश्चात, याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन ने कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए संयुक्त निदेशक, शिक्षा बस्ती मंडल, बस्ती उत्तर प्रदेश से अनुमोदन मांगा था जिसे दिनांक 2.3.2009 के आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार पर मना कर दिया गया कि इन पदों को उ.प्र. राज्य के व्यापक प्रचार वाले एक अंग्रेजी के समाचार पत्र में विज्ञापित नहीं किया गया था। उक्त आदेश की एक प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की गई है।

संयुक्त निदेशक के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता कॉलेज ने वर्तमान याचिका दाखिल की है। इस आवेदन में सामान्य प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल किसी शैक्षणिक संस्था के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने स्टॉफ (शिक्षण और गैर शिक्षण) की चयन प्रक्रिया विज्ञापन के माध्यम से ही होनी चाहिए ? रिकार्ड से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता कॉलेज ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों के अपने रिक्त पदों को भरने के लिए संयुक्त निदेशक, बस्ती प्रभाग का अनुमोदन मांगा था। संयुक्त निदेशक को याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन द्वारा समाचार पत्रों नामतः “अमर उजाला” और “राष्ट्रीय सहारा” में जारी विज्ञापन के प्रकाशन के बारे में भी सूचित किया गया था। दिनांक 2.3.2009 के आक्षेपित आदेश द्वारा, संयुक्त निदेशक ने याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को इस आधार पर अनुमोदन देने से मना कर दिया कि यह विज्ञापन इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 16-ई, 16-एफ और 16-एफ एफ में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रकाशित नहीं किया गया था। संयुक्त निदेशक के अनुसार, इन रिक्त पदों को राज्य में पर्याप्त प्रचार वाले कम से कम किसी एक अंग्रेजी के समाचार पत्र में विज्ञापित किया जाना था। इस तरह, संयुक्त निदेशक ने रिक्त पदों का चयन करने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को अनुमोदन देने से इंकार करने में अधिनियम की धारा 16-ई, 16-एफ के प्रावधानों का सहारा लिया।

यह विवाद से परे है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने के कारण याचिकाकर्ता कॉलेज अधिनियम की धारा 16च के अंतर्गत विहित प्रक्रियाओं के अनुसार अपने स्टाफ का चयन करने का हकदार है। धारा 16च में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चलता हो या सुझाव मिलता हो कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के प्रधान का प्रत्येक पद या शिक्षक का पद विज्ञापन के माध्यम से भरा जाएगा। धारा 16च में यह भी प्रावधान नहीं है कि ऐसी अल्पसंख्यक संस्था के स्टाफ के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले किसी विज्ञापन के प्रकाशन के लिए क्षेत्रीय निदेशक या निरीक्षक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त एक अल्पसंख्यक संस्था के लिए अपना विज्ञापन प्रकाशित कराने या उसके माध्यम से चयन करने के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक, शिक्षा या निरीक्षक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत विवक्षा द्वारा नहीं पढ़ी जा सकती। महज इस तथ्य को, कि अधिनियम की धारा 16 ड में अन्य संस्थाओं के लिए अपने स्टाफ का चयन विज्ञापन के माध्यम से करना निर्धारित किया गया है, को संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा शामिल किसी शैक्षणिक संस्था पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2006) यूपीएलवीइसी 1253 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि अधिनियम की धारा 16ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में चयन के लिए प्रयोज्य नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति विधानमंडल जागरूक था, और इसलिए अपने विवेक से अधिनियम की धारा 16च में यथा उल्लिखित केवल प्रावधान रखा है। उक्त प्रावधान में किसी अल्पसंख्यक संस्था के लिए व्यापक प्रचार समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अपने रिक्त पदों को भरने अथवा चयन करने के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक, शिक्षा या निरीक्षक का पूर्व अनुमोदन लेने की उसके प्रबंधन की बाध्यता के स्तर तक की प्रयोज्यता का उल्लेख नहीं

किया गया है। वस्तुतः याचिकाकर्ता कॉलेज को अपने पद भरने के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक, शिक्षा बस्ती मंडल का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि धारा 16चच के तहत क्षेत्रीय उपनिदेशक को तत्संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्व अनुमोदन देने का कोई अधिकार नहीं है।

टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम् कर्नाटक का मामला (2002) 8 एससीसी 481 में उच्चतम न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि किसी अल्पसंख्यक संस्था को अपने शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के चयन और नियुक्ति के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता हासिल है। शैक्षिक प्राधिकारी के पास नियुक्ति के लिए चयनित किसी उम्मीदवार की योग्यता और अन्यथा उसकी अर्हता के स्तर को लेकर समिति द्वारा लिए गए निर्णय की जांच करने मात्र तक ही सीमित गुंजायश उपलब्ध है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 16चच की उप धारा (4) के प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें स्पष्टता यह समादेशन किया गया है कि क्षेत्रीय उप निदेशक, शिक्षा अथवा निरीक्षक वहां चयन के लिए अनुमोदन को रोक नहीं सकता, यहां चयनित व्यक्ति को विहित न्यूनतम योग्यता प्राप्त है और जो अन्यथा पात्र है (देखें अंजना कुमार(श्रीमती) और एक अन्य बनाम् उ.प्र.राज्य एवं अन्य(2006) 2 एस ए सी 202)

(एन. अहमद बनाम् एमजे हाई स्कूल (1998) 6 एससीसी 674) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को नियुक्ति के लिए किन्हीं पात्र व्यक्तियों का चयन करने की रूप रेखा चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है और यह जरूरी नहीं है कि चयन प्रक्रिया विज्ञापन के माध्यम से ही हो।

उपर्युक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें यह निर्णय देना पड़ रहा है कि क्षेत्रीय उपनिदेशक, शिक्षा को प्रधानाचार्य और शिक्षकों के अपने रिक्त पदों पर भरने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को मानने से इस आधार पर इंकार करने का कोई प्राधिकार नहीं था कि इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन किसी एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किए गए थे। इस स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा अपने रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने में संयुक्त निदेशक, बस्ती मंडल, बस्ती उत्तर प्रदेश के दिनांक 2.3.2009 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रत्याभूत अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता कॉलेज अधिनियम की धारा 16- चच के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्रधानाचार्य और शिक्षकों का चयन और उसकी नियुक्त करने की कार्रवाई कर सकता है। याचिकाकर्ता कॉलेज को अपने रिक्त पदों को भरने के लिए संयुक्त निदेशक, बस्ती मंडल, बस्ती उत्तर प्रदेश का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त निदेशक, बस्ती मंडल की भूमिका यह सुनिश्चित करने तक ही सीमित है कि इस प्रकार से चयनित उम्मीदवार राज्य सरकार द्वारा विहित योग्यताओं को पूरा करते हों।

2009 की अपील संख्या 1

पुष्पागिरी चिकित्सा सोसाईटी, तिरुवत्ता, केरल द्वारा नया मेडीकल कॉलेज खोलने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र देने से इंकार करने के विरुद्ध अपील

याचिकाकर्ता : 1. मैसर्स पुष्पागिरी मेडिकल सोसाईटी तिरुवत्ता, केरल

प्रतिवादी : 1. केरल राज्य, सचिव, कल्याण एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सचिवालय, तिरुवंतपुरम, केरल के माध्यम से

2. भारत संघ, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

3. रजिस्ट्रार एम जी विश्वविद्यालय, कोट्टयम, केरल।

अपीलार्थी पुष्पागिरी मेडिकल कॉलेज का संचालन पुष्पागिरी मेडिकल सोसाईटी तिरुवत्ता, केरल द्वारा किया जा रहा है। अपीलार्थी कॉलेज भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। प्रारंभ में अपीलार्थी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 11 के अंतर्गत एक याचिका दायर की थी जिसमें राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करें। यह अभिकथित है कि अपीलार्थी कॉलेज, स्नातकोत्तर कॉलेज के रूप में अपना उन्नयन करना चाहता था और उस प्रयोजन के लिए उसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन किया। अपीलार्थी कॉलेज ने एक स्नातकोत्तर कॉलेज के रूप में अपना उन्नयन करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी को भी आवेदन किया (अनुबंध पी /3)। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी कॉलेज के पास स्नातकोत्तर चिकित्सा कॉलेज के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा विहित नियमों के अनुसार सभी बुनियादी और अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं परंतु राज्य सरकार ने इस मामले की अनदेखी की ओर उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया (अनुबंध पी/3)।

तथापि, वर्तमान कार्रवाई के लांबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के उक्त आवेदन को राज्य सरकार द्वारा आदेश स. 44507/एस3/08/एच एंड एफ डब्ल्यू डी, दिनांक 27.2.2009 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसमें परिणास्वरूप, अपीलार्थी ने दिनांक 27.2.2009 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 12(क) के अंतर्गत उ-श्रेय से एक अपील दायर की। तदनुसार, मूल मामले को अपील में बदल दिया गया और पक्षकारों को अपने अभिवचन दायर करने का अवसर दिया गया।

अपीलार्थी के अनुसार, अनिवार्यता प्रमाणपत्र की जरूरत मौजूदा चिकित्सा कॉलेज में नए या उच्च पाठ्यक्रम शुरू करने की वांछनीयता और उसकी व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए होती है और राज्य सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यों का अनधिकार ग्रहण नहीं कर सकता। यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए अपीलार्थी के आवेदन को जिन आधारों पर अस्वीकार किया है वे विधिक दृष्टि से पूर्णतः अयुक्तियुक्त हैं और आक्षेपित आदेश में यथा परिलक्षित राज्य सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन करने के अल्पसंख्यकों की स्वायत्तता की संवैधानिक सुरक्षा का वस्तुतः खंडन है।

इस अपील का विरोध इस आधार पर किया गया है कि राज्य सरकार ने उन कॉलेजों को अनिवार्यता प्रमाणपत्र देने का नीतिगत निर्णय लिया है जो सामाजिक न्याय देने का काम कर रहे हैं, जिसमें निर्धन और प्रतिभाशाली छात्रों को कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया जाता है। यह आरोप लगाया गया है कि चूंकि अपीलार्थी कॉलेज निर्धन और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए 50 प्रतिशत सीटें छोड़ने का इच्छुक नहीं था, अतः वह अनिवार्यता प्रमाणपत्र दिए जाने का हकदार नहीं था। यह भी आरोप है कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रश्न पर विचार करते हुए प्रवेश के तौर-तरीके और भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियम 9(2) के अनुपालन की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

इस अपील में विचारार्थ बिंदु यह है कि क्या दिनांक 27.2.2009 का अक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यद्यपि, संविधान का अनुच्छेद 30(1) उन शर्तों का उल्लेख नहीं करता जिसके तहत किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनिवार्यता प्रमाणपत्र दिया जा सकता है, फिर भी अपने स्वरूप में, संविधान के अनुच्छेद 30(1) का अर्थ है कि जब कभी भी अनिवार्यता प्रमाणपत्र मांगा जाता है, राज्य सरकार समुचित कारणों के बिना उससे इंकार नहीं कर सकती अथवा ऐसी शर्तें आरोपित नहीं कर सकती जिनसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार पूरी तरह नष्ट हो जाते हों। यह पूरी तरह से संदेह से परे है कि पुष्पागिरी मेडिकल कॉलेज, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाली एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक

संस्था है। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार, मौजूदा चिकित्सा कॉलेज में एक उच्च पाठ्यक्रम हेतु अनुमति दिए जाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं :

- I. एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम चलाने के लिए मेडिकल कॉलेज, एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त हो ।
- II. मौजूदा चिकित्सा कॉलेज में एक उच्च पाठ्यक्रम शुरू करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता से संबंधित अनिवार्यत प्रमाणपत्र
- III. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय से अनुमति
- IV. आवेदक के पास उच्च पाठ्यक्रम चलाने के लिए अतिरिक्त उपकरण और बुनियादी सुविधाएं जैसे कर्मचारियों की शिक्षा, स्थान, निधियां आदि प्रदान करने के लिए व्यवहार्यता और समयबद्ध कार्यक्रम हो।
- V. उम्मीदवार का चयन शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। पी.जी. डिग्री के लिए शिक्षण स्टाफ और छात्रों की संख्या का अनुपात 1:1 होना चाहिए
- VI. आवेदन में अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं देने के लिए बैंक गारंटी का उल्लेख हो अर्थात पी.जी. डिग्री के लिए 85 लाख रुपये।

यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता कॉलेज ने सभी उपरोक्त जरूरतें पूरी कर ली हैं, सिवाय अनिवार्यता प्रमाणपत्र के, जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाना है। यहां यह उल्लेख करना संगत है कि राज्य सरकार ने 24039/एस 3/2001/एफ एंड डब्ल्यू डी दिनांक 23.8.2001 के आदेश द्वारा चिकित्सा कॉलेज को अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किया था। उक्त आदेश निम्नलिखित है:

केरल सरकार
फार्म-2
विषय: अनिवार्यता प्रमाणपत्र
संख्या. 24039/एस 3/2001/एफ एंड डब्ल्यू डी
केरल सरकार
स्वास्थ्य विभाग

23 अगस्त, 2001

सेवा में

डॉ. अब्राहम कच्चानट, सचिव, पुष्पागिरी मेडिकल सोसाईटी तिरुवतला, केरल।

महोदय,

वांछित प्रमाण पत्र निम्नलिखित हैं:-

1. राज्य में पहले से मौजूद संस्थाओं की संख्या -7 (पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज व दो सहकारी मेडिकल कॉलेज)
2. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा वार्षिक रूप से तैयार होने वाले डाक्टरों की संख्या- 900
3. राज्य चिकित्सा परिषद के पास पंजीकृत डाक्टरों की संख्या- 30176 (इनमें से काफी बड़ी संख्या विदेशों में निजी अस्पतालों में और केरल राज्य के बाहर कार्य रही हैं)
4. सरकारी सेवा में डाक्टरों की संख्या - 5379

5. सरकारी पद और ग्रामीण/दूरदराज के इलाकों में रिक्त पदों की संख्या- 880
6. रोजगार कार्यालय में पंजीकृत डाक्टरों की संख्या-1500
7. राज्य में डाक्टरों और आबादी का अनुपात 1:5523
8. अभी प्रत्येक वर्ष जितने डाक्टर तैयार हो रहे हैं उनकी संख्या केरल की साक्षर आबादी की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, अति प्रतिभाशाली छात्रों की काफी बड़ी संख्या, जिसे स्थानीय रूप में प्रवेश नहीं मिल पाता, वे पड़ोसी राज्यों में चले जाते हैं और भारी-भरकम कैपिटेशन शुल्क देकर प्रवेश पाते हैं। तीसरे सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी 880 रिक्तियां हैं, चौथे, आबादी के अनुपात और डाक्टरों के अनुपात में कमी लाने की जरूरत है।
9. अभी राज्य में केवल अधिवासी छात्रों को ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाता है। तथापि, इनमें से सीटों की कतिपय संख्या केंद्रीय पूल के अंतर्गत आवंटन के लिए निर्धारित होती है। उन छात्रों, जो राज्य के अधिवासी नहीं हैं, पर रोक लगाने के प्रश्न का निर्णय भारत सरकार के और भारतीय चिकित्सा परिषद के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
10. उस क्षेत्र, जिसमें आवेदक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहता है, में इस प्रकार की संस्था की जरूरत है। इसके अलावा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और मेडिकल प्रोफेसर्स की भी जरूरत है।
11. डाक्टर-रोगी अनुपात जो प्राप्त करने का प्रस्ताव है- 1:2000

डा. अब्राहम ककानत, सचिव, पुष्पागिरी मेडिकल सोसाइटी तिरुवत्ता, केरल ने तिरुवत्ता में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करके, केरल सरकार ने 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदक को अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि:-

- क) आवेदक के पास 300 बिस्तरों वाला अस्पताल है जिसका वह संचालन करता है। इसकी स्थापना तिरुवत्ता में की गई थी।
- ख) लोक हित में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना वांछनीय है।
- ग) (सोसायटी/ट्रस्ट के नाम में) तिरुवत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना व्यवहार्य है,
- घ) भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार पर्याप्त चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक एम.सी.आई मानकों के अनुसार मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचा सृजित न कर पाया और केंद्र सरकार द्वारा नए प्रवेश रोक लिए जाएं तो राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की अनुमति लेकर कॉलेज में पहले से प्रवेश पाए छात्रों का उत्तरदायित्व उठा लेगी।

भवदीय
(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से उक्त आदेश में यह स्वीकार किया है कि राज्य में डाक्टरों की आबादी का अनुपात 1:55 23 है और यह अनुपात 1:2000 तक लाए जाने का प्रस्ताव है। यह भी स्वीकार किया गया है कि तैयार डाक्टरों की संख्या केरल की आबादी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि मेडिकल कॉलेज का स्थान जहां है वहां इस प्रकार की संस्था की जरूरत है और वहां बेहतर मेडिकल सुविधाओं और चिकित्सीय पेशेवर लोगों की मांग है, साथ ही साथ यह भी कि मेडिकल कॉलेज में एम सी आई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचा मौजूद है। अतः उपर्युक्त स्वीकार्य तथ्यों द्वारा मौजूदा मेडिकल कॉलेज में नए या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वांछनीयता और व्यवहार्यता का स्पष्ट तौर पर मामला बनता है।

वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने इस एकमात्र आधार पर अनिवार्यता प्रमाणपत्र देने से इंकार किया है कि सीटों की भागीदारी और प्रवेश के तौर-तरीकों को लेकर अपीलार्थी राज्य सरकार के पक्ष में करार नहीं कर पाया है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील ने जोरदार तरीके से यह आग्रह किया है कि चूंकि अपीलार्थी कॉलेज गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था है, अतः वह राज्य सरकार के लिए कोई सीट छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है। उनके अनुसार, अनिवार्यता प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरोपित शर्त वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन करने के अल्पसंख्यकों की स्वायत्तता की संवैधानिक सुरक्षा का खण्डन करती है। टी एम ए आई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस सी सी 481 में उच्चतम न्यायालय की 11 न्यायधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया है कि राज्य सरकार को यह अनुमति नहीं है कि वह केवल छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ही निजी गैर सहायता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक और गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक पेशेवर संस्थानों पर सरकारी कोटा, अपनी खुद की आरक्षण नीति, निम्न स्तर का शुल्क, आदि आरोपित करें।

इस स्थिति में पी ए इनामगार बनाम महाराष्ट्र सरकार राज्य (2005) 6 एस सी सी 537 में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देना अपरिहार्य हो जाता है। उक्त मामले में निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न हुए:

- I. गैर सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थाओं के संबंध में प्रवेश/छात्रों का "कोटा" का निर्धारण।
- II. इन कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन, अर्थात् प्रवेश परीक्षा कौन आयोजित करेगा, और
- III. शुल्क का ढांचा

जहां तक प्रथम प्रश्न का संबंध है, उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“हमारी समझ के अनुसार, न तो टी एम ए आई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य(2002) 8 एसएससी 481 में और न ही केरल शिक्षा विधेयक 1957 ए आई आर 1958 एससी 956 में संवैधानिक पीठ के निर्णय में, जो कि टी एम ए आई फाउण्डेशन द्वारा(ऊपर) अनुमोदित है, ऐसा कुछ भी है जो गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशों को विनियमित अथवा नियंत्रित करने के लिए राज्य को अनुमति देता है ताकि उन्हें उपलब्ध सीटों के एक हिस्से को राज्य द्वारा चुने गए अभ्यर्थियों के लिए छोड़ने के लिए विवश कर सके, जैसे कि वह ऐसी निजी संस्थाओं में भरने वाली सीटों को अपने विवेकाधिकार से भर रहा हो। इससे सीटों का राष्ट्रीयकरण होगा जिसे टी एम ए आई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य में विशिष्ट रूप से नकारा गया है। राज्य की सीटों का ऐसा

कोटा लागू करना अथवा बिना सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में उपलब्ध सीटों पर राज्य की आरक्षण नीति का दबाव डालना निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार और स्वायत्तता पर गंभीर अतिक्रमण करना है। सीटों के ऐसे विनियोजन को अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ में अल्पसंख्यकों के हित में न तो विनियामक उपाय माना जा सकता है और न ही संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अर्थ में तर्कसंगत रोक समझा जा सकता है। महज इसलिए कि व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने में राज्य के संसाधन सीमित हैं, निजी शैक्षणिक संस्थाएं, जो कि बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का इरादा रखती हैं, पर कम मेधावी अभ्यर्थियों को आरक्षण नीति के आधार पर प्रवेश देने के लिए राज्य द्वारा दबाव नहीं डाला जा सकता। गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं चूंकि वे राज्य की निधियों से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, स्वयं अपने दाखिले कर सकते हैं, यदि वे न्यायोचित, पारदर्शी, शोषणरहित और योग्यता पर आधारित हो।”

प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों दोनों को, केवल सीमित सीमा तक ही प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं। और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, न्यायधीश महोदय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

“चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गैर-अल्पसंख्यक संस्थाएं, किसी राज्य में किसी भी एक शाखा में शिक्षा प्रदान करने वाली एक प्रकार जैसी एक से अधिक संस्थाएं हो सकती हैं। शिक्षा के किसी एक शाखा में शिक्षा लेने के लिए प्रवेश चाहने वाले उसी इच्छुक छात्र को बहुत से संस्थानों से प्रवेश फार्म लेने होते हैं तथा एक ही अथवा विभिन्न तिथियों पर अलग-अलग स्थानों पर आयोजित अनेक प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थित होना होता है और इन तिथियों में टकराव भी हो सकता है। यदि उसी अभ्यर्थी को अनेक परीक्षाओं में उपस्थित होना होता है, तो उसे अनावश्यक और अपरिहार्य व्यय तथा असुविधा होगी। समान अथवा मिलती-जुलती शिक्षा प्रदान करने वाली एक समूह की संस्थाओं के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में कुछ भी गलत नहीं है। एक राज्य में अथवा एक से अधिक राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं मिलकर समान प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकती हैं अथवा राज्य स्वयं या किसी के माध्यम से ऐसी परीक्षा आयोजित कराने के लिए एजेंसी का प्रबंध कर सकता है। इस समान योग्यता सूची में से सफल अभ्यर्थियों की पहचान की जा सकती है और प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, सीटों की संख्या, अल्पसंख्यक के प्रकार जिससे संस्था संबंधित है तथा अन्य संगत तथ्यों की निर्भरता पर, विभिन्न संस्थाओं को आबंटित किए जाने के लिए अभ्यर्थियों को चुना जा सकता है। समान प्रवेश परीक्षा (संक्षेप में “साप्रप”) आयोजित कराने वाली एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो परम विश्वसनीय हो और इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त हो। इससे पारदर्शिता और योग्यता के दोनों उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से साप्रप (सीईटी) आवश्यक है और यह छात्र समुदाय को परेशानी और शोषण से बचाने के लिए भी आवश्यक है। ऐसी सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित कराना जिसके पश्चात् केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग कराना, अथवा दूसरे शब्दों में, प्रवेशों को विनियमित करने वाली एकल-खिड़की प्रणाली अपनी पसन्द के छात्रों को प्रवेश देने के लिए अल्पसंख्यक

गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार को किसी भी प्रकार से आघात नहीं पहुँचाती है। यह चुनाव ऐसे चुने हुए छात्रों की परस्पर योग्यता के क्रम को बदले बिना साप्रप (सीईटी) में तैयार सफल अभ्यर्थियों की सूची में से किया जा सकता है।

टी एम ए पाई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य(2002) 8 एसएससी 481 में यह उल्लेख किया गया है कि अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त संस्थाएं, उन विद्यार्थियों को चुनने जिन्हें प्रवेश की अनुमति दी जानी है तथा उसकी प्रक्रिया में, मौलिक अधिकार के बेरोक प्रयोग का न्यायसंगत रूप से दावा कर सकती हैं बशर्ते कि यह निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शोषण रहित है। यही सिद्धांत गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए लागू होता है। कोई एक अकेली ऐसी संस्था भी हो सकती है, जो कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रही है, जिसे किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है तथा निष्पक्ष, पारदर्शी और शोषण रहित होने के मापदण्ड को पूरा करते हुए उसकी अपनी प्रवेश प्रक्रिया है। एक समान या मिलती-जुलती व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रही सभी संस्थाएं, उपरोक्त तीनों मापदण्डों को पूरा करते हुए, एक सम्मिलित प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक साथ मिल सकती हैं। राज्य, निष्पक्ष तथा योग्यता आधारित प्रवेशों को निश्चित करने तथा अव्यवस्था को रोकने के लिए, एक सम्मिलित प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की क्रियाविधि भी मुहैया कर सकता है। एक निजी संस्था या संस्थाओं के समूह द्वारा इस प्रकार अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया, यदि ऊपर उल्लिखित सभी तीनों मापदण्डों या तीनों में से किसी मापदण्ड को पूरा करने में असफल रहती है तो राज्य द्वारा उस के स्थान पर अपनी प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। तदनुसार यह दूसरे प्रश्न का उत्तर है।

यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और कदाचार पर रोकथाम लगाने के छात्र समुदाय के बृहद हित और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए, एक केन्द्रीयकृत और एकल खिड़की की प्रक्रिया का प्रावधान करके प्रवेश को विनियमित करना अनुमत होगा। इस प्रक्रिया से काफी हद तक पारदर्शी आधार पर योग्यता आधारित प्रवेश प्राप्त किए जा सकते हैं। जब तक कि विनियम नहीं बना लिए जाते, प्रवेश समितियां प्रवेश की जांच कर सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किए जा सके कि योग्यता प्रभावित न हो।

जहां तक शुल्क के ढांचे का संबंध है, माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“प्रश्न स. 3 का हमारा उत्तर यह है कि प्रत्येक संस्था अपना खुद का शुल्क ढांचा तैयार करने के लिए स्वतंत्र है परंतु लाभ कमाने के नजरिए को रोकने की दृष्टि से इसे विनियमित किया जा सकता है। किसी तरह के कैपिटेशन शुल्क की वसूली नहीं की जा सकती है”

राज्य सरकार का आक्षेपित आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त विधि की प्रतिपादनाओं का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। इस स्थिति में, राज्य सरकार का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित मूलभूत अधिकार द्वारा अर्थहीन हो जाता है और यह तब तक, पहले की भांति मृतप्राय अवस्था में रहेगा जब तक कि मूलभूत अधिकार बने रहेंगे। यहां और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र देने के लिए कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए जिनसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार का वास्तव में और प्रभावी रूप से उल्लंघन होता हो या जिनसे संबंधित संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र पर प्रभाव पड़ता हो। यदि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार को पूरी तरह से छोड़ना ही अनिवार्यता प्रमाणपत्र होने की शर्त बना दिया जाता है तो अनिवार्यता प्रमाणपत्र देने से इंकार करना संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन होगा।

दिनांक 27.2.2009 के आक्षेपित आदेश में यह भी उल्लेख दिया गया है कि निरीक्षण करने पर चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को अपीलार्थी कॉलेज की कतिपय संकायों में कुछ कमियां मिली थीं। इस आक्षेपित आदेश में चिकित्सा शिक्षा के निदेशक द्वारा पाई गई कमियों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तथापि, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, केरल सरकार द्वारा पाई गई कथित कमियां पूरी तरह से भारतीय चिकित्सा परिषद के ही कार्यक्षेत्र में आती हैं जो सांविधिक की देन हैं और राज्य सरकार में इन शक्तियों को आरोपित नहीं किया जा सकता कि इससे भारतीय चिकित्सा परिषद का महत्व उन क्षेत्रों को लेकर समाप्त ही हो जाए जिन पर उसे सांविधिक अधिदेश प्राप्त है और निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के लिए दिए गए हैं। चिकित्सा अध्ययनों में पाठ्यक्रम अनुदेश निर्धारित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद में शक्तियों का प्रस्थापन किया गया है जो निस्संदेह रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन है जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में परिकल्पित है। इसके परिणामस्वरूप इस आक्षेपित आदेश को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा पाई गई कथित कमियां अपीलार्थी द्वारा अपने पी.जी.पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र का दावा किए जाने को हकरहित बना देती है।

पूर्वोक्त कारणों से, आयोग का यह निर्णय है कि दिनांक 27.2.2009 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 12-क के अंतर्गत अपील की अनुमति दी जाती है। दिनांक 27.2.2009 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ता को अनिवार्यता प्रमाणपत्र दिया जाता है ताकि नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए, अध्ययन के उच्च पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने के लिए विनियम, 1993 द्वारा अपेक्षित अपीलकर्ता नए या उच्च पाठ्यक्रम शुरू कर सके।

2009 का मामला संख्या 286

स्कूल की प्रबंधन समिति के पुनर्गठन के लिए आदेश के विरुद्ध चुनौती

याचिकाकर्ता : 1. आडिएल पब्लिक स्कूल, मौलाना आजाद नगर, मोलर थैस, 24 परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल
प्रतिवादी : 1. सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग (माध्यमिक), पश्चिम बंगाल सरकार विकास भवन, साल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

इस याचिका में संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग, माध्यमिक शाखा पश्चिम बंगाल सरकार के दिनांक 15.10.2008 के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें याचिकाकर्ता स्कूल को अपनी प्रबंधन समिति का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता का स्कूल संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है और राज्य सरकार का दिनांक 15.10.2008 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन है।

नोटिस देने के बावजूद, राज्य सरकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

यहां यह उल्लेख करने की जरूरत है कि मामला सं 696/2007 में इस आयोग द्वारा दिए गए दिनांक 3.1.2008 के प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता संस्था को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था घोषित किया गया है। टी एम ए वाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस सी सी 481 में उच्चतम न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि अपने पसंद की शैक्षिक संस्था की स्थापना करने और उनका संचालन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:

- “(क) इसकी शासी निकाय को चुनना, जिसमें संस्था के संस्थापकों को संस्था के कार्यों को संचालित करने तथा प्रबंधन करने के प्रति आस्था और विश्वास है ।
- (ख) शिक्षण(शिक्षक, प्राध्यापक तथा हैडमास्टर) तथा गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति करना तथा यदि इसके किसी कर्मचारी की तरफ से कर्तव्य की अवहेलना की गई है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना ।
- (ग) अपनी पसन्द के पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देना तथा एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना ।
- (घ) संस्था के हित के लिए इसकी संपत्तियों तथा परिसंपत्तियों का प्रयोग करना ।

दिनांक 15.10.2008 के आक्षेपित आदेश द्वारा राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता स्कूल को ट्रस्ट के एक या दो प्रतिनिधियों को लेकर अपनी प्रबंधन समिति का पुर्नगठन करने का निर्देश दिया है। स्कूल का प्रधानाचार्य प्रबंधन समिति का ट्रस्ट सदस्य नहीं होना चाहिए। वह प्रबंधन समिति का भूतपूर्व पदेन सदस्य नहीं होना चाहिए। प्रबंधन समिति में शिक्षकों के दो प्रतिनिधि, अभिभावकों के दो प्रतिनिधि और गैर शिक्षक स्टाफ का एक प्रतिनिधि (सभी निर्वाचित) होना चाहिए।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि शासी निकाय के सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए, व्यक्तियों को चुनने की स्वतंत्रता को शैक्षणिक संस्था के संचालन के अधिकार के एक अत्यावश्यक पहलू के रूप में हमेशा स्वीकार किया गया है। कोई नियम, जो कि प्रबंधन के इस अधिकार को छीनता है, को संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रत्याभूत अधिकार में बाधा डालने के रूप में माना गया है ।

राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरण, एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की प्रबंध समिति/शासी निकाय में अपने नामित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिला सकती । संस्था के कार्यों को संचालित करने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की प्रबंध समिति/शासी निकाय में एक बाह्य प्राधिकारी, चाहे वह कितना भी उच्च हो, का प्रवेश जो कि या तो सीधे या उसके नामित व्यक्तियों के माध्यम से किया जाए, संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार का पूर्णतः विनाशक होगा तथा प्रबंधन को एक असहाय ईकाई के रूप में ला खड़ा करेगा जिसका काम-काज में कोई वास्तविक अधिकार नहीं रहेगा तथा इस प्रकार संस्था का पूर्ण व्यक्तित्व तथा विशिष्टता नष्ट हो जाएगी जो संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा पूर्णतः संरक्षित है ।

प्रशासन में स्वायत्तता का तात्पर्य है संस्था के कामकाज का कारगर तरीके से संचालन करना तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार । राज्य या कोई विश्वविद्यालय/ सांविधिक प्राधिकरण, विनियामक उपायों को लागू करने के आवरण या उसकी आड़ में एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की प्रशासनिक स्वायत्तता को नष्ट नहीं कर सकता या संस्था के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले संचालन के साथ हस्तक्षेप करना आरम्भ नहीं कर सकता जिससे कि संबंधित संस्था के संचालन का अधिकार निरर्थक या भ्रामक बन जाता हो । राज्य सरकार या कोई भी सांविधिक प्राधिकरण संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल किसी शैक्षिक संस्था की प्रबंधन समिति के गठन की विधि या प्रक्रिया को विनियमित नहीं कर सकती ।

अतः टी एम ए पाई फाउंडेशन(ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा अभिव्यक्त विधि की प्रतिपादना के दृष्टिगत, राज्य सरकार या किसी सांविधिक प्राधिकरण को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से यह अपेक्षा करे कि वह उसके निदेशानुसार अपनी प्रबंधन समिति का पुर्नगठन करे। ऐसी स्थिति में, राज्य सरकार का आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों

के मूलभूत अधिकार का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है। यहां पर यह उल्लेख करने की जरूरत है कि संविधान के भाग ॥ में प्रतिष्ठापित मूलभूत अधिकारों को सदैव संविधान में विशेष स्थान एवं विशेषाधिकार मिला है। यह सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए कि मूलभूत अधिकारों को संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह घोषणा की गई है कि संविधान के भाग ॥ में प्रतिष्ठापित मूलभूत अधिकारों के विपरीत कोई विधि या नियम राज्य नहीं बना सकता। ऐसी स्थिति में, राज्य सरकार का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 13 के भी विपरीत है।

पूर्वोक्त कारणों से, आयोग का यह निर्णय है कि टी एम ए पाई फाउंडेशन (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा अभिव्यक्त विधि की प्रतिपादना के दृष्टिगत, दिनांक 15.10.2008 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसलिए याचिकाकर्ता स्कूल इनमें उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अपनी प्रबंधन समिति का पुर्नगठन करने के लिए बाध्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम परसराम, एआईआर 2008 एससीडब्ल्यू 373 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई विधि की घोषणा का किसी प्राधिकारी द्वारा किसी बहाने से त्याग नहीं किया जा सकता।

2006 का मामला संख्या 1338

मिराज, जिला सांगली, महाराष्ट्र में रोजरी अंग्रेजी प्राइमरी स्कूल को मान्यता देने का अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. पूना दियासीसन शिक्षा सोसाईटी, 1, टोडीवाला रोड, पुणे-411001

प्रतिवादी : 1. महाराष्ट्र राज्य प्राइमरी ऐजुकेशन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय मुम्बई (अपने सचिव के माध्यम से)
2. माननीय शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय मुम्बई
3. निदेशक, प्राइमरी ऐजुकेशन, महाराष्ट्र सरकार, सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे-411001
4. शिक्षा अधिकारी, प्राइमरी सेक्शन, जिला परिषद, महाराष्ट्र राज्य, जिला सांगली।

पूना दियासीसन ऐजुकेशन सोसाईटी ने राज्य सरकार को यह निर्देश देने की मांग की कि वे उसके द्वारा मिराज, जिला सांगली महाराष्ट्र में स्थापित स्कूल नामतः रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को मान्यता दें।

याचिकाकर्ता, पूना दियासीसन ऐजुकेशन सोसायटी, पुणे ईसाई समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक ट्रस्ट है। यह मुम्बई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 और साथ ही सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। याचिकाकर्ता सोसाईटी को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.5.2009 के आदेश सं. 2009/798/प्रा.क्रा.39/2009/का-1 द्वारा एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक सोसायटी के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2005 में, याचिकाकर्ता सोसायटी ने दो प्राइमरी स्कूल नामतः वेन्गुर्ला, जिला सिंध दुर्ग महाराष्ट्र में मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल और मिराज, जिला सांगली, महाराष्ट्र में रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता ने 15.7.2009 को दो अलग अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनकी शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान्यता देने के लिए संस्तुति की गई। महाराष्ट्र सरकार ने 31.5.2006 को मान्यता प्राप्त स्कूलों की एक सूची प्रकाशित की। याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा स्थापित एक संस्था को मान्यता दी गई। तथापि, रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को मान्यता नहीं मिली हालांकि राज्य चयन समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त स्कूल में सभी बुनियादी और साथ ही अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं परंतु राज्य सरकार ने उन आधारों पर मान्यता देने से मना किया जो पूर्णतः विधिक कसौटी पर खरे नहीं उतरते। यह आरोप लगाया गया है कि उक्त स्कूल को मान्यता न

देने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के मूलभूत अधिकारों का अतिलंघन है।

रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, मिराज को मान्यता देने के याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने के राज्य सरकार द्वारा दो अलग-अलग कारण बताए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से दायर पहला जवाब दिनांक 21.2.2007 का है। यह आरोप लगाया गया है कि सरकार के दिनांक 19.6.2004 के संकल्प में राज्य सरकार ने उन नए प्राइमरी स्कूलों को खोलने के लिए अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लिया था जिनके मामले जिला स्तर और राज्य स्तर की समितियों द्वारा संस्तुत किए गए हैं। चूंकि याचिकाकर्ता का प्रस्ताव एक समिति अर्थात राज्य स्तर की समिति द्वारा संस्तुत था, इसलिए सरकार ने यह अनुमति नहीं दी। यह भी आरोप लगाया गया है कि 2897/2006 डब्ल्यू. पी. संख्या और 2006 की 3526 में नागपुर स्थित बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में, राज्य सरकार विभिन्न प्राइमरी स्कूलों को वर्ष 2005-06 में दी गई मान्यता निरस्त कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नए प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश भी दिया। तथापि, नागपुर स्थित बंबई उच्च न्यायालय की पीठ के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर एस एल पी स. 19055/2006 में उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात सरकार याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी। राज्य सरकार की ओर से दायर दिनांक 19.1.2009 के दूसरे जवाब में यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल अनाधिकृत रूप से शुरू किया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी, मिराज-कुपवाड-सांगली, नगर निगम द्वारा आपूर्ति की गई सूचना के अनुसार उक्त स्कूल के आस-पास पांच सरकारी मान्यताप्राप्त प्राइमरी स्कूल पहले से ही चल रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि जिला और साथ ही राज्य स्तरीय समितियों ने उक्त स्कूल को मान्यता देने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मान्यता प्रदान नहीं की।

प्रतिवादी सं 3, शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) जिला परिषद, सांगली ने इस याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा प्रस्तावित नए प्राइमरी स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के स्कूलों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे। याचिकाकर्ता ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया था। इन कमियों के बावजूद, याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को राज्य स्तर की समिति में भेजा गया था। यह भी आगे आरोप लगाया गया है कि डब्ल्यू पी सं 2897/2006 में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने राज्य में नए प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की अनुमति निरस्त कर दी थी। अपने दिनांक 6.11.2006 के अनुपूरक उत्तर में प्रतिवादी सं.3 ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने हैडमास्टर, रेलवे प्राइमरी स्कूल, मिराज द्वारा दिया गया दिनांक 23.7.2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें यह दिखाया गया है कि आधे कि.मी. के व्यास के भीतर एक प्राइमरी स्कूल है। मिराज-कूपवाड-सांगली नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने रेलवे प्राइमरी स्कूल में छात्रों की आबादी का ब्यौरा प्रस्तुत किया था जो निम्नलिखित है:-

कक्षा	छात्रों की संख्या
I.	26
II.	30
III.	26
IV.	29

प्रतिवादी सं 3 के अनुसार प्रत्येक कक्षा के लिए छात्रों की संख्या 50 तक रखने की अनुमति दी जाती है और रेलवे प्राइमरी स्कूल, मिराज में छात्रों की आबादी को देखते हुए, नए स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है यह भी अभिकथित है कि याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा स्थापित, प्राइमरी स्कूल से 2 कि.मी. की दूरी पर एक अन्य स्कूल नामतः न्यू एपॉस्टेलिक प्राइमरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम का) स्थित है। उक्त स्कूल में पहली कक्षा में छात्रों की वर्तमान संख्या भी 16 है। शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) द्वारा दायर दिनांक 15.1.2009 के तीसरे उत्तर में, यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 30.12.2008 के पत्र द्वारा, मिराज-कूपवड और सांगली नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने रेलवे प्राइमरी स्कूल में छात्रों की संख्या का ब्यौरा दिया था जो निम्नलिखित है:-

कक्षा	छात्रों की संख्या
I.	41
II.	24
III.	25
IV.	27
V.	27

पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, विचारार्थ प्रश्न यह उठता है कि क्या रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को मान्यता न देने में राज्य सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रत्याभूत मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। यह विवाद से परे है कि रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल की स्थापना और इसका संचालन पूना दियासीसन ऐजुकेशन सोसाईटी द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक पंजीकृत न्यास है और इस सोसायटी का गठन क्रिश्चियन समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है। इसके कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 30.5.2009 के आदेश द्वारा राज्य सरकार ने उक्त सोसायटी को एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में प्रमाणित किया था। यहां यह रेखांकित करने की जरूरत है कि याचिकाकर्ता की इस दलील पर प्रतिवादियों द्वारा खंडन नहीं किया गया है कि उसने 12 हाई स्कूलों, एक वरिष्ठ कॉलेज और 21 प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की है। याचिकाकर्ता सोसाईटी द्वारा स्थापित सभी स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। सोसायटी ने 25.06.2005 को मिराज में रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन किया था जिसे राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया बताया जाता है।

बॉम्बे प्राइमरी शिक्षा नियम, 1949 के नियम 107 में एक निजी स्कूल को मान्यता देने के लिए प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। नियम 107 निम्नलिखित है:-

“निजी स्कूल की मान्यता-

- (1) नियम 106 के अंतर्गत कोई आवेदन मिल जाने के पश्चात तत्काल सक्षम प्राधिकारी आवेदन में संदर्भित स्कूल में निरीक्षण की व्यवस्था करेगा, और स्कूल बोर्ड को या जैसा भी मामला हो, शिक्षा समिति को इस निजी स्कूल की मान्यता और सहायतानुदान, यदि संदेय हो तो, के संबंध में अपनी सिफारिशों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट भेज देगा।
- (2) निरीक्षण अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट देते हुए निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, नामतः-
 - क) क्या उस इलाके में प्रस्तावित प्राइमरी स्कूल खोले जाने की वास्तविक जरूरत है,

- ख) क्या प्रबंधन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत या महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, 1950 के अंतर्गत या दोनों के अंतर्गत पंजीकृत है।
- ग) क्या स्कूल के प्रयोजनों से जो कार्य-स्थल और परिसर बनाया गया है वह शिक्षा प्रयोजनों के अनुकूल है और क्या उसे स्वच्छ रखा जाता है,
- घ) क्या जो स्टाफ नियुक्त किया गया है वह पर्याप्त, योग्य और सक्षम है,
- ङ) क्या स्कूल के व्यय को पूरा करने के लिए स्कूल के पास पर्याप्त संसाधन है,
- (3) निरीक्षण अधिकारी, अन्य चीजों में, अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में यह भी उल्लेख करेगा कि:-
- क) क्या स्कूल को मान्यता देने के लिए शर्तों को विधिवत पूरा किया गया है,
- ख) क्या स्कूल के छात्रों की उपस्थिति नियमित और संतोषजनक है,
- ग) क्या स्कूल भवन अच्छा हवादार है और स्कूल में मैदान, दस्तकारी कक्ष, कार्य-अनुभव के लिए प्रावधान किए गए हैं, और क्या पाठ्यक्रम के अनुसार फर्नीचर, पुस्तकों, शैक्षिक उपकरणों और शिक्षण सहायक उपकरणों का प्रावधान किया गया है,
- घ) क्या प्रवेश, उपस्थिति और छात्रों की आयु के पंजीकरण के लिए व्यवस्था पर्याप्त और संतोषजनक है,
- ङ) क्या आय और व्यय का रख-रखाव करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की गई है।”

यहां यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि प्रतिवादियों द्वारा कहीं भी यह दलील नहीं दी गई है कि मान्यता देने के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन उक्त नियम की किसी भी आवश्यकता को पूरा न करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। इसके विपरीत रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को मान्यता न देने के लिए प्रतिवादियों द्वारा अलग-अलग ब्यान दिए गए हैं। अपने दिनांक 18.11.2007 के उत्तर में, श्री सरजीराव कृष्ण जादव, शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), जिला परिषद, सांगली ने उल्लेख किया है कि रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को मान्यता देने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्नलिखित आधार पर संस्तुति नहीं की गई थी:-

1. कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित नया स्कूल शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है।
2. याचिकाकर्ता ने क्षेत्र में स्थित दूसरे स्कूलों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।
3. याचिकाकर्ता ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।
4. कि डब्ल्यू पी स- 2897/2006 में नागपुर स्थित बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में राज्य में विभिन्न प्राइमरी स्कूलों की स्थापना के लिए दी गई अनुमति राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

अपने दिनांक 6.11.2006 के दूसरे जवाब में, श्री एन. बी. पाटिल, शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) जिला परिषद, सांगली ने मान्यता देने के लिए याचिकाकर्ता को प्रस्ताव की संस्तुति न देने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त बिंदु भी जोड़े हैं।

1. हैडमास्टर, रेलवे प्राइमरी स्कूल, मिराज द्वारा जारी दिनांक 23.7.2005 के अनापत्ति प्रमाण पत्र से पता चलता है कि आधे कि.मी. के व्यास के भीतर एक प्राइमरी स्कूल है।
2. कि प्रशासनिक अधिकारी, मिराज, कुपवाड एवं सांगली नगर निगम ने रेलवे प्राइमरी स्कूल, मिराज में छात्रों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित सूचना दी है:-

कक्षा	छात्रों की संख्या
I.	26
II.	30
III.	26
IV.	39

यह अभिकथित है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 6.11.2006 के पत्र द्वारा दी गई उक्त सूचना को देखते हुए उस क्षेत्र में कोई भी नया स्कूल शुरू करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, न्यू एपोस्टोलिक प्राइमरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) के नाम से एक अन्य स्कूल है जो रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, मिराज से 2 कि.मी. के क्षेत्र में है।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि श्री एन.बी. पाटिल, शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), प्रतिवादी सं. 3 द्वारा दिये गये जवाब से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने हैड मास्टर, रेलवे प्राइमरी स्कूल, मिराज द्वारा जारी 23.7.2005 का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया था। अतः श्री एन वी पाटिल का उपर्युक्त बयान स्पष्ट रूप से श्री संजीराव कृष्ण जाधव के बयान से विरोधाभासी है कि याचिकाकर्ता ने क्षेत्र में स्थित अन्य स्कूलों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत नहीं किया था। यह स्वीकार्य स्थिति है कि याचिकाकर्ता सोसायटी को महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम 1950 के अंतर्गत एक न्यास के रूप में पंजीकृत किया गया है। बम्बई प्राइमरी शिक्षा नियम 1949 के नियम 107 के उप नियम 2 (ख) में यह प्रावधान है कि प्रबंधन को या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम 1950 के अंतर्गत या दोनों के तहत पंजीकृत होना चाहिए। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी सं. 3 शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) जिला परिषद, सांगली द्वारा लिया गया यह रुख कि याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत न होने के कारण संस्तुति नहीं दी जा सकती, माना नहीं जा सकता।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार की ओर से दो लिखित बयान प्रस्तुत किए गए हैं। दिनांक 21.2.2007 का पहला जवाब महाराष्ट्र सरकार शिक्षा एवं खेल विभाग, महाराष्ट्र सरकार में डेस्क अधिकारी श्री बी वाय मंता द्वारा दायर किया गया है। इस जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, मिराज अनधिकृत रूप से नहीं चलाया जा रहा है और जिला समिति द्वारा याचिकाकर्ता के मामले की संस्तुति न दिए जाने का एकमात्र आधार यह है कि याचिकाकर्ता की सोसायटी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। इसमें राज्य समिति की सिफारिशों का भी उल्लेख है जिनकी यह राय है कि प्रस्तावित क्षेत्र में किसी इंग्लिश माध्यम के स्कूल की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता की सोसायटी, बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950 के अंतर्गत पंजीकृत एक अल्पसंख्यक संस्था है और इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि मिराज में प्राइमरी स्कूल खोलने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की केवल राज्य समिति द्वारा संस्तुति दी गई थी, अतः राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा मांगी गई मान्यता उक्त स्कूल को प्रदान करने से मना कर दिया। जवाब में यह भी उल्लेख किया गया है कि नागपुर स्थित बंबई उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा जारी एस एल पी स.19055/2006 में उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। उक्त लिखित जवाब की प्रतियां शिक्षा निदेशक (प्राइमरी), उपनिदेशक शिक्षा कोल्हापुर मंडल, कोल्हापुर और शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) जिला परिषद, सांगली को भी भेजी गई थीं। यह अत्यंत विस्मयकारी बात है

कि राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब की प्रति मिल जाने के बाद भी, शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), सांगली ने याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की संस्तुति न करने का विरोधाभासी रवैया आखिरकार किया। राज्य सरकार स्कूली शिक्षा और खेल विभाग की ओर से दायर दूसरा लिखित बयान दिनांक 19.1.2009 का है जो महाराष्ट्र सरकार में उप सचिव श्री एन यू रोराले द्वारा दायर किया गया है। इस जवाब में यह कहा गया है कि रोजरी इंग्लिश पब्लिक स्कूल अनधिकृत रूप से शुरू किया गया है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। श्री एन यू रोराले का बयान बंबई प्राइमरी एवं शिक्षा नियम 1949 के नियम 106 के उप नियम (2) के प्रत्यक्ष रूप में विरोध में है जिसमें यह प्रावधान है कि संस्तुति के लिए कोई आवेदन स्कूल द्वारा तब किया जाएगा, जब स्कूल ने वास्तविक रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया हो और वह कम से कम 3 माह की अवधि के लिए अस्तित्व में हो। इसके अलावा, राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत दिनांक 21.2.2007 के पहले लिखित बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल अनधिकृत रूप से शुरू नहीं किया गया है। राज्य सरकार की ओर से दायर लिखित जवाब में उपर्युक्त विसंगतियों को देखते हुए, हम यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हैं कि श्री एन यू रोराले ने तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दिया है कि उक्त संस्था मिराज में अनधिकृत रूप से शुरू की गई है। श्री रोराले राज्य सरकार के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और उन्हें अभिलेखों से समुचित सत्यापन किए बिना यह गलत बयान नहीं देना चाहिए था। श्री रोराले ने मान्यता देने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का एक अन्य आधार भी बताया है कि उक्त प्राइमरी स्कूल के आसपास पांच सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूल पहले से चलाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता सोसायटी को संबोधित प्रशासनिक अधिकारी, प्राइमरी स्कूल बोर्ड, सांगली, मिराज नगर निगम के दिनांक 9.5.2008 के पत्र की फोटोकापी भी दायर की है जिसमें यह इंगित किया गया है कि मिराज में 7 प्राइमरी स्कूलों में से नगर निगम, सांगली के प्रबंधन के अंतर्गत 4 मराठी और 1 उर्दू माध्यम का स्कूल है। इसके अलावा रेलवे विभाग द्वारा एक मराठी निजी स्कूल और 1 अंग्रेजी माध्यम का स्कूल संचालित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, मिराज में उपर्युक्त प्राइमरी स्कूल होने से अपने स्कूल को बंबई प्राइमरी शिक्षा नियम, 1949 के अनुसार मान्यता दिए जाने के लिए याचिकाकर्ता को हकहीन नहीं करता। यहां यह उल्लेख करना भी संगत होगा कि दिनांक 23.7.2005 के पत्र द्वारा रेलवे प्राइमरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) ने रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। याचिकाकर्ता ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकापी भी दायर की है जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि पूना दियासीसन एजुकेशन सोसायटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। जैसी कि राज्य समिति की राय है, याचिकाकर्ता सोसायटी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। याचिकाकर्ता सोसायटी ने रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण के लिए 40 लाख रुपये की धनराशि व्यय की है। याचिकाकर्ता सोसायटी ने उक्त प्राइमरी स्कूलों के योग्य शिक्षकों की एक सूची भी प्रस्तुत की है। रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के छात्रों की कुल तादाद 317 है। प्रतिवादियों द्वारा इन तथ्यों का खंडन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, हम यह पाते और निर्णय देते हैं कि रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में नियम 106 और बंबई प्राइमरी शिक्षा नियम 1949 के अंतर्गत सभी बुनियादी और अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं।

यह स्वीकार की गई स्थिति है कि नागपुर स्थित बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर एस एल पी स. 19053/2006 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया है। सुपर स्टार एजुकेशन सोसायटी बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य 2008 एआईआरएससीडब्ल्यू 2057 के रूप में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात राज्य सरकार को, इस आयोग को दिनांक 21.2.2007 के जवाब द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए था। हैरानगी की बात है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय के दृष्टिगत मान्यता दिए जाने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, यह आधार बिलकुल नहीं ठहरता कि मान्यता दिए जाने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण स्वीकार नहीं

किया जा सकता। ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमें यह टिप्पणी करने को बाध्य होना पड़ रहा है कि निदेशक, शिक्षा पुणे को छोड़कर सभी संबंधित अधिकारियों ने रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को मान्यता से वंचित करने में मिलकर षडयंत्र रचा है। याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने के लिए, श्री एन यू रोराले उप सचिव तो आयोग को झूठी सूचना देने तक के स्तर तक चले गए हैं। जैसा कि पूर्व में प्रदर्शित किया है, निदेशक, शिक्षा पुणे ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि मिराज में नया प्राइमरी स्कूल स्थापित करने की जरूरत है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध निषेधाज्ञा द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह निषेधाज्ञा संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित है जिस में यह घोषणा की गई है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि ऐसे उल्लंघन की सीमा तक अमान्य मानी जाएगी। यह सुस्थापित है कि अनुच्छेद 30(1) को संकीर्ण तथा विद्याडम्बर भाव से नहीं पढ़ा जा सकता तथा मूल अधिकार होने के नाते इसे व्यापक अर्थों में लिए जाना चाहिए। अनुच्छेद 30(1) की व्यापकता में ऐसे विचारों के समावेश से कटौती नहीं की जा सकती जो इसमें प्रतिष्ठापित अधिकार के तत्व को नष्ट करते हों। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में ऐसी स्थितियों का उल्लेख नहीं है जिसके तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकती है, परन्तु फिर भी अनुच्छेद की प्रकृति में यह अर्थ समाविष्ट है कि जहां मान्यता मांगी जाती है, वहां राज्य सरकार बिना किसी पर्याप्त कारण के अथवा ऐसी शर्तें लागू करने के प्रयास द्वारा जिनसे शैक्षणिक संस्थान का स्वायत्त प्रशासन पूरी तरह नष्ट हो जाता हो, मान्यता के लिए मना नहीं कर सकती।

मान्यता एक सुविधा है जो राज्य शैक्षणिक संस्था को प्रदान करता है। कोई शैक्षणिक संस्था, राज्य सरकार की मान्यता के बिना नहीं चल सकती। मान्यता के बिना शैक्षणिक संस्था केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं उठा सकती। मैनेजिंग बोर्ड, ऑफ द मिली तालीमी मिशन बिहार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1984(4) एससीसी 500 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि अल्पसंख्यक संस्था चलाना भी उतना ही मौलिक अथवा महत्वपूर्ण है जितना देश के नागरिकों को दिए गए अन्य अधिकार। यदि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को कोई उचित तथा पर्याप्त आधार बताए बिना राज्य सरकार उसे मान्यता देने तथा विश्वविद्यालय संबद्धता प्रदान करने से मना करता है तो इसके सीधे परिणाम यह होंगे कि संस्था का अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अतः संविधिक प्राधिकारियों द्वारा बिना किसी उचित तथा पर्याप्त आधार के मान्यता अथवा संबद्धता देने से मना करना संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रत्याभूत अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

पी ए ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005)6 एस सी सी 537 में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि किसी राज्य या बोर्ड अथवा इसके लिए सक्षम किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता या मान्यता से इंकार मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि संस्था एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है। मान्यता/संबद्धता प्राप्त करने की इच्छुक किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को शैक्षिक उत्कृष्टता, हैडमास्टर/प्रधानाचार्य/शिक्षकों/प्राध्यापकों और अध्ययन पाठ्यक्रम और सामग्री के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा विहित पात्रता की न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करना ही होगा। संस्था के पास अपने विकास के लिए पर्याप्त बुनियादी और अनुदेशात्मक सुविधाएं होनी चाहिए। हम पहले ही यह निर्णय दे चुके हैं कि रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में अपने विकास के लिए सभी बुनियादी एवं अनुदेशात्मक सुविधाएं मौजूद हैं। मिराज में एक प्राइमरी स्कूल स्थापित करने की जरूरत है। यहां यह और कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) को रेखांकित करने वाला उद्देश्य यह देखना है कि अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो और यह कि उनके बच्चों का समुचित और सक्षम रूप से पालन-पोषण हो और वे उच्च विश्वविद्यालय के लिए पात्र हो सकें और ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ पूर्णतः सुसज्जित होकर बाहरी दुनिया में जाएं जिससे कि वे लोक सेवाओं, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए योग्य बन सकें।

चूंकि हमने यह निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता सोसायटी के पास प्रस्तावित प्राइमरी स्कूल शुरू करने की सभी बुनियादी ओर अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं, अतः याचिकाकर्ता द्वारा मान्यता दिए जाने की मांग को अस्वीकार करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 21-क 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग में सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार घोषित करता है और अपने राज्य के सभी बच्चों को सस्ती और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की राज्य की संवैधानिक बाध्यता है। यदि राज्य 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की अपनी संवैधानिक बाध्यता का निर्वाह करने में असमर्थ है तो उसे निजी प्राइमरी स्कूल के प्रबंधकों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करके उसकी इस संवैधानिक बाध्यता का निर्वाह करें और उन्हें अनुच्छेद 21-क को वास्तविक अर्थों में अर्थपूर्ण बनाने में सहयोगी समझना चाहिए। इसके अलावा, शिक्षा का अधिकार कानून में कक्षा 8 तक अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाने का वचन दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य 6-14 आयु वर्ग में कुल 193 मिलियन बच्चों में से 8.1 मिलियन स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने का है। रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को मान्यता देने से इंकार करने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार का भी प्रत्यक्ष रूप से विरोध करती है। राज्य सरकार की आक्षेपित कार्यवाई न केवल संविधान के अनुच्छेद 30(1) और 21-क का उल्लंघन करती है बल्कि उदारवाद और सहिष्णुता की आत्मा और हमारे संविधान में सम्मिलित अल्पसंख्यकों के प्रति जिम्मेदारी के भी प्रतिकूल है। जैसा कि ए आई आर 1958 एस सी 956 में माननीय वेंकटरमण अय्यर जे ने पृ 990 पर टिप्पणी की है, संविधान अल्पसंख्यकों को दो विशिष्ट अधिकार देता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक अर्थात्

1. राज्य का अल्पसंख्यकों, धार्मिक अथवा भाषा-विषयक संस्थाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता एवं मान्यता देने के मामले में समान व्यवहार प्रदान करने का सकारात्मक दायित्व है; तथा
2. राज्य का ऐसे संस्थानों की स्थापनाओं पर रोक न लगाने तथा उनके संचालन में हस्तक्षेप न करने का नकारात्मक दायित्व भी है।

ऊपर उल्लिखित कारणों से आयोग की यह राय थी कि रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को मान्यता न देने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत प्रत्याभूत मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है। राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वे सुपरस्टार एजुकेशन सोसायटी बनाम महाराष्ट्र एवं अन्य 2008 ए आई आर एस सी डब्ल्यू 2052 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार रोजरी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को मान्यता दिए जाने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 2004 की धारा 11(क) के अनुसार आयोग के निष्कर्षों को कार्यान्वित करें।

2008 का मामला संख्या 1548

जेड ए इस्लामिया कॉलेज, सिवान, बिहार में पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय की अनुमति

याचिकाकर्ता : 1. जेड ए इस्लामिया कॉलेज, सीवान, बिहार

प्रतिवादी : 1. जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से)

याचिकाकर्ता जेड ए इस्लामिया कॉलेज, सीवान, बिहार (इसमें इसके पश्चात याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) ने यू जी सी द्वारा शुरु किए गए कैरिअर ओरिएंटिड कार्यक्रमों से संबंधित परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता कॉलेज की स्थापना और इसका संचालन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। यू जी सी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कैरिअर ओरिएंटिड कार्यक्रमों की योजना शुरु की थी। उक्त योजना की शुरुआत के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने उक्त पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए यू जी सी को आवेदन किया। प्रतिवादी विश्वविद्यालय की सिफारिश पर यू जी सी द्वारा याचिकाकर्ता का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया। 29.3.2004 के आदेश द्वारा कैरिअर ओरिएंटिड कार्यक्रमों के लिए याचिकाकर्ता को सहायतानुदान भी जारी किया गया। कैरिअर ओरिएंटिड कार्यक्रमों के अंतर्गत कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैशन डिजाइनिंग और टूर एंड ट्रेवल्स प्रबंधन विषयों में पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने उक्त पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया और उक्त पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण अनुमोदन के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय को भेज दिया। यू जी सी के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि यदि संबंधित विश्वविद्यालय का अनुमोदन कॉलेज के पाठ्य विवरण जमा करने के दो माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो उसे अनुमोदित माना जाएगा। 16.4.2008 को याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के संबंध में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दिए जाने के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय को आवेदन किया। यह आरोप लगाया गया है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों की अपूरणीय क्षति हुई है।

प्रतिवादी विश्वविद्यालय की ओर से दायर जवाब में यह कहा गया है कि उसने कैरिअर ओरिएंटिड कार्यक्रमों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए समुचित विनियमों और अध्यादेशों का निर्माण करके अपना दायित्व पूरा कर लिया है और इन्हें कुलाधिपति के सचिवालय को दिनांक 20.6.2007 को भेज दिया गया था। प्रतिवादी विश्वविद्यालय के अनुसार, दिनांक 11.4.2008, 17.11.2008 और 24.2.2009 के बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद कुलाधिपति की अपेक्षित सहमति प्राप्त नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप संबंधित परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी।

यहां पहला प्रश्न जो विचारार्थ उठता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता कॉलेज, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। याचिका में यह याचना की गई है कि याचिकाकर्ता एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा इस तथ्य पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 5 में यह नियम निहित है जिसे अखण्डन का सिद्धांत कहा जाता है जिसका अर्थ है कि जहां तथ्य संबंधी कथन बिना किसी विशिष्ट खण्डन के जारी रहते हैं, तो उन्हें स्वीकार्य मान लिया जाता है। अतः याचिकाकर्ता की इस याचना से, कि वह संविधान के अनुच्छेद 30(1)के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है, प्रतिवादी द्वारा इंकार नहीं किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा के उसके दावों को लेकर याचिकाकर्ता कॉलेज के कथन को स्वीकार्य समझा जाना चाहिए।

विचारार्थ अगला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या कैरिअर ओरिएंटिड पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित न कराने में प्रतिवादी विश्वविद्यालय की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डिग्री स्तर पर कैरिअर ओरिएंटिड कार्यक्रमों की योजना शुरु करने के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने उक्त योजना को शुरु करने के लिए यू जी सी को आवेदन किया था, जिसे प्रतिवादी विश्वविद्यालय की सिफारिश पर यू जी सी द्वारा अनुमोदित किया गया। दिनांक 29.3.2004 के आदेश द्वारा उक्त कार्यक्रमों के लिए याचिकाकर्ता को सहायतानुदान भी जारी की गई। यह भी

स्वीकार किया गया है कि कैरिअर ओरिएंटिड कार्यक्रमों के अंतर्गत कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैशन डिजाईनिंग और टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट शाखाओं में पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के पश्चात, याचिकाकर्ता ने छात्रों को प्रवेश दिया ओर उक्त पाठ्यक्रमों के लिए नियत पाठ्य विवरण को अनुमोदन के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय को भेज दिया गया। यू जी सी के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि संबंधित विश्वविद्यालय का अनुमोदन कॉलेज द्वारा पाठ्य विवरण प्रस्तुत करने के दो माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो उसे अनुमोदित समझा जाना चाहिए।

इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि कैरिअर ओरिएंटिड पाठ्यक्रमों में भर्ती छात्रों ने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है परंतु परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी चूंकि प्रतिवादी विश्वविद्यालय के अलग-अलग निकायों अर्थात शैक्षिक परिषद, सिंडिकेट एंड सीनेट द्वारा अनुमोदित विनियम और अध्यादेश अभी तक कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए हैं।

प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने कुलाधिपति सचिवालय पटना के साथ हुए कुछ पत्राचार प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 20.6.2007 के पत्र द्वारा प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने विनियमों और अध्यादेशों के अनुमोदन के लिए ओ.एस.डी. (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय पटना को निम्नलिखित पत्र भेजा था:-

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

डाक बंगला रोड, छपरा-841301, बिहार (भारत)

टेलीफोन स. 06152-233121(का) 233509 (नि.) फैक्स 06152-233507 (का)

दिनांक 20.6.2007

सेवा में
ओ एस डी (विश्वविद्यालय)
राज्यपाल का सचिवालय
राजभवन
पटना

विषय:- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्यादेश और विनियम का अनुमोदन

महोदय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, मुझे यह कहना है कि विश्वविद्यालय ने स्नातकपूर्व स्तर पर निम्नलिखित व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव किया है:-

1. जन संचार (व्यवसायिक) आनर्स स्नातक
2. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम बी. ए., बी. एड., बी. एस. सी., बी. एड., बी. काम., बी. एड.(व्यवसायिक) आनर्स
3. व्यापार प्रबंधन (व्यवसायिक) आनर्स स्नातक
4. एक वर्षीय शिक्षा में स्नातक
5. कला/समाज विज्ञान/वाणिज्य/विज्ञान में प्रथम डिग्री स्तरीय (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/ एडवांस डिप्लोमा) कार्यक्रमों में कैरिअर ओरिएंटिड एड ऑन कार्यक्रम

विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों उदाहरणतः शैक्षिक परिषद, सिंडिकेट और सीनेट (अनुबंध 1 व 2), से अनुमोदित कराने के पश्चात प्रस्तावों को बिहार इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को भेज दिया गया। इनके लिए अनुस्मारक (अनुबंध 3 व 4) भी भेजे गए परंतु अभी तक उक्त बोर्ड से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अब, बिहार सरकार के एक विधान द्वारा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है।

ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत, मुझे ऊपर सूचीबद्ध व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्यादेशों और विनियमों (अनुबंध 5 व 6) का मसौदा संलग्न करने का निर्देश हुआ है जिनमें माननीय कुलाधिपति की सहमति प्रार्थित है।

विश्वविद्यालय इन पाठ्यक्रमों को वर्ष 2007-08 सत्र से आरंभ करने का इच्छुक है। इस स्थिति में जल्द अनुमोदन से विश्वविद्यालय को उपर्युक्त कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।

भवदीय
रजिस्ट्रार”

यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय के उपर्युक्त पत्र पर 11.4.2008 तक राज्यपाल के सचिवालय में कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 11.4.2008 के पत्र द्वारा ओ.एस.डी. ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कुलपति को निम्नलिखित पत्र भेजा।

राज्यपाल का सचिवालय, बिहार

सं. जे पी यू-23/2001-1265/जी एस (1)

दिनांक 11.4.2008

प्रेषक

एम पी श्रीवास्तव
विशेष कार्याधिकारी (न्यायिक)

सेवा में,

कुलपति
जे.पी. विश्वविद्यालय
छपरा

विषय:-व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्यादेश ओर विनियम का मसौदा अनुमोदित करने के संबंध में

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर विश्वविद्यालय के पत्र सं. डी डी ई/जे पी यू/294/07, दिनांक 20.6.2007 को संदर्भित करने का और यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि इस सचिवालय द्वारा अनुवर्ती आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कृपया निम्नलिखित सूचना जल्द से जल्द भेज दें:-

1. वसूला जाने वाला शुल्क
2. एकत्र की जाने वाली शुल्क की कितनी प्रतिशतता विश्वविद्यालय को भेजी जाती है।

3. उक्त बैंक खाता का संचालन कौन करेगा ?
4. व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता अथवा इसके संसाधन सम्पन्न व्यक्ति
5. संस्तुत पाठ्यक्रमों के लिए संगतता, उपयुक्तता और मांग

भवदीय
(एम.पी. श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी (न्यायिक)

17.11.2008 को प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने पुनः ओ एस डी राज्यपाल सचिवालय, पटना को अनुरोध किया, जिसमें कैरिअर ओरिएंटेड पाठ्यक्रमों के विनियमों और अध्यादेशों पर कुलाधिपति के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया था ताकि जल्द से जल्द परीक्षाएं आयोजित की जा सकें। यह प्रतीत होता है कि दिनांक 17.11.2008 के पत्र का संबंधित अधिकारी द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने ओ एस डी, राज्यपाल सचिवालय को दिनांक 24.2.2009 को एक अन्य पत्र लिखा जिसमें उक्त पाठ्यक्रमों के विनियमों और अध्यादेशों पर राज्यपाल के अनुरोध को दोहराया गया था। इस पत्र को निम्नलिखितनुसार प्रत्युत्पादन करना उपयोगी होगा:-

“जय प्रकाश विश्वविद्यालय
डाक बंगला रोड, छपरा-841301, बिहार (भारत)
टेलीफोन स.06152-233121(का) 233509 (नि.) फैंक्स 06152-233507 (का)

दिनांक 17.11.2008

सेवा में

विशेष कार्याधिकारी (न्यायिक)
राज्यपाल का सचिवालय
बिहार, पटना

विषय:- कैरिअर ओरिएंटेड एड ऑन कोर्सिस के लिए अध्यादेश और विनियम मसौदे के अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 11.4.2008 के अपने पत्र सं जे पी यू-23/2001-1265/ जी एस (1) को संदर्भित करें। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय को डिग्री स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदित अध्यादेश और विनियम प्राप्त हो गए हैं परंतु कैरिअर ओरिएंटेड एड ऑन पाठ्यक्रमों के संबंध में ये अध्यादेश और विनियम प्राप्त नहीं हुए हैं। जहां तक संदर्भाधीन पत्र में मांगी गई सूचना का प्रश्न है, मुझे निम्नलिखित सूचित करने का निर्देश हुआ है :

विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजों में कैरिअर ओरिएंटेड एड ऑन कोर्सिस शुरू किए गए हैं जिन्हे यू.जी.सी. द्वारा प्रायोजित किया गया है। इस पाठ्यक्रम का शुल्क संबंधित कालेज द्वारा निर्धारित किया जाता है और कॉलेज द्वारा संकाय को भी नियुक्त किया जाता है। इसमें विश्वविद्यालय का कोई अंश नियत नहीं किया गया है क्योंकि कॉलेज को यू जी सी से प्राप्त निधियों और छात्रों से एकत्रित शुल्क में से इस पाठ्यक्रम को चलाना होता है।

यह भी सूचित किया जाता है कि “एड ऑन कोर्सिस” में भर्ती किए गए छात्रों ने पाठ्यक्रम पहले से ही पूरा कर लिया है परंतु परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कैरिअर ओरिएंटेड एड ऑन कोर्सिस के विनियम और अध्यादेशों पर माननीय कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त करें ताकि जल्द से जल्द इनकी परीक्षा आयोजित की जा सके।

भवदीय
डा. एम जी मुस्तफा
रजिस्ट्रार

यह पर्याप्त रूप में आश्चर्यजनक है कि उक्त पत्र का ओ एस डी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। कुलाधिपति सचिवालय के संबंधित अधिकारी को ही ज्ञात कारणों से प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत विनियमों और अध्यादेशों को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप संबंधित परीक्षा प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जा सकी।

आयोग ने यह देखा था कि विनियमों और अध्यादेशों के अनुमोदन के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय के बार-बार अनुरोधों पर राज्यपाल के सचिवालय में कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके परिणामस्वरूप संबंधित पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाएं प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जा सकीं। कुलाधिपति सचिवालय में संबंधित अधिकारियों की इस मामले से निपटने में दिखाई गई उदासीनता का परिणाम यह हुआ है कि याचिकाकर्ता के कॉलेज में प्रवेश पाए छात्रों के साथ स्पष्ट रूप से अन्याय और कठिनाई हुई है। यह भली-भांति सुस्थापित है कि प्रत्येक राज्य की कार्रवाई का अस्तित्व बना रहे इसके लिए यह जरूरी है कि उसे मनमानी की बुराई की ओर संवेदनशील नहीं होना चाहिए, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का निचोड़ तथा हमें शासित करने वाली प्रणाली-विधि के शासन का आधार है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हुआ कि यू.जी.सी. के कैरिअर ओरिएंटेड कार्यक्रमों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने हेतु प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत विनियमों और अध्यादेशों को न अनुमोदित करने में कुलाधिपति सचिवालय की आक्षेपित कार्रवाई से न केवल याचिकाकर्ता कॉलेज में प्रवेश पाए छात्रों की कैरिअर संभावनाएं संकट में पड़ी हैं बल्कि इससे संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन भी हुआ है। अतः आयोग ने यह निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति राज्यपाल के सचिवालय में भेजी जाए ताकि वे उसे समुचित समझे जाने वाली जल्द कार्रवाई हेतु महामहिम राज्यपाल के समक्ष रख सकें।

2008 का मामला संख्या 276

संत निश्चल सिंह महिला शिक्षा कॉलेज, यमुना नगर, हरियाणा में एम.एड. पाठ्यक्रमों के अनुमति दिए जाने के लिए अनुरोध।

याचिकाकर्ता : 1. संत निश्चल सिंह महिला शिक्षा कॉलेज, संतपुरा, यमुनानगर, हरियाणा

प्रतिवादी : 1. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अपने अध्यक्ष, हंस भवन, स्कंध-2, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के माध्यम से

2. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अपने क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय समिति, ए-16 शांति पथ, तिलक नगर जयपुर के माध्यम से

सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।

याचिकाकर्ता संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमैन, यमुनानगर, हरियाणा ने एम.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने लिए अनुमति दिए जाने के लिए प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. को निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30(1)के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। याचिकाकर्ता कॉलेज की स्थापना 1998-99 में की गई थी और यह सफलतापूर्वक बी.एड. और डी.एड. पाठ्यक्रम चला रहा है। 22.12.2007 को, याचिकाकर्ता संस्था ने एम. एड. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन किया। दिनांक 22.6.2008 के पत्र द्वारा प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. ने आवेदन में कुछ कमियों को इंगित किया, जिन्हें 25.9.2008 के पत्र द्वारा प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. को सूचित करते हुए 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दूर कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि खामियों को दूर कर लेने के बावजूद, प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. ने अपेक्षित अनुमति प्रदान नहीं की। यह भी आरोप लगाया गया है कि एम.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति न देने में एन.सी.टी.ई.की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है।

प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. ने इस याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि याचिकाकर्ता उसके द्वारा इंगित खामियों को दूर करने में असफल रहा था और इसलिए वह एम.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दिए जाने का हकदार नहीं था। प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर हरियाणा सरकार की सिफारिश भी मांगी गई थी परंतु राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के आवेदन की संस्तुति देने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि राज्य में शिक्षा के कॉलेजों की स्थापना से संबंधित नई नीति को अंतिम रूप देने से पूर्व इस पर विचार नहीं किया जा सकता। आखिर में, यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 27.12.2005 की अधिसूचना द्वारा विहित नियमों और मानकों के अनुसार एन.सी.टी.ई. द्वारा दी गई पूर्व की अनुमति का सहारा लेने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि उसके अंतर्गत अधिसूचित विनियमों के कतिपय खंड दिनांक 27.12.2007 की अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं।

प्रतिवादी हरियाणा राज्य ने अपने उत्तर में कहा है कि सीडब्ल्यूपी सं. 14105/2006 में उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, यदि एन.सी.टी.ई. द्वारा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए एक बार अनुमति दे दी जाती है तो इस संबंध में राज्य सरकार से और आगे अनापत्ति पत्र की जरूरत नहीं है। यह भी अभिकथित है कि राज्य सरकार ने शैक्षिक वर्ष 2009-10 और 2010-11 में हरियाणा राज्य में कोई भी स्वतः वित्तपोषित छात्र प्रशिक्षण संस्था न खोलने का नीतिगत निर्णय लिया है।

यहां विचारार्थ बिन्दु यह है कि क्या एम.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति दिए जाने के आवेदन को अस्वीकार करने में प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध निषेध द्वारा संरक्षित किया गया है। यह निषेध संविधान के अनुच्छेद 13 में उल्लिखित है जिसमें यह घोषणा की गई है कि मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून उस उल्लंघन की सीमा तक निरस्त होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा पी ए ई नामदार बनाम महाराष्ट्र सरकार { 2005(6) एम सी सी 537 } मामले में यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 30(1) का मूल उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं की पूर्ति होती हो और यह कि उनके बच्चों का समुचित रूप में और सक्षमता से पालन-पोषण हो और वे उच्च शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त कर पाएं और ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों से सुसज्जित होकर बाहरी दुनिया में जाएं जिससे कि लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए योग्य बन सकें।

हमें प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना होगा कि यह एम.एड. पाठ्यक्रम चलाने के लिए नए कॉलेज की स्थापना करने का मामला नहीं है। इसके विपरीत, यह बी.एड. कॉलेज का एम.एड. कॉलेज में उन्नयन का मामला है। यह स्वीकार्य स्थिति है कि याचिकाकर्ता को इस आयोग द्वारा एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 2002 में, याचिकाकर्ता कॉलेज ने सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 तक करने के लिए आवेदन किया था और इस आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उसके स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज अधूरे थे। अस्वीकार्यता के उक्त आवेदन को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई थी और अपील सं एफ-42-125/2002/अपील/2710 में दिनांक 27.12.2002 के आदेश द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अस्वीकार्यता को अपास्त कर दिया गया था और भूमि के स्वामित्व से संबद्ध दस्तावेजों का सत्यापन करने के निर्देश के साथ मामले को वापिस कर दिया गया था। अपीलीय प्राधिकारी के निर्देश के अनुसरण में, प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया, भूमि के स्वामित्व के दावे को स्वीकार किया और दिनांक 15.12.2003 के आदेश द्वारा 40 अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए याचिकाकर्ता के कॉलेज को मान्यता प्रदान की। इसके पश्चात, दिनांक 5.2.2005 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. ने दिनांक 29.1.2005 से याचिकाकर्ता कॉलेज को प्रथम वर्ष में 50 सीटें वार्षिक रूप में भरने और उतनी ही सीटें दो वर्ष की अवधि वाले इ.टी.इ पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष में भरने के लिए मान्यता प्रदान की। यह भी उल्लेख करना संगत है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा पारित दिनांक 5.9.2007 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता कॉलेज की वार्षिक रूप से भरी जाने वाली सीटों की संख्या बढ़ाकर 100 सीटों तक कर दी गई थी। तथापि, संदर्भित भूमि के स्वामित्व से संबंधित मुद्दा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यक्ष तौर पर और पर्याप्त रूप में था, और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही दोनों पक्षकारों के मध्य थी। अपीलीय प्राधिकारी के निर्देश के अनुसरण में, उक्त मुद्दों को सुना गया और प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. द्वारा इनका अंतिम रूप में फैसला याचिकाकर्ता कॉलेज के पक्ष में किया गया। मामले को इस नजरिए से देखते हुए, प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. को संदर्भित भूमि के स्वामित्व के मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका अंतिम रूप में निर्णय अपीलीय प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार कर लिया गया था। यह भली-भांति सुस्थापित है कि विधि के सामान्य सिद्धांत पर बनाए जा रहे प्राईन्याय का सिद्धांत डंड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के बाहर लागू होता है। यदि, जहां धारा 11 लागू भी नहीं होती, वहां भी मुद्दों का अंतिम निर्णय प्राप्त करने के प्रयोजन से परे प्राईन्याय का सिद्धांत लागू किया गया है (सत्यधन बनाम् दियोरजिन ए आई आर 1960 एससी 941)

इस मुद्दे की जांच एक अन्य दृष्टिकोण से भी की जा सकती है। यह स्वीकार्य है कि प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. ने कॉलेज जिस भूमि और भवन में स्थित है, उसके विधितः स्वामी के रूप में संत निश्चल सिंह ट्रस्ट को मानते हुए ही अतिरिक्त सीटें भरने के लिए मान्यता प्रदान की थी। ऐसी स्थिति में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में यथा सम्मिलित विवंध का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू होता है। यह भली-भांति सुस्थापित है कि विवंधन निष्पक्षता से प्रवाहित एक साम्य व्यवस्था है जो त्रुटिपूर्ण नेकनीयती पर प्रहार करती है। इसे न्याय प्रदान करने में विधि की सहायता करने की दृष्टि से प्रयोग में लाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी एन.सी.टी.ई. को अभी संदर्भित भूमि के स्वामित्व के लेकर इस मामले के गुणावगुणों पर अपने पूर्व के निर्णयों को विवादग्रस्त करने या उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने से रोका जाता है।

याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत करने के शेष दो आधारों अर्थात् भूमि उपयोग परिवर्तन को प्रस्तुत न करना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण योजना को अनुमोदन न देने के विषय में यह उल्लेख करना सुसंगत है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है तथा इसलिए भूमि उपयोग में परिवर्तन के ऐसे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। इसी तथ्य से कि नगर पालिका समिति, यमुनानगर द्वारा यह प्रमाणपत्र जारी किया गया है यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संस्था यमुनानगर शहर में स्थित है जो कि जिला मुख्यालय है और इस तरह ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण योजना के अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोल्लिखित कारणों से आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य था कि प्रतिवादी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने एम.एड. पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने के याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को मिथ्या और तुच्छ आधारों पर अस्वीकृत किया है। परिणामतः, याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने में अध्यापक शिक्षा परिषद् की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। अतः आयोग ने उपरोक्त अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, एम.एड. पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र पर पुनर्विचार करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग शैक्षणिक संस्था अधिनियम की धारा 11 (क) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करने की प्रतिवादी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को सिफारिश की।

2009 का मामला संख्या 284

नारायणपुर मिशन गर्ल्स जूनियर बेसिक स्कूल, जिला बिरभूम, पश्चिम बंगाल में रिक्त पदों को भरने की अनुमति

याचिकाकर्ता : 1. नारायणपुर मिशन गर्ल्स जूनियर बेसिक स्कूल, जिला बिरभूम, पश्चिम बंगाल।

प्रतिवादी : 1. सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, माध्यमिक शाखा, पश्चिम बंगाल सरकार, बिकास भवन, साल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

याचिकाकर्ता नारायणपुर मिशन गर्ल्स जूनियर बेसिक स्कूल, नारायणपुर, जिला बिरभूम, पश्चिम बंगाल जो कि संविधान के अंतर्गत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, ने अपने विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु प्रतिवादी को निदेश देने की मांग की है।

यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता विद्यालय में अध्यापकों के 7 पदों में से 4 पद वर्ष 1994 से रिक्त हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों में बाधा उत्पन्न हो रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2004-2009 की अवधि के दौरान विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 650 से 727 के बीच थी। बार-बार प्रयासों और अनुस्मारकों के बावजूद राज्य सरकार के शैक्षणिक प्राधिकारी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार उक्त प्राधिकारियों की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है।

नोटिस देने के बावजूद, प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः मामले पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

यहां विचारार्थ प्रश्न यह उठता है कि क्या अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए याचिकाकर्ता विद्यालय को अनुमति न देने की राज्य सरकार के शैक्षणिक प्राधिकारियों की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता विद्यालय को राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता विद्यालय एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, अतः यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत संवैधानिक संरक्षण का दावा करने की हकदार है। संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध निषेधाज्ञा द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह निषेधाज्ञा संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित है जिसमें यह घोषणा की गई है कि मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली कोई भी विधि या नियम ऐसे उल्लंघन की सीमा तक अमान्य मानी जाएगी। टी.एम.ए.पाई फाऊंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस सी सी 481 और

(पी.ए.ईनामदार बनाम् महाराष्ट्र राज्य(2005)6 एससीसी 537) मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया गया है कि केवल सहायता प्राप्ति अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकारों को समाप्त नहीं करती है। जैसे ही संस्था द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त किया जाता है, उसका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त नहीं हो जाता। एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था संचालन के अधिकार की हकदार होगी। प्रशासन में स्वायत्तता का अर्थ है प्रभावी ढंग से प्रशासन चलाना और संस्था के काम-काज का प्रबंधन और संचालन करना। राज्य या कोई सांविधिक प्राधिकरण, विनियामक उपायों को अपनाने का बहाना बना कर या उनकी आड़ में किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था की प्रशासनिक स्वायत्तता नष्ट नहीं कर सकता या संस्था के प्रबंधन के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे, जिससे कि संबंधित संस्था के प्रशासन का अधिकार निरर्थक या छलावा मात्र बन कर रह जाता हो। राज्य सरकार या कोई विश्वविद्यालय किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के अध्यापकों/प्रवक्ताओं/मुख्याध्यापकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की पद्धति या प्रक्रिया को विनियमित नहीं कर सकते। एक बार जब चयन की तर्क संगत प्रक्रिया अपना कर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के प्रबंधन द्वारा राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले किसी अध्यापक/प्रवक्ता/मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य का चयन कर लिया जाता है तो राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को उन अध्यापकों आदि के चयन को वीटो करने का कोई अधिकार नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह निर्णय दिया गया है कि राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से यह अपेक्षा करें कि वह अपने शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ के चयन/नियुक्ति या स्टाफ के किसी सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने के मामले में उसका अनुमोदन प्राप्त करें। राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण की भूमिका, यह सुनिश्चित करने की सीमा तक सीमित है कि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के प्रबंधन द्वारा चयनित किए गए शिक्षक/व्याख्याता/प्रधान शिक्षण/प्रधानाचार्य तत्संबंधी निर्धारित पात्रता की अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करते हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम् परसराम, 2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 373 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई विधि की घोषणा का किसी प्राधिकारी द्वारा किसी बहाने से त्याग नहीं किया जा सकता। ब्रह्म समाज शिक्षा सोसायटी बनाम् पश्चिम बंगाल राज्य(2004) 6 एससीसी 224 मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि “राज्य सरकार इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा की गई विधिक घोषणा का ध्यान रखेगी तथा अपने कानूनों, नियमों और विनियमों को संशोधित करेगी, ताकि उन्हें उसमें उपवर्णित सिद्धांतों के अनुरूप लाया जा सके।”

जहां तक रोजगार से संबंधित आरक्षण की नीति का संबंध है, यह सुस्थापित है कि राज्य सरकार की आरक्षण नीति को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत शामिल किसी शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं किया जा सकता। इस संबंध में, पी.ए. इनामदार बनाम् महाराष्ट्र राज्य [2005(6) एस सी सी 537] मामले में, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित अवलोकनों का संदर्भ लिया जा सकता है :-

“प्रथम प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित अपनी पसंद के विद्यार्थियों को, दोनों केवल सीमित सीमा तक ही, प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं और उस रूप में तथा उस हद तक नहीं कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वाला दर्जा ही समाप्त हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं।”

यह उल्लेख करना भी संगत है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में आरक्षण की नीति से भी छूट दी गई है इस संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद (5) का संदर्भ लिया जाए, जो कि निम्नानुसार है :-

“(5) इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 19 के खण्ड(1) के उप खण्ड(छ) में कुछ भी नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विधि द्वारा कोई भी विशेष प्रावधान करने से राज्य को नहीं रोकेगा, जहां तक ऐसे विशेष प्रावधानों का संबंध अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से है।”

पूर्वोल्लिखित कारणों से आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य था कि याचिकाकर्ता विद्यालय को उसके रिक्त पदों को भरने के लिए अनुमति न देने की, प्रतिवादी की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। परिणामस्वरूप, आयोग ने प्रतिवादी को निदेश दिया कि वह शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए याचिकाकर्ता विद्यालय को अनुमति प्रदान करके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 की धारा 11(क) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करे।

2008 का मामला संख्या 1216

वाड, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में नए महिला विज्ञान महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. जनता शिक्षण प्रसारक मंडल, बुल्धना, जहांगीरदार कॉलोनी, रेलवे स्टेशन रोड औरंगाबाद (महाराष्ट्र)।

प्रतिवादी : प्रधान सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई।

याचिकाकर्ता जनता शिक्षण प्रसारक मंडल, बुल्धना, महाराष्ट्र ने वाडा, ता. वाडा, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में शिक्षा वर्ष 2008-2009 से एक नए महिला विज्ञान महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार को निदेश देने मांग की है।

याचिकाकर्ता सोसायटी, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसायटी है। सोसायटी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है। सोसायटी ने शिक्षा वर्ष 2008-2009 से पूर्वोक्त महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए कुल सचिव, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई को एक प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने महाविद्यालय के लिए 50000/-रुपए की अपेक्षित फीस जमा कर दी थी। इसके पश्चात् एसएनडीटी विश्वविद्यालय, मुंबई ने दिनांक 29.2.2008 के पत्र सं. ए एफएफआई-जीईएन-1/सरकारी पत्र/2007-08/1964 के तहत पूर्वोक्त महिला महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु प्रधान सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार को संस्तुति की। एसएनडीटी विश्वविद्यालय, मुंबई की संस्तुति के बावजूद, राज्य सरकार ने पूर्वोक्त महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दी है। इसके विपरीत राज्य सरकार ने अन्य सोसायटियों/ट्रस्टों को नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की। यह आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित महिला महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संयुक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा, औरंगाबाद ने अपने उत्तर में निवेदन किया है कि नए महाविद्यालय की अनुमति प्रदान करने के लिए नियम महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 (संक्षेप में विश्वविद्यालय अधिनियम) की धारा 82 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। धारा 82 में, अनुमति के लिए प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा धारा 82(5) में नए महाविद्यालयों को स्थापित करने के लिए उसके वित्तीय संसाधनों, प्रस्तावित संस्थाओं की स्थिति के संबंध में उसकी राज्य स्तर की अग्रताओं, संस्थाओं की आधारीक संरचना और वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर अनुमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को विवेकाधिकार दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा वर्ष 2007-08, 2008-09 के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य के नए महाविद्यालयों की स्थापना के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए जिनकी सरकार द्वारा गठित कार्यदल समिति द्वारा संवीक्षा की गई। यह अभिकथित है कि उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके राज्य सरकार ने शिक्षा वर्ष 2008-09 के लिए वरिष्ठ महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता सोसायटी को क्षेत्र में मौजूदा महाविद्यालयों की उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राज्य स्तर अग्रताओं के आधार पर प्रस्तावित महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने से इंकार किया गया था। अल्पसंख्यक बहुल अथवा धार्मिक जिले का मानदंड, संस्थाओं को अनुमति प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का भाग नहीं है। राज्य सरकार के लिए बाध्यकर नहीं है कि वह स्वाभाविक रूप से नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करे बल्कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 82(5) के अनुसार नए महाविद्यालयों की स्थापना के संबंध में अनुमति प्रदान करना राज्य सरकार के पूर्णतः विवेकाधिकार के अधीन है। यह अभिकथित है कि नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन नहीं है।

दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों को ध्यान में रखकर विचारार्थ प्रश्न यह उठता है कि क्या नए महाविद्यालय को आरम्भ करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति न देने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता ने विशेषरूप से निवेदन किया है कि राज्य सरकार ने शिक्षा वर्ष 2008-09 के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य के नए महाविद्यालयों को स्थापित करने के लिए अन्य सोसायटियों/ट्रस्टों को अनुमति प्रदान की थी, लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में इस मानदंड को लागू नहीं किया गया था। स्पष्टतः, याचिकाकर्ता सोसायटी ने प्रतिकूल भेदभाव किए जाने का मामला उठाया है। आश्चर्यजनक रूप से, पूर्वोक्त प्रकथनों का राज्य सरकार द्वारा विशेषरूप से खंडन नहीं किया गया है। चूंकि पूर्वोक्त प्रकथनों का प्रतिवादी द्वारा खंडन नहीं किया गया है अतः आदेश 8 नियम 5 सीपीसी के निबंधनों के अनुसार यह माना जाएगा कि इन्हें प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि प्रस्तावित बालिका महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने के मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभेद किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रतिकूल है।

आरम्भ में मुझे यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि यह आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम (संक्षिप्त रूप में अधिनियम) में उल्लिखित मामलों पर दीवानी न्यायालय का स्थान लेता है तथा अधिनियम की धारा 12 च, अधिनियम के अध्याय- II के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के संबंध में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्जित करती है। यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि अधिनियम की धारा 11 (ख) आयोग को, अल्पसंख्यकों को अपनी पंसद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन के उनके अधिकारों से वंचित करने अथवा उल्लंघन करने से संबंधित शिकायतों तथा विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता से संबंधित किसी विवाद की जांच करने तथा अपने निष्कर्षों को लागू करने के लिए संबंधित सरकार को रिपोर्ट करने की शक्ति प्रदान करती है।

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआईआर 1958 एस सी 959) के साथ प्रारंभ करते हुए तथा पी ए ईमानदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 6 एससी सी 537 द्वारा पराकाष्ठा तक पहुँचते हुए उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों की एक शृंखला ने मौजूदा रूप में विधि का निर्धारण किया है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) पर आधारित निर्णय विधि के सम्पूर्ण ढाँचे को केरल शिक्षा विधेयक मामले में सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है (ऊपर)। संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'उनकी पसंद' की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा संचालन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे की तर्कसंगतता यह है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थाएं चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए। इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है। यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है जो कि संविधान के अध्याय II के अधीन किए गए इन प्रावधानों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें। अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है। सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है। यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है। यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे। सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी।"

आर ई: केरल शिक्षा विधेयक(ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

"इस अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है। यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय(1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है। वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके।"

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगा:

"..... अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें

तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए। अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना। जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी।”

इस प्रकार, “अपनी पसन्द के” शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें)। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है। हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों।”

इस प्रकार, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अर्थपूर्ण प्रयोग का अर्थ प्रभावकारी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के अधिकार से है जो कि अल्पसंख्यकों तथा विद्यार्थियों, जो उनका सहारा लेते हैं की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। राज्य या विनियामक प्राधिकारी के लिए यह अनुज्ञेय है कि वह विनियमों का निर्धारण करे, जिनका किसी अल्पसंख्यक संस्था द्वारा सम्बद्धता और मान्यता की मांग करने या उसे बनाए रखने से पहले, अवश्य ही अनुपालन किया जाए लेकिन ऐसे विनियमों को संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दोनों उद्देश्यों- संस्था की उत्कृष्टता के स्तर को सुनिश्चित करना और अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन के उनके अधिकार को संरक्षित करना - के बीच संतुलन रखा जाए। वे विनियम, जो दोनों उद्देश्यों को सम्मिलित तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं को तर्कसंगत माना जा सकता है (टी एम ए पाई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य, 2002 (8) एस सी सी 481 देखें)। टी एम ए पाई फाउण्डेशन मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि प्रत्येक संस्था जो कि सम्बद्धता और मान्यता को प्रदान करने के लिए शर्तों को पूरा करती है, उसे ऐसी सम्बद्धता तथा मान्यता अवश्य दी जाए। इसके अलावा, अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार, विधानमंडल तथा कार्यपालिका को किसी कानून बनाने या किसी कार्यपालिका कार्रवाई करने, जिससे उस अधिकार को छीना या कम किया जा सकता है, से परहेज करने का दायित्व सौंपता है।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता वाडा ता. वाडा जिला ठाणे, महाराष्ट्र में प्रस्तावित महिला महाविद्यालय स्थापित करना चाहता है जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं को उच्चतर शिक्षा प्रदान करना चाहता है। यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता ने एसएनडीटी विश्वविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क के रूप में 50000/- की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया था। विश्वविद्यालय ने बुनियादी ढांचे और अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होने पर प्रस्तावित महिला डिग्री महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को संस्तुति की थी। प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना के लिए

अनुमति प्रदान न करने का राज्य सरकार का तथाकथित नीतिगत निर्णय पूर्णतः विवेकहीन है। यदि सरकार का कोई नीतिगत निर्णय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के उपबंधों के साथ असंगत है तो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा घोषित किया गया है यह असंगतता की सीमा तक अमान्य होगा। अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अधिकार प्रभावी होने के लिए अभीष्ट थे तथा उन्हें तथाकथित विनियामक उपायों या नीतिगत निर्णयों द्वारा कमतर नहीं किया जा सकता, अन्यथा उक्त मौलिक अधिकार एक छलावा या कल्पनामात्र ही रह जाएंगे (सिद्ध राज बाहरी बनाम गुजरात राज्य) एआईआर 1963 एससी 540)। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है प्रस्तावित महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के भी प्रतिकूल है।

महात्मा गांधी ने कई दशक पहले कहा था कि “समाज की उन्नति, स्वास्थ्य और गतिकता के लिए पुरुषों की शिक्षा की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा की बहुत अधिक निर्णायक भूमिका है हालांकि पुरुषों की शिक्षा को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।” बालिका शिक्षा के प्रसार का महत्व, पूरी आबादी में सामान्य रूप से तथा मुस्लिमों में विशेषतः शिक्षा को सुसाध्य बनाने को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई राज्य नीति का एक मूलभूत अंग है। संविधान में अपेक्षा की गई है कि शिक्षा के प्रसार को सुनिश्चित करने का मुख्य कर्तव्य राज्य द्वारा निष्पादित किया जाए। उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 1993 एससी 2178 मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षा का प्रसार करने में राज्य की भूमिका को सम्पूर्ण करने के प्रयोजन से निजी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुसलमानों के बीच बालिका शिक्षा प्रसार की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जहां गरीबी, कम विकास और सामाजिक अशक्तता को मुस्लिम समाज के व्यापक स्तर को शिक्षा का लाभ मुहैया करवा कर दूर करना होगा। टी एम ए पाई फाउण्डेशन मामले (उपर) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमति संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अनुसार प्रदान की जाएगी। तात्कालिक मामले में, महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकार द्वारा निस्तेज किया गया है तथा यह तब तक मृतप्राय स्थिति में रहेगी जब तक मौलिक अधिकार की छाया इस पर पड़ती रहेगी।

भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप, जरूरत इस बात की है कि हमारे नेता एक नए दृष्टिकोण का परिचय दें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पुराने संकीर्णवादी अतीत में न झाकते रहें बल्कि ऐसे काम करें जिनसे सुनहरा भविष्य का स्वप्न साकार होता हो। सर्वसमावेशी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, उनसे आशा की जाती है कि वे एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का भी विकास करें। हमारे संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं ने, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के निर्माण द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रति उदार और दूरदर्शी रवैया अपनाया है। अतः सरकार के पदाधिकारी जो संविधान के प्रति शपथ लेते हैं तथा उसमें निष्ठा प्रकट करते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करने के अलावा, उनके शैक्षणिक अधिकारों को कायम रखने में भी वैसा ही सकारात्मक और सशक्त रवैया अपनाएं और व्यवहार में लाएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी टिप्पणी की गई है कि “भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का अर्थ एक पवित्र कर्तव्य से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों को कायम रखा गया है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों को लागू किया गया है तथा सभी नागरिकों को हमारे साझा लक्ष्य “हमारे सपनों का भारत” को साकार करने में भागीदारी करने हेतु समर्थ बनाया गया है।”

इस मामले की अन्य दृष्टिकोण से भी जांच की जा सकती है। उन्नी कृष्णन जे पी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एआईआर 1993 एससी 2178 मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि शिक्षा ज्ञानोदय है। यह व्यक्ति को मान-मर्यादा प्रदान करती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य हर समय तथा सभी स्थानों में समान है। यह मानव व्यक्तित्व को शारीरिक विकास की कृत्रिम प्रक्रिया मन के संवर्धन मनोभावों के परिष्कार तथा अन्तरात्मा के प्रदीपन के माध्यम से

पूर्णाता के प्रतिमान के रूप में रुपान्तरित करती है। शिक्षा, जीवन निर्वाह के लिए और जीवन के लिए एक तैयारी है। एक लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था में, जिसे बनाए रखने के लिए जनसाधारण का जागरुक होना जरूरी है, शिक्षा एक ही समय में सामाजिक और राजनैतिक आवश्यकता है। अतः उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत जीवन के अधिकार से ही शिक्षा का अधिकार निकलता है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 1992 एससी 1858 मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा इससे मिलती जुलती राय प्रकट की गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए बाध्य है ताकि नागरिक उक्त अधिकार का उपयोग करने में समर्थ हों। राज्य अपनी बाध्यता को राज्य के स्वामित्व या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से पूरा कर सकता है। जब राज्य सरकार निजी शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है तो वह संविधान के अन्तर्गत अपनी बाध्यता को पूरी करने के लिए एक एजेन्सी सृजित करती है। इस प्रकार, राज्य सरकार की अपने नागरिकों के लिए सभी स्तरों पर शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया करने के लिए, प्रयास करने हेतु बाध्यता है। मौजूदा मामले में, राज्य सरकार ने, बीड और औरंगाबाद में महिला महाविद्यालय आरंभ करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति न देकर संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन किया है।

यहां यह कहना अनावश्यक होगा कि राज्य सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अभिरक्षक है, अतः संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार, एक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी पसन्द और आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए, संवैधानिक बाध्यता के अधीन है। किसी प्रकार की प्रशासनिक और वित्तीय असुविधा या कठिनाइयां, मौलिक अधिकार के अतिलंघन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता बालिकाओं के लिए एक नया महाविद्यालय आरम्भ करना चाहता है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी विश्वविद्यालय को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार को विधिवत अग्रेषित किए गए थे। राज्य सरकार एक नए डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करते समय एक शासक के रूप में कार्य करती है तथा अपनी सांविधानिक बाध्यता को पूरा करती है। तथापि, राज्य सरकार अपनी वित्तीय मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं होती है। अधिकतर मामलों में शिक्षा प्रदान करने के कार्य को नागरिकों द्वारा स्वयं अपने हाथ में ले लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की किसी समुदाय के बच्चों को उच्चतर/व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी पसन्द और आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए सांविधानिक बाध्यता होती है। यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावित बालिका डिग्री महाविद्यालय के बुनियादी ढांचे और अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात ही एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय मुम्बई ने उसकी स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को संस्तुति की थी। वाडा, जिला ठाणे में प्रस्तावित बालिका डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान करने से राज्य सरकार का इंकार वस्तुतः याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रत्याभूत अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और उनके संचालन के अधिकार को अभ्यर्पित करने और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है।

पूर्वोल्लिखित कारणों से, आयोग का निर्णय तथा यह मानना है कि प्रस्तावित महाविद्यालय को आरम्भ करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई मनमानी है तथा संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करती है। राज्य सरकार को निदेश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा वाडा में प्रस्तावित महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय मुम्बई की सिफारिशों पर पुनर्विचार करके, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11 (ख) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करे।

2008 का मामला संख्या 1212

शिरूर कासार, जिला बीड, महाराष्ट्र में नए महिला विज्ञान महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. एकता शिक्षण प्रसारक मंडल, गेयोराई, जहागीरदार कॉलोनी, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद(महाराष्ट्र) ।

प्रतिवादी : प्रधान सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई-32 ।

याचिकाकर्ता एकता शिक्षण प्रसारक मंडल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ने शिरूर कासार, ता. शिरूर कासार, जिला बीड, महाराष्ट्र में शिक्षा वर्ष 2008-2009 से एक नए महिला विज्ञान महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार को निदेश देने की मांग की है ।

याचिकाकर्ता सोसायटी, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसायटी है । सोसायटी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है, सोसायटी ने शिक्षा वर्ष 2008-2009 से पूर्वोक्त महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए कुल सचिव, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई को एक प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया । उन्होंने महाविद्यालय के लिए 50000/-रुपए की अपेक्षित फीस जमा की । इसके पश्चात् एसएनडीटी विश्वविद्यालय, मुम्बई ने दिनांक 29.2.2008 के पत्र सं. ए एफएफआई-जीईएन-1/सरकारी पत्र/2007-08/1964 के तहत पूर्वोक्त महिला महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु प्रधान सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार को संस्तुति की । एसएनडीटी विश्वविद्यालय, मुम्बई की संस्तुति के बावजूद, राज्य सरकार ने पूर्वोक्त महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दी है । इसके विपरीत राज्य सरकार ने अन्य सोसायटियों/ट्रस्टों को नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की । यह आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित महिला महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करती है ।

संयुक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा, औरंगाबाद ने अपने उत्तर में निवेदन किया है कि नए महाविद्यालय की अनुमति प्रदान करने के लिए नियम महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994(संक्षेप में विश्वविद्यालय अधिनियम) की धारा 82 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं धारा 82 में, अनुमति के लिए प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा धारा 82(5) में नए महाविद्यालयों को स्थापित करने के लिए उसके वित्तीय संसाधनों, प्रस्तावित संस्थाओं की स्थिति के संबंध में उसकी राज्य स्तर की अग्रताओं, संस्थाओं की आधारीक संरचना और वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर अनुमति प्रदान करने की राज्य सरकार को विवेकाधिकार दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा शिक्षा वर्ष 2007-08, 2008-09 के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य के नए महाविद्यालयों की स्थापना के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए जिनकी सरकार द्वारा गठित कार्यदल समिति द्वारा संवीक्षा की गई । यह अभिकथित है कि उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके राज्य सरकार ने शिक्षा वर्ष 2008-09 के लिए वरिष्ठ महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है । याचिकाकर्ता सोसायटी को क्षेत्र में मौजूदा महाविद्यालयों की उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राज्य स्तर अग्रताओं के आधार पर प्रस्तावित महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने से इंकार किया गया था । अल्पसंख्यक बहुल अथवा धार्मिक जिले का मानदंड, संस्थाओं को अनुमति प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का भाग नहीं है । राज्य सरकार के लिए बाध्यकर नहीं है कि वह स्वाभाविक रूप से नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करे बल्कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 82(5) के अनुसार नए महाविद्यालयों की स्थापना के संबंध में अनुमति

प्रदान करना राज्य सरकार के पूर्णतः विवेकाधिकार के अधीन है। यह अभिकथित है कि नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन नहीं है।

दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों को ध्यान में रखकर विचारार्थ प्रश्न यह उठता है कि क्या नए महाविद्यालय को आरम्भ करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति न देने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता ने विशेषरूप से निवेदन किया है कि राज्य सरकार ने शिक्षा वर्ष 2008-09 के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य के नए महाविद्यालयों को स्थापित करने के लिए अन्य सोसायटियों/ट्रस्टों को अनुमति प्रदान की थी, लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में इस मानदंड को लागू नहीं किया गया था। स्पष्टतः, याचिकाकर्ता सोसायटी ने प्रतिकूल भेदभाव किए जाने का मामला उठाया है। आश्चर्यजनक रूप से, पूर्वोक्त प्रकथनों का राज्य सरकार द्वारा विशेषरूप से खंडन नहीं किया गया है। चूंकि पूर्वोक्त प्रकथनों का प्रतिवादी द्वारा खंडन नहीं किया गया है अतः आदेश 8 नियम 5 सीपीसी के निबंधनों के अनुसार यह माना जाएगा कि इन्हें प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि प्रस्तावित बालिका महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने के मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभेद किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रतिकूल है।

आरम्भ में मुझे यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि यह आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम (संक्षिप्त रूप में अधिनियम) में उल्लिखित मामलों पर दीवानी न्यायालय का स्थान लेता है तथा अधिनियम की धारा 12 च, अधिनियम के अध्याय- II के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के संबंध में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार अधिकारिता को वर्जित करती है। यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि अधिनियम की धारा 11(ख) आयोग को, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन के उनके अधिकारों से वंचित करने अथवा उल्लंघन करने से संबंधित शिकायतों तथा विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता से संबंधित किसी विवाद की जांच करने तथा अपने निष्कर्षों को लागू करने के लिए संबंधित सरकार को रिपोर्ट करने की शक्ति प्रदान करती है।

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआई आर 1958 एससी 959) के साथ प्रारंभ करते हुए तथा पी ए ईमानदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 6 एससी सी 537 द्वारा पराकाष्ठा तक पहुँचते हुए उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों की एक लम्बी शृंखला ने मौजूदा रूप में विधि का निर्धारण किया है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) पर आधारित निर्णय विधि के सम्पूर्ण ढांचे को केरल शिक्षा विधेयक मामले में सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है (ऊपर)। संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'अपनी पसंद' की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा उनके संचालन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे की तर्कसंगतता यह है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थाएं चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए। इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है। यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है जो कि संविधान के अध्याय II के अधीन किए गए इन प्रावधानों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने

तथा उनके संचालन से न रोका जाए है, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें। अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है। सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है। यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है। यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे। सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी।”

आर ई: केरल शिक्षा विधेयक(उपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

“संविधान के अनुच्छेद 30(1) का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी ‘अपनी पसंद के’ शब्दों में निहित है। यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द ‘पसंद’ है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके।”

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी 558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि ‘अपनी पसंद के’ शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है। वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके। “

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (उपर) मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगा:

“.....अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए। अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- (i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा
- (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना।

जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्था अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी।”

इस प्रकार, “अपनी पसन्द के” शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें)। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है। हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के

उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों।”

इस प्रकार, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अर्थपूर्ण प्रयोग का अर्थ प्रभावकारी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के अधिकार से है जो कि अल्पसंख्यकों तथा विद्यार्थियों, जो उनका सहारा लेते हैं, की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। राज्य या विनियामक प्राधिकारी के लिए यह अनुज्ञेय है कि वह विनियमों का निर्धारण करे, जिनका किसी अल्पसंख्यक संस्था द्वारा सम्बद्धता और मान्यता की मांग करने या उसे बनाए रखने से पहले, अवश्य ही अनुपालन किया जाए लेकिन ऐसे विनियमों को संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दोनों उद्देश्यों- संस्था की उत्कृष्टता के स्तर को सुनिश्चित करना और अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन के उनके अधिकार को संरक्षित करना - के बीच संतुलन रखा जाए। वे विनियम, जो दोनों उद्देश्यों को सम्मिलित तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं को तर्कसंगत माना जा सकता है (टी एम ए पाई फाउण्डेशन बनाम् कर्नाटक राज्य, 2002 (8) एस सी सी 481 देखें)। टी एम ए पाई फाउण्डेशन मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि प्रत्येक संस्था जो कि सम्बद्धता और मान्यता को प्रदान करने के लिए शर्तों को पूरा करती है, उसे ऐसी सम्बद्धता तथा मान्यता अवश्य दी जाए। इसके अलावा, अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार, विधानमंडल तथा कार्यपालिका को किसी कानून बनाने या किसी कार्यपालिका कार्रवाई करने, जिससे उस अधिकार को छीना या कम किया जा सकता है, से परहेज करने का दायित्व सौंपता है।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता शिरूर कसार, ता. शिरूर, महाराष्ट्र में प्रस्तावित महिला महाविद्यालय स्थापित करना चाहता है जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं को उच्चतर शिक्षा प्रदान करना चाहता है। यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता ने एसएनडीटी विश्वविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क के रूप में 50000/- की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया था। विश्वविद्यालय ने बुनियादी ढांचे और अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होने पर प्रस्तावित महिला डिग्री महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को संस्तुति की थी। प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान न करने का राज्य सरकार का तथाकथित नीतिगत निर्णय पूर्णतः विवेकहीन है। यदि सरकार का कोई नीतिगत निर्णय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के उपबंधों के साथ असंगत है तो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा घोषित किया गया है यह असंगतता की सीमा तक अमान्य होगा। अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अधिकार प्रभावी होने के लिए अभीष्ट थे तथा उन्हें तथाकथित विनियामक उपायों या नीतिगत निर्णयों द्वारा कमतर नहीं किया जा सकता, अन्यथा उक्त मौलिक अधिकार एक छलावा या कल्पनामात्र ही रह जाएंगे (सिद्ध राज भारी बनाम् गुजरात राज्य) एआईआर 1963 एससी 540)। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है प्रस्तावित महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के भी प्रतिकूल है।

महात्मा गांधी ने कई दशक पहले कहा था कि “समाज की उन्नति, स्वास्थ्य और गतिकता के लिए पुरुषों की शिक्षा की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा की बहुत अधिक निर्णायक भूमिका है हालांकि पुरुषों की शिक्षा को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।” बालिका शिक्षा के प्रसार का महत्व, पूरी आबादी में सामान्य रूप से तथा मुस्लिमों में विशेषतः शिक्षा को सुसाध्य बनाने को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई राज्य नीति का एक मूलभूत अंग है। संविधान में अपेक्षा की गई है कि शिक्षा के प्रसार को सुनिश्चित करने का मुख्य कर्तव्य राज्य द्वारा निष्पादित किया जाए। उन्नीकृष्णन बनाम् आन्ध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 1993 एससी 2178 मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षा का प्रसार करने में राज्य की भूमिका को सम्पूर्ति करने के प्रयोजन से निजी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मुसलमानों के बीच बालिका शिक्षा प्रसार की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जहां गरीबी, कम विकास और सामाजिक अशक्तता को मुस्लिम समाज के व्यापक स्तर को शिक्षा का लाभ मुहैया करवा कर दूर करना होगा। टी एम ए पाई फाउण्डेशन मामले (उपर) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमति संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अनुसार प्रदान की जाएगी। तात्कालिक मामले में, महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकार द्वारा निस्तेज किया गया है तथा यह तब तक मृतप्राय स्थिति में रहेगी जब तक मौलिक अधिकार की छाया इस पर पड़ती रहेगी।

भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप, जरूरत इस बात की है कि हमारे नेता एक नए दृष्टिकोण का परिचय दें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पुराने संकीर्णवादी अतीत में न झंकाते रहें बल्कि ऐसे काम करें जिनसे सुनहरा भविष्य का स्वप्न साकार होता हो। सर्वसमावेशी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, उनसे आशा की जाती है कि वे एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का भी विकास करें। हमारे संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं ने, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के निर्माण द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रति उदार और दूरदर्शी रवैया अपनाया है। अतः सरकार के पदाधिकारी, जो संविधान के प्रति शपथ लेते हैं तथा उसमें निष्ठा प्रकट करते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करने के अलावा, उनके शैक्षणिक अधिकारों को कायम रखने में भी वैसा ही सकारात्मक और सशक्त रवैया अपनाएं और व्यवहार में लाएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी टिप्पणी की गई है कि “भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का अर्थ एक पवित्र कर्तव्य से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों को कायम रखा गया है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों को लागू किया गया है तथा सभी नागरिकों को हमारे साझा लक्ष्य “हमारे सपनों का भारत” को साकार करने में भागीदारी करने हेतु समर्थ बनाया गया है।”

इस मामले की अन्य दृष्टिकोण से भी जांच की जा सकती है। उन्नी कृष्णन जे पी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एआईआर 1993 एससी 2178 मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि शिक्षा ज्ञानोदय है। यह व्यक्ति को मान-मर्यादा प्रदान करती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य हर समय तथा सभी स्थानों में समान है। यह मानव व्यक्तित्व को शारीरिक विकास की कृत्रिम प्रक्रिया मन के संवर्धन मनोभावों के परिष्कार तथा अन्तरात्मा के प्रदीपन के माध्यम से पूर्णता के प्रतिमान के रूप में रुपान्तरित करती है। शिक्षा, जीवन निर्वाह के लिए और जीवन के लिए तैयारी है। एक लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था में, जिसे बनाए रखने के लिए जनसाधारण का जागरूक होना जरूरी है, शिक्षा एक ही समय में सामाजिक और राजनैतिक आवश्यकता है। अतः उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत जीवन के अधिकार से ही शिक्षा का अधिकार निकलता है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 1992 एससी 1858 मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा इससे मिलती जुलती राय प्रकट की गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए बाध्य है ताकि नागरिक उक्त अधिकार का उपयोग करने में समर्थ हों। राज्य अपनी बाध्यता को राज्य के स्वामित्व या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से पूरा कर सकता है। जब राज्य सरकार निजी शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है तो वह संविधान के अन्तर्गत अपनी बाध्यता को पूरी करने के लिए एक एजेन्सी सृजित करती है। इस प्रकार, राज्य सरकार की अपने नागरिकों के लिए सभी स्तरों पर शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया करने के लिए, प्रयास करने हेतु बाध्यता है। मौजूदा मामले में, राज्य सरकार ने, बीड में महिला महाविद्यालय आरंभ करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति न देकर संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन किया है।

यहां यह कहना अनावश्यक होगा कि राज्य सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अभिरक्षक है, अतः संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार, एक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी पसन्द और आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए, संवैधानिक बाध्यता के

अधीन है। किसी प्रकार की प्रशासनिक और वित्तीय असुविधा या कठिनाइयां, मौलिक अधिकार के अतिलंघन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता बालिकाओं के लिए एक नया महाविद्यालय आरम्भ करना चाहता है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी विश्वविद्यालय को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार को विधिवत अग्रेषित किए गए थे। राज्य सरकार एक नए डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करते समय एक शासक के रूप में कार्य करती है तथा अपनी सांविधानिक बाध्यता को पूरा करती है। तथापि, राज्य सरकार अपनी वित्तीय मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं होती है। अधिकतर मामलों में शिक्षा प्रदान करने के कार्य को नागरिकों द्वारा स्वयं अपने हाथ में ले लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की किसी समुदाय के बच्चों को उच्चतर/व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी पसन्द और आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए सांविधानिक बाध्यता होती है। यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावित बालिका डिग्री महाविद्यालय के बुनियादी ढांचे और अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात ही एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय मुम्बई ने उसकी स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को संस्तुति की थी। शिरुर कसार, ता. शिरुर, जिला बीड़, महाराष्ट्र में प्रस्तावित बालिका डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान करने से राज्य सरकार का इंकार वस्तुतः याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रत्याभूत अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और उनके संचालन के अधिकार को अभ्यर्पित करने और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है।

पूर्वोल्लिखित कारणों से, आयोग का यह निर्णय और यह मानना है कि प्रस्तावित महाविद्यालय को आरम्भ करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई मनमानी है तथा संविधान के अनुच्छेद 30(1) के प्रतिकूल है। राज्य सरकार को निदेश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा शिरुर कसार, ता. शिरुर, जिला बीड़ में प्रस्तावित महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय मुम्बई की सिफारिशों पर पुनर्विचार करके, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(ख) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करे।

2009 का मामला संख्या 423

श्री अजीत नाथ जैन इंटर कॉलेज, बागपत, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन

याचिकाकर्ता : श्री अजीत नाथ जैन इंटर कॉलेज, शेरपुर लुहारा, बागपत, उत्तर प्रदेश।

प्रतिवादी : 1. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश सरकार, 18वां पार्क रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत, उत्तर प्रदेश।

याचिकाकर्ता ने पांच शिक्षकों, जिनका संस्वीकृत पदों पर याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन द्वारा विधिवत चयन किया गया था, की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करने के लिए शैक्षणिक प्राधिकारियों को निदेश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता के अनुसार याचिकाकर्ता कॉलेज को इस आयोग द्वारा एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित किया गया है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन संवैधानिक संरक्षण की हकदार है। यह भी अभिकथित है कि शिक्षकों का चयन इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921(संक्षिप्त रूप में शिक्षा अधिनियम) की धारा 16 चर्च के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। इन शिक्षकों के चयन और नियुक्ति से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों को जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत को प्रस्तुत किया गया था, जिसने इन्हें संयुक्त निदेशक, प्रथम मंडल मेरठ को अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया। यह आरोप लगाया गया है कि संयुक्त निदेशक, प्रथम मंडल, मेरठ

ने इन शिक्षकों के चयन और नियुक्ति के अनुमोदन को दोषपूर्ण तरीके से रोका है। याचिकाकर्ता के अनुसार, संयुक्त निदेशक की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन है।

नोटिस देने के बावजूद शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत ने संयुक्त निदेशक, प्रथम मंडल, मेरठ को संबोधित दिनांक 02.09.2009 के अपने पत्र सं. एम ए-2/3546-48/2009-10 की एक प्रति प्रस्तुत की है जिसमें याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की गई है। संयुक्त निदेशक श्री वी.के. सक्सेना ने यह उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया है कि जब तक याचिकाकर्ता कॉलेज को अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम(वक्फ) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित नहीं किया जाता तब तक शिक्षा अधिनियम की धारा 16चच के उपबंध को याचिकाकर्ता कॉलेज पर लागू नहीं किया जा सकता। आगे यह आरोप भी लगाया गया है कि उसने मामले को मार्गदर्शन के लिए विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया है।

यहाँ अवधारण के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या, संयुक्त निदेशक प्रथम मंडल, मेरठ की आक्षेपित कार्रवाई संविधान का अनुच्छेद 30(1) और शिक्षा अधिनियम की धारा 16चच की उपधारा (4) के उपबंध का उल्लंघन है ?

यह विवाद से परे है कि मामला संख्या 616/2008 में पारित आदेश द्वारा आयोग ने याचिकाकर्ता कॉलेज को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान किया है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन सांविधानिक संरक्षण का हकदार है। संयुक्त निदेशक, प्रथम मंडल, मेरठ ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि जब तक याचिकाकर्ता कॉलेज को अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम (वक्फ) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप घोषित नहीं किया जाता, तब तक शिक्षा अधिनियम की धारा 16चच के उपबंध को याचिकाकर्ता कॉलेज पर लागू नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, वह इस आयोग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र, जिसमें याचिकाकर्ता कॉलेज को एक अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है, पर कार्रवाई करने का इच्छुक नहीं है। यह प्रतीत होता है कि संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम (संक्षिप्त रूप में अधिनियम) के उपबंधों के बारे में पूर्णतः अनभिज्ञ हैं जिसमें एक अल्पसंख्यक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने की आयोग को शक्ति प्रदत्त की गई। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था(प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 की धारा 2(च), में एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं” से संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) के तहत अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित और **संसद के एक अधिनियम द्वारा अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी घोषित अथवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित एक संस्था अभिप्रेत है।**

(बल दिया गया)

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि 24.8.2006 को विनिर्णित वर्ष 2006 की विशेष अपील संख्या 903 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा निर्णय दिया गया कि राज्य सरकार को किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार संयुक्त निदेशक, प्रथम मंडल, मेरठ का यह दृष्टिकोण कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम(वक्फ) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, अल्पसंख्यक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक मात्र सक्षम प्राधिकरण है, न केवल केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था(प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 की धारा 2(च) का उल्लंघन है, बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्वोल्लिखित निर्णय के भी विपरीत है। जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, राज्य सरकार को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने का अधिकार नहीं है। पूर्वोल्लिखित निर्णय को ध्यान में रखते हुए आयोग ने हस्तक्षेप

किया तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार याचिकाकर्ता को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान किया। चूंकि याचिकाकर्ता कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन है, अतः इसे शिक्षा अधिनियम की धारा 16चच के उपबंधों के अनुसार अपने शिक्षण और गैर- शिक्षण स्टाफ के चयन और नियुक्ति के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता हासिल है। मामले को इस दृष्टि से देखते हुए मुझे टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002(8) एस सी सी 481 तथा पी.ए. ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य(2005) 6 एस सी सी 537, मामले में उच्चतम न्यायालय की सांविधानिक न्यायपीठों के निर्णयों से सुदृढ़ता मिली है। शैक्षणिक प्राधिकारियों के पास केवल नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी की अर्हता और अन्यथा पात्रता की सीमा तक, याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन समिति के प्रस्ताव की जांच करने की सीमित गुंजाइश उपलब्ध है। इस संबंध में, शिक्षा अधिनियम की धारा 16चच की उपधारा (4) के उपबंध का संदर्भ लिया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि जहां चयनित व्यक्ति निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त तथा अन्यथा पात्र था, क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक अथवा निरीक्षक, किए गए चयन के अनुमोदन को रोक नहीं सकता है। (अंजना कुमार(श्रीमती) तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य (2206)2 एसएसी202)

पूर्वोक्त विधिक प्रतिपादना को ध्यान में रखते हुए मैं यह निर्णय देने के लिए बाध्य हूँ कि संयुक्त निदेशक, प्रथम मंडल, मेरठ, को याचिकाकर्ता कॉलेज के शिक्षण स्टाफ के चयन और नियुक्ति का अनुमोदन करने का पूर्णतः कोई अधिकार नहीं था। जैसा कि उल्लेख किया गया है, संयुक्त निदेशक, प्रथम मंडल, मेरठ की भूमिका, यह सुनिश्चित करने की सीमा तक सीमित है कि ऐसे चयनित अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के चयन और नियुक्ति के अनुमोदन को रोकने की संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मंडल, मेरठ की आपेक्षित कार्रवाई, न केवल संविधान 30(1) का उल्लंघन है बल्कि यह शिक्षा अधिनियम की धारा 16चच की उपधारा (4) के आज्ञापक उपबंध का भी उल्लंघन है।

पूर्वोल्लिखित कारणों से, आयोग का यह मत था कि याचिकाकर्ता कॉलेज के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन शामिल एक शैक्षणिक संस्था होने के कारण, वह शिक्षा अधिनियम की धारा 16चच के उपबंध के अनुसार अपने शिक्षण स्टाफ का चयन तथा नियुक्ति करने का हकदार है तथा जहां चयनित व्यक्ति निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त है और अन्यथा पात्र था, संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ, इस प्रकार किए गए चयन के अनुमोदन को रोक नहीं सकते हैं। परिणाम स्वरूप, याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा चयन किए गए अध्यापकों की नियुक्ति के अनुमोदन को रोकने की संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मंडल मेरठ की आपेक्षित कार्रवाई, न केवल संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह उपधारा (4) वही के आज्ञापक उपबंधों का भी उल्लंघन है। तदनुसार, संयुक्त निदेशक को निदेश दिया गया कि वह शिक्षा अधिनियम की धारा 16चच में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन द्वारा चयन किए गए शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करके, अधिनियम की धारा 11(ख) के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करे।

2008 का मामला संख्या 1546

जैड. ए. इस्लामिया कॉलेज, सीवान, बिहार की आई-कॉम शिक्षा शाखा को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए अनुरोध

याचिकाकर्ता : 1. जैड.ए.इस्लामिया कॉलेज, सीवान, बिहार ।

प्रतिवादी : 1. प्रधान सचिव, मा.सं.वि. विभाग, बिहार सरकार पटना ।

2. सचिव,बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड,(वरिष्ठ माध्यमिक) पटना ।

याचिकाकर्ता, जैड.ए.इस्लामिया कॉलेज, सीवान, बिहार ने कॉलेज की आई-कॉम शिक्षा शाखा को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के निदेश लिए मांगा है। याचिकाकर्ता कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। दिनांक 04.8.1998 को, कॉलेज की शासी निकाय ने, याचिकाकर्ता कॉलेज में वाणिज्य शाखा में, इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा आरम्भ करने का निर्णय लिया और तदनुसार कॉलेज ने आई-कॉम शिक्षा प्रदान करने के लिए, कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, पटना(इसमें इसके पश्चात् "परिषद्" के रूप में संदर्भित) के सचिव के सम्मुख एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता कॉलेज ने परिषद् के लिए आरक्षित निधि के रूप में 25000/- रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट जमा किया। इसके पश्चात् परिषद् के निदेशाधीन एक निरीक्षण दल ने कॉलेज का निरीक्षण किया तथा कॉलेज में उपलब्ध बुनियादी ढांचा और अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता का एक विस्तृत विवरण देते हुए, परिषद् को दिनांक 26.12.1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वाणिज्य शाखा में इंटरमीडिएट शिक्षा के लिए कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए संस्तुति की। निरीक्षण दल द्वारा अनुकूल संस्तुति करने के बावजूद आई-कॉम शिक्षा के संबंध में कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 15.9.2000 के पत्र द्वारा परिषद् ने कॉलेज को 25,000/-रुपए की अतिरिक्त राशि जमा करने का निदेश दिया और तदनुसार कॉलेज ने उक्त राशि का दिनांक 16.9.2000 का एक बैंक डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया।

इसके पश्चात्, याचिकाकर्ता परिषद् के साथ इस मामले पर लगातार पत्र व्यवहार कर रहा है लेकिन दिनांक 6.1.2001 तथा 9.8.2001 के बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद परिषद् द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता कॉलेज ने जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा के कुलसचिव द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया। दिनांक 25.8.2002 के पत्र द्वारा, परिषद् ने जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा के कुलसचिव को यह उल्लेख करते हुए लिखा कि याचिकाकर्ता कॉलेज के विद्यार्थियों के फार्म इत्यादि को स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार और वित्तीय स्थिति के संबंध में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

परिषद् ने दिनांक 9.2.2005 के पत्र के तहत एक नए निरीक्षण दल का दोबारा गठन किया तथा इस निरीक्षण दल ने निरीक्षण करने के पश्चात् कॉलेज आई-कॉम शाखा को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए संस्तुति करते हुए दिनांक 21.3.2005 को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके पश्चात् राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग ने कॉलेज के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन करने हेतु, आयुक्त, सारण प्रभाग को बार-बार निदेश दिया, लेकिन उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, कॉलेज ने मामले का अनुसरण किया, लेकिन आयुक्त, सारण प्रभाग ने किसी निरीक्षण दल का गठन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता कॉलेज को परिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई तथा कॉलेज में दाखिल विद्यार्थियों को प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में माना जा रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि हालांकि याचिकाकर्ता कॉलेज सम्बद्धता के प्रयोजनों के लिए निर्धारित सभी मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, फिर भी संबंधित प्राधिकारियों ने अब एक दशक से अधिक समय तक सम्बद्धता प्रदान करने में देरी करके, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का जानबूझकर उल्लंघन किया है।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार ने उत्तर में उल्लेख किया है कि बिहार सरकार ने बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद(स्थापना एवं परीक्षा) नियमावली 1994 के नियम 15(i) के उपबंधों के अधीन आयुक्त, सारण को निदेश दिया था कि वह विनिर्दिष्ट शाखा में सम्बद्धता प्रदान करने के लिए, कॉलेज की व्यवहार्यता और उपयुक्तता का पता लगाने हेतु आवश्यक निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 26.7.2001 की अधिसूचना संख्या 646 के अनुसार एक निरीक्षण दल का गठन करें लेकिन इस निदेश का आयुक्त

द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। मानव संसाधन विकास विभाग ने दिनांक 2.2.2006 के पत्र संख्या 153 के तहत प्रभागीय आयुक्त, सारण को एक निरीक्षण दल का गठन करने तथा यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दोबारा निदेश दिया। दिनांक 2.2.2006 तथा 27.8.2009 के अनुस्मारकों के बावजूद प्रभागीय आयुक्त सारण ने दिनांक 26.7.2001 की अधिसूचना संख्या 646 के निबंधनों के अनुसार निरीक्षण दल का गठन नहीं किया। विशेष सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 23.9.2009 के पत्र के तहत, रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए प्रभागीय आयुक्त, सारण को फिर अनुस्मारक भेजा है।

याचिकाकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर में यह प्रस्तुत किया है कि तत्कालीन बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् द्वारा गठित निरीक्षण दल ने आधारीक बुनियादी ढांचे तथा अनुदेशात्मक सुविधाओं सहित सभी मानदंडों और मानकों का पालन करने के आधार पर आई-कॉम पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्पष्ट रूप से संस्तुति की है। बार-बार संस्तुति करने के बावजूद परिषद् कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने में असफलता रहीं है। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के आयोग के पास जाने के बाद से प्राधिकारियों का रवैया अब विरोधी हो गया है। याचिकाकर्ता कॉलेज को सम्बद्धता का विस्तार करने के प्रयोजन के लिए कॉलेज द्वारा संचालित अन्य पाठ्यक्रमों के संबंध में, अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग करके इन प्राधिकारियों द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है बावजूद इस तथ्य के कि याचिकाकर्ता कॉलेज ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमोदन के निबंधनों के अनुसार, इन पाठ्यक्रमों में वर्ष 1991 से स्थायी सम्बद्धता पहले ही प्राप्त कर ली है। याचिकाकर्ता कॉलेज को विज्ञान स्नातक तथा कला स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। आगे यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता कॉलेज को परिषद् के पक्ष में आरक्षित निधि के नाम में 1,50,000/- रुपए की राशि को जमा कराने के लिए दोबारा कहा गया है ताकि कॉलेज के विद्यार्थियों का वर्ष 2007 में इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सके, हालांकि आरक्षित निधि वर्ष 1973 में पहले ही सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व जमा की जा चुकी है।

बिहार स्कूली शिक्षा(वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड), पटना के सचिव ने अपने प्रति-शपथपत्र में उल्लेख किया है कि बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्(कॉलेज की स्थापना तथा परीक्षा का संचालन) नियमावली 1994(संक्षिप्त रूप में नियमावली) का नियम 14(1), परिषद् को इंटरमीडिएट स्तर की संस्थाओं को, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके, मान्यता प्रदान करने या उससे इंकार करने का अधिकार देता है। नियमावली का नियम 41 यह निर्धारित करता है कि इंटरमीडिएट शिक्षा प्रदान कर रही कोई संस्था, तब तक संचालित या स्थापित नहीं की जाएगी, जब तक कि परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता। नियम 41(7) में आगे उपबंध किया गया है कि यदि परिषद् किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने से इंकार करती है अथवा वह परिषद् के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह संस्था, 30 दिन के भीतर राज्य सरकार से अपील कर सकती है तथा राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। नियमावली के नियम 6 में, नियमावली के नियम 41(3) के उपबंधों के अध्याधीन, परिषद् द्वारा एक अथवा अधिक संकायों में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नियमावली का नियम 7 यह उपबंध करता है कि संस्था को मान्यता देने के लिए, विषय के साथ-साथ संकाय अथवा संकायों को उल्लेख करते हुए परिषद् के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा उसे परिषद् को कुछ सूचनाएं देनी होंगी जैसे भवन और भूमि स्वयं उसकी है, विद्यार्थियों की देखरेख तथा वास्तविक कल्याण के लिए उचित व्यवस्था की गई है, पुस्तकालय, शिक्षकीय, प्रायोगिक तथा व्याख्यान कक्षाओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है, परिषद् के पास आरक्षित निधि जमा करा दी गई है इत्यादि। नियमावली के नियम 11 में उपबंध किया गया है कि ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर, परिषद् द्वारा उक्त नियमावली में विशेष रूप से उल्लिखित विषय के संबंध में स्थानीय जांच की जाएगी तथा इसके पश्चात ऐसी जांच या किसी अतिरिक्त जांच के पूर्ण होने पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि क्या मान्यता समिति की सिफारिश के आधार पर मान्यता प्रदान की जाए अथवा नहीं।

नियमावली 1994 का नियम 7(12)(ख) यह आदेश देता है कि परिषद् द्वारा अनुमत मान्यता के सभी मामलों को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा तथा राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी ।

अवधारण के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा मांगी गई सम्बद्धता को प्रदान न करने की संबंधित प्राधिकारियों की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करती है ।

यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता कॉलेज, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है । केरल शिक्षा विधेयक मामला (एआईआर 1958 एससी 255) से उद्धृत उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों जिसकी चरम परिणति टी.एम.ए पाई फाऊंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य(2002)8 एससीसी 481) में 11 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हुई, ने फिलहाल तो कानून स्थापित कर दिया है । अनुच्छेद 30(1) पर मामले के कानून का पूरा विकास टी.एम.ए.पाई फाऊंडेशन(ऊपर) में अंतःस्थापित कर दिया गया है । संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को “उनकी पसन्द” की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30(1) का मूलाधार अल्पसंख्यकों को उनकी पसन्द की शैक्षणिक संस्था के संचालन के लिए संरक्षण प्रदान करना है । इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है । यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है, जो कि संविधान के अध्याय 11 के अधीन प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य एआईआर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय “ राष्ट्र के विवेक को है कि धार्मिक के अलावा भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को देश का संपूर्ण पुरुष या महिला बनाने के लिए उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें अपनी पंसद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा प्रशासन में रोका नहीं गया है । देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व का वास्तविक अभिप्राय है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।”

आर ई: केरल शिक्षा विधेयक(ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. सी.जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

“ संविधान के अनुच्छेद 30(1) का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी ‘अपनी पसंद’ के शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द ‘पसंद’ है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।”

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय(1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि ‘अपनी पसंद के’ शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके

स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है। वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके।”

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (ऊपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगा :-

“..... अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए। अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा

(ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना।

जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी।”

इस प्रकार, “उनकी पसन्द के” शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें)। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है। हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों। “

इस प्रकार, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अर्थपूर्ण प्रयोग का अर्थ प्रभावकारी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के अधिकार से है जो कि अल्पसंख्यकों तथा विद्यार्थियों, जो उनका सहारा लेते हैं की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। राज्य या विनियामक प्राधिकारी के लिए यह अनुज्ञेय है कि वह विनियमों का निर्धारण करे, जिनका किसी अल्पसंख्यक संस्था द्वारा सम्बद्धता और मान्यता की मांग करने या उसे बनाए रखने से पहले, अवश्य ही अनुपालन किया जाए लेकिन ऐसे विनियमों को संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दोनों उद्देश्यों- कि संस्था की उत्कृष्टता के स्तर को सुनिश्चित करते हुए और कि अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन के उनके अधिकार को संरक्षित करते हुए उनके बीच संतुलन रखा जाए। वे विनियम, जिनमें दोनों उद्देश्यों को सम्मिलित तथा उनमें सामंजस्य स्थापित किया गया है, को तर्कसंगत माना जा सकता है (टी एम ए पाई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य, 2002 (8) एससीसी 481 देखें)। टी एम ए पाई फाउण्डेशन मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि प्रत्येक संस्था जो कि सम्बद्धता और मान्यता को प्रदान करने के लिए शर्तों को पूरा करती है, उसे ऐसी सम्बद्धता तथा मान्यता अवश्य दी जाए। इसके अलावा, अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार, विधानमंडल तथा कार्यपालिका को किसी कानून बनाने या किसी कार्यपालिका कार्रवाई को न करने का कर्तव्य निर्धारित करता है, जो कि उस अधिकार को छीनेगा या कम कर देगा।

हालांकि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में ऐसी स्थितियों का उल्लेख नहीं है जिसके तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता हो सकती हो परन्तु फिर भी अनुच्छेद की प्रकृति में यह अर्थ समाविष्ट है कि जहां संबद्धता मांगी जाती है, वहां संबंधित विश्वविद्यालय बिना किसी पर्याप्त कारण के संबद्धता के लिए मना नहीं कर सकता अथवा ऐसी शर्तें लागू करने का प्रयास नहीं कर सकता, जिससे शैक्षणिक संस्थान का स्वायत्त प्रशासन पूरी तरह नष्ट हो जाता हो ।

अधिनियम की धारा 10क अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अपनी पसंद के किसी विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता का अधिकार प्रदान करती है । धारा 10क निम्नवत है:

“10क. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की सहबद्धता चाहने का अधिकार । (1) कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपनी पसंद के किसी विश्वविद्यालय से इस बात के अधीन रहते हुए सहबद्ध होने की मांग कर सकेगी कि ऐसी सहबद्धता उस अधिनियम के भीतर अनुज्ञेय है, जिसके अधीन उक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है ।

(2) कोई व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, उपधारा (1) के अधीन सहबद्ध होने के लिए किसी विश्वविद्यालय को कोई आवेदन, उस विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश, नियमों या विनियमों द्वारा विहित रीति में फाइल कर सकेगा :

परन्तु ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को आवेदन करने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसे आवेदन की स्थिति जानने का अधिकार होगा]”

मान्यता एक सुविधा है जो राज्य शैक्षणिक संस्था को प्रदान करता है । कोई शैक्षणिक संस्था, राज्य सरकार की मान्यता के बिना नहीं चल सकती । मान्यता के बिना शैक्षणिक संस्था केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं उठा सकती । संबद्धता भी एक सुविधा है जो एक विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्था को प्रदान करता है । मैनेजिंग बोर्ड, ऑफ द मिली तालीमी मिशन बिहार एवं अन्य बनारस बिहार राज्य एवं अन्य 1984(4) एससीसी 500 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि अल्पसंख्यक संस्था चलाना भी उतना ही मौलिक अथवा महत्वपूर्ण है जितना देश के नागरिकों को दिए गए अन्य अधिकार । यदि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को कोई उचित तथा पर्याप्त आधार बताए बिना राज्य सरकार उसे मान्यता देने अथवा विश्वविद्यालय की संबद्धता प्रदान करने से मना करता है तो इसके सीधे परिणाम यह होंगे कि संस्था का अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा । अतः संविधिक प्राधिकारियों द्वारा बिना किसी उचित तथा पर्याप्त आधार के मान्यता अथवा संबद्धता देने से मना करना संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रत्याभूत अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा ।

यदि संबद्धता अथवा मान्यता देने से मना किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के अल्पसंख्यक अधिकार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा । सेंट जेवियर कॉलेज, अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य 1974(1) एससीसी 717 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया कि सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के मामले में अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकार में “संबद्धता उसका वास्तविक तथा सार्थक उपयोग होनी चाहिए” कोई प्रविधि जो ऐसी शर्तों पर संबद्धता प्रदान करती हो जिससे अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित तथा संचालित करने के भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार में कमी होती हो, तो वह अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन मानी जाएगी । अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं में यदि लड़के एवं लड़कियों को विश्वविद्यालय डिग्रियों के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सका तो ऐसी संस्थाएं अपनी उपयोगिता खो देंगी । वास्तव में, अल्पसंख्यक अपने बच्चों को सामान्य जीवन वृत्ति के लिए तैयार करने के अपने इस अधिकार को खो देंगे,

यदि संबद्धता शर्तों पर हो जिससे उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित तथा संचालित करने के अपने अधिकार त्यागने अथवा खोने पड़ें। संबद्धता का प्रथम उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी ऐसी डिग्रियों के रूप में अर्हताएं प्राप्त करें जो उनकी जीवन-वृत्ति के लिए नितांत उपयोगी हो। विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने के प्रयोजनार्थ जब तक ऐसी संस्था को विश्वविद्यालय की संबद्धता प्रदान नहीं की जाती, तब तक अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना न केवल अप्रभावी बल्कि अवांस्तविक भी होती है।”

अधिनियम की धारा 10क का संदर्भ भी लिया जा सकता है जिस के तहत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अपनी पसंद के किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है बशर्ते कि ऐसी संबद्धता उस अधिनियम के भीतर अनुमत्य हो जिसके अंतर्गत उक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 12 इस आयोग को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह ऐसे विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता के संबंध में उत्पन्न किसी विवाद पर निर्णय ले। धारा 12 को इस प्रकार पढ़ा जाए :

“12. आयोग की शक्तियां .-(1) यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था और किसी विश्वविद्यालय के बीच उसके ऐसे विश्वविद्यालय से सहबद्ध होने के संबंध में कोई विवाद उठता है तो उस पर आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, किसी वाद का विचारण करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ - पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124, 1872(1872 का1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे रिकार्ड अथवा दस्तावेज अथवा रिकार्ड की प्रति की अपेक्षा करना ;

(ङ.) साक्षियों या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

[(3) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196(1860 का 45) के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।]”

यहां उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि अधिनियम में यह व्यवस्था है कि आयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन दिशा निर्देशित होगा तथा उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी। धारा 12 की उप धारा (2) आयोग को यह शक्ति प्रदान करती है कि आयोग

सिविल प्रक्रिया कोड के तहत साक्षियों को सम्मन देने, उनके उपस्थित होने, किसी लोक रिकार्ड की मांग करने कमीशन निकालने जैसी विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। धारा 12 की उप धारा (3) में यह विनिर्दिष्ट है कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी तथा आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) की धारा 195 तथा अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। धाराओं 12क तथा 12ख आयोग को अपील करने का अधिकार प्रदान करती हैं तथा यह भी व्यवस्था करती हैं कि आयोग द्वारा पारित आदेश सिविल न्यायालय के आदेश की तरह कार्यान्वित किए जाएंगे। अधिनियम की धारा 12च में यह उल्लेख है कि किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं है जिसका अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत निर्णय करने का आयोग को अधिकार प्राप्त है। अतः अधिनियम के प्रावधानों का संक्षिप्त सार स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि संबद्धता से संबंधित विश्वविद्यालय तथा अल्पसंख्यक संस्थान के बीच विवाद इस अधिनियम के दायरे में आता है। अधिनियम की प्रस्तावना तथा अधिनियम को लागू करने वाले उद्देश्यों तथा कारणों के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 10क का स्पष्ट रूप से पठन करने पर पता चलता है कि संबंधित पक्षकारों के बीच संबद्धता से संबंधित विवाद इस प्रयोजनार्थ गठित विशेष न्यायालय द्वारा निर्णित होंगे। सिविल न्यायालय का यह भी क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत आयोग को किसी मामले में निर्णय के लिए मिले अधिकार के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही पर विचार करे। अधिनियम की संरचना से स्वतः स्पष्ट होता है कि इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इस प्रकार अधिनियम स्वतः पूर्ण संहिता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता/संबद्धता देने के संबंध में उत्पन्न सभी विवादों पर कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का किसी विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता के लिए उत्पन्न विवाद पर निर्णय देने का आयोग का अधिकार है। धारा 12 की उप धारा (1) में यह घोषणा की गई है कि ऐसे विवाद पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यह विवादित नहीं हो सकता कि वर्तमान विवाद अधिनियम की धारा 12 के दायरे में आता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(ख) में यह घोषणा की गई है कि विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता से संबंधित किसी भी विवाद पर आयोग के निर्णय उचित सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

तात्कालिक मामले में पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित तथ्य स्वीकार किए गए हैं :-

- (क) कि, याचिकाकर्ता कॉलेज ने विज्ञान स्नातक तथा कला स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय से पहले ही स्थायी सम्बद्धता प्राप्त कर ली हैं
- (ख) कि दिनांक 17.8.1998 को, याचिकाकर्ता कॉलेज ने परिषद के लिए आरक्षित निधि के रूप में 25000/- रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट जमा किया था।
- (ग) कि, परिषद् द्वारा गठित निरीक्षण दल ने कॉलेज का निरीक्षण किया तथा वाणिज्य शाखा में इंटरमीडिएट शिक्षा प्रदान करने के लिए, परिषद् द्वारा कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए संस्तुति की।
- (घ) कि, निरीक्षण दल द्वारा अनुकूल संस्तुति करने के बावजूद परिषद् द्वारा कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- (ङ) कि, दिनांक 15.9.2000 के पत्र द्वारा परिषद् ने दोबारा 25000/-रुपए के बैंक ड्राफ्ट की मांग की, जिसे कॉलेज ने दिनांक 16.9.2000 के बैंक ड्राफ्ट के तहत जमा कर दिया।

- (च) कि, याचिकाकर्ता कॉलेज ने, कुलसचिव, जे.पी.विश्वविद्यालय, छपरा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 6.1.2001 और 9.8.2001 को बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद परिषद् द्वारा याचिकाकर्ता कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
- (छ) कि, परिषद् ने दिनांक 25.8.2002 के पत्र के तहत जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा के कुलसचिव को यह उल्लेख करते हुए लिखा कि कॉलेज के विद्यार्थियों के फार्मों इत्यादि को स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार के संबंध में निर्णय राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा ।
- (ज) कि, परिषद् ने दिनांक 9.2.2005 के पत्र के तहत दोबारा एक नए निरीक्षण दल का गठन किया तथा इस निरीक्षण दल ने निरीक्षण करने के पश्चात कॉलेज की आई-कॉम शाखा को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए संस्तुति करते हुए दिनांक 21.3.2005 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
- (झ) कि, राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग ने दिनांक 2.1.2006 के पत्र के तहत आयुक्त, सारण प्रभाग को याचिकाकर्ता कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन करने का निदेश दिया ।
- (ञ) कि मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार से दिनांक 2.2.2006, 27.8.2009 तथा 23.9.2009 को बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद प्रभागीय आयुक्त, सारण ने दिनांक 26.7.2001 की अधिसूचना संख्या 646 के निबंधनों के अनुसार एक निरीक्षण दल का गठन नहीं किया ।
- (ट) कि, याचिकाकर्ता कॉलेज को, परिषद् के पक्ष में आरक्षित निधि के नाम से 150000/- रु. की अतिरिक्त धन-राशि जमा करने के लिए परिषद् द्वारा निदेश दिया गया है ।

उपर्युक्त स्वीकार किए गए तथ्य, सामान्य रूप से राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों तथा विशेषतः आयुक्त सारण प्रभाग द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रत्याभूत शैक्षणिक अधिकारों से याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन को वंचित करने में उनके विरोधी रवैये तथा उदासीनता को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं । यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि कॉलेज का बार-बार निरीक्षण कराने में कोई न्यायोचितता नहीं थी, विशेषतः जब परिषद् द्वारा गठित निरीक्षण दलों द्वारा कोई खामी नहीं देखी गई थी । परिषद् द्वारा गठित सभी निरीक्षण दलों ने परिषद् से सम्बद्ध होने के लिए कॉलेज की पात्रता के बारे में संतुष्ट होने पर ही सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की गई थी लेकिन परिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई जिसके कारणों की परिषद् के संबंधित अधिकारियों को ही बेहतर जानकारी हो सकती है । यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कॉलेज का बार-बार निरीक्षण कराकर तथा आरक्षित निधियों की मांग करके, याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन को परिषद् द्वारा उत्पीड़ित किया गया था ।

भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप, जरूरत इस बात की है कि हमारे नेता एक नए दृष्टिकोण का परिचय दें । उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पुराने संकीर्णवादी अतीत में न झाकते रहें बल्कि ऐसे काम करें जिनसे सुनहरा भविष्य का स्वप्न साकार होता हो । सर्वसमावेशी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, उनसे आशा की जाती है कि वे एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का भी विकास करें । हमारे संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं ने, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के निर्माण द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रति उदार और दूरदर्शी रवैया अपनाया है । अतः सरकार के पदाधिकारी जो संविधान

के प्रति शपथ लेते हैं तथा उसमें निष्ठा प्रकट करते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करने के अलावा, उनके शैक्षणिक अधिकारों को कायम रखने में भी वैसा ही सकारात्मक और सशक्त रवैया अपनाएं और व्यवहार में लाएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी टिप्पणी की गई है कि “भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का अर्थ एक पवित्र कर्तव्य से है जो यह सुनिश्चित करे कि समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों को कायम रखा गया है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों को लागू किया गया है तथा सभी नागरिकों को हमारे साझा लक्ष्य “हमारे सपनों का भारत” को साकार करने में भागीदारी करने हेतु समर्थ बनाया गया है।

यह स्वीकार किया जाता है कि आयुक्त, सारण प्रभाग ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा दिनांक 2.2.2006, 27.8.2009 तथा 23.9.2009 के पत्रों के तहत बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद दिनांक 26.7.2001 की अधिसूचना संख्या 646 के निबंधनों के अनुसार निरीक्षण दल का गठन नहीं किया। आयुक्त दिनांक 26.7.2001 की अधिसूचना संख्या 646 के निबंधनों के अनुसार निरीक्षण दल का गठन करने के लिए राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बार-बार दिए गए निदेशों की अवज्ञा करने में आयुक्त, सारण प्रभाग का मनमाना आचरण उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। यह आगे दर्शाता है कि आयुक्त, सारण प्रभाग ने, विचाराधीन सम्बद्धता को प्रदान करने के प्रश्न का निर्णय करने के लिए निरीक्षण दल का गठन करने हेतु राज्य सरकार के निदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करके संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रत्याभूत याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन के शैक्षणिक अधिकारों का भी सुस्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि राज्य सरकार द्वारा आयुक्त सारण प्रभाग के विरुद्ध, उसके आदेशों की दुराग्रही अवज्ञा करने पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान न करने की राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों की आक्षेपित निष्क्रियता संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त मौलिक अधिकार द्वारा अप्रभावी हो जाती है तथा यह तब तक उसी मृतप्राय स्थिति में रहेगी, जब तक मौलिक अधिकारों का अस्तित्व बना रहेगा।

पूर्वलिखित कारणों से, आयोग द्वारा यह निर्णय दिया कि संबंधित प्राधिकारियों की आक्षेपित निष्क्रियता, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का स्पष्ट रूप उल्लंघन करती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि राज्य सरकार इसे एक विशेष मामले के रूप में मानते हुए, याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा मांगी गई आई-कॉम शिक्षा को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करती है तो आयोग उसकी सराहना करेगा। अतः आयोग ने राज्य सरकार को संस्तुति की कि वह याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा मांगी गई स्थायी सम्बद्धता को प्रदान करके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(ख) के निबंधनों के अनुसार इस आयोग के निष्कर्षों को लागू करे। यदि राज्य सरकार पथभ्रष्ट अधिकारियों, विशेष रूप से तत्कालीन आयुक्त, सारण प्रभाग, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार तथा दिनांक 26.7.2001 की अधिसूचना संख्या 646 के निबंधनों के अनुसार निरीक्षण दल गठित करने के राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के बार-बार दिए गए आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है, के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करती है, तो भी आयोग उसकी सराहना करेगा।

अध्याय 8 - केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ तथा आयोग की सिफारिशें

1. इस अवधि में, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों से कुछ संदर्भ प्राप्त किए हैं। केन्द्र सरकार से प्राप्त संदर्भों में कुछ पक्षकारों से प्राप्त याचिकाओं का अग्रेषण है, जिन्हें आयोग द्वारा मामलों के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है तथा तदनुसार कार्रवाई की गई है। राज्य सरकारों से प्राप्त अधिकतर संदर्भों में, अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में मानदंडों पर स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। चूंकि आयोग ने पहले ही एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें भारत के संविधान के अधीन अल्पसंख्यक दर्जे का अवधारण करने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में मान्यता, सम्बद्धता तथा उससे जुड़े मामलों के बारे में दिशा-निर्देश अन्तर्विष्ट हैं, इन संदर्भों पर तदनुसार कार्रवाई की गई।
2. अल्पसंख्यक विभाग, महाराष्ट्र सरकार से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें इस मुद्दे पर सलाह देने का अनुरोध किया गया था कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में, महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कोटा में से अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है और यदि हां तो उन्हें किस सीमा तक यह प्रवेश दिया जा सकता है। इस संदर्भ पर आयोग ने निम्नलिखित परामर्श दिया है :-

संदर्भ पर सलाह

महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11(क) के अधीन आयोग की सलाहकारी क्षेत्राधिकार का अवलंब लिया है : क्या अल्पसंख्यक संस्थाओं में, राज्य के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कोटा में से, दूसरे राज्यों के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है ? आरम्भ में हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 12 ग(ख), राज्य सरकार को एक अल्पसंख्यक संस्था में एक शैक्षिक वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के प्रवेश को विनियमित करने हेतु न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है तथा प्रवेशों को विनियमित कर रही ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता का निर्धारण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के लिए आबद्धकर है।

किसी संस्था की स्थापना अपनी स्थापना के उद्देश्य में सहायक होने तथा उस उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए की जाती है। जबकि अल्पसंख्यकों को इस इच्छा से अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़-लिख कर उच्च शिक्षा के योग्य बने तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जिससे वे जन सेवा में प्रवेश के योग्य बन सकें, तब यकीनन अपने समुदाय के बच्चों की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए सदृश कर्तव्य इन मूल अधिकारों में निश्चित रूप से अंतर्निहित होने चाहिए। ऐसे मूल अधिकारों की लाभार्थी को पूरा लाभ उठाने की अनुमति होनी चाहिए। अतः अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था से उस अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताएं निश्चित रूप से पूरी होंगी जिसने यह संस्था स्थापित की है।

पी.ए. ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एससीसी 537 मामले में यह निर्णय दिया गया है कि “कोई संस्था अपना अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा उसी क्षण नहीं खो देती जब उसने सहायता अनुदान प्राप्त किया है। इस प्रकार एक सहायता-प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यक समूह से जुड़े विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने का पात्र तो होगा ही परन्तु साथ ही साथ उससे गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उचित सीमा तक प्रवेश देने की अपेक्षा भी होगी ताकि अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकारों को अधिकतर रूप में हानि न पहुंचे और साथ ही अनुच्छेद 20(2) के तहत नागरिक अधिकारों का भी अतिलंघन न हो। यह उचित सीमा क्या होगी, यह अलग-अलग तरह की शैक्षणिक संस्थाओं, शिक्षा पाठ्यक्रमों जिसके लिए प्रवेश मांगा जा रहा है तथा शैक्षणिक आवश्यकताओं जैसे अन्य घटकों के अनुसार अलग-

अलग होगी । संबंधित राज्य सरकार को उपर्युक्त टिप्पणियों के दृष्टिगत प्रवेश दिए जाने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का प्रतिशत अधिसूचित करना होता है ।”

जहां तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश को नियंत्रित करने वाली प्रतिशतता निर्धारण का संबंध है टी एम ए पाई फाउंडेशन मामला बनाम कर्नाटक राज्य(2002) 8 एससीसी 481 में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की निम्न टिप्पणियों का उदाहरण उपयोगी होगा । “.....संस्थान के प्रकार तथा शिक्षा पद्धति जो उस संस्थान में प्रदान की जा रही है के अनुसार परिस्थिति अलग-अलग होगी। यद्यपि सामान्यतया स्कूल स्तर पर अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों से पूरी सीटें भरना संभव हो सकता है परन्तु उच्च स्तर पर कॉलेज अथवा तकनीकी संस्थानों में अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों से सभी सीटें भर पाना संभव नहीं हो सकता । हालांकि अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों से ये सीटें भरना संभव हो तो भी उसी क्षण जब संस्थान को सहायतानुदान प्राप्त हो जाता है तो संस्थान को गैर अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों को उचित सीमा तक प्रवेश देना होगा जिससे संस्थान का स्वरूप समाप्त न हो तथा साथ ही अनुच्छेद 29(2) के तहत उल्लिखित नागरिक अधिकारों का हनन भी न हो ।”

अतः राज्य सरकार उस क्षेत्र, जहां संस्थान स्थापित है, की आबादी तथा शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिए जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिशत निर्धारित कर सकती है । प्राइमरी से कॉलेज स्तर तक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रकार के संबंध में तथा समूचे राज्य के लिए कोई सामान्य नियम अथवा विनियम अथवा व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में एक समान सीमा निर्धारित की जा सकती । अतः दो उद्देश्यों के बीच एक संतुलन रखना होगा अल्पसंख्यकों के इस अधिकार को बनाए रखना कि वे अपनी संस्थाओं में अपने समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश दें और साथ ही “छिटपुट बाहरी व्यक्तियों, को भी इस शर्त पर प्रवेश दे सकें कि प्रवेश के तरीके तथा उसकी संख्या से संस्थान के अल्पसंख्यक स्वरूप का उल्लंघन न हो ।

टी एम ए पाई फाउण्डेशन(ऊपर) के मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की सावधानीपूर्वक व्याख्या करने पर, यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि एक अल्पसंख्यक संस्था अनिवार्यतः उस राज्य के उस अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से पूरा करती है, जिसमें वह अल्पसंख्यक संस्था अवस्थित है । पी.ए.ईनामदार मामला(ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण निर्णय में भी यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं, गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों तथा अन्य राज्यों से उनके अपने समुदाय के भी सदस्यों सहित उनके अपने पसन्द के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन यह दोनों एक निश्चित सीमा तक होने चाहिए तथा ऐसे तरीके से उस सीमा तक नहीं होने चाहिए कि उनकी अल्पसंख्यक प्रास्थिति ही समाप्त हो जाए । केरल शिक्षा विधेयक ए आई आर 1958 एस सी 956 मामले में निर्णय दिया गया है कि “अनुच्छेद 29(2) तथा 30(1) की एक साथ व्याख्या करने पर ये एक अल्पसंख्यक संस्था में प्रवेश दिए गए “थोड़े से गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों” की ओर स्पष्ट रूप से ध्यान दिलाते हैं। अल्पसंख्यक संस्था में एक गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को प्रवेश देकर यह अपने स्वरूप को छोड़ नहीं देती है तथा एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता ।” इस प्रकार एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा में ठीक बैठ रहे अधिकांश विद्यार्थियों को प्रवेश देने की बाध्यता के अधीन है । अतः जिस राज्य में अल्पसंख्यक संस्था अवस्थित है, उस राज्य में रह रहे उस अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को एक बड़े अनुपात में अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा, क्योंकि जहां तक उस राज्य का संबंध है, वे धार्मिक अल्पसंख्यक समूह का गठन करते हैं । अन्य शब्दों में, जिस राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अवस्थित है, उस राज्य के रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की सर्वाधिकता होनी चाहिए । अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों की संख्या में गैर अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की केवल थोड़ी सी संख्या या तो अतिरिक्त वित्तीय स्रोतों को जुटाने के लिए अथवा सांस्कृतिक शिष्टाचार के नाते, अपेक्षित है । इस प्रकार

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में विद्यार्थियों की संख्या का अधिकांश भाग, उस राज्य के अल्पसंख्यकों का होना चाहिए, जिस राज्य में ऐसी शैक्षणिक संस्था अवस्थित है ।

उपर्युक्त मामलों में, उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त पूर्वोक्त विधि की प्रतिपादनाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रसंगाधीन प्रश्न का निम्नानुसार उत्तर दे सकते हैं :-

- (1) कि, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 12 ग (ख) के अधीन, राज्य सरकार उस क्षेत्र, जहां संस्थान स्थापित है, की आबादी तथा शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिए जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिशत निर्धारित कर सकती है । प्राइमरी से कॉलेज स्तर तक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रकार के संबंध में तथा समूचे राज्य के लिए कोई सामान्य नियम अथवा विनियम अथवा व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में एक समान सीमा निर्धारित की जा सकती ।

जैसा कि टी.एम.ए. पाई फाउण्डेशन(ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि “यथोचित सीमा क्या होगी, यह परिवर्तनीय कारकों पर निर्भर होगा तथा किसी विशेष प्रतिशत को निर्धारित करना उचित नहीं हो सकता । परिस्थिति संस्थान के प्रकार तथा शिक्षा पद्धति जो उस संस्थान में प्रदान की जा रही है के अनुसार अलग-अलग होगी। यद्यपि सामान्तया स्कूल स्तर पर अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों से पूरी सीटें भरना संभव हो सकता है परन्तु उच्च स्तर पर कॉलेज अथवा तकनीकी संस्थानों में अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों से सभी सीटें भर पाना संभव नहीं हो सकता । हालांकि अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों से ये सीटें भरना संभव हो तो भी उसी क्षण जब संस्थान को सहायतानुदान प्राप्त हो जाता है तो संस्थान को गैर-अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों को उचित सीमा तक प्रवेश देना होगा जिससे संस्थान का स्वरूप समाप्त न हो तथा साथ ही अनुच्छेद 29(2) के तहत उल्लिखित नागरिक अधिकारों का हनन भी न हो । इस कारण से, अनुच्छेद 29(2) तथा अनुच्छेद 30 दोनों प्रदत्त सांविधानिक गारंटियों को बधवा देने के लिए, संस्था और शिक्षा की किस्मों पर निर्भर रहते हुए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए एक परिवर्तनीय प्रतिशत वांछनीय है तथा वास्तव में आवश्यक है । अतः दो उद्देश्यों के बीच एक संतुलन रखना होगा अल्पसंख्यकों के इस अधिकार को बनाए रखना कि वे अपनी संस्थाओं में अपने समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश दें और साथ ही “छिटपुट बाहरी व्यक्तियों” को भी इस शर्त पर प्रवेश दे सकें कि प्रवेश के तरीके तथा उसकी संख्या से संस्थान के अल्पसंख्यक स्वरूप का उल्लंघन न हो ।

- (2) कि, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनिवार्यता उस राज्य के अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से पूरा करना चाहिए, जिसमें वह संस्था अवस्थित है । तथापि, केरल शिक्षा विधेयक मामले में मुख्य न्यायमूर्ति एस आर दास के शब्दों को उद्धृत किया जाए तो अन्य राज्यों से उस अल्पसंख्यक समुदाय के “छिटपुट” भाग को प्रवेश देना उसी आधार पर, जैसा कि गैर अल्पसंख्यक छात्रों के “छिटपुट भाग” को प्रवेश दिया जाता है, अनुज्ञेय होगा तथा इससे उस राज्य को एक ईकाई के रूप में लेते हुए एक अल्पसंख्यक संस्था होने के आवश्यक स्वरूप का वंचन भी नहीं होगा ।

- (3) कि, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में विद्यार्थियों की संख्या का अधिकांश भाग अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए । अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की विद्यार्थी संख्या में छिट-पुट गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के प्रवेश की अपेक्षा केवल इस बाह्य उद्देश्य पूरा करने के लिए की जाती है जो या तो

अतिरिक्त वित्तीय स्रोत प्राप्त करने के लिए हो या सांस्कृतिक शिष्टाचार निभाने के लिए । जिस राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को स्थापित किया गया है, उस राज्य के रहने वाले धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों का आधिक्य(बहुमत) होना चाहिए, जिस राज्य में संस्था स्थित है, यदि उस राज्य के अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना संभव नहीं है तो यह निकटवर्ती राज्यों के अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकती है ।

- (4) कि, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पी.ए.ईनामदार के मामले(ऊपर) में निर्णय दिया गया है कि “अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था में न तो आरक्षण नीति ही लागू की जा सकती है और न ही अपनाए जाने के लिए कोई भी कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है ।” अन्य शब्दों में, एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को सीटों में हिस्सा बांटने के लिए और राज्य की आरक्षण की नीति लागू करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता ।
- (5) कि, एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन, केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा में तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से इस प्रकार चुने गए विद्यार्थियों की परस्पर योग्यता क्रम में परिवर्तन किए बिना, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का चयन करके, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रत्याभूत अपनी पसन्द के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है ।

अध्याय 9 - आयोग द्वारा किए गए अध्ययन

रा.अ.शै.स.आ. अधिनियम, 2004 की धारा 11 की उपधारा (घ) और (छ) निम्नानुसार है :-

- “(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अथवा उसके अधीन उपबाधित सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन करेगा, और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा ;
- (छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए समुचित सरकार को सिफारिशें करेगा ;”

उपर्युक्त धाराओं के अनुसार, आयोग को विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में विचार करना होगा तथा संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त सिफारिशें करनी होंगी। इस वर्ष के दौरान, स्टाफ की कमी के कारण, किसी परियोजना को आरम्भ करना संभव नहीं था। आयोग ने सरकार से अतिरिक्त स्टाफ मुहैया कराने का अनुरोध किया है और अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध होने के पश्चात् ही आयोग इन परियोजनाओं पर कार्य कर पाएगा। वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा आयोग ने मामलों के निपटान को अग्रता प्रदान की। प्राप्त की गई शिकायतों/याचिकाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित विभिन्न नियमों और विनियमों के किए गए अध्ययनों के आधार पर आयोग ने भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में अल्पसंख्यक दर्जा, मान्यता, सम्बद्धता और संबंधित मामलों के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं। इन दिशा-निर्देशों की प्रतियां आयोग के कार्यालय तथा उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए परस्पर विचार-विमर्शों के दौरान यह देखा गया कि लड़कियों ने स्वयं को साबित किया है कि वे लड़कों की अपेक्षा कम समर्थ या प्रतिभाशाली नहीं हैं। तथापि बालिका शिक्षा लगातार अपेक्षा झेल रही हैं। मुस्लिम लड़कियों के मामले में स्थिति गम्भीर है। आयोग द्वारा यह भी पाया गया कि अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब वर्गों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं के कार्यों की निराशाजनक स्थिति में उचित रीति से सुधार लाना होगा। बालिका शिक्षा को विशेषतः इसके पिछड़ेपन और सामाजिक निषेधता से जुड़े होने के कारण, प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में माना गया है। मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं की इस मामले में बदतर स्थिति है। इस दुखद परिदृश्य से निपटने के उद्देश्य से, आयोग ने प्रतिष्ठित महिला शिक्षाशास्त्रियों की एक समिति गठित की है।

2. इस प्रकार आयोग ने विशेषतः मुस्लिम समुदाय से संबंधित बालिकाओं की शिक्षा में अपर्याप्ताओं का अध्ययन करने के लिए बालिका शिक्षा पर एक समिति का गठन किया। समिति का 7 जनवरी, 2010 को गठन किया गया तथा उस के निम्नलिखित 6 सदस्य हैं :-

1.	डा. शबीस्तान गफ्फार,	मानद् अध्यक्ष
2.	श्रीमती आबिदा पी.ईनामदार	मानद् सदस्य
3.	श्रीमती आतिया मुश्ताक,	मानद् सदस्य
4.	डॉ. सीमा वहाब	मानद् सदस्य
5.	डा. शीबा असलम	मानद् सदस्य
6.	डा. करण गैबरियल	मानद् सदस्य

बाद में, आयोग ने निम्नलिखित तीन सदस्यों को समिति में शामिल किया:-

- (1) डा. सुमाया, मानद् सदस्य
 - (2) प्रोफेसर नज़मा अख्तर, मानद् सदस्य
 - (3) डा. पी.ए. फातिमा, मानद् सदस्य
3. आयोग ने, समिति से विषय का अच्छी तरह से अध्ययन करने तथा अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया है। महिला शिक्षा की, समाज की उन्नति, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता के लिए बहुत अधिक निर्णायक भूमिका है तथा आयोग आशा करता है कि समिति की सिफारिशों से इस उपेक्षित क्षेत्र की कमियों को दूर किया जा सकता है।

अध्याय 10 - अल्पसंख्यकों की शिक्षा के एकीकृत विकास के लिए सिफारिशें

हमारा संविधान भारतीय समाज के बहुलवादी स्वरूप एवं हर छोटे-बड़े वर्ग द्वारा उन्नति करने के अधिकार को मान्यता देता है, लेकिन निर्माण के पथ पर आगे बढ़ रहे राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में। संविधान का अनुच्छेद 30 जो वास्तविक अर्थों में समानता लाने के लिए संरक्षात्मक भेदभाव का साधन है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है ताकि उनकी संख्या बल संबंधी पंगुता को दूर किया जा सके और उनमें सुरक्षा और अपनत्व की भावना लाई जा सके, तब भी जब अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग अथवा समाज के उपेक्षित तबके से नहीं हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय आमतौर पर शैक्षणिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। 6 - 13 वर्ष के आयु समूह वाली मुस्लिम आबादी का एक बड़ा तबका अजा/अजजा बच्चों की तुलना में भी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है। गरीबी के कारण उच्चतर शिक्षा में मुस्लिम छात्रों की प्रतिशतता किसी भी अन्य समुदाय से तीव्र गति से गिरती है। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारतवर्ष में केवल 55% मुस्लिम पुरुष एवं 41% मुस्लिम महिलाएं ही शिक्षित हैं; जबकि गैर-मुस्लिम में तदनुसूची आँकड़े 64.5% और 45.6% हैं। 101 मुस्लिम महिलाओं में से केवल एक महिला स्नातक है, जबकि आम आबादी में से 37 महिलाओं में एक स्नातक है। इससे ज्यादा चिंताजनक तथ्य यह है कि बीच में ही शिक्षा छोड़ने वाले मुसलमानों की संख्या तब एकाएक बढ़ जाती है जब वे शिक्षा के पिरामिड पर ऊपर की ओर अग्रसर होते हैं। उच्चतर शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय औसत की तुलना में राष्ट्रीय मुस्लिम आँकड़ा 53% बदतर है। स्नातक स्तर पर मुस्लिम महिलाएं 63% तक कम हैं। मुस्लिम समुदाय को शैक्षिक रूप से समाज के अन्य लोगों के समकक्ष लाने के लिए 3 करोड़ 10 लाख और मुसलमानों को 2011 तक शिक्षित करना होगा। विशेष रूप से चौकाने वाली विसंगति यह है कि शैक्षणिक रूप से अशक्त व बेरोजगार मुस्लिम युवा शहरी व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। यदि वर्तमान दशा जारी रहती है तो मुसलमानों का काफी बड़ा अनुपात भारत के शिक्षित कार्य बल के नक्शे से गायब हो जाएगा। यहां यह कहना अनावश्यक है कि प्रबुद्ध एवं सम्मिलित लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के सभी वर्ग व श्रेणियां भली-भांति शिक्षित हों तथा बौद्धिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र का दायित्व निभाने में सक्षम हों। चूंकि दशकों से मुस्लिम समुदाय शैक्षणिक दृष्टि से पीछे रह गया है, यह आवश्यक है कि इस समुदाय की शिक्षा को तीव्र गति से आगे लाया जाए, प्रोत्साहित व संवर्द्धित किया जाए।

आयोग को इस बात की निराशा है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पास लम्बे समय से शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ईसाई समुदाय की तुलना में पर्याप्त शैक्षिक संस्थाएं नहीं हैं। दुर्भाग्यवश शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए मुस्लिम समुदाय से ज्यादा लोग आगे नहीं आए हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से कुछ राज्यों के संदर्भ में सटीक बैठता है। हालांकि अनेक राज्यों में मदरसों की स्थापना की गई है, लेकिन उनमें औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय द्वारा बहुत कम शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। यह एक दुःख की स्थिति है। जबकि अल्पसंख्यक समुदाय का यह दायित्व है कि वह उस खास समुदाय या धर्म जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, की संस्कृति व परंपरा को संरक्षित रखें और उसका संवर्द्धन करें, फिर भी इन संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अधिक से अधिक प्रवेश दिया जाए। किसी अल्पसंख्यक संस्था की गुणवत्ता का आकलन सिर्फ इस बात से ही नहीं किया जाता है कि किसी विशेष समुदाय के हित संवर्द्धन में क्या उपलब्धि पाई गई है, बल्कि यह आकलन शैक्षिक उत्कृष्टता और इलाके में सभी लोगों के जीवन स्तर और सामाजिक सौहार्द में सुधार के लिए उस संस्था द्वारा किए योगदान से भी किया जाता है।

शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने की मुख्य बाधाओं में से एक बड़ी बाधा शहरी क्षेत्रों में जमीन का न मिलना और जमीन की ऊंची कीमत भी है। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से अनेक स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के लोगो ने शिकायत की है कि वे शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए जमीन खरीदने में असमर्थ हैं। कई राज्यों में

शैक्षिक संस्थाओं के लिए जमीन की आवश्यकता में काफी समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ज्यादा कीमत वाली ये जमीनें अल्पसंख्यक समुदाय की पहुंच के बाहर हो गई हैं। आयोग महसूस करता है कि शहरी जमीन की ऊंची कीमतों को ध्यान में रखते हुए जमीन की आवश्यकता की समीक्षा तुरंत करना अपेक्षित है। आयोग यह भी सुझाव देता है कि राज्य सरकारों को विशेषकर मुस्लिम समुदायों के लिए शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए उत्साही व्यक्तियों/समितियों को रियायती/पहुंच वाली दरों पर जमीन आबंटित करने के लिए आगे आना चाहिए।

वर्तमान अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यक बच्चों और युवाओं की प्रवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने में पूर्णतया अपर्याप्त हैं। यह देखने का लगातार प्रयत्न होना चाहिए कि सभी संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों का स्वागत हो और शैक्षिक रूप से विकास और उनके अधिगम की अक्षमता को दूर करने में उन्हें मदद मिले और व्यक्तित्व विकास, आत्म-विश्वास, उच्च शैक्षिक उपलब्धियां और बाद के जीवन में रोजगार क्षमता प्राप्त करने की सफलता प्राप्त करें। उन्हें स्व-रोजगार के लिए उद्यमी कौशल और योग्यता व क्षमता प्राप्त करने में भी मदद दी जानी चाहिए।

किसी समुदाय के शैक्षणिक विकास का सूचकांक संभवतः राष्ट्र निर्माण में इसकी भागीदारी के बारे में लोकमत तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे सार्वजनिक जीवन में इसकी छवि व इसके प्रति आदर भाव आगे जाकर परिभाषित होता है। भागीदारी से उलट स्थिति विमुखता की है। एकीकरण व सशक्तिकरण के संवर्द्धन में असफल होना यद्यपि अनजाने में ही सही विकासोन्मुख पंगुता व भावात्मक विमुखता को पैदा करना है। शिक्षा को विशेष रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक व भाषाई अनेक संख्यक समाज, जैसाकि हमारा है, में एकीकरण के एक सशक्त साधन के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। मुसलमानों का वर्तमान पिछड़ापन दोहरी क्षति की पूर्वसूचना देता है। इस समुदाय के लोग सार्वभौमिकरणिय विश्व में उभरते अद्वितीय अवसरों को गंवा रहे हैं। देश का नुकसान इस अर्थ में हो रहा है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा समग्र समृद्धता और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की दिशा में देश के आगे बढ़ते प्रयासों में भागीदारी नहीं कर पा रहा है।

मदरसे निशुल्क शिक्षा के केन्द्र हैं। वे समाज सेवा के गढ़ भी हैं जहां मानवता व भाईचारा जो **इस्लाम** के मूल सिद्धांतों में से एक है, की शिक्षा दी जाती है तथा मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। वे अभी भी मुसलमानों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक जीवन के केन्द्र माने जाते हैं। पारंपरिक शिक्षा के एक अमूल्य तंत्र के रूप में इन मदरसों ने मुस्लिम समाज के दलित तबके में साक्षरता फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। ये मदरसे अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जहां अधिकांशतः अन्य शैक्षणिक सुविधाएं नहीं होती हैं। इस प्रकार, इन मदरसों का योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी, समुदाय के प्रति इनकी सेवाओं की अनदेखी करके, मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक विकास के बारे में नहीं सोच सकता। यहां यह कहना आवश्यक नहीं है कि केवल मुस्लिम समुदाय का गरीब तबका ही अपने बच्चों को विवशता में मदरसों में भेजता है जो कि न केवल उन्हें निःशुल्क शिक्षा बल्कि निःशुल्क भोजन और आवास भी प्रदान करते हैं। जो मदरसे स्थापित करते हैं, अथवा जिनकी सहायता से ये मदरसे चलाए जाते हैं, वे अपने बच्चों को बिरले ही उन मदरसों में शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके विपरित, वे अपने बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल को वरीयता देते हैं।

मदरसों में अपनाई जाने वाली शिक्षा की पद्धति पुरानी हो गई है तथा सुविज्ञता के वर्तमान माहौल के अनुरूप नहीं है। मदरसों को जीवन रूपी बहती नदी में एक थमे हुए पत्थर की भांति नहीं होना चाहिए। इस अस्थायी जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। कोई भी समाज आज ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की राह पर मानवता के आगे बढ़ते कदमों की अनदेखी करके नहीं रह सकता। कोई भी समाज मुख्यधारा से दूर रहकर और इस प्रकार अपना ही नुकसान करते हुए अपना अस्तित्व बरकरार नहीं रख सकता।

मदरसा शिक्षा पद्धति को मानकीकृत करने की आवश्यकता है जो कि मदरसा शिक्षा के मूल सिद्धांतों के साथ समझौता किए बिना उभरते हुए सार्वभौमिक परिदृश्य के लिए उपयुक्त हो। मदरसों के लिए आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हुए भी अपना अनिवार्य स्वरूप कायम रखना संभव है। वे अपनी स्वायत्ता को सुरक्षित रख सकते हैं और सरकार की बाध्यता से मुक्त रह सकते हैं। मदरसा प्रणाली का मानकीकरण और मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की हमारे देश, जो कि 21वीं सदी की एक सुपर शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है, में अपनी प्रासंगिकता है। शैक्षिक संस्थाएं ज्ञान के रूपान्तरण, खोज और वितरण एवं ज्ञान प्रदान करने वाले निर्माताओं के सृजन का साधन हैं। मदरसे भेदभाव रहित माहौल को सम्मान देते हुए स्वच्छ और न्यायोचित समाज बनाने की ओर कदम के रूप में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मिलित वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। प्रत्येक शैक्षणिक संस्था, चाहे जिस किसी भी समुदाय से संबंधित हो, हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक सदैव क्रियाशील भाग है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक है जो हमें एक सम्मिलित समाज के निर्माण के लिए शिक्षा की गहन पद्धति बनाने के लिए बाध्य करता है जिसमें सभी धार्मिक मूल्य प्रतिबिम्बित होते हैं। अपने बहु-धार्मिक और बहु-सांस्कृतिक समाज वाले भारत को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। यह सम्मिलित लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। समावेश समानता, मानव अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक न्याय का केन्द्र-स्थल है। मदरसों के प्रबन्धकों को विवाद सुलझाने और एक शांतिपूर्वक समाज का निर्माण करने में शिक्षा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। इस बात की भी जरूरत है कि छात्रों में सैद्धांतिक शिक्षा से परे पूछताछ करने की भावना जगाई जाए ताकि वे उचित परिप्रेक्ष्य में शांति और न्याय के मुद्दों को समझ सकें। इस संदर्भ में मदरसा शिक्षा को विविधता, विभिन्नता और बहुलता की जागरूकता और उस भावना का संवर्धन करना चाहिए। इसे राष्ट्रीय परिदृश्य में उभरती हुई आकांक्षाओं की वास्तविकता को प्रतिबिम्बित करना चाहिए तथा इसकी ओर एक सकारात्मक दृष्टिकोण का संवर्धन करना चाहिए और इसके लिए एक उचित पाठ्यचर्या का माहौल बनाना चाहिए। गांधी जी ने कहा है, “यदि हमें विश्व में सच्ची शांति लानी है, तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी।”

आयोग ने केन्द्रीय सरकार को पहले ही यह सिफारिश कर दी है कि वे संसद के अधिनियम के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में केंद्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना करें, जो सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्त हो। केंद्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए आयोग द्वारा सिफारिशों में, मदरसों में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रावधान और सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं जो केंद्रीय मदरसा बोर्ड की स्वायत्ता की गारंटी देते हैं। केन्द्रीय मदरसा बोर्ड से सम्बद्धता पूरी तरह से स्वैच्छिक है। केंद्रीय मदरसा बोर्ड को मदरसा शिक्षा की ब्रह्मवैज्ञानिक विषय-वस्तु पर मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं होगा। आयोग सिफारिश करता है कि संवैधानिक केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना जल्द से जल्द की जाए।

अध्याय 11 - अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन अथवा वंचन के दृष्टांत

संविधान का अनुच्छेद 30 वह सुदृढ़ आधार है, जिसके तहत अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया है ।

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआईआर 1958 एससी 959) के साथ प्रारंभ करते हुए तथा पी ए ईमानदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 6 एससी सी 537 द्वारा पराकाष्ठा तक पहुँचते हुए उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों की एक लम्बी शृंखला के आधार पर मौजूदा रूप में विधि का निर्धारण किया है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) पर आधारित निर्णय विधि के सम्पूर्ण ढांचे को केरल शिक्षा विधेयक मामले में सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है (ऊपर) । संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'उनकी पसंद' की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा संचालन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे की तर्कसंगतता यह है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थाएं चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए । इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है । यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है जो कि संविधान के अध्याय 11 के अधीन किए गए इन प्रावधानों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अर्थपूर्ण प्रयोग का अर्थ प्रभावकारी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के अधिकार से है जो कि अल्पसंख्यकों तथा विद्यार्थियों, जो उनका सहारा लेते हैं की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । राज्य या विनियामक प्राधिकारी के लिए यह अनुज्ञेय है कि वह विनियमों का निर्धारण करे, जिसका किसी अल्पसंख्यक संस्था द्वारा सम्बद्धता और मान्यता की मांग करने या उसे बनाए रखने से पहले, उनका अवश्य ही अनुपालन किया जाए लेकिन ऐसे विनियमों को संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । इस प्रकार दोनों उद्देश्यों- संस्था की उत्कृष्टता के स्तर को सुनिश्चित करना और अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन के उनके अधिकार को संरक्षित करना - के बीच संतुलन रखा जाए । वे विनियम, जो दोनों उद्देश्यों को सम्मिलित तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं को तर्कसंगत माना जा सकता है (टी एम ए पाई फाउन्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य, 2002 (8) एस सी सी 481 देखें) । टी एम ए पाई फाउन्डेशन मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि प्रत्येक संस्था जो कि सम्बद्धता और मान्यता को प्रदान करने के लिए शर्तों को पूरा करती है, उसे ऐसी सम्बद्धता तथा मान्यता अवश्य दी जाए । इसके अलावा, अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को

प्रदत्त अधिकार, विधानमंडल तथा कार्यपालिका को किसी कानून बनाने या किसी कार्यपालिका कार्रवाई करने, जिससे उस अधिकार को छीना या कम किया जा सकता है, से परहेज करने का दायित्व सौंपता है ।

जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने पृष्ठ 990 पर एआईआर 1958 सर्वोच्च न्यायालय 956 में पाया है, संविधान अल्पसंख्यकों को दो सुस्पष्ट अधिकार प्रदान करता है एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, नामतः - (i)राज्य का अल्पसंख्यकों, धार्मिक अथवा भाषा-विषयक संस्थाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता एवं मान्यता देने के मामले में समान व्यवहार प्रदान करने का सकारात्मक दायित्व है; तथा (ii)राज्य का ऐसी संस्थानों की स्थापनाओं पर रोक न लगाने तथा उनके संचालन में हस्तक्षेप न करने का नकारात्मक दायित्व भी है ।

संविधान के अनुच्छेद 30(1) के निबंधनों के अनुसार प्रशासन के अधिकार का अर्थ है, संस्था के कार्यों का प्रबंधन तथा संचालन करने का अधिकार । इसमें, अपनी शासी निकाय को चुनने का अधिकार, शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ के चयन का अधिकार तथा अपनी पसन्द के विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अधिकार शामिल है । ये सभी अधिकार एक साथ मिलकर, प्रशासन के अधिकार की एकीकृत धारणा की रचना करते हैं । संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अर्थ के अंतर्गत प्रशासन की धारणा में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की पसन्द शामिल है । अपनी पसंद के विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अधिकार, एक शैक्षणिक संस्था के प्रशासन के अधिकार का सम्भवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है तथा पात्रता की अपेक्षित अर्हता को निर्धारित करने की सीमा के अलावा, उस पर कोई अन्य पाबन्दी लागू करना संवैधानिक रूप से अननुज्ञेय है । संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रदत्त अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 13 के आदेश के कारण राज्य द्वारा न तो छीना जा सकता है और न ही कम किया जा सकता है ।

यह ध्यान रखना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 13 के माध्यम से यह उपबंध किया गया है कि राज्य द्वारा ऐसे किसी कानूनों, नियमों और विनियमों को नहीं बनाया जा सकता, जो कि संविधान के भाग ॥ के प्रतिकूल हैं । संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के कुछ भागों के चारों तरफ एक दीवार बना दी है, जिसे अधिसंख्यकों की उसमें अनुचित रूप से घुसने की क्षमता को सीमित करते हुए हमेशा बने रहना होगा । वह दीवार, अपनाई गई मूल संरचना है । अन्य शब्दों में, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों को भंग करने में कोई विधि, ऐसे उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी । आक्षेपित कार्रवाई के प्रभाव की संविधान के भाग- ॥ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों तथा स्वतंत्रता की कसौटी पर जांच करनी होगी ।

एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना उसकी स्थापना के प्रयोजन में सहायक होने अथवा आगे बढ़ाने के लिए की जाती है । जबकि अल्पसंख्यकों को , इन आकांक्षाओं के साथ उनकी अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है कि उनके बच्चों का उचित तरीके से पालन पोषण किया जाएगा तथा वे उच्चतर शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें और ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों से सज्जित होकर संसार में बाहर जाएं, जो कि उन्हें लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए योग्य बनाएगी, तब निश्चित रूप से उनके अपने समुदाय के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल कर्तव्य को ऐसे मौलिक अधिकार में अवश्य अन्तर्निहित किया जाए । ऐसे मौलिक अधिकार के हिताधिकारी को इसकी पूरी मात्रा में लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए । अतः अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं, अल्पसंख्यक समुदाय जिसने संस्था की स्थापना की थी, की आवश्यकताओं को अनिवार्य रूप से पूरा करेगी ।

संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन प्रदत्त अधिकार, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को, उसकी अपनी पसंद के विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अधिमानी अधिकार है । यह बाध्यता यह सुनिश्चित करने के लिए अभीष्ट है कि संस्था, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और भाषा को संरक्षित करने तथा ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को एक पूर्ण तथा अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को समर्थ बनाते हुए, अनुच्छेद 30(1) के दोहरे उद्देश्यों

को प्राप्त करके अपने अल्पसंख्यक स्वरूप को कायम रखती है। जब तक कि संस्था, उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करके अपने अनिवार्य स्वरूप को बनाए रखती है, यह एक अल्पसंख्यक संस्था बनी रहेगी। टी.एम.ए.आई. फाउंडेशन तथा पी.ए.ई.नामदार मामले (ऊपर) में दोनों इस दृष्टिकोण पर एकमत हैं कि अपने अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पर्याप्त संख्या में प्रवेश दे, जिसने इसकी स्थापना की है। अपने अल्पसंख्यक स्वरूप के परिरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए ताकि अनुच्छेद 30(1) के संरक्षण के विशेषाधिकार का लाभ उठा पाएँ, यह आवश्यक है कि संस्था को स्थापित करने के उद्देश्य विफल न हों। अन्य शब्दों में, एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनिवार्य रूप से, मुख्यतः उस समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए अन्यथा उसका अल्पसंख्यक संस्था का स्वरूप समाप्त हो जाता है। अतः उस अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा, जिसने संस्था की स्थापना की है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1 एससीसी 558 मामले में यह निर्णय दिया गया है कि अल्पसंख्यकों को उनकी संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखने के लिए उनके अपने अभ्यर्थियों को प्रवेश देने का अधिकार है। वह एक आवश्यक सहवर्ती अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने के अधिकार से निकलता है। अल्पसंख्यक समुदायों में अभिभावकों के लिए एक संबंधित अधिकार का भी प्रावधान है। अभिभावक, उनके अपने धर्म के अनुरूप वातावरण वाली संस्थाओं में अपने बच्चों को शिक्षित करने के हकदार हैं।

अध्याय 12 - निष्कर्ष

1. शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने और अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र देने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों के प्राधिकारियों की हैं। तथापि आयोग को यह जानकर निराशा हुई है कि अनेक राज्यों ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र दिए जाने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कोई भी तंत्र स्थापित नहीं किया है। अनेक राज्यों में, इसके लिए रुख निष्क्रियता भरा रहा है। आयोग ने यह भी पाया है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रत्याभूत अधिकारों के बारे में संबंधित अधिकारियों को जागरूक नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आयोग को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग द्वारा राज्य सरकारों को लिखे जाने के पश्चात्, कुछ ने मानदंडों को अंतिम रूप दिया है और इस मामले की देख-रेख करने के लिए समुचित तंत्र स्थापित किया है। अनेक राज्य सरकारों के साथ की गई बातचीत के दौरान, आयोग ने इस प्रकार के अनुरोध पर जल्द विचार किए जाने पर बल दिया है। चूंकि कुछ राज्य सरकारों ने आयोग से समुचित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के मामले में परामर्श देने का अनुरोध किया था, अतः आयोग ने इस मामले पर विचार करते हुए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र के निर्धारण के लिए समुचित दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में अल्पसंख्यक दर्जा के निर्धारण, उनकी मान्यता, संबद्धता और उससे जुड़े मामलों को लेकर हैं। ये दिशानिर्देश सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मार्गदर्शन के लिए भेज दिए गए हैं। इन्हें आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। ये दिशानिर्देश उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में की गई उद्घोषणाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं। यह आशा की जाती है कि विभिन्न राज्य सरकार के प्राधिकारी अपने अधिसूचित किए जाने वाले नियमों और विनियमों में समुचित बदलाव लाने के लिए इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेंगे।
2. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों का यह कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए एक सिंगल विंडो प्रणाली की स्थापना करें। जिला/जिला परिषद/ ताल्लुक स्तर पर आवेदनों की प्राप्ति के लिए विकेन्द्रीयकरण पर विचार किया जा सकता है, जहां आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन को नोडल प्राधिकारी को भेजने से पहले समयबद्ध अवधि के भीतर उसकी संवीक्षा/निरीक्षण किया जा सकता है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रकार की प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और इसका व्यापक प्रचार करना चाहिए।
3. कुछ राज्य सरकार के प्राधिकारी केवल अस्थाई अवधि के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र देते हैं। आयोग ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र अल्पावधि के लिए नहीं दिया जा सकता।

जैसे कि टी.के.वी.टी.एस.एस. मेडिकल एजुकेशन तथा चेरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य ए आई आर 2002 मद्रास 42 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा किसी ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समय-समय पर नवीकृत की जाने वाली विशेष अवधि के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाले पूर्व आदेश की समीक्षा करने की छूट राज्य सरकार को नहीं है जब तक कि यह पता न चले कि संबंधित संस्थान ने अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने संबंधी आदेश पारित होते समय कोई तथ्य छुपाया अथवा परिस्थितियों में ऐसा मूल परिवर्तन हो गया है जिससे पूर्व के आदेश को निरस्त करना जरूरी हो जाता है। इस संबंध में माननीय न्यायाधीशों की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है :-

“.....निष्कर्षता, हम मानते हैं कि यदि किसी निकाय को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत परिकल्पित अधिकारों का हकदार मानकर, एक बार अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है तो जब तक कि परिस्थितियों में मूल परिवर्तन न हो अथवा तथ्यों को छुपाया न गया हो, सरकार को ऐसे संजोजित संवैधानिक अधिकार जो कि मौलिक अधिकार हैं को, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पहले सुनवाई की उचित प्रक्रिया अपनाए बिना, छीनने की शक्ति प्राप्त नहीं है और वह भी महज एक साधारण पत्र के जरिए।”

(बल दिया गया)

तदनुसार राज्य सरकारों को आयोग की यह सिफारिश है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र स्थायी आधार पर ही दिया जाना चाहिए जिसे विधि की समुचित प्रक्रिया के बाद ही वापिस या निरस्त किया जा सकता है।

4. आयोग के ध्यान में ऐसी अनेक घटनाएं लाई गई हैं जहाँ कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम और विनियम अनुच्छेद 30(1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। अपने विभिन्न फैसलों में शीर्ष न्यायालय ने अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत स्थापित अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है। यदि राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया विधि का कोई भी प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए विधि, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, के किसी भी प्रावधान से अथवा समवर्ती सूची में गणनीय मामलों में किसी एक मामले से संबंधित वर्तमान कानून के प्रावधान से असंगत है, तो अनुच्छेद 254 के प्रावधानों के अधीन संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा और विधायिका द्वारा बनाया गया कानून असंगति की सीमा तक अमान्य होगा। विभिन्न राज्यों के अपने दौरों के दौरान आयोग ने कानूनों और नियमों में संशोधन/सुधार की राज्य सरकार के प्राधिकारियों को सलाह दी है ताकि वे अनुच्छेद 30 के अंतर्गत निहित अधिकारों के अनुरूप हों। आयोग सिफारिश करता है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों पर दबाव डालें कि वे सभी संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों की तत्परता से जांच करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के अनुरूप लाने के लिए उनमें, अगर आवश्यकता है, संशोधन किए जाएं।
5. आयोग का ध्यान अनेक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की असंगतता की घटनाओं के बारे में भी आकर्षित किया गया है, जो अनुच्छेद 30(1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अधिकारों को विभिन्न निर्णयों को स्पष्ट रूप से इंगित किया है। आयोग, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि वे यू.जी.सी., एआईसीटीई, एनसीटीई, एम.सी. आई, डीसीआई, सीवीएसई, आदि जैसी शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की जांच करें ताकि यह देखा जा सके कि वे अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुरूप हैं। इस संबंध में ब्रह्मों समाज बनाम पश्चिम बंगाल (2004) 6 एसएससी224 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।
6. आयोग के ध्यान में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित नई शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के लिए राज्य सरकारों की अनिच्छा से संबंधित कई घटनाएं लाई गई हैं। आयोग ने यह पाया है कि स्कूलों को मान्यता दिए जाने के लिए राज्य सरकारों की अनिच्छा मुख्य रूप से सहायतानुदान दिए जाने की अनिच्छा पर आधारित है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्य सरकारें सहायतानुदान देने की अपनी भूमिका को समाप्त करना चाहती थीं। जबकि सहायतानुदान एक संवैधानिक आदेशक नहीं है, आयोग ने देखा है कि अनेक मामलों में, ग्रामीण, दूरवर्ती तथा जनजातीय इलाकों में स्थित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अपना खर्चा स्वयं

चलाने को नहीं कहा जा सकता क्योंकि समाज के अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्गों से शुल्क एकत्र करना असंभव होता है। ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता लिए बिना अपने खर्च चलाना और शिक्षा का यथोचित स्तर प्रदान करना मुश्किल होगा। यहां यह कहना आवश्यक नहीं है कि शिक्षकों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम अस्तित्वयुक्त वेतन दिया जाना चाहिए। अनेक दूर-दराज और कम विकसित क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थाएं निर्धन लोगों की आशा की एकमात्र किरण हैं। राज्य का कर्तव्य है विशेषकर अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत निहित 6-14 वर्षों के आयु वर्ग में सभी बच्चों के लिए निशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक जनादेश के संदर्भ में, ऐसी संस्थाओं की सहायता करे तथा बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को प्ररिचालित करने के संदर्भ में उन्हें सशक्त बनाए। यह जरूरी है कि दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में अधिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की जाएं ताकि छात्रों की आसानी से वहां पहुँच हो सके। राज्यों को इस संवैधानिक जिम्मेदारी से कतराना नहीं चाहिए। आयोग, इसलिए, सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को दूरदराज, दूरवर्ती, जनजातीय और अविकसित क्षेत्रों में स्थित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान देने के लिए, निर्देश देना चाहिए।

7. आयोग ने सरकार से शिक्षा की मदरसा प्रणाली को समन्वित करने और उसका मानकीकरण करने और इसके समेकित विकास तथा मुख्यधारा में लाने के लिए भी एक केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश की है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले बोर्ड को इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली परम संवेदनशीलताओं और चिन्ताओं को देखते हुए सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाएगा। मदरसा शिक्षा के सुधार से सम्बंधित स्थानीय चिन्ताओं को देखते हुए केन्द्रीय मदरसा बोर्ड के लिए आयोग द्वारा संस्तुत प्रस्तावित योजना में मदरसों में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध पर्याप्त प्रावधान और सुरक्षोपाय किए गए हैं तथा केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की स्वायत्तता की गारंटी दी गई है। इसमें भारत के धर्मगुरुओं और इस्लाम के अभिरक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की चिन्ता दर्शाने का कोई भी स्थान नहीं छोड़ा गया है। केन्द्रीय मदरसा बोर्ड से सम्बद्धता पूरी तरह से स्वैच्छिक है और एक सम्बद्ध मदरसा किसी भी समय संबद्धता से बाहर हो सकता है। केन्द्रीय मदरसा बोर्ड को मदरसा शिक्षा की बृहद्वैज्ञानिक विषय-वस्तु पर मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं होगा। आयोग को आशा है कि सरकार इस संबंध में अपने निर्णय को शीघ्र अंतिम रूप दे देगी।